UN-HABITAT

आवास भारती

विश्व पर्यावास दिवस, 2015
के उपलक्ष्य में

राजभाषा विशेषांक

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवास भारती को 2013 और 2014 में प्राप्त पुरस्कार समारोह की झलकियाँ

सम्पादकीय

प्रिय साथियों,

राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह–पत्रिका ''आवास भारती'' का सन् 2015 का वार्षिक ''विशेषांक'' आपको सौंपते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है। यह हमारा लगातार तीसरा प्रयास है। हम सर्वप्रथम उन बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों तथा आवास वित्त कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें अपने आलेख भेजे। आलेखों को चयनित कर विशेषांक में स्थान दिया गया है।

हमारा बैंक भारत सरकार की राजभाषा हिंदी के पूर्णतः अनुपालन के लिए कटिबद्ध है एवं हम अपनी तरफ से अथक प्रयास करते हुए राजभाषा के झंडे को ऊंचा उठाए रखते हैं। इस कार्य में हमारे सभी अधिकारियों तथा वरिष्ठतम कार्यपालकों का हमें पूर्ण समर्थन मिलता रहता है। राजभाषा विभाग के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है। हम अपने वरिष्ठतम कार्यपालकों के आभारी है। राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्थापना वर्ष से ही राजभाषा के कार्य को महत्व देते आ रहा है। यह हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में हम नियम कायदों में बंधे होते हैं। सरकारी आदेशों का पालन अनुशासन के दायरे में आता है। कोई भी कार्य यदि मन से किया जाए तो उसका फल अच्छा होता है।

राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में राजभाषा का बहुत महत्व है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राज्य और संपूर्ण देश को है। हिंदी का प्रचार–प्रसार और आवश्यकता सरकारी कार्यालयों में ही क्यों? अन्य निजी संस्थानों को बेधडक अंग्रेजी में कार्य करने की छूट देना उचित नहीं है। तथापि यह बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। भारतीय निजी क्षेत्र के संस्थानों में इसे स्वैच्छिक तौर पर प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह आपसी सहयोग से संभव है। मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका सरकारी नौकरियों पर आश्रित रहता था जहां अंग्रेज और अंग्रेजी का वर्चस्व था। अंग्रेजी का विरोध किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता था। आज़ादी के पश्चात इसी तरह अंग्रेजी का और देशी अंग्रेजों का वर्चस्व कायम रहा। अब सरकारी नौकरियों की भारी कमी है ऐसे में निजी क्षेत्र ही अधिकतम रोजगार देने में सक्षम हैं। निजी क्षेत्र में अधिकतम कार्य करने वाले देशी लोग ही है। उन्हें हिंदी में कार्य करने में संकोच नहीं होना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्य करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बल्कि यह कार्य तो उनके लिए अधिक गौरवशाली होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावास दिवस प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के प्रथम सोमवार को विश्व भर में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रथम 1986 में प्रायोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों के शहरों एवं नगरों की आवास जैसे मूलभूत मानवाधिकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाकर सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर भविष्य के लिए आवास का निर्माण करना है। 2015 का पर्यावास दिवस ''आम जगह सबके लिए'' की परिकल्पना को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक भी पर्यावास दिवस को हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाने में सहभागी होता है। हम इस दिवस के समारोह की सफलता के लिए मंगल कामना करते हैं।

भाषा सरल हो, सहज समझने योग्य हो यह बहुत अच्छी बात है मगर भाषा को द्विअर्थी प्रयोग करने वालों पर और अपनी भाषा को अपमानित करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। सुना है, ब्रिटिश काल में एक देशी न्यायाधीश रेलवे प्लेटफार्म पर गंदगी देख भड़क उठा उसने पूछा ''हू इज स्टेशन मास्टर''। पास ही खड़ा एक व्यक्ति बोल उठा ''आई इज स्टेशन मास्टर''। न्यायाधीश ने पूछा ''आर यू स्टेशन मास्टर''। स्टेशन मास्टर ने कहा, ''आई आर स्टेशन मास्टर''। भाषा के गलत प्रयोग पर न्यायाधीश का माथा ठनका और उसने दो वाक्य गलत बोलने पर दो दिन का वेतन काटने का फर्मान सुनाया। न्यायाधीश तो रेल में बैठकर चल दिया मगर रेलवे की ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस सार्जेंट ने स्टेशन मास्टर को प्रताड़ित किया और आगे गलती करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हमारे देश में भी राजभाषा का जानबूझकर अपमान करने पर या उपहास उड़ाने पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी विचार होना चाहिए।

हम राष्ट्र प्रेम की विपरित धारा में न बहे, अपनी मातृभाषा और राजभाषा का सम्मान के साथ–साथ अपने देश को समृद्ध बनाएं यही हमारी अपेक्षा है। राजभाषा का यह विशेषांक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।

धन्यवाद।

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे
उप महाप्रबंधक एवं संपादक
मोबाइल नं0 9560900451
ई–मेलः gnsomdeve@nhb.org.in
somdeve@rediffmail.com

संदेश

विश्व पर्यावास दिवस के उपलक्ष्य में बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती का वार्षिक राजभाषा विशेषांक 2015 प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। यह विशेषांक आवास, आवास वित्त तथा वित्तीय समावेशन को समर्पित है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व की कुल आबादी का आधे से अधिक हिस्सा शहरों में रहता है और इन शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने शहरों का निर्माण कुछ इस प्रकार से करें कि वे अमीर–गरीब के अंतर को कम कर सके। इस अंतर को कम करने में सार्वजनिक स्थलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा।

वास्तुरकारों के लिए यह एक चुनौती होगी कि वे किस प्रकार से 100 स्मार्ट सिटीज का ढांचा तैयार करते हैं। वास्तुरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन शहरों में सस्ती एवं बेहतर परिवहन एवं ऊर्जा व्यवस्था मुहैया कराना, शहरों में हरे–भरे खुले मैदानों की उपलब्धता तथा उनका संरक्षण करना एवं स्वच्छ हवा एवं पानी के साथ–साथ साफ–सफाई का प्रबंध करना होगा। शहरी योजना और डिजाइन में पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता के सार्वजनिक स्थानों के साथ–साथ शहरी वित्त और स्थाानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने योग्य स्थलों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का सदा पालन करते हुए प्रोत्साहन की नीति को अपनाते हुए काम करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। बैंक में राजभाषा हिंदी के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिए बैंक ने अनेक राजभाषा प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं क्रियान्वित की है। बैंक बिना किसी अवरोध के अपनी राजभाषा गृह पत्रिका – ''आवास भारती'' को सफलतापूर्वक प्रकाशित कर रहा है। बैंक की पत्रिका पिछले तीन वर्षों से लगातार अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक की गृह पत्रिका प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने में सफल रही है, इससे पूर्व भी कई प्रमुख मंचों से पुरस्कृत की जा चुकी है।

विश्व पर्यावास दिवस के उपलक्ष्य में बैंक की गृह पत्रिका – 'आवास भारती' का ''वार्षिक राजभाषा विशेषांक'' इस आशा के साथ प्रस्तुत किया गया है की यह पत्रिका आवास तथा आवास वित्त के कुछ महत्व पूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाल पाएगी मैं पत्रिका में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्मिकों द्वारा लिखित आलेखों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें उनके रचनात्मक प्रयासों के लिए बधाई एवं शुभाकामनाएं देता हूं।

श्रीराम

(श्रीराम कल्याणरामन)
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदेश

मुझे यह जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा बैंक अपनी हिंदी पत्रिका "आवास भारती" का सन् 2015 "वार्षिक राजभाषा विशेषांक" प्रकाशित कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि बैंक इस विशेषांक को केवल भाषायी विशेषांक न बनाकर एक व्यावहारिक राजभाषा विशेषांक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैंक ने इस विशेषांक में मुख्य रूप से बैंकिंग विषय, आवासीय क्षेत्र संबंधित विषय एवं इनसे जुड़े अन्य समसामाजिक तकनीकी विषयों के साथ राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को भी परिचर्चा के केन्द्र में लाने का सफल प्रयास किया है।

मैं निज भाषा का महत्व समझता हूं। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य ने एक दूसरे से मेल–जोल किया, वैचारिक आदान–प्रदान करते हुए अपने ज्ञान का विस्तार किया। जहां तक भाषा का प्रवाह है वहां तक समरसता एवं समृद्धि है। भाषा का सेतू टूटते ही मनुष्य और मुनष्य के बीच वैमनस्य पैदा हो जाता है। निज भाषा प्रकट करती है कि यह व्यक्ति अपनेपन तथा देशप्रेम से सराबोर है कि नहीं? हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रयास जारी है। हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास भी जारी है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए।

मेरा यह मानना है कि बैंक अपनी गृह पत्रिका – 'आवास भारती' के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे प्रयासों के द्वारा देश भर में वे अपने पाठकों से और भी अधिक निकटता से जुड़ेगा और इस प्रकार से वित्त एवं आवास वित्त जैसे मामलों के लिए समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा करके बैंक अपने स्थापना के उद्देश्य को और आगे बढ़ाएगा तथा देश के कमजोर आर्थिक वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों सहित मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा।

मैं अपने बैंक के राजभाषा विशेषांक की संपादन टीम सहित सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं तथा विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

(आर.एस. गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक, डॉ0 संजीव शर्मा की ओर से

संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा बैंक राजभाषा हिंदी के प्रति विशेष सम्मान दर्शाते हुए इस वर्ष भी बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" का सन् 2015 राजभाषा विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। यह जानकर काफी अच्छा लगा कि बैंक ने प्रतिवर्ष की तरह अखिल भारतीय स्तर पर देशभर के विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कर्मियों द्वारा लेखों को आमंत्रित किया है। राजभाषा विशेषांक के लिए मुख्यत: 14 विषयों को चुनकर लेख मांगे गए थे। इन विषयों में जहां आवासीय क्षेत्र की कठिनाइयां संबंधित विषयों को चिन्हित करने के लिए कहा गया था वहीं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी लेख भी आमंत्रित किए गए हैं। एक अन्य विषय के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को भी समेटने का प्रयास किया गया है। इन सभी विषयों पर लेखकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं।

यहां मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी स्थापना काल से भारत सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं को बढ़ावा देने में अग्रणी एवं नोडल एजेंसी के रूप में काम करता रहा है। बैंक निरंतर नवोन्मेषी एवं पर्यावरण मैत्री तथा पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण जैसे मुद्दों को मूल में रखकर ऊर्जा दक्ष आवासों के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। बैंक न केवल भारत, बल्कि एशियाई देशों के साथ, साझा मंच बनाकर आवास एवं आवास वित्त के क्षेत्र में काम कर रहा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक की अपनी बहु आयामी भूमिकाओं के साथ यह राजभाषा विशेषांक अपने बहुविध आलेखों के साथ आवास, आवास वित्त, बैंकिंग एवं राजभाषा आदि के प्रोत्साहन तथा प्रचार–प्रसार की दिशा में एक साथ कई उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा। मैं राजभाषा विशेषांक के सफल प्रकाशन की कामना करते हुए राजभाषा विशेषांक को प्रकाशित करने के लिए राजभाषा अनुभाग के साथ–साथ बैंक के सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से "आवास भारती" के संपादक मंडल से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए अथक परिश्रम किया है। मैं बैंक के सभी अधिकारियों सहित आलेख के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें लेखन हेतु बधाई देता हूं। मैं राजभाषा विशेषांक के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

(डॉ0 संजीव शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
हमारा शहर और सार्वजनिक स्थल	5	वित्तीय समावेशन	52
सभी के लिए सार्वजनिक स्थल: सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव	8	जनधन योजना: सही कदम, नई दिशा	71
सोलर एनर्जी का आवास में प्रयोग	12	क्षेत्रीय आवासीय समस्याएं एवं समाधान	83
ग्रामीण आवास वित्त समस्याएँ एवं निदान	13	हाउसिंग बोर्डो का आवासीय समस्या सुलझाने में योगदान	84
शहरी आवास वित्त में समस्याएं एवं निदान	15	ग्राहक सेवा में हिन्दी का प्रयोग	86
शहरी गरीबों के लिए आवास वित्त प्रबंधन	18	शासकीय कार्यो में राजभाषा का बढ़ता प्रयोग	94
नारी सुरक्षा एवं आवास वित्त	21	सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से राजभाषा का प्रगामी प्रयोग	96
स्वास्थ्य में योग का महत्व	27		
डिजिटल इंडिया	40		

प्रधान संरक्षक
श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
डॉ. संजीव शर्मा
कार्यपालक निदेशक

संपादक
डॉ. जी.एन. सोमदेवे
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिंह
उपप्रबंधक

संपादक मंडल
एस.के. पाढ़ी, उप महाप्रबंधक
रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
पंकज चड्ढा, प्रबंधक
रवि कुमार सिंह, प्रबंधक
सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक
अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)
कोर–5 ए, 3–5 तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

हमारा शहर और सार्वजनिक स्थल

श्रीराम कल्याणरामन,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

अगर आपका शहर पुराना हो, उसकी सांस्कृतिक धरोहर हो, लेकिन समय के थपेड़े के साथ उस शहर को वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार था, या फिर आपसे कोई पूछे कि आपका आदर्श शहर कैसा होना चाहिए तो हम कुछ रटे–रटाए बातों के अलावा कुछ नहीं कहते। हमें जब भी अच्छे शहर के बारे में पूछा जाता है तो हम कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी के बारे में सोचने और बताने लगते हैं। लेकिन क्या सच में स्मार्ट सिटी आम जनों का शहर और इतना सर्व सुलभ हो सकता है कि हर आय वर्ग का व्यक्ति उसमें रह सके? शायद यह उतना मुमकिन नहीं। और सभी लोग उन स्मार्ट शहरों में समा जाएं यह भी मुमकिन नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारा शहर कैसा होना चाहिए जहां हम आराम से जिंदगी गुजार सकें। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो यह कि आपके शहर में सार्वजनिक स्थल होने चाहिए जहां तक आम लोगों की पहुंच हो। लेकिन आमतौर पर हम सार्वजनिक स्थल का अर्थ खुले स्थान अर्थात पार्क आदि को मान लेते हैं लेकिन इसका अर्थ व्यापक है। आपके शहर में संपत्तियों का मूल्य संतुलित होना चाहिए। इसका कतई यह मतलब नहीं कि उनके मूल्य इस स्तर से बढ़े कि कम कमाई वाला परिवार वहां रह ही नहीं सके। लेकिन आज के माहौल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी किफायती आवास के नाम पर तो कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर एक खास शहर की अधिकतर जमीन को भूविकासक खरीद रहे हैं और काफी ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को कहीं न कहीं उस शहर की प्रगति से जोड़ कर देखने की जरूरत है। मान लें कि कोई छोटा शहर है जिसमें विकास हो नहीं रहा तो वाजिब सी बात है कि लोग वहां जमीन या मकान क्यों खरीदेंगे? क्योंकि अगर विकास नहीं है इसका मतलब कल कारखाने नहीं हैं, लोग जीवनयापन के लिए बाहर भाग रहे हैं। अगर हम संपत्ति में केवल भूसंपत्ति के साथ लोगों की आर्थिक प्रगति को भी जोड़ दें तो हमें सही अर्थों में संपत्ति मूल्यों में वृद्धि का अर्थ समझ में आएगा। जब एक शहर की संपत्ति मूल्य बढ़ेगी तो वाजिब है कि वहां बाकी चीजें जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन, यातायात, जीवनयापन के रास्ते आदि अपने आप बढ़ेंगे। एक आदर्श शहर के लिए इन्हीं चीजों की तो जरूरत होती है। अगर मूल आवश्यकता की पूर्ति कोई शहर करता है तो उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है।

एक शहर को उसके व्यापारिक क्रियाकलापों से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। अगर आपके शहर में बहुत सारे मॉल, मल्टीप्लेक्स खुल जाएं तो कतई इसका यह मतलब नहीं है कि उस शहर का विकास हो गया है। किसी भी आदर्श शहर में खुदरा कारोबार के विभिन्न तरीके उपलब्ध होने चाहिए। फिर चाहे वह निम्न आय वर्ग के लिए खुलने वाली दुकान हो या फिर उच्च आय वर्ग के लिए मॉल आदि। जाहिर सी बात है कि किसी शहर में आम लोगों तक पहुंचने के लिए जितने विभिन्न प्रकार के खुदरा बाजार होंगे। वहां जनता अपनी आवश्यकता और आय के अनुरूप खरीदारी कर पाएगी। अगर शहर में ऐसे दुकान या खुदरा कोराबार के केंद्र हों जहां सभी आय वर्ग के लोग जा पाएं और खरीदारी कर पाएं तो जहां इससे आम जनता की उन बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी वहीं उस शहर का व्यापार भी बढ़ेगा। जब बाजार स्थानीय होगा और खपत भी स्थानीय होगा तो लाजमी है कि अधिक से अधिक पैसा भी उसी शहर में घुमता रहेगा। जिससे एक ओर जहां उस शहर को न केवल उपभोक्ता बाजार माना जाएगा बल्कि वह उत्पादक की भूमिका में भी रहेगा। वैसे भी व्यापारिक संतुलन के लिए उपभोक्ता और उत्पादक का एक ही जगह पर होना जरूरी है। विभिन्न प्रकार की खुदरा गतिविधि होने से सभी वर्गों के लोग उस शहर में आराम से जीवनयापन कर पाएंगे और कहीं न कहीं इससे रोजगार भी कई स्तर पर पैदा होंगे जोकि उस शहर के लिए काफी फायदेमंद होगा। क्योंकि जहां एक ओर उत्पादक को स्थानीय बाजार मिल जाएगा और उसे अपने माल को बेचने के लिए दूसरे शहर पर निर्भर नहीं रहना होगा तो वहीं स्थानीय माल होने की वजह से उपभोक्ताओं को माल सस्ता मिलेगा और वह महंगे सामान को खरीदने के लिए बाध्य नहीं रह जाएगा। बाजार वैसे भी एक सार्वजनिक स्थल है जिसतक सभी की पहुंच होनी चाहिए और ये खुदरा गतिविधियां इसमें सहायक होंगी।

लाजमी है कि जैसे ही उस शहर का अपना बाजार होगा और उपभोक्ता भी खुद के ही होंगे तो फिर वह अपनी सुरक्षा पर अधिक पैसे खर्च कर पाएगा। आज सबसे बढ़ी विडंबना तो यही है कि महंगे–महंगे बंगले और अपार्टमेंट बन रहे हैं लेकिन या तो वे शहर से बहुत दूर बन रहे हैं या फिर काफी एकांत जगहों में। शांति और सफाई के नाम पर पैसों का खेल चल रहा है। लेकिन एक आदर्श शहर में सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना भी जरूरी है। अगर हम तकनीक आधारित सुरक्षा की बात करें तो वह कई बार

काफी महंगी पड़ जाती है लेकिन हम छोटी–छोटी चीजों से अपनी सुरक्षा और आपस–पास की सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शहर में अगर कोई थाना हो तो वह इतनी दूरी पर होनी चाहिए कि वहां तक पहुंच आसान हो और आम आदमी को भी पूरी सुरक्षा मिले। पुलिस थाना आम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था मुहैया कराए जिसे खास व्यक्ति के साथ आम व्यक्ति भी प्राप्त कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज बिल्डर्स सुरक्षा के दावे तो बहुत करते हैं लेकिन आए दिन उन अपार्टमेंट या उसके आस–पास से अप्रिय घटना के समाचार सुनाई देते हैं। एकांत स्थानों की जगह हम पहले से विकसित या अर्द्धविकसित शहर को जिसके आस–पास सुरक्षा के सारे इंतजाम पहले से मौजूद हों, को विकसित करें तो यह सुरक्षा की दृष्टि से अधिक कारगार

सिद्ध होगा। सुरक्षा व्यवस्था चौबीसो घंटे आम आदमी के पहुंच में होनी चाहिए। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने जरूरी हैं। आज सबसे अधिक खतरा इन्हीं लोगों को हैं। चाहे वे छोटे शहरों में रह रहे हों या फिर बड़े शहरों के अपार्टमेंटों में। 60 साल से अधिक के वृद्धों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अलग से तैयार किए जा सकते हैं जैसा की पश्चिम के कुछ देशों में है।

आज शहरों में बढ़ते रोग समस्या का कारण बन रहे हैं। आए दिन डेंगू, चिकगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसे रोग न जाने कितने ही लोगों को अपने चपेट में ले रहे हैं। इनसे बचाव का उपाय होना चाहिए। इन बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित हमारे बच्चे एवं बूढ़े होते हैं। इन रोगों पर लगाम लगाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीवरेज की समस्या को ठीक कर और इन रोगों के प्रति समय रहते जागरूकता फैलाकर हम अपने बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। लोग कमाई के लिए शहर तो आ रहें हैं लेकिन कम पैसा और अधिक खर्च के कारण उनके खानपान का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में बड़े शहरों की जगह छोटे–छोटे शहरों को सशक्त करने की जरूरत है। ताकि लोग अपने नजदीकी शहरों मे ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। जिसका एक फायदा तो यह होगा कि उन्हें कम खर्च ज्यादा बचत होगी और वे अच्छा खानपान रख पाएंगे। इससे एक फायदा यह भी होगा कि बड़े शहरों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। छोटे शहर होने से वहां सफाई की व्यवस्था को नियंत्रण में रखना आसान होगा और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। आज शहरों में एक समस्या अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई भी है। जिसके कई परिणाम उभरे हैं जहां एक ओर इस चक्कर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो वहीं लोगों के बीच वैमनस्य की भावना काफी प्रबल हो गई है। लेकिन अगर हम अच्छे रोजगार के अवसर पैदा कर सभी लोगों को अवसर प्रदान करेंगे और पढ़े लिखे से होकर अनपढ़ तक के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव उनके आर्थिक स्तर पर पड़ेगा जिसका परिणाम काफी चौंकाने वाला होगा। जहां एक ओर उसके आर्थिक स्तर में सुधार से वह अच्छा खा पाएगा, पहन पाएगा तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर उत्पन्न हुई खाई भी कम होगी और लोगों के बीच वैमनस्य की भावना भी कम होगी। लोग अगर एक साथ मिलजुलकर रहें तो कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। मसलन अपराध का स्तर कम होगा, आर्थिक गरीबी कम होगी और लोग आपस में मिलजुलकर रहेंगे। अर्थात सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भिरता कम, आर्थिक प्रगति और आपसी तालमेल ज्यादा होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी आदर्श शहर के लिए जरूरी है।

फिर बात आती है पर्यावरण की। आज शहरों में पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रदूषण का आलम यह है कि नदियां नाले में परिवर्तित हो रही हैं और शुद्ध हवा मिलना तो मुश्किल हो गया है। हमें अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए। यह तो सब को मालूम है लेकिन सवाल यह भी है कि जब शहर में जमीन ही नहीं बचे तो पेड़ कहां लगाए जाएं। इसका एक अच्छा तरीका है कि जो पेड़ पुराने हो गए, सुख गए हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं। वन क्षेत्र को बढ़ाने का तरीका ढूंढा जाए। शहर के आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएं और साथ ही उनके सुरक्षित तरीके से बढ़ने की भी व्यवस्था की जाए। आज कई स्कूल, कॉलजों और कई अवसरों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सिर्फ सरकारी कार्यक्रम से बात बनने वाली नहीं है। जब तब इस ओर जन जागरण नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुद्ध पर्यावरण कई रोगों को उत्पन्न नहीं होने देता है। आमजन इस कार्यक्रम से कैसे जुड़े इस पर जोर देने की जरूरत है।

अपने शहरों को कैसे अधिक आकर्षक बनाया जाए इस पर विचार करने की जरूरत है। शहर के सड़कों, पुराने स्मारकों आदि को उचित संरक्षण प्रदान कर हम अपने शहर को आकर्षक बना सकते हैं। पुराने स्मारकों के रखरखाव के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में अगर हम कुछ प्रसिद्ध स्मारकों में प्रवेश के लिए अधिक पैसा लेने की जगह कम पैसा लेकर ज्यादा से ज्यादा स्मारकों में घुमने के लिए बाहर से आए लोगों को प्रेरित करें तो इससे जहां एक ओर उन स्मारकों के रखरखाव में आने वाला खर्च महंगा नहीं लगेगा तो वहीं शहर आकर्षण का केंद्र भी बना रहेगा। शहरों में बाग–बगीचों की सफाई रखने, रात के समय सड़क, बगीचों, खेल के मैदानों में उचित प्रकाश व्यवस्था रहने से जहां एक

ओर आपका शहर आकर्षक लगेगा वहीं महिला, बच्चे और बूढ़े उन बगीचों में बैठकर अपना मनोरंजन और स्वास्थ्यलाभ भी प्राप्त कर सकेंगे और इससे कहीं न कहीं शहर के लोग इन चीजों से अपने को जुड़ा महसूस करेंगे और उनकी सफाई और रखरखाव से खुद को जोड़ पाएंगे।

किसी भी शहर के लिए वहां की यातायात व्यवस्था और घर से ऑफिस तक पहुंचने में सुगमता का बहुत महत्व होता है। आज बड़े शहरों में लोग बस तो रहे हैं लेकिन यातायात की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इससे निजात पाने के लिए यातायात के वैकल्पिक साधनों तक आम जनता की पहुंच को आसान बनाने की जरूरत है। अगर कम दूरी पर किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है तो लाजमी है कि वह या तो पैदल या फिर साइकिल की सवारी करेगा। इससे जहां एक ओर उसके समय की बचत होगी तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या से आसानी से निजात पाया जा सकेगा। हमें अब लोगों को अधिक पयार्वरण अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये व्यवस्थाएं ज्यादा महंगी न हों।

एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक हम सभी लोगों के बारे में सोचकर योजनाएं नहीं तैयार करेंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं वह धीरे–धीरे बढ़ती ही जाएंगी। चाहे हम कितना भी उपाय कर लें हमें आम जनों के सहायता की जरूरत है। उन्हें जरूरत है कि उनकी पहुंच हर जगह तक हो। ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम सार्वजनिक स्थलों को सभी के लिए सुगम बनाएं और कहीं न कहीं यही इस पर्यावास दिवस में संकल्प लें कि अब से जो कुछ भी बनाएं वह सब के लिए होना चाहिए।

सभी के लिए सार्वजनिक स्थलः सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव

पंकज चड्ढा
प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

हमारा ग्रह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रो में घनी जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जनसंख्या में तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि एवं शहरी गतिशलता दुनिया के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाव के अनुमानों के अनुसारः–

क) वर्ष 2011 एवं 2050 के बीचः दुनिया की आबादी 7 अरब से 9.3 अरब तक यानि 2.3 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है (संयुक्त राष्ट्र, 2011)। साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में वर्ष 2011 में 3.6 अरब से वर्ष 2050 तक 6.3 अरब (अर्थात 72 प्रतिशत तक) यानि 2.6 अरब की वृद्धि होने का अनुमान है।

ख) वर्ष 2025 तकः लगभग 39 करोड़ निवासियों के साथ टोक्यो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाले शहरों का समूह बनने का अनुमान है। इसके पश्चात 33 करोड़ की आबादी के साथ भारत में दिल्ली व 28.4 करोड़ की आबादी के साथ चीन मे शंघाई शहर होंगे। इसके बाद लगभग 27 करोड़ की आबादी के साथ भारत का मुंबई शहर होगा।

ग) वर्ष 2050 तकः वर्ष 2011 में 2.7 अरब से वर्ष 2050 में 5.1 अरब तक की अनुमानित वृद्धि के साथ दुनिया की दो तिहाई आबादी शहरी होने की संभावना है। अधिक विकसित क्षेत्रों में शहरी आबादी में वर्ष 2011 में 1 अरब से वर्ष 2050 में 1.1 अरब तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

यह भी अनुमान है कि विश्व के शहरों में सबसे अधिक अनुमानित वृद्धि दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में होगी जिसकी गणना सबसे अधिक घनी शहरी आबादी वाले शहरों में होगी। इस प्रवृत्ति से भारत का परिदृश्य भी प्रभावित होगा। प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक जनगणना इस बात की गवाही देते हैं कि पहले की तुलना में बड़ी आबादी शहरों में रह रही हैं। शहरी परिवेश निरंतर वर्ष दर वर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुछ यहीं पैदा होते हैं, कुछ काम के लिए या बेहतर जीवन शैली के लिए यहां आते हैं। वर्ष 2003 में 48 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में दुनिया की 52 प्रतिशत आबादी शहरों (नगर एवं शहर) में रहती है। यह हिस्सेदारी शहरी बढ़ती रहेगी क्योंकि शहरी क्षेत्र भविष्य में आर्थिक इंजन बन रहे हैं।

कोई भी शहर अपने लोगों द्वारा परिभाषित होता है। चूंकि शहर में बदलाव होता है तो शहर के सार्वजनिक स्थलों में बदलाव होता है। लोग अपनी आकांक्षाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक मिथकों, धार्मिक मान्यताओं, एवं परख, आस–पास के निर्माण के स्वरूप, योजना की रणनीतियों के निर्णयों के प्रभाव से शहरों में आते हैं। शहर में सार्वजनिक स्थल बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ये सभी पहलु पैदा करते हैं जो शहर की छवि को परिभाषित करती है। यह वह स्थल होता है जहां भीड़भाड़ होती है, अलग–अलग विचारधाराओं व अलग–अलग मानसिकताओं के लोग मिलते हैं, नियोजित व जैविक के बीच की असमानता प्रचलित होती है एवं अराजकता भी दिखाई देती है।

सार्वजनिक स्थलों में बैठक कक्ष, उद्यान, एवं कॉरीडोर शामिल हैं। ये रहने के छोटे–छोटे स्थल के तौर पर कार्य करते है एवं सामाजिक परिचर्चा व आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं जो लोगों के विकास एवं इच्छा को बेहतर बनाते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक स्थलों को परिवहन, जल व स्वच्छता की तरह उसी प्राथमिकता के साथ बुनियादी सेवा माना जाना चाहिए जिस पर लोगों का अक्सर अपने संसाधनों के रूम में ध्यान केन्द्रित रहता है (जुकिन 1995)। सार्वजनिक स्थल शहर की आत्मा की एक खिड़की के तौर पर परिभाषित करते हैं आगे बढ़ने एक खिड़की जो शहर में एक दृष्टिकोण पैदा करती है और शहर का अहसास कराती है। सार्वजनिक स्थल न केवल सामाजिक विविधता को एकीकृत करने और सामाजिक विविध पैदा करने का प्रत्यक्ष व उपलब्ध साधन हैं बल्कि शहर की छवि का विज्ञापन "शहर के सार्वजनिक स्वरूप' में बदलाव लाते हैं।

मोटे तौर पर सार्वजनिक स्थल वे सामाजिक स्थल हैं जो आम तौर पर खुले होते हैं एवं जहां लोगों की आसानी से पहुंच होती है। सड़क (फुटपाथ सहित), सार्वजनिक चौराहों, पार्कों एवं समुद्री तटों को आम तौर पर सार्वजनिक स्थल माना जाता है। सार्वजनिक स्थलों में न केवल पार्क व उद्यान शामिल है बल्कि सभी ऐसे स्थल भी हैं जहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं एवं जिसे वे अपनी गलियां, फुटपाथ, प्लाजा, बाजार, क्रीड़ास्थल एवं बस स्टाप इत्यादि कहते हैं।

हमें सार्वजनिक स्थलों की आवश्यकता क्यों है? चूंकि शहर पूर्णतः लोगों व सार्वजनिक स्थलों से विदित है जिसका नाम ही लोगों से सबधित है। सार्वजनिक स्थल वास्तव में एक स्थान को संदर्भित करते हैं जहां भीड़भाड इकट्ठा होती है व अलग–अलग प्रयोजनों के लिए लोग यहां जुटते है। ये स्थल सार्वजनिक प्राधिकारी के स्वामित्व में होते हैं चूंकि हर व्यक्ति ऐसे स्थल पर अपने स्वामित्व की अनुभूति करता है अतः यह लोगों के लिए रोजमर्रा की गतिविधि करने की जगह बन जाते हैं। यहाँ सब लोग आय का एवं अन्य ऐसे भेदभाव की परवाह किए बिना बराबरी के तौर पर मिलते हैं। सार्वजनिक स्थल की और दिलचस्प विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार के लोग समय व दिन की मांग के आधार पर ऐसे स्थलों में आते हैं। सुबह–सुबह गार्डन में जाने से यह पूर्णतः घूमने वालों व दौड़ने वालों से भर जाते हैं। ये दैनिक गतिविधियों के तौर पर बुर्जुगों के लिए बैठक युवा प्रेमियों के लिए मिलन का स्थल बन जाते हैं शाम को ये चारों दौड़ रहे बच्चों के साथ परिवारों से भर जाते हैं। उद्यान के आसपास तदनुसार विक्रेता भी बदल जाते हैं। सुबह के समय पर विक्रेता स्वास्थ्य पेय, गर्म चाय व स्नैक्स बेचते हैं। शाम के समय में खिलौने व गुब्बारे वाले दिखाई देते हैं।

भारत में सार्वजनिक स्थलों की स्थितिः

भारत के शहरों में निरंतर सार्वजनिक स्थलों में कमी आ रही है। आबंटित सार्वजनिक स्थलों में झुग्गी–झोपड़ी व अवैध निर्माण द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अक्सर सार्वजनिक स्थलों की उपेक्षा की जा रही है एवं उन्हें गंदा किया जा रहा है जो लोगों को उनके प्रयोग करने से रोकती हैं। देश के शहरों में आवासीय एवं वाणिज्यिक अचल संपत्ति उपलब्ध कराने के साथ अतिव्यस्तता के परिणामस्वरूप खुले स्थलों की उपेक्षा

हुई। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के सर पर एक छत होना प्राथमिकता है लेकिन पार्कों एवं मनोरंजन स्थलों का कम होने के कारण पहले से ही शहरी क्षेत्रों में लाखों बच्चे कहीं भी खेलने–कूदने से वंचित रहते हैं।

सितंबर, 2012 में न्यूयार्क टाईम्स ने मुंबई में खुली जगह की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र पर्यावरण सुधार सोसाइटी का अध्ययन उद्धृत किया गया था। इस अध्ययन में पाया गया कि क्रमशः टोक्यो एवं न्यूर्याक में 6 एवं 2.5 वर्ग मी प्रति व्यक्ति की तुलना में मुंबई में प्रत्येक निवासी को 0.88 वर्गमी प्रति व्यक्ति खुला स्थल उपलब्ध है।

मानव होने के नाते हम लंबे समय तक केवल घरों व कार्यालयों में अंदर रह सकते हैं। उस समय हमें सांस लेने, बातचीत करने, घूमने व इकट्ठा होने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। सोसियल मीडिया व इंटरनेट व मोबाइल संचार की क्षमता इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है कि शहर अपने लोगों को बातचीत करने, समुदाय को बनाये रखने के लिए भौतिक स्थल उपलब्ध कराए। जो शहर मानवीय अनुभवों के ये बुनियादी तत्व उपलब्ध नहीं करा पाते हैं वे हिंसक व खूनी विस्फोट रूपी प्रेशर कुकर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सार्वजनिक स्थलों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक लाभ

सार्वजनिक स्थल शहर का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अच्छी तरह से बनाए गये एवं प्रबंधित किए गये सार्वजनिक स्थल शहर के कामकाज की एक महत्वर्पूण संपत्ति होते हैं एवं इनका शहर की अर्थव्यवस्था, समृद्धि, जलवायु, सुरक्षा, एकता व संयोजकता पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरों में लोगों की जीवन शैली का अपने सार्वजनिक स्थलों से सीधा संबंध रहता है। सार्वजनिक स्थल समर्थकारी विधान एवं पर्याप्त वित्तीय व आर्थिक उपायों के साथ शहरी व वैश्विक सतत विकास के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं जो सार्वजनिक राजस्व, निजी आय व निवेश तथा संपत्ति के सृजन को बढ़ावा देते हैं। अच्छी तरह से बनाए गये एवं प्रबंधित किए गये सार्वजनिक स्थल, जगह के आर्थिक मूल्य बढ़ाते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, व्यापार निवेश व पर्यटन इत्यादि को सकारात्मक तौर पर प्रभवित करते हैं।

सार्वजनिक स्थल सामाजिक व सांस्कृतिक चर्चा के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं व क्षेत्र में अपनेपन व गर्व की भावना जगाते हैं। सार्वजनिक स्थल जातिय मूल, उम्र या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुले रहते हैं और अपने नागरिकों व समाज के लिए लोकतांत्रिक मंच प्रदान करते हैं। जब सार्वजनिक स्थलों को अच्छी तरह बनाया जाता है व उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाती है तो ये स्थल समाज को एक साथ लाने में मदद करते हैं, उन्हें बैठने की जगह उपलब्ध कराते हैं वं कई शहरी क्षेत्रों में ओझल हुए सामाजिक महत्वों को बढ़ावा देते हैं। ये स्थल क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान का स्वरूप होते हैं व अपने अनूठे चरित्र का हिस्सा होते हैं और स्थानीय लोगों को जगह की भावना प्रदान करते हैं। सार्वजनिक स्थल अक्सर गरीबों के रहने का स्थान के रूप में जाने जाते हैं जो कमजोर वर्ग के मनोरंजन के लिए विशेष महत्व का संकेत देते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों के बीच एकीकरण का बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। सबसे कमजोर वर्ग के शहरी निवासियों के लिए अच्छे सार्वजनिक स्थलों तक सुलभता से पहुंच समानता में सुधार लाने, समावेशी माहौल पैदा करने व भेदभाव से निपटने का शक्तिशाली साधन है। सामाजिक समानता की दिशा में प्रयास करने वाले शहरों में अच्छे सार्वजनिक स्थल (गलियां, बाजार, मनोरंजन की सुविधाएं) उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है ताकि सामुदायिक सामंजस्य, लैंगिक समानता व नागरिक पहचान बढाई जा सके।

अच्छे सार्वजनिक स्थल शारीरिक गतिविधि एवं खेल–कूद के अवसर प्रदान करते हुए, घूमने फिरने का और आकर्षक बनाते हुए, तनाव कम करते हुए व शांत वातावरण प्रदान करते हुए हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार लाते हैं। सार्वजनिक स्थलों तक अच्छी पहुंच व अच्छी तरह प्रबंधित नेटवर्क हमें और अधिक घूमने–फिरने, खेलने–कूदने को प्रोत्साहित करते हुए या सीधे शब्दों में आनंदित करता हुआ वातावरण, हमारे शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता कर सकता है। दूसरे शब्दों में हमारे खुले स्थल अनेक प्रकार की बीमारियों के विरूद्ध लड़ाई लड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। उदाहरण के लिए खेलते–कूदते बच्चों के विकास में, सामाजिक कौशल प्राप्त करन में, भावनात्मक संकट के समय उपयोग करने में व उनका मुकाबला करने में, नैतिक समझ में ज्ञान संबंधी कौशल जैसे भाषा और समझ एवं शारीरिक कौशल के स्वरूप में अनेक पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हरे–भरे सार्वजनिक स्थल लोगों को सकारात्मक प्रभाव से जुड़ने के साथ प्रकृति से करीब होने अवसर प्रदान करते हैं जिससे शहरी स्थिति में मानसिक शांति व वन्य जीव के अनुभव प्राप्त करने की खुशी का प्रदान कर सकते हैं।

हरे–भरे एवं खुले स्थल वातावरण को ठंडा रखने, वायुमंडलीय प्रदूषक अवशोषित करने के अलावा शहरी क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। ठोस सतह में उल्लेखनीय वृद्धि एवं हरे–भरे स्थलों में कमी के परिणामस्वरूप आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में नगरों व शहरों में अधिक तापमान होता है। सार्वजनिक स्थलों में पेड़–पौधे लगाकर इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल आस–पास के स्थलों को आपस में जोड़ते हुए, घूमने–फिरने व साइकिल चलाने को आसान व और अधिक आकर्षक बनाते हुए सार्वजनिक परिवहन केन्द्रों के चारों ओर वातावरण में सुधार लाते हुए, लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, सामग्री का चयन करने व निर्माण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कार्बन उत्सजर्नन को कम करते हुए, जलवायु परिवर्तन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल स्थायी जल निकास प्रणाली, सौर तापमान मॉडरेटर, ठंडे गलियारों के स्रोत, हवादार आश्रय व वन्यजीव पर्यावास के तौर पर कार्य करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल बनाने में भी मदद कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्थल विचारों, मित्रता, सामानों व कौशल के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। शहर व आसपास के क्षेत्रों का बिना खुले स्थालों के कोई अस्तित्व नहीं होता है जिसमें सभी प्रकार की व्यक्तिगत, सांस्कृतिक व आर्थिक आदान–प्रदान होते हैं। सार्वजनिक स्थल स्व–सुव्यवस्थित सार्वजनिक सेवा की तरह कार्य करते हैं ठीक जैसे अस्पताल एवं विद्यालय लोगों की जीवन–शैली में सुधार लाने में साझा संसाधन प्रदान करते हैं। सार्वजनिक स्थल एक साझा स्थानिक संसाधन का वह स्वरूप है जिसके बिना हमारा अकेला निजी जीवन संभव नहीं है, कुछ इसी तरही की भावना जगाते हैं। सार्वजनिक स्थल अलग–अलग पृष्ठभूमि के लोगों को उनसे अलग रहने वाले अन्य लोगों के साथ घुलने–मिलने, उनमें जागरूकता लाने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। बाजार वह जगह है जहां लोग भिन्न–भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के लोग मिलते हैं एवं विचारों का आदान–प्रदान करते हैं जो कहीं और नहीं हो सकता।

सार्वजनिक स्थलों का इतना महत्व होने के बावजूद ये अक्सर दयनीय स्थिति में होते हैं या योजना व शहरी विकास के क्षेत्र में उपेक्षित हैं। हालांकि अनेक शोधों से पता चलता है कि इनमें निवेश करके विकाशील देशों में समृद्ध, रहने योग्य एवं न्यायसंगत शहर बनाये जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के अध्ययन के अनुसार शहरों की समृद्धि में, सार्वजनिक स्थलों के तौर पर सड़कों का विशाल सड़क ग्रिड के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थल के साधनों के विकास में गहरा संबंध है। सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रावधानों का अभाव आर्थिक गतिविधि को बाधित करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है एवं सामाजिक स्थिरता व सुरक्षा को कम कर देता है। मुंबई, दिल्ली व गुड़गांव जैसे शहरों में यह लगता है कि भारतीयों ने घूमने–फिरने, साइकिल चलाने, बिक्री करने या अपनी गलियों में जश्न मनाने की आदतों को खो दिया है यद्यपि गैर मोटर चालित परिवहन आवश्यक है कोई विकल्प नहीं।

समस्या का समाधान करने के उपाय:

कार्डिफ, पेस्टन व स्विंडन में सार्वजनिक स्थलों के विस्तृत विविधता का अध्ययन सुझाव देते हैं कि निम्नलिखित वचनबद्धता साझा सामाजिक स्थल तैयार करने में महत्वपूर्ण थे।

- पहुंच व उपलब्धता – बेहतर भौतिक पहुंच, स्वागत योग्य स्थल व देर तक खुला रहना।
- साथियों व अन्य लोगों द्वारा निमंत्रण – इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक नेटवर्क से निकटता।
- रिश्तों पर आधारित आदान–प्रदान – सामानों व सेवाओं के आदान–प्रदान में भागीदारी के लिए उपभोक्ताबवाद की ओर बढ़ना।
- विचारशील अच्छे प्रबंधन एवं स्वयं के संगठन के लिए कमरा छोड़ते समय स्थलों की कोरियोग्राफी करना।
- मोनो कल्चर को आगे बढ़ाना – आम स्थलों को साझा करते हुए विभिन्न समूहों एवं गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं
- डिजाइन व जगत के विनियमों से परहेज करना चूंकि सुरक्षा व स्वास्थ्य से सक्रियता बढ़ने की संभावना रहती हैं।

बाजारों के अध्ययन (स्टूडर्ट के साथ वाटसन, 2006) में पाया गया कि पहुंच के अतिरिक्त सफल बाजारों के आवश्यक गुणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- शहर ऐसी विशेषताओं से युक्त हों कि आगंतुक स्थल की ओर आकर्षित हों।
- बिक्री के लिए सामान उपलब्ध कराने व सामाजिक परिदृश्य में योगदान देने वाले व्यापारियों का एक सक्रियता से जुड़ा समाज हो।
- कैफे व खाने–पीने की वेन या सुविधा क्षेत्र के प्रावधानों के माध्यम से लंबे समय तक रहने के अवसर प्रदान करने की सुविधा हो।

निष्कर्ष: वर्ष 2030 तक भारत के बड़े शहर आज के कई देशों से बड़े होंगे। इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय नहीं है कि शहरीकरण व आर्थिक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। "भारत के विकास के लिए हमें आर्थिक विकास की जरूरत है। आर्थिक विकास के लिए हमें शहरीकरण की जरूरत है। लेकिन शहरों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनका शहरीकरण नहीं किया जा सकता है। न ही 600,000 गांवों का शहरीकरण किया जा सकता है जहां अधिकांश भारतीय (69 प्रतिशत) रहते हैं।"

आज शहरी भारत देश के चारों आरे व्यापक रूप से फैले बड़े व छोटे शहरों की विभिन्न श्रेणियों के रूप मे बंटा हुआ है। चूंकि नये शहर उभर रहे हैं एवं पुराने शहरों का विस्तार हो रहा है इसलिए हमें उनके भविष्य की योजना बनाने व तैयार करने में विचारशील होना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत के शहरों में यह मामले नहीं है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलु जो सबसे अधिक उपेक्षित है वह पार्कों व सार्वजनिक स्थलों की योजना। सार्वजनिक स्थलों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए। वे अच्छे स्थानों पर होने चाहिए मुख्यतौर पर व्यस्त क्षेत्रों के निकट। ये स्थल पूरे शहर में इस तरह फैले होने चाहिए ताकि लोग ऐसे स्थलों में आसानी से आ–जा सकें।

नये सार्वजनिक स्थल या मौजूदा सार्वजनिक स्थलों को पुन तैयार करते समय लोगों के विशेष वर्गों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकरण को वरिष्ठ नागरिकों (बेंच) की आवश्यकता के लिए स्थान बच्चों (चारो ओर दौड़ने के लिए सुरक्षि स्थल) महिलाओं (शौचालय) एवं कुछ सामूहिक गतिविधियों के लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराने की योजना बनानी चाहिए। हमें विकसित देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है एवं हमारी शहरी योजना में अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थल तैयार करने की जरूरत है।

विश्व भर में शहरीकरण की गति एवं संभावित परिणामों (सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय) के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के प्रश्नो का जबाव देने के लिए बेहतर और स्थायी शहर बनाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है देरी करना महंगा साबित हो सकता है। आज सफल शहर बनाने के लिए सही समाधान प्राप्त करना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि विकास के बाद के चरणों में भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी आधार तैयार करना भी आवश्यक है। सरकारी योजनाएं अकेले इन समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती हैं निजी क्षेत्र जो अच्छी तरह प्रबंधित शहरी केन्द्रों से लाभान्वित होंगे उन्हें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लोग, निजी व सरकारी क्षेत्र को हमारे शहरी क्षेत्रों को रहने लायक स्थान बनाने के लिए समान रूप से भाग लेना चाहिए। यदि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग को भी समावेशी विकास का हिस्सा बनाया जाता है तो स्थायी समावेशी शहरीकरण का विकाश निश्चित रूप से संभव है। सही अर्थों में यह कहना उचित होगा कि शहरीकरण करना विकास के सूचक में से एक है कोई भ्रांति नहीं।

विजय कुमार सोमदेवे,
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
प्रधान कार्यालय, मुंबई

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, सन् 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही होगी, जो कि वर्ष 2040–45 तक आते–आते 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लेगी। मैकिसे की हालिया रिपोर्ट में अनुसार सन् 2030 तक जहां एक ओर भारत की अर्थव्यवस्था 5 गुना हो चुकी होगी वहीं भारत के 68 समृद्ध शहरों में 59 करोड़ लोग रह रहे होंगे, जिनका देश की समृद्धि में अहम योगदान होगा। कामकाजी आबादी में 27 करोड़ लोगों का इजाफा होगा, 70 प्रतिशत नए रोजगार शहरों में पैदा होंगे। निश्चित रूप से शहरी आबादी को बड़ी संख्या में ऐसिडेंशियल और कमर्शियल जोन की आवश्यकता होगी। इसके चलते सन् 2020 तक 3 करोड़ शहरी आवासीय इकाइयों की कमी हो जाएगी। आज दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहर भारत में हैं, जबकि यूरोप में ऐसे शहरों की तादाद 35 है। 2030 तक भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे 68 शहर होंगे। इन शहरों के विकास के लिए 12 ट्रिलियन डॉलर के बराबर धनराशि की आवश्यकता होगी। 70 से 90 करोड़ वर्ग मीटर कमर्शियल और रेसिडेशियल स्पेस की जरूरत होगी, यानी हमें हर साल एक नया शिकागो शहर बसाना होगा। विगत दशक में जितनी सड़कें, मेट्रो, रेल, और सब–वे बने हैं, उससे 20 गुना अधिक सड़कें, मेट्रो और सब–वे बनाने होंगे।

दुनिया ने इस सदी के दूसरे दशक में दस्तक दे दी है। इस दौरान हमने कस्बों को नगरों में और नगरों को महानगरों में तब्दील होते देखा है। भले ही आजादी के बाद शहरीकरण की गति उतनी तेज नहीं थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद इसने गति पकड़ी है। शहरीकरण के इस बड़े पैमाने को देखते हुए नए युग की स्मार्ट सिटीज की योजनाएं बनानी होंगी। अनियंत्रित और अव्यवस्थित शहरीकरण पर लगाम कसनी होगी। प्रमुख शहरी केन्द्रों के पास सैटेलाइट टाउन विकसित करने होंगे, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा भारी दबाव कुछ हद तक कम किया जा सके। इस संदर्भ में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जेएलएनयूआरएम का महत्व बढ़ जाएगा। समुचित और शहरी विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यता होगी। अगली पंचवर्षीय योजना में शहरी अधोसंरचना विकास के लिए आज के मुकाबले कई गुना धन की जरूरत होगी, ताकि शहर की मूलभूत सुविधाओं का विकास आबादी के अनुरूप शुरू किया जा सके।

परियोजनाओं को तेजी से लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के बुनियादी विकास के लिये धन और योजनाओं की आवश्यकता होगी, वह अलग। इस संबंध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय सीधे स्थानीय निकायों से इस धन की भरपाई की संभावनाएं टटोल रहा है। शहरीकरण के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत को देखते हुए सरकार को नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, ताकि इसके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। एफडीआई और ईसीबी जैसे निवेशों का सरलीकरण करना होगा। जिनकी लागत घरेलू ऋण की तुलना में कम है। खुदरा निवेश के माध्यम से भी रियल एस्टेट और शहरी विकास हेतु वित्तीय तरलता पैदा की जा सकती है। दुर्भाग्य से, इन निवेशों में नीति निर्धारण और पारदर्शिता की कमी के चलते अब तक पर्याप्त निवेश के अलावा राज्यों और शहरों की बुनियादी सेवाओं के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को और सरलीकृत करके अपनाना होगा, तभी हम इतनी बड़ी शहरी आबादी को साध पाएंगे।

ऐसी स्थिति में देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता कम कीमत वाले घरों की होगी। इसलिए 'अफोर्डेबल हाउसिंग' को प्रोत्साहन पर चिंतन करना होगा। क्रिडाई इंडिया द्वारा प्रस्तावित स्पेशल रेसिडेंशियल जोन को अपनाकर किफायती आवासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अर्फोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक समर्पित धन कोष होना चाहिए और बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट को आसान वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी टाउनशिप की संरचना में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का प्रमुख

भाग शामिल है।

नए शहरों के विकास के लिए यातायात और कनेक्विविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संबंध में यमुना एक्सप्रेस–वे और दिल्ली, मुंबई कॉरिडोर जैसे मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रेरणा लेनी होगी। इन परियोजनाओं में व्यवस्थित शहरीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। यमुना एक्सप्रेस–वे के चलते नोएडा से दस गुना बड़ा शहरीकरण हो सकेगा। प्रस्तावित शहरीकरण 6 जिलों को मिलाकर 2,68,900 हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ लोगों को इन शहरों में बसा पाएगा। इसी प्रकार दिल्ली, मुंबई कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को जोड़ते हुए 24 नई स्मार्ट सिटीज और 12 सेज विकसित करेगा। जानी–मानी विदेशी कंपनियों ने इन कॉरिडोर के गुजरात क्षेत्र में स्मार्ट इकोसिटी पर काम भी शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से देश की ये स्मार्ट सिटीज आधुनिक भारत के शहरीकरण के लिए मिसाल होंगी।

सोलर एनर्जी का आवास में प्रयोग

विनीत सिंघल
उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

सौर ऊर्जा वह उर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यहीं धरती पर सभी प्रकार के जीवन (पेड़–पौधे और जीव–जन्तु) का सहारा है। वैसे तो सौर उर्जा के विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किन्तु सूर्य की उर्जा को विद्युत उर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर उर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की उर्जा को दो प्रकार से विद्युत उर्जा में बदला जा सकता है। पहला प्रकाश–विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की उष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित्र चलाकर। सूर्य एक दिव्य शक्ति स्रोत शान्त व पर्यावरण सुह्रद प्रकृति के कारण नवीकरणीय सौर ऊर्जा को लोगों ने अपनी संस्कृति व जीवन यापन के तरीके के समरूप पाया है। विज्ञान व संस्कृति के एकीकरण तथा संस्कृति व प्रौद्योगिकी के उपस्करों के प्रयोग द्वारा सौर ऊर्जा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत साबित होने वाली है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई खास विशेषताएं हैं। जो इस स्रोत को आकर्षक बनाती हैं। इनमें इसका अत्यधिक विस्तारित होना, अप्रदूषणकारी होना व अक्षुण होना प्रमुख हैं। सम्पूर्ण भारतीय भूभाग पर 5000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मी० के बराबर सौर ऊर्जा आती है जो कि विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुने अधिक है। साफ धूप वाले (बिना धुंध व बादल के) दिनों में प्रतिदिन का औसत सौर–ऊर्जा का सम्पात 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। देश में वर्ष में लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है।

सौर ऊर्जा, जो रोशनी व उष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है, का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर उष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल उष्मन, खाना पकाने, प्रशीतलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। फोटो वोल्टायिक प्रणाली द्वारा सौर प्रकाश को बिजली में रूपान्तरित करके रोशनी प्राप्त की जा सकती है, प्रशीतलन का कार्य किया जा सकता है, दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं, तथा पंखे व जल–पम्प आदि भी चलाए जा सकते हैं।

सौर–उष्मा पर आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग घरेलू, व्यापारिक व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गरम करने में किया जा सकता है। देश में पिछले दो दशकों से सौर जल–उष्मक बनाए जा रहे हैं। लगभग 4,50,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के सौर जल उष्मा संग्राहक संस्थापित किए जा चुके हैं जो प्रतिदिन 220 लाख लीटर जल को 60–70° से० तक गरम करते हैं। भारत सरकार का अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रौद्योगिकी विकास, प्रमाणन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जन–प्रचार आदि कार्यक्रम चला रहा है। इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी अब लगभग परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है तथा इसकी दक्षता और आर्थिक लागत में भी काफी सुधार हुआ है। वृहद् पैमाने पर क्षेत्र–परिक्षणों द्वारा यह साबित हो चुका है कि आवासीय भवनों, रेस्तराओं, होटलों, अस्पतालों व विभिन्न उद्योगों (खाद्य परिष्करण, औषधि, वस्त्र, डिब्बा बन्दी, आदि) के लिए यह एक उचित प्रौद्योगिकी है।

जब हम सौर उष्मक से जल गर्म करते हैं तो इससे उच्च आवश्यकता वाले समय में बिजली की बचत होती है। 100 लीटर क्षमता के 1000 घरेलू सौर जल–उष्मकों से एक मेगावाट बिजली की बचत होती है। साथ ही 100 लीटर की क्षमता के एक सौर उष्मक से कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.5 टन की कमी होगी। इन संयंत्रों का जीवन–काल लगभग 15–20 वर्ष का है।

सौर–पाचक (सोलर कुकर) सौर उष्मा द्वारा खाना पकाने से विभिन्न प्रकार के परम्परागत ईंधनों की बचत होती है। बाक्स पाचक, वाष्प–पाचक व उष्मा भंडारक प्रकार के एवं भोजन पाचक, सामुदायिक पाचक आदि प्रकार के सौर–पाचक विकसित किए जा चुके हैं। ऐसे भी बाक्स पाचक विकसित किए गये हैं जो बरसात या धुंध के दिनों में बिजली से खाना पकाने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं।

सौर फोटो वोल्टायिक कार्यक्रम सौर फोटो वोल्टायिक तरीके से ऊर्जा, प्राप्त करने के लिए सूर्य की रोशनी को सेमीकन्डक्टर की बनी सोलार सेल पर डाल कर बिजली पैदा की जाती है। इस प्रणाली में सूर्य की रोशनी से सीधे बिजली प्राप्त कर कई प्रकार के कार्य सम्पादित किये जा सकते हैं। भारत उन अग्रणी देशों में से एक है जहाँ फोटो वोल्टायिक प्रणाली प्रौद्योगिकी का समुचित विकास किया गया है एवं इस प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत उत्पादक इकाईयों द्वारा अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं। देश में नौ कम्पनियों द्वारा सौर सेलों का निर्माण किया जा रहा है एवं बाइस द्वारा फोटोवोल्टायिक माड्यूलों का। लगभग 50 कम्पनियां फोटो वोल्टायिक प्रणालियों के अभिकल्पन, समन्वयन व आपूर्ति के कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ी हुयी हैं। भारत सरकार का अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर लालटेन, सौर–गृह, सौर सार्वजनिक प्रकाश प्रणाली, जल–पम्प, एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल फोटोवोल्टायिक ऊर्जा संयंत्रों के विकास, संस्थापना आदि को प्रोत्साहित कर रहा है। फोटो वोल्टायिक प्रणाली माड्यूलर प्रकार की होती है। इनमें किसी प्रकार के जीवाष्म उर्जा की खपत नहीं होती है तथा इनका रख रखाव व परिचालन सुगम है। साथ ही ये पर्यावरण सुह्रद हैं। दूरस्थ स्थानों, रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों, जंगली इलाकों आदि, जहाँ प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा बिजली आसानी से नहीं पहुँच सकती है, के लिए यह प्रणाली आदर्श है। अतएव फोटो वोल्टायिक प्रणाली दूरस्थ दुर्गम स्थानों की दशा सुधारने में अत्यन्त उपयोगी है।

सौर लालटेन एक हल्का ढोया जा सकने वाली फोटो वोल्टायिक तंत्र है। इसके अन्तर्गत लालटेन, रख रखाव रहित बैटरी, इलेक्ट्रानिक नियंत्रक प्रणाली, व 7 वाट का छोटा फ्लुओरेसेन्ट लैम्प युक्त माड्यूल तथा एक 10 वाट का फोटो वोल्टायिक माड्यूल आता है। यह घर के अन्दर व घर के बाहर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक प्रकाश दे सकने में सक्षम है। किरासिन आधारित लालटेन, ढ़िबरी, पेट्रोमैक्स आदि का यह एक आदर्श विकल्प है। इनकी तरह न तो इससे धुआँ निकलता है, न आग लगने का खतरा है और न स्वास्थ्य का। अबतक लगभग 2,50,000 के उपर सौर लालटेने देश के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत हैं। सौर जल–पम्प फोटो वोल्टायिक प्रणाली द्वारा पीने व सिंचाई के लिए कुओं आदि से जल का पम्प किया जाना भारत के लिए एक अत्यन्त उपयोगी प्रणाली है। सामान्य जल पम्प प्रणाली में 900 वाट का फोटो वाल्टायिक माड्यूल, एक मोटर युक्त पम्प एवं अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं।

सार्वजनिक सौर प्रकाश प्रणाली ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्थानों एवं गलियों, सड़कों आदि पर प्रकाश करने के लिए ये उत्तम प्रकाश स्रोत है। इसमें 7 वाट का एक फोटो वोल्टायिक माड्यूल, एक 75 अम्पीयर–घंटा की कम रख–रखाव वाली बैटरी तथा 11 वाट का एक फ्लुओरेसेन्ट लैम्प होता है। शाम होते ही यह अपने आप जल जाता है और प्रातःकाल बुझ जाता है। घरेलू सौर प्रणाली घरेलू सौर प्रणाली के अन्तर्गत 2 से 4 बल्ब (या ट्यूब लाइट) जलाए जा सकते हैं, साथ ही इससे छोटा डीसी पंखा और एक छोटा टेलीविजन 2 से 3 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। इस प्रणाली में 37 वाट का फोटो वोल्टायिक पैनेल व 40 अंपियर–घंटा की अल्प रख–रखाव वाली बैटरी होती है। ग्रामीण उपयोग के लिए इस प्रकार की बिजली का स्रोत ग्रिड स्तर की बिजली के मुकाबले काफी अच्छा है।

ग्रामीण आवास वित्त समस्याएँ एवं निदान

कुंदन कुमार सिन्हा, मुख्य प्रबंधक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

ग्रामीण आवास वित्त एक अति सूक्ष्म परंतु एक अतिजटिल परियोजना है। सूक्ष्म कहने का तात्पर्य इसमें प्रति इकाई लगने वाली पूंजी से है। जटिल इसलिए कि इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है और यह पूरा तंत्र कई और तंत्रो पर निर्भर है जो एक दूसरे से काफी असमानांतर हैं। ग्रामीण आवास वित्त ने आजादी के 68 वर्षों के बाद भी अपना मुकम्मल स्थान प्राप्त नहीं किया है। एक ओर जहां शहरी आवास वित्त ने पूरे आवास वित्त में 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा हासिल कर रखा है वहीं ग्रामीण आवास वित्त ने आज तक अपनी क्षमता के अनुरूप स्तर प्राप्त नहीं किया है। ग्रामीण आवास वित्त के सामने आ रही चुनौतियों में ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कंपनियों की कमी तथा ग्रामीण आवास वित्त प्रदान करने में उनकी रुचि की कमी को प्रमुख माना जाता है। परंतु अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि ग्रामीण आवास वित्त में बैंकिंग कंपनियों की रुचि की कमी खुद एक समस्या है कारण नहीं।

ग्रामीण आवास वित्त की असफलता के पीछे ग्रामीण आवास की अव्यवस्था प्रमुख कारण है। ग्रामीण आवास को ग्रामीण आवास वित्त से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत में ग्रामीण आवास की उपलब्धता एक यक्ष प्रश्न की तरह चुनौती बनकर सामने आती रही है। आजादी के पश्चात कई सरकारें आई और कई सरकारें गयी। सभी ने "सब के लिए आवास" का नारा लगाया। सभी ने कुछ न कुछ कार्य किए परंतु आज 68 वर्षों के पश्चात भी यह चुनौती एक दुःस्वप्न की तरह सरकारों की नींद उड़ाने का काम कर रही है। सरकार नयी नयी योजनाएँ ले कर आती हैं पर उनके कार्यान्वयन में सही मायनों मे सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद ग्रामीण आवास आज भी एक कड़ी चुनौती बन कर खड़ा है। इसके पीछे भी कुछ कारक हैं जिसकी जांच एवं समाधान करने से ही ग्रामीण आवास वित्त परियोजना सफल हो पाएगी।

ग्रामीण आवास वित्त की मुख्य समस्याएँ निम्न हैं:

अति सूक्ष्म एवं वृहद क्षेत्रीय विस्तारः भारत एक गांवों का देश है। देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांवों मे रहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। देश के इस भौगोलिक विस्तार के कारण देश के कोने–कोने तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना एक कठिन चुनौती है। देश के लाखों गांवों में बसने वाली करोड़ो जनता के लिए आवास की व्यवस्था करना एक दुर्गम कार्य है। पूरे देश में हर एक परिवार के लिए एक घर होना चाहिए। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। सरकार इसके लिए हर साल बजट में करोड़ो रुपये का प्रावधान करती है। परंतु इस राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसका कारण रुपये के प्रवाह पर सरकारी तंत्र के नियंत्रण की कमी है। सरकार अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी को गठित करती है। परंतु चूंकि देश की भौगोलिक सीमा काफी विस्तृत है, इन कार्यान्वयन एजेंसियों पर नियंत्रण रखना भी एक दुर्गम कार्य है। इसी वृहद विस्तार के कारण ग्राम स्तर पर इन एजेंसियों की समीक्षा करना मुश्किल है। सरकारी तंत्र को हर स्तर पर स्थापित करना भी मुश्किल है। इस परिप्रेक्ष्य में दूसरी समस्या जरूरतमन्द लोगों या परिवारों की पहचान करना है। सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि हर एक परिवार को केवल एक ही घर मिले। चूंकि ग्रामीण स्तर पर छोटे घर बनाने से प्रति इकाई निवेश काफी कम होता है, पूरे सरकारी तंत्र को ग्राम स्तर पर स्थापित करना संभव नहीं है। इसका ही नतीजा है की सरकार अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन एजेंसियों के सहारे कार्यान्वित करती है जिससे इस परियोजना की सफलता के लिए जरूरी इच्छाशक्ति में कमी पायी गयी है।

नियमित आय स्रोत की कमीः भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर भी यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरों की तरफ कुच कर गया है। लोग गांवों में रहना पसंद नहीं कर रहे। इसका सबसे बड़ा कारण गांवों में आय के नियमित स्रोत नहीं होना है। कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है जिसका सटीक पूर्वानुमान करना आज तक संभव नहीं हो पाया है। हर दो तीन वर्षों में एक बार तो सूखे की समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है। देश की नदियों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कभी इन नदियों में सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। कृषि ऐसी अवस्था में नियमित नहीं हो पाती जिसका खामियाजा किसानों को अपनी पूंजी गंवा कर चुकाना पड़ता है। गांवों में पूंजी की कमी के कारण लोग अन्य व्यवसायों में स्थापित नहीं हो पाते अपितु बेरोजगार रह जाते हैं। गांवों की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की आय इतनी अनियमित होती है कि उनके पास उस आय का कोई प्रमाण भी नहीं होता है। चूंकि ज्यादातर लोग कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं तो उनके पास उनकी आय से संबन्धित कोई प्रमाण नहीं होता। जबकि यह पाया गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी गृह निर्माण ऋण देने से पहले नियमित आय की जांच करती है। इस तरह ज्यादातर जनसंख्या गृह निर्माण ऋण के लिए चयनित नहीं हो पाती है।

दूसरी तरफ कृषि से आय भी नियमित नहीं होती एवं अन्य रोजगार भी नहीं मिलते। जब इतनी नियमितता नहीं मिले तो कोई कैसे किसी एक व्यवसाय पर निर्भर रहे? इसका ही नतीजा है कि नयी पीढ़ी गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रही है। इससे जहां शहरी आवास व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है वहीं ग्रामीण आवास व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोगों एवं ग्रामीण आवास में मांग की कमी हो रही है। गांवों की जनसंख्या कम होने से वहाँ पर किसी भी तरह के आवासीय निर्माण कार्य में लाभप्रदता हासिल करना कठिन है। यही कारण है कि निजी आवास निर्माण कंपनियाँ भी ऐसी परियोजनाओं में रुचि नहीं दिखातीं एवं केवल बड़े एवं मध्यम दर्जे के शहरों में निवेश करते हैं। सरकारी निवेश पर नियंत्रण की कमी एवं निजी निवेशकों की उदासीनता के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण आवास की समस्या का आज तक निवारण नहीं हो पाया। नियमित आय स्रोत की कमी के कारण ही बैंकिंग कंपनियाँ, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनी हो, गांवों में आवास वित्त देने से कतराती हैं। जो भी आवास वित्त वो देते हैं, उस गाँव के सम्पन्न परिवार को देते हैं और अन्य लोगों को वो सीधे बहाने करके मना कर देते हैं। जब तक ग्रामीण गरीब तबके तक आवास वित्त की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तब तक ग्रामीण आवास की समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं हो पाएगा।

बुनियादी सुविधाओं की कमी : गांवों में आज भी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांवों में आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की कमी है। इन सभी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ही लोग गांवों में रहना पसंद नहीं कर रहे। जो रह भी रहे हैं वो शहरों की तरफ पलायन करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि इन बुनियादी सुविधाओं के उत्पादन में भी रोजगार सृजन चरम पर होता है। किन्तु इनके अभाव से उतने रोजगार की कमी रह जाती है। साथ ही इन सुविधाओं के अभाव में सरकारी या निजी कंपनियाँ अपनी इकाइयां स्थापित नहीं करती

जिससे समुचित रोजगार सृजन नहीं हो पाता एवं साथ ही साथ उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता।

ग्रामीण तहसीलों में रिकार्डो की समुचित उपलब्धता की कमीः जहां शहरों में तहसील कार्यालयों में रिकार्डो को पूर्णतया कंप्युटराइजड किया जा चुका है वहीं गांवो के तहसील कार्यालयों में रिकार्ड आज भी हस्तलिखित होते हैं एवं उसकी समुचित रख–रखाव की कमी रहती है। इससे किसी भी एक जमीन जायदाद से संबन्धित रिकार्ड की जांच करना काफी कठिन होता है। इससे गांवों में जमीन जायदाद की खरीद बिक्री काफी कम होती है। रिकार्ड की कमी के कारण बैंकिंग कंपनियाँ भी गृह निर्माण वित्त देने से कतराती हैं।

कृषि के लिए निर्धारित जमीन के बंधक रखने पर नियंत्रणः अमूमन यह देखा गया है कि कृषि के लिए निर्धारित जमीन पर गैर कृषि कार्य करने के लिए वित्त की सुविधा नहीं मिलती है। कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए बंधक रखने से प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी खरीद बिक्री करना बैंकिंग कंपनियों के लिए नियंत्रित है या ये कहें कि वर्जित है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण इलाके के ज्यादातर जमीन जो गृह निर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते है वो खेती के लिए निर्धारित होते हैं और ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनियों के लिए वैसे गृह निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना कठिन होता है।

पीढ़ियों से चली आ रही जमीन जायदाद के पुनर्विभाजन में निहित समस्याएँः यह पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर जमीन–जायदाद पीढ़ियों से चले आ रहे रिकार्ड के अनुसार अभी तक दो या तीन पुश्तों के पुरखों के नाम पर ही है। समय के साथ इन जमीनों का आज के उनके स्वामित्व के अनुसार तहसील कार्यालय में नाम स्थानांतरण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इन जमीनों के ऊपर गृह निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना मुश्किल होता है। इन समस्याओं के अलावा और भी अन्य कई समस्याएँ हैं जो ग्रामीण गृह आवास वित्त की सफलता में रोड़ा बन रहे हैं। इन प्रमुख समस्याओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार से हैं:

बुनियादी सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था करनाः ग्रामीण आवास वित्त की समस्या से निपटने का एकमात्र जरिया गांवों की प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाना है। आय बढ़ने से गांवों में खर्च में भी बढ़ोतरी होगी जो आय में समानता ला सकेगा। प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिए नियमित रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। नियमित रोजगार के लिए या तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा या अन्य वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके बाद ही गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोका जा सकेगा। चूंकि कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बारिश के किसी नियमित विकल्प का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है, अतः वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था करना आसान है। गांवों की स्थानीय उपज एवं खनिज की उपलब्धता के आधार पर वहीं पर उस कच्चे पदार्थ के उपयोग हेतु कल कारखाने स्थापित करने से नए रोजगार सृजित हो सकेंगे। इससे गांवों में प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी एवं खर्च भी बढ़ेंगे। लोगों की बढ़ती आय से आकर्षित होकर निजी निवेशक भी गांवों की ओर रुख करेंगे। सरकार अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी की व्यवस्था करके शहरों की ओर पलायन को रोक सकेगी। जनसंख्या घनत्व बढ़ने से मांग बढ़ेगी जिससे निजी निवेशकों को लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। निजी निवेशक ही फिर अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, परिवहन आदि का इंतजाम कर देंगे। निजी कल कारखाने स्थापित होने से आस पास के इलाकों में भी विकास होता है एवं आय में वृद्धि होती है।

प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धिः निजी निवेश से गांवों में रोजगार का सृजन होता है एवं गाँव के निवासियों की आय नियमित हो पाती है। केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले गाँव के लोगों को आय सृजन के वैकल्पिक अवसर प्राप्त होते हैं। यही नियमित आय लोगों के जीवन स्तर को सुधारता है एवं उन्हे अन्य व्यवसायों के लिए प्रेरित करता है। नियमित आय होने से घर की उचित व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता हो जाती है। नियमित आय होने से उनके लिए गृह निर्माण वित्त की व्यवस्था करना आसान हो जाता है। बैंकिंग कंपनियाँ भी उनकी नियमित आय देखकर ऋण देने से नहीं हिचकिचाते। नियमित आय होने से ऐसे ऋणों में जोखिम भी कम होता है। आय में वृद्धि करने के लिए सरकार को निजी निवेश को बढ़ावा देना ही पड़ेगा।

कृषि में निरंतरता लाने के प्रयासः भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनियमितता के बारे में हर कोई जानता है। मानसून के अभाव में नहरों से सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था भी पूरी तरह से स्थापित नहीं है जिसके अभाव में हर दो तीन वर्षों में सूखे का सामना करना पड़ता है। देश की सारी प्रमुख नदियों को जोड़ने की जो मुहिम सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व शुरु की थी वो अब वक्त की मांग बन गया है। अब सरकार को इसपर गंभीरता से पहल करनी पड़ेगी। सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने से एवं नहरों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने से कृषि की असफलता की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। कृषि पर भरोसा बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या में भी कमी होगी एवं देश भर में पूरे वर्ष खेती की जा सकेगी।

ग्रामीण जमीन जायदादों का पुनर्विभाजन एवं तहसील रिकार्ड को दुरुस्त करनाः आज भी गांवों में यह पाया गया है कि जमीन जायदाद का पुनर्विभाजन नहीं हुआ है। अतः जमीन आज भी पुरखों के नाम पर है। ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनियाँ वित्त देने से मना कर देती है। सरकार को इस बाबत एक मुहिम चलानी चाहिए जिसमे ग्रामीण जमीनों के मालिकाना हक को पुनर्स्थापित करके इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए एवं अपने रिकार्ड को भी दुरुस्त करना चाहिए। इससे तहसील में रिकार्ड ढूँढना आसान हो जाएगा एवं बैंकिंग कंपनियाँ वित्त प्रदान करने से नहीं घबराएंगी।

कृषि के लिए निर्धारित जमीन पर गृह निर्माण की मंजूरी देना एवं उसके बंधक रखने से रोक हटानाः मौजूदा कानून के मुताबिक कृषि के लिए निर्धारित जमीन पर केवल कृषि की जा सकती है। ऐसी जमीन के किसी और उपयोग के लिए सरकारी रिकार्ड में इसके वर्गीकरण में बदलाव लाकर इसे गैर कृषि जमीन में वर्गीकृत कराना पड़ता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिससे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोग अपनी कृषि के लिए निर्धारित जमीन पर ही गृह निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनियाँ वित्त देने से कतराती हैं। सरकार को अतः कानून में संशोधन लाकर ग्रामीण इलाकों में कृषि निर्धारित एवं गैर कृषि निर्धारित जमीनों में समानता लाकर उनपर बंधक रखने संबंधी नियंत्रण को हटाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनियों के लिए ग्रामीण इलाकों में वित्त प्रदान करना सरल हो जाएगा एवं ग्रामीण लोगों के लिए आवास ऋण लेना आसान हो जाएगा।

अतः हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण आवास वित्त की असफलता से जुड़ी हर समस्या का मुख्य कारण ग्रामीण आवास में प्रगति एवं निवेशकों में भरोसे की कमी है। इसलिए सबसे पहले सरकार को ग्रामीण आवास में निहित हर समस्या का समाधान करना चाहिये। उपरोक्त समस्याओं पर खास ध्यान देते हुये उनके निवारण से ही ग्रामीण वित्त आवास को मुकम्मल गति मिल पाएगी एवं "सब के लिए आवास – 2022" का सरकार का नारा साकार हो पाएगा।

शहरी आवास वित्त में समस्याएं एवं निदान

संतोष कुमार गुप्ता
रिसर्च एसोसिएट एवं प्रबंधक
बड़ौदा एपेक्स अकादमी,
बैंक ऑफ बड़ौदा
अहमदाबाद

प्रस्तावना : मानव जाति के जिन्दगी की मूलभूत तीन आश्यकतायें हैं – रोटी, कपड़ा और मकान। आज के इस बदलते परिवेश में मकान सभी के लिये आवश्यक और एक बुनियादी मानवीय जरुरत है। आवास वैयक्तिक रुप से जहां प्रमुख सामाजिक – आर्थिक प्रभाव की पहचान बन गयी है वहीं यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। सभी के लिये पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सेवाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना भी राष्ट्र के लिये एक अहम जिम्मेदारी भरा कार्य है, खास कर भारत जैसे विकासशील देश के लिये। सुरक्षित और पर्याप्त आवास किसी भी आदमी का एक बुनियादी जरुरत है। आवास सामाजिक, आर्थिक, एवं नागरिक विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश है। आवास, भोजन और कपड़ा के बाद तीसरे स्थान पर आता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से मानव जीवन और देश को प्रभावित करता है। ये व्यवसायियों, मजदूरों, आवास निर्माणकर्ताओं, सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं, इंजीनियर, मूल्य निर्धारक, फर्नीचर बनाने या बेचने वालों आदि के आजीविका के स्रोत होते हैं, जो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निर्धारित करते हैं। आवास अप्रत्यक्ष रुप से मानव पूंजी निर्माण, रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक एव सांस्कृतिक मानक और आय क्षमताओं के द्योतक है। ये मोटे तौर पर जीवन के अभिन्न अंगों से सम्बन्धित है। यह वयक्ति और समाज को परिभाषित करता है। आवास सामाजिक – सांस्कृतिक परिवेश में एक बदलाव के लिये उत्प्रेरक के रुप में काम करता है, जो कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करता है।

2008 – 09 के वैश्विक वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था ने चूनौतीपूर्ण तरीके से सामना ही नहीं किया, बल्कि 2009–10 और 2010–11 में लगभग 9 प्रतिशत के औसतन दर से विकास भी किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 के अनुसार, भारत 2014–15 में अपनी सकल घरेलु उत्पाद की 5.4 – 5.9 प्रतिशत की दर से विकास किया और ये अनुमानित किया गया कि 7–8 प्रतिशत की दर 2016–17 तक देखी जा सकती है जो कि आने वाले विकास की नींव हो सकती है। भारत की जनसंख्या में 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ भारत विश्व की द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार आवासीय स्टोक 2001 के 24.9 करोड़ से बढ़ कर 2011 में 33.1 करोड़ हो गया जो कि 33 प्रतिशत वृद्धि को निर्देशित करता है। भारत की शहरी आबादी 2001 से 2011 के दौरान 27.8 प्रतिशत से बढ़ कर 31.2 प्रतिशत हो गयी जो कि 2.8 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी. ए. जी. आर.) को दर्शाती है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम. एच. यू. पी. ए.) की तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरी आवास की कमी तकनीकी समूह की रिपोर्ट (टीजी–12) 2012 के अनुसार लगभग 18.78 मिलियन घर होने का अनुमान लगाया गया। यह गणना परिवरों की संख्या, उपलब्ध आवास स्टाक, स्वीकृत स्टाक, वर्तमान आवासीय इकाईयों में अति संकुलता और अप्रयुक्त आवास संबंधी जनगणना – 2011 के आंकड़ों के आधार पर की गयी थी। अप्रयुक्त या पुराने घरों में रहने वालो के अतिरिक्त, 80 प्रतिशत घर के लोग संकुल, संकरे घरों में रहते हैं, जिनको नये घर की जरुरत है। रिपोर्ट ने ये भी निर्देशित किया कि लगभग 1 मिलियन लोग कच्चे मकान में रहते हैं, जो कि रहने योग्य नही है और आधा मिलियन गृहस्थ बिना घर के हैं।

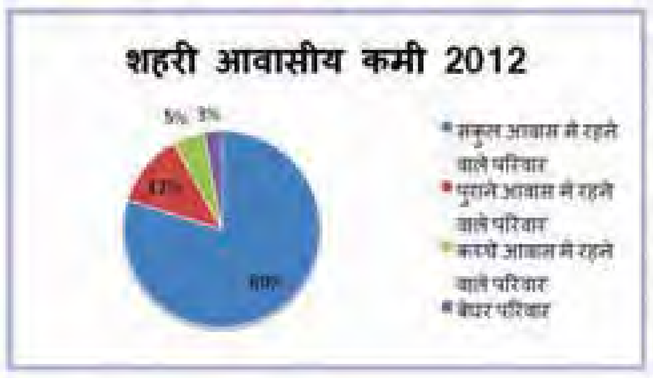

स्रोतः भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिर्पोट –2014

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62 प्रतिशत घर स्वयं मालिक के हैं, जब कि 38 प्रतिशत परिवार किराये के आवास में रहते हैं। निम्न दर्शित तालिका शहरी आवासीय श्रेणियों को विश्लेषित रुप में दर्शाती है–

कब्जा	पुराने घरों में रहने वाले परिवार की संख्या	कच्चे घरों में रहने वाले परिवार की संख्या	संकूल घरों में रहने वाले परिवार की संख्या	बिना घर के रहने वाले परिवार की संख्या	कूल शहरी आवासीय कमी
स्वामित्व	1395735	770817	9188746	326430	11681728
किरायेदार	870417	219183	5700019	203570	6993189

स्रोत : भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिर्पोट –2014

शहरी आवासीय कमी के आकलन पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (टीजी–12) के अनुसार विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूहों में शहरी आवासीय कमी अग्रदर्शीत रेखाचित्र में देखी जा सकती है

श्रेणी	2012 तक शहरी आवासीय कमी
ई. डब्ल्यू. एस.	10.55
एल. आई. जी.	7.41
एम. आई. जी. और उससे उपर	0.82

स्रोत : भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिर्पोट –2014

भारत में आवासीय वित्त उपलब्ध करवाने वाली संस्थायें

भारत के सन्दर्भ में, आवासीय वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इस विकास में प्रमुख योगदान उन्हीं लोगों का है जो घर खरीदने के इच्छुक हैं। इन आवासीय संस्थाओं को प्रमुख्तया चार भागों में बाटा जा सकता है:

1. व्यवसायिक बैंक
2. आवास वित्त कंपनियां
3. सहकारी बैंक
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

व्यवसायिक बैंक – व्यवसायिक बैंक एक ऐसा बैंक है जो हर तरह की जमा राशि को स्वीकार करता हैं और व्यापार ऋण एवं बुनियादी निवेश उत्पादों की पेशकश के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। परंतु व्यवसायिक बैंक व्यापार ऋण और बुनियादी निवेश के अलावा रिटेल क्षेत्र में भी ऋण प्रदान करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, आज कल ये संस्थायें आवासीय वित्त बाजार का 67 प्रतिशत पर अपना हिस्सा रखते हैं जो कि आवासीय वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं में सबसे ज्यादा है। व्यवसायिक बैंक इस क्षेत्र में सहायता प्रदान कर के अपने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एन. पी. ए.), (जो कि मझोले और बड़े व्यापार ऋण के एन. पी. ए. होते हैं), को संभालते हुए अपनी लाभांश को बढ़ाते हैं, जो कि इसे अग्रसर रखने का प्रमुख कारक भी है।

आवास वित्त कंपनियां – ये वो कंपनियां हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण ही प्रदान करना है। राष्ट्रीय आवास बैंक इसकी प्रमुख एजेंसी होती है जो कि इन कंपनियों को वित्तीय सहायता, विनियमन और इस क्षेत्र में स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ावा देती है। ग्रामीण और शहरी कम आय वाले आवास खंड के संस्थागत वित्त को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न पुनर्वित योजनाओं का शुभारम्भ किया है।

सहकारी बैंक – सहकारी बैंक, भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक हैं। ये बैंक सहकारी स्वामित्व के मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। सहकारी बैंक जमा जुटाना, ऋण की आपूर्ति और प्रेषण सुविधाओं के प्रावधान के सभी मुख्य बैंकिंग कार्य करते हैं। सहकारी बैंक सीमित बैंकिंग उत्पादों को उपलब्ध कराने और कृषि से संबंधित उत्पादों में ऋण में विशेषज्ञ हैं। हालांकि, सहकारी बैंक भी अब आवास ऋण प्रदान करते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय बैंकिंग वाले संगठन हैं। ये बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। हालांकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें शहरी संचालन के लिए स्थापित हो सकती हैं और ऑपरेशन के अपने क्षेत्र भी शहरी क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं। ये संस्थायें कृषि आधारित बुनियादी बैंकिंग के साथ ही रिटेल में आवास ऋण को भी बढ़ावा देते हैं।

भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013–14 में कूल स्वीकृत राशि रु. 31548.09 करोड़ के मुकाबले रु. 17856.18 करोड़ वितरण किये गये। निम्न तालिका में वित्तीय संस्थाओं के अनुसार इस स्वीकृत राशि और वितरण राशि का विवरण दिया गया है।

(राशि रु. करोड़ में)

वित्तीय संस्थायें	स्वीकृत राशि		वितरण	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
आवास वित्त कम्पनियां	10678.20	11414.70	7693.51	9632.99
व्यवसायिक बैंक	21354.60	19552.70	9459.33	7942.72
सहकारी बैंक	45.00	215.00	0.00	0.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	652.08	365.69	388.80	280.47
कुल	32729.88	31548.09	17541.64	17856.18

स्रोत : भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिर्पोट –2014

इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि आवास वित्तीय सहायता में व्यवसायिक बैंक और आवास वित्त कंपनियों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। उनमें भी व्यवसायिक बैंक आवास ऋण प्रदान करने में अग्रणी हैं। फिर भी इस समाज का अहम हिस्सा इस ऋण को प्राप्त करने में अक्षम रहता है। ऋण स्वीकृत होने के बाद भी समय से ऋण प्राप्त ना होने से भी यह वंचित रह जाता है। इन आंकड़ों में देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 में मात्र 57 प्रतिशत लोग उसी वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त कर पाये जब कि 43 प्रतिशत लोगों को उसी वर्ष में ऋण वितरण नही किया जा सका।

शहरी आवास वित्त में समस्याएं: जैसा कि उपरोक्त चित्रलेख और तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि शहरी आवास की मांग पहले की अपेक्षा बढ़ी है तथा ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और वितरण सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है। इन सब के पीछे कुछ न कुछ कारक हैं जो वित्तीय सहायता में बाधक हैं। मुख्यतया इन बाधकों को अग्रलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है:

प्रक्रियागत समस्याएं: आवासहीन व्यक्ति अपने घर के प्रति बहुत ही जागरुक और जरूरतमंद होता है। वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपने के घर में निवेश करता है, जोकि उसकी मूलभूत आवश्यकता है। आवास उसके लिए जीवन की एक आवश्यकता तो है ही, एक प्रकार से यह पूंजी–निर्माण का आधार भी है। यह उसके सामाजिक, आर्थिक एवं सांसकृतिक मजबूती तथा उसकी पहचान का एक माध्यम भी है। वस्तुत: एक व्यक्ति आवास ऋण लेने के लिए विभिन्न तरह के बिंदुओ को छूता है जिनमें से जमीन, या मकान का विक्रेता,

विधि संबंधी जानकारी देने वाला, उसके सही मूल्य का निर्धारण करने वाला, बैंक और सरकारी दफ्तर मुख्य हैं। इस संबंध में प्रायः व्यक्ति को निम्नलिखित प्रक्रियाओं संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैः

- सही जमीन अथवा मकान की जानकारी न होना।
- सरकारी विभागों से जमीन संबंधी आवश्यक मंजूरियां, नक्शे की मंजूरी प्राप्त करने संबंधी जटिलता।
- मकान खरीदने के लिए बिचौलियों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना।
- जमीन से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक–जानकारी न होना, जो कि उसके स्वामित्व को बाद में स्थापित कर सके।
- जमीन का सही मूल्यांकन न कर पाना, जिसमें वह अपनी समस्त पूंजी को निवेशित करना चाहता है।
- कम राशि में या देय राशि से कम में रजिस्ट्री कराना।
- बैंक, जो कि वित्तीय सहायता का माध्यम है, इन प्रक्रियाओं में मूल रुप से शामिल है।
- बैंको द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि के अलावा एक निश्चित प्रतिशत में स्वयं के हिस्से की मार्जीन राशि की व्यवस्था करना।
- ऋणकर्ता द्वारा आवासीय ऋण संबंधी दस्तावेज जैसे कि आयकर विवरणी, केवायसी आदि प्रस्तुत न कर पाना।

ज्ञान की कमीः आवास ऋण लेने वाले तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले के बीच में जानकारियों और आपसी समझ की कमी पायी जाती है। ऋणकर्ता बैंक के आवश्यक दस्तावेजों, प्रक्रियाओं आदि को आसानी से समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वह आवश्यक कागजात खंड–खंड में प्रस्तुत करता है। इन सब कारणों से वित्तीय संस्थाओं को भी ऋण संबंधी निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं। साथ ही साथ, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं खंड–खंड दस्तावेज मिलने से खंड–खंड में ही अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा पाती हैं। जैसे कि जमीन अथवा मकान के विषय में विधिक अभिमत, सही मूल्यांकन आदि शामिल है। बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में बड़े स्तर पर की गयी अधिकारियों की नयी भर्ती के कारण उन नये अधिकारियों को पूरी जानकारी का अभाव होने के कारण ऋणकर्ता को ऋण लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। आवेदन, जोकि मूलभूत दस्तवेज है कई बार ऋणकर्ता को ये नये अधिकारी भली भांति समझा भी नहीं पाते हैं। जिससे कि ऋणकर्ता खंड–खंड में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात भी वित्तीय संस्थाएं सही समय पर ऋणकर्ता को ऋण वितरित नहीं कर पाती हैं, जिससे उनके अंदर उदासीनता की भावना आ जाती है। आवास ऋण संबंधी ज्ञान की कमी कहीं न कहीं ऋण प्राप्त करने एवं ऋण देने में ऋणकर्ताओं एवं वित्तीय संस्थाओं दोनों के लिए बाधक होती हैं।

मानसिकताः एक सही मानसिकता ही व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, चाहे वह ऋणकर्ता हो या वित्तीय संस्था हो। कई बार पूर्वग्रह से ग्रसित हो कर वित्तीय संस्थाएं सही व्यक्ति को सही समय पर ऋण उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। वित्तीय संस्थाओं को कई बार विफलता का जोखिम भी उठाना होता है।

वैधानिक और नियामक बाधाएंः क्षेत्र वार जमीन संबंधी नियम और कानून अलग–अलग होते हैं, जिन्हें समझने में वित्तीय संस्थाओं को कठिनाई आती है। जैसे कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट (सी एन टी एक्ट, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जमीन खरीदने आदि से संबंधित है) इन क्षेत्र वार नियमों से वित्तीय संस्थाओं को बंधक संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जो कि आवास ऋण की मूलभूत आवश्यकता है। कई बार ऋणकर्ता की पात्रता के बावजूद भी वित्तीय संस्थाएं बंधक संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें सहायता नहीं दे पाती हैं। जमीन के संबंध में स्वामित्व का निर्धारण भी एक अहम कारण है। इसके अलावा सरकारी स्टेम्प एवं पंजीकरण संबंधी कानून भी अलग–अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, जो भी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं।

निदानः

- सरकार या नियामक संस्थाओं को क्षेत्र वार जमीन अथवा उससे संबद्ध जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करानी चाहिये और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- सरकारी विभागों द्वारा जमीन अथवा मकान के संबंध में आवश्यक मंजूरियां निर्धारित समय–सीमा में प्रदान करनी चाहिए।
- क्षेत्र वार जमीन संबंधी आवश्यक नियम और कानून की जानकारी सार्वजनिक तौर पर समय–समय पर प्रदान करना। संशोधित या बदले हुए नियमों को सार्वजनिक रुप से प्रसारित करना।
- वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवास ऋण प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो संकल्पना को अपनाना, जहां पर एक ही स्थान पर ऋणकर्ता को प्रोजेक्ट संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध कराना। अधिक से अधिक रुप में आवासीय प्रोजेक्ट को अनुमोदित करना, जिससे कि ऋणकर्ता को अन्य विधिक जानकारियों हेतु भागदौड़ न करनी पड़े। एक समय में ही सारे आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करना, जिससे कि ऋणकर्ताओं के लिए समस्त प्रक्रिया सरल हो जाए।
- नियामक संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को ऋण संबंधी सारी जानकारी सार्वजनिक रुप से उपलब्ध करवानी चाहिए तथा समय–समय पर बिल्डरों एवं ग्राहकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- ऋण मंजूरी की प्रक्रिया मे तेजी लाने के लिये वित्तीय संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को उत्पादों एवं व्यवहारिकता संबंधी जानकारी समय–समय पर उपलब्ध करानी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा अपने वेब साइट पर राज्य की जमीन संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए

उपसंहारः यह आवश्यक है कि शहरी आवास की समस्या को एक व्यापक दृष्टीकोण से देखा जाये, जिससे हमारे देश के शहरो में बसने वाले निम्न मध्यम वर्गीय समाज को एफोर्डेबल आवासीय ईकाईयां इस प्रकार उपलब्ध हो कि शहरों/नगरों का संररचनात्मक स्वरुप भी स्वास्थ्यप्रद बना रहे और नगरों में बसने वाले सभी वर्गो को आजीविका के साधन सहजता से उपलब्ध हो सके। जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है और स्मार्ट सीटी के विचार को कार्य रुप दिया जा रहा है उसको देखते हुए आने वाले समय में गांवों से एक बड़ी आबादी शहरों की ओर पलायन कर सकती है जिससे आने वाले समय में शहरी आवास की मांग बढ़ेगी। उसकी पुर्ती करने के लिये शासन, स्थानीय निकाय और वित्त उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं को मिलजुल कर एकीकृत प्रयास करने होंगे। यही शहरी आवास की समस्या का उचित समधान होगा।

शहरी गरीबों के लिए आवास वित्त प्रबंधन

श्रीमती उमा सोमदेवे

जब भी गरीबी पर बात होती है तो आम तौर पर हमारे सामने ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन ही होते हैं, यहां तक कि निर्धनता उन्मूलन की योजनाएं भी प्रायः गांवों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि शहरों में गरीबी की स्थिति कम भयावह नहीं है। एक अनुमान है कि शहरी निर्धनों की संख्या आज की तारीख में 8 करोड़ तक पहुंच गई है यानी कुल शहरी जनसंख्या का 25.70 फीसदी। शहरी और ग्रामीण निर्धनों की समस्याओं में बुनियादी फर्क है। सामाजिक–आर्थिक स्तर पर दोनों की चुनौतियां एकदम अलग होती है। यह सही है कि ग्रामीण निर्धनों की तुलना में शहरी गरीबों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलते हैं लेकिन ये प्रायः अनियमित और असंगठित क्षेत्र में होते हैं, इसलिए आय को लेकर शहरी गरीब खुद को हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। ये जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। उन्हें न तो ढंग का मकान मिल पाता है, न ही स्वच्छ पानी। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पातीं। उन्हें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। दुर्भाग्य है कि निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत पहुंचा है पर शहरी क्षेत्रों में नहीं। शायद यही वजह है कि ग्रामीण निर्धनों की संख्या तो कम हुई है लेकिन शहरी गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ है।

असल में शहरी गरीबों के लिए बनी स्कीमों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही स्वरोजगार पर जोर रहा जबकि उनमें आवास और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता थी। कई राज्य सरकारें तो शहरी गरीबों को बोझ की तरह देखती रही है। उन्होंने उनकी समस्याओं से प्रायः आंखें मूंदे रखी थी। कभी–कभार राजनीतिक लाभ लेने के लिए शहरी गरीबों को याद किया जाता है और उनकी कुछ समस्याओं का कोई तात्कालिक समाधान ढूंढ लिया जाता है। सरकार की समस्या की जटिलता का अहसास है। सरकार ने नरेगा को संशोधित रूप से शहरी क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय किया है ताकि शहरी गरीबों को रोजगार मिल सके। सरकार ने अगले 5 सालों में शहरों को झुग्गी–झोपड़ियों से पूरी तरह मुक्त करने का फैसला किया है। इसके लिए वह विशेष आवास योजना शुरू करेगी। शहरी गरीबी तभी दूर होगी जब सरकार इस संबंध में अपनी दुविधा से बाहर निकले और स्पष्ट नजरिया अपनाए।

भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना में, आवास और शहरी विकास से संबंधित मामले भारत के संविधान द्वारा राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। संविधान (74वें संशोधन) अधिनियम ने इनमें से कई कार्य आगे शहरी स्थानीय निकायों को दिए हैं। भारत सरकार के संवैधानिक और कानूनी प्राधिकार केवल दिल्ली और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा संघीय संसद को विधान बनाने के लिए प्राधिकृत विषय तक ही सीमित है। तथापि, संविधान के प्रावधानों के होते हुए भी, भारत सरकार एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समूचे देश की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में एक बड़ा प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय नीति संबंधी मुद्दों के निर्णय भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जो राज्य सरकारों को संसाधनों का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के जरिए वित्त उपलब्ध करती है और संपूर्ण देश में आवास और शहरी विकास के लिए विभिन्न बाहरी सहायता कार्यक्रमों का समर्थन करती है। नीतियों और कार्यक्रमों की विषय–वस्तुओं का निर्णय पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्रीकरण के समय लिया जाता है। भारत सरकार के राजकोषीय, आर्थिक और औद्योगिक स्थान निर्णयों का अप्रत्यक्ष प्रभाव देश में शहरीकरण के प्रतिरूप और अचल संपत्ति के निवेश पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है।

आज गांवों के बिगड़ते हालात और त्रासदी भरे जीवन से तंग आकर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में गांव के गरीब मेहनतकश मजदूर शामिल हैं जो शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हैं। इधर शहरों के हालात ऐसे हैं कि यहां रहने वाले लगभग आधी आबादी को उपयुक्त आवास या घर उपलब्ध नहीं है। शहरों में मकानों की भारी कमी है, मकानों की 95 फीसदी समस्या शहरी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़ी है। एक तरफ पंच सितारा संस्कृति में पलते बच्चे हैं तो दूसरी तरफ 10/10 के झुग्गियों में सिसकता बचपन। अमीर और गरीब के बीच आवासीय स्थितियों और सामाजिक नजरिए को देखें तो एक बड़ा निर्मम विभाजन दिखाई देता है। जबकि दोनों ही वर्गों के लोग एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की आजीविका उनके आपसी संबंधों पर टिकी हुई है। बिना शहरी गरीब मजदूरों के हमारा शहरी जन जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता है? आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है।

शहर के नागरिकों की आवास जरूरतों को दो भागों में बांट कर देखा जा रहा है। वैभव–विलास से परिपूर्ण मकानों और उच्च जीवन शैली की पृष्ठभूमि में सम्पन्न लोगों के लिए शहर के मध्य नजदीकी क्षेत्रों में सर्व सुविधा आयुक्त कालोनियों का निर्माण हो रहा है। जबकि गरीबों को शहर से दूर सीमा के बाहर धकेला जा रहा है जहां न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही रोजगार के मौके। सुविधाओं और सेवाओं का ऐसा बंटवारा कि किसी के बगीचे और गार्डन के लिए फव्वारे का भरपूर पानी और किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी मिलना मुश्किल है। अमीर और गरीबों के बीच आवासीय स्थितियों और सामाजिक नजरिए को देखें तो एक बड़ा निर्मम विभाजन दिखाई देता है। जबकि दोनों ही वर्गों के लोग एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की आजीविका उनके आपसी संबंधों पर टिकी हुई है। बिना शहरी गरीब मजदूरों के हमारा शहरी जन जीवन एक दिन भी चल सकता है? हमारे बिल्डर्स जो कि वैभवशाली इमारतें, लंबी–चौड़ी सड़कें, बड़ी–बड़ी कालोनियां, आधुनिक बाजार, भारी भरकम मॉल बनाने के काम में लगे हो या सीवेज के अंदर उतरकर जान जोखिम में डालकर साफ–सफाई करने का कार्य करते हों। आटो टेम्पो, बस–रिक्शा चलाने वाले, मैकेनिक, कारीगर, मजदूर, घरों में काम करने वाली बाई, जमादार, सड़क साफ करने वाले, कचरा उठाने वाले, झाडू लगाने वाले, दूध सब्जी वाले, खोमचे वाले, होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाले सब लोग इन्ही मलीन बस्तियों के घुटन भरे माहौल में गुजर–बसर करते हैं।

दूसरी तरफ शहरी सभ्य समाज व शासन में ऐसे लोगों कि भी कमी नहीं है जो इन्हें शहरी सुंदरता और व्यवस्था के विरोधी, गंदगी और अव्यवस्था के जिम्मेदार, अपराधी और शातिर मानते हैं। शहरी विकास में ये बस्तियां और यहां के लोग एक अतिक्रमणकारी और अवरोधक के रूप में बदनाम किए जाते रहे हैं। ये नजरिया शहरी सहिष्णुता, समरसता और सौहार्द के लिए खतरनाक है जिसके दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज शहरों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शहरों के नियोजन में शहरी गरीबों को कब तक हाशिये पर रखा जाता रहेगा। कब तक शहरी संसाधनों के आवंटन में अन्याय जारी रहेगा। ये इंसानी बस्तियां हैं, यहां भी इंसान रहते हैं, उन्हें कब तक उजाड़ कर या जबरन बेदखली करके ऐसी जगहों पर फेंका या खदेड़ा जाता रहेगा जहां न तो उनके रोजी रोटी कमाने कि कोई व्यवस्था है और न ही न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं कि पहुंच। अनुपयुक्त वातावरण व आवासों में रहने को मजबूर ये हमारे देश के ही लोग हैं जिन्हें दोयम दर्जे के नागरिकों कि सुविधाएं भी मुअस्सर नहीं है।

केन्द्र सरकार ने 98 शहरों की सूची जारी की है, जिन्हें स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस लिस्ट में दो और शहर बाद में शामिल होंगे। एक जम्मू–कश्मीर से और दूसरा उत्तर प्रदेश से। पहले दौर में इनमें से 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा जबकि दूसरे और तीसरे दौर में 40–40 शहरों को लिया जाएगा। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने बड़े उत्साह में बहुत सी बातें लोगों को बता

रहे हैं, हालांकि किसी के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा। सरकार इस प्रॉजेक्ट के जरिए करना क्या चाहती है, यह समझना कठिन है। पहले तो यही स्पष्ट नहीं है कि स्मार्ट सिटी से सरकार का मतलब क्या है? एक पिछड़े शहर में सुधार करना और यहां बैसिक सिविक फैसिलिटीज उपलब्ध कराना इसका मकसद है, या पहले से ही विकसित शहरों को दुनिया के स्मार्ट शहरों वाली सुविधाओं से लैस करना? सरकार की सूची में एक तरफ तो पहले से ही विकसित ग्रेटर मुंबई, चंडीगढ़ और नई दिल्ली के एनडीएमसी वाले इलाके हैं तो दूसरी तरफ बिहार–यूपी के ऐसे शहर भी हैं, जहां का सीवर सिस्टम तक पुराने जमाने का है। क्या एक ही तरीके और संसाधन से देश के इतने सारे शहरों को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का कोई फॉर्मूला सरकार के पास है? सच्चाई यह है कि 200 करोड़ तो बड़े शहर में केवल कूड़े के डिस्पोजल की व्यवस्था करने में खर्च हो जाएंगे। सोचा जा सकता है कि पूरे शहर का कायाकल्प करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने स्मार्ट सिटी की ओर अचानक ही कदम नहीं बढ़ा दिया था। उन्होंने उनमें पहले बेसिक सिस्टम ठीक किया, लोगों में सिविक सेंस पैदा किया, एक सक्षम नगर प्रशासन तैयार किया और शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। क्या हमारे देश का एक भी शहर इन मानदंडों पर खरा उतरता है? देश के ज्यादातर शहरों की सही मैपिंग तक उपलब्ध नहीं है। उनमें अवैध कब्जों की भरमार है। बेतरतीब निर्माण–कार्य चल रहे हैं। लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकने के अभ्यस्त हो चुके हैं। वे ट्रेफिक रूल्स का पालन नहीं करते, बिजली की चोरी करते हैं। जगह–जगह बिना किसी योजना के पूजास्थल बने हैं, जिन्हें खिसकाना कानून–व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। फिर सवाल यह भी है कि आधुनिकतम सुविधाओं वाले शहरों में सारी सेवाएं कौन उपलब्ध कराएगा? क्या इन शहरों में नगरपालिका, पुलिस और दूसरे महकमों को अचानक स्मार्ट बना दिया जाएगा? अनेक राज्यों में बिजली की बहुत कमी है, जो स्मार्ट शहर के लिए एक अनिवार्य तत्व है। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए बिजली आखिर कहां से लाई जाएगी? अच्छा होता कि सरकार कोशिश करके कोई एक मॉडल स्मार्ट शहर विकसित करती, जो सभी राज्य सरकारों के लिए प्रेरक भूमिका निभाता। बहरहाल, स्मार्ट सिटी एक सपना है जिससे पीछे हटना संभव नहीं। फिलहाल इसकी अकेली सकारात्मक भूमिका बदलाव की इच्छा पैदा करने की है। बेहतर होगा कि हर शहर के लिए अलग नजरिया और नीति अपनाकर उसे संवारा जाए।

देश की करीब 12 करोड़ आबादी स्मार्ट सिटी परियोजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। सूची जारी करते हुए इन प्रस्तावित 98 स्मार्ट सिटी की आबादी करीब 12 करोड़ है जो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल शहरी जनसंख्या का 35 फीसदी है। चुने गए शहरों की संरचना के मुताबिक 35 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक लाख से पांच लाख के बीच है। 21 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी पांच लाख से 10 लाख के बीच है। 25 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से 25 लाख के बीच है। पांच शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 लाख से 50 लाख के बीच है। चार शहरों : चेन्नई, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर मुंबई और अहमदाबाद की आबादी 50–50 लाख से ज्यादा है। चुने गए 98 शहरों में 24 राजधानियां हैं, अन्य 24 व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र हैं, 18 सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व के केन्द्र हैं, पांच शहरों में बंदरगाह है और तीन शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र हैं। एक लाख या इससे कम आबादी के बावजूद इस सूची में शामिल किए गए शहरों में सिलवासा, दीव, कवारती, अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट और सिक्किम का नामची है। स्मार्ट सिटी परियोजना में जिन नौ राजधानियों को शामिल नहीं किया गया है वह पटना, ईटानगर, शिमला, बेंगलुरू, दमन, तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, गंगटोक और कोहिमा है। बंगाल में कोलकाता के पास का न्यू टाउन गोवा की राजधानी पणजी, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उन आठ शहरों में है जो स्मार्ट सिटी की सूची में हैं। बंगाल के विधान नगर, दुर्गापुर और हल्दिया भी स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुने गए शहर हैं। चेन्नई, इरोड, सलेम, कोयंबटूर, मदुरै और वेल्लूर तमिलनाडु के उन 12 शहरों में हैं जिन्हें सूची में शामिल किया गया है। उत्तरखंड की राजधानी देहरादून और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अलावा तेलगांना से ग्रेटर हैदराबाद और ग्रेटर वारंगल को भी चुना गया है। पंजाब से

लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जबकि ओडिशा से भुवनेश्वर और राऊकेला को सूची में जगह दी गई है। राजस्थान से अजमेर के अलावा राजधानी जयपुर, उदयपुर और कोटा भी सूची में शामिल हैं। गुजरात से गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सहित कुछ छह शहरों को इस सूची में जगह मिली है। झारखंड से रांची को चुना गया है। हरियाणा से करनाल और फरीदाबाद जबकि केरल से कोच्चि को केन्द्र की ओर से जारी सूची में शामिल किया गया है। बिहार से बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जबकि आंध्र प्रदेश से विशाखापत्तनम, तिरुपति और काकीनाडा भी सूची में शामिल किए गए हैं।

शहरी गरीबों को आवास वित्त उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी समस्या भूमि के चयन को लेकर होती है। जो लोग वर्षों से शहरी जमीन पर अवैध कब्जा जमाएं बैठे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण की वजह से हटाना संभव नहीं होता। उन्हें वैकल्पिक आवास की जगह उपलब्ध करा देने पर भी वे वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि वह जगह उनके कामकाज के जगह से दूर होती है। दूसरे शहर से कोई भी व्यक्ति दूर–दराज सुनसान जगह पर जाना पसंद नहीं करेगा। शहरी गरीबों को आवास वित्त उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्राप्त पट्टे या उनकी स्वयं की जगह को आधार बनाया जा सकता है। पट्टा मालिकाना हक्क नहीं दिलाना फिर भी एक निश्चित समय तक उस पर काबिज रहने का हक दिलाता है विशेषकर जब मकान के पट्टे की बात हो। आवास वित्त कंपनियों तथा बैंकों को चाहिए कि वे कुछ आवश्यक शर्तों के साथ पट्टे को स्वीकार कर शहरी गरीबों को आवासीय ऋण उपलब्ध कराएं। परंतु यह काम माइक्रोफाइनांस कंपनियों के मार्फत नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी पूंजी अपर्याप्तता तथा ऊंचा ब्याज दर गरीबों के हक में नहीं है। इसके अलावा इन्हें आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आवास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है जबकि माइक्रोफाइनांस कंपनियां छोटे–छोटे ऋण देने के लिए ही अधिकृत होती है।

शहरी गरीबों को सरकारी आवास वित्त सब्सिडी और ग्रामीण आवास योजना की तरह लाभ दिया जाना चाहिए तभी वे अपना कुछ अंशदान कर रहने योग्य मकान बना सकेंगे। बिन सब्सिडी और सरकारी सहायता के शहरी गरीबों को भी आवास बनाना सहज नहीं होगा। दूसरी तरफ शहरों में आवास खरीदने के लिए (यदि मैट्रोपोलिटिन शहर छोड़ दे तो) छोटे शहरों में भी मकान की कीमतें अधिक हैं। आवास ऋण लेकर छोटे शहरों में भी लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। छोटे शहरों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। बड़े शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर होने की वजह से बड़े शहरों में आवास प्राप्त करना आसान नहीं होता। मेरा सुझाव है कि क्रेता की आर्थिक हालत देखकर बैंकों को आवास हेतु ऋण प्रदान करना चाहिए। सरकार को भी निश्चित मात्रा की सब्सिडी न देकर आर्थिक दर्जे के हिसाब से सब्सिडी देना चाहिए ताकि चाहने वालों को शहर में भी आवास प्राप्त हो सके। अर्फोडेबल हाउसिंग की परिभाषा तय कर दी जानी चाहिए। ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी रिहाईश में भी परिभाषा तय कर दी जाए ताकि अफोर्डेबल का मतलब जनता को समझ में आए। अब तक तो अफोर्डेबल का अर्थ आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, वही आपके लिए अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का अर्थ सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऐसा नहीं है। यह शब्द ही क्रेता को गुमराह करता है। सरकार का ध्यान इसकी ओर जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा।

सरकारी या निजी क्षेत्र जहां कहीं भी नौकरी करने वालों के लिए उनके नियोक्ता का कर्तव्य होना चाहिए की वे अपने कर्मचारी/अधिकारी को आवास उपलब्ध कराएं। आवास ऐसा जो किश्ते अदा करने के बाद कर्मचारी का हो जाए। इसके लिए भी नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि असंगठित क्षेत्रों के लोगों में अनावश्यक प्रतियोगिता टाली ला सके। अभी होता यह है कि नौकरी पेशा इंसान तो जैसे–तैसे

मकान खरीद लेता है मगर गरीब मजदूर नहीं खरीद पाता। इसलिए देखने में आता है कि गरीब मजदूरों के लिए बनाएं गए मकानों के कोटे में पैसे वालों का कब्जा हो जाता है। योजना बनती है गरीबों के लिए फायदा उठाते हैं अमीर। दस्तावेजों में हेरफेर कर अमीर को गरीब बनते देर नहीं लगती। आय प्रमाण पत्र बनाना बड़ा सरल कार्य है। इसके अलावा निम्न एवं मध्यम दर्जे के लोगों के लिए धमार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को भी आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि किसी को आवास उपलब्ध कराने में मदद करना भी पुण्य का कार्य है।

निम्न दर्जे के शहरी गरीबों को केवल बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के भरोसे रखकर उनको आवास उपलब्ध कराना कोई बड़ी बात नहीं है परंतु उनकी भुगतान क्षमता का आकलन जरूरी है। वरना कर्ज अदा न करने के कारण मकान, इज्जत, रोजी रोटी सब गई समझें। शहरी गरीबों की आर्थिक स्थिति ग्रामीण गरीबों से काफी अच्छी होती है। आवास वित्त उपलब्ध करने वाली संस्था को चाहिए कि उनके स्वयं के भागीदारी पर ज्यादा ध्यान दे। मकान लागत में जब तक ऋणी का 50% का अंशदान न हो तब कि उन्हें आवासी ऋण नहीं देना चाहिए क्योंकि शहर में आवासीय इकाईयों की संख्या बहुत कम होती है और खरीददार ज्यादा। कीमतें इसीलिए आसमान छूती हैं ऐसे में शहरी जरूरत मंद को आवास ऋण लेना कठिन हो जाता है। नीति निर्धारकों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

नारी सुरक्षा एवं आवास वित्त

डॉ. जी.एन.सोमदेवे,
उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

हमारे देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिला भी रह चुकी हैं। कई प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। प्रशासन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के स्थान पर महिलाओं के दायरे को सीमित करना देश की प्रगति में बाधक तो सिद्ध होगी ही और गलत फरमान जारी कर इन्हें हतोत्साहित करना अपराध को प्रश्रय देना ही कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में असामाजिक तत्वों के आगे हथियार डालना भी कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। घटना चाहे जहां की हो महिलाओं की बदतर हालात के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके ठोस कानून बनाने की नितांत आवश्यकता है यदि हम ईमानदारी से देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए न कि अशक्तिकरण।

यह सत्य है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरूषवर्ग आदिकाल से नारियों के उत्सर्ग में बाधा उत्पन्न करते आये हैं। हम हमेशा खुद में खुबियाँ ढूंढते रहते हैं। समाज में खुद को साबित करने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं। नारियों के उत्थान में जाने क्यों हमें खुद का पतन नजर आता है। किसी नारी को आगे बढते हुए जाने क्यों हम नहीं देख सकते, खासकर खुद से आश्चर्य तो तब होता है जब अपनी संकीर्ण मानसिकता का दोषी एक नारी को ठहराते हैं। गलतियाँ हम करते हैं और कारण नारी को बताते हैं। वेदना एवं संवेदना एक नारी ही इंसान को सिखाती है। फिर भी हम क्यों यह भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में जन्म एक नारी ने ही दिया है। एक माँ का कर्ज और एक भाई का फर्ज आखिर हम पूरा नहीं करेगे तो कौन करेगा? जब भी समाज में नारियों की सुरक्षा की बात होती है तो हमें सिर्फ कालेज की मिनी स्कर्ट और भारतीय समाज की उच्चवर्गीय महिलायें नजर आती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि भारत में साठ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में जीवन–यापन करती है। उन स्त्रियों के बारे में उन लोगों का क्या ख्याल है जो इस ग्रामीण समाज का अभिन्न हिस्सा है। क्या वह भूल जाते है कि उन्होनें या उनके पूर्वजों ने कहीं न कहीं उसी स्त्री की कोख से जन्म लिया है या फिर ऐसी स्त्रियों के लिए उनके हिसाब से कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वे लोग ऐसा संकीर्ण ख्याल अपने दिलों–दिमाग से निकाल दे तो ही बेहतर होगा। बुराईयाँ अगर पुरूषों में हैं तो कहीं न कहीं नारियों में भी हैं। आज हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे उभरकर आते हैं जिसमें एक महिला घोर अपराध को अंजाम देती है। कई महिलाएं समाज में मानसिक एवं परिवेश में द्वेष भी फैलाती है परन्तु यह उचित नहीं है कि एक की गलती की सजा सौ या हजार को दें।

अन्य लोगों पर दृष्टिपात करें तो भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती। जब कोई कांड मीडिया में बहुत प्रचारित हो जाता है तो लोगों का तथाकथित सब्र का बांध टूट जाता है और फेसबुक पर फ्लर्टिंग में मशगूल लोगों से लेकर समाज के लिए तथाकथित चिंतित लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर सड़कों तक अपनी चिन्ता और जोश उगलने लगते हैं। मोमबत्ती और चाट के ठेले वालों की बिक्री बढ़ जाती है लेकिन कुछ पलों बाद सबकुछ पहले जैसा हो जाता है। दामिनी कांड के बाद क्या ऐसा नहीं हुआ था? खूब प्रदर्शन हुए, मोमबत्तियां जलायी गयीं। जंतर मंतर पर मेले का सा माहौल था। शाम की टहल करने वालों को भी अपनी 'इवनिंग वाक' के लिए अच्छा स्थान और बहाना मिल गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकारी आश्वासनों और कई दिनों की थकावट ने धीरे धीरे जोश ठंडा कर दिया। मोमबत्तियों के बुझने के साथ ही लोगबाग अपने जीवन के दूसरे कर्मों में आत्मसंतुष्टि के साथ तल्लीन हो गए। नारी के साथ दुराचार मोमबत्ती जलने के पहले भी हो रहे थे, मोमबत्ती जलने पर भी हुए और बुझने के बाद भी हो रहे हैं। हर घर, हर मोहल्ला, हर सड़क पर हर पल नारी बेइज्जत हो रही है। इसमें दोष किसका है? कितने पुलिसवाले हों और कौन से पैमाने बनाए जाएं इस दुराचार को परिभाषित करने के और किस पैमाने के लिए कितना दण्ड निर्धारित किया जाए और किस किस को दण्डित किया जाए? यह अहम सवाल है। नारी को बोलने की आजादी न देना भी दुराचार है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी दुराचार है। कितने कानून बनेंगे? क्या सिर्फ बैनर और तख्ती लेकर सड़क पर नारेबाजी से समस्या का निदान सम्भव है? सवाल बहुत से हैं और खास बात यह कि उत्तर किसी भी प्रश्न का नहीं और न ही लोग उत्तर खोजना चाहते हैं।

आज भी हमारे संविधान में कुछ हद तक कड़ी सजा के प्रावधान कुछ केसों के लिए हैं, लेकिन वे प्रावधान इतने धुंधले हैं कि गुनाहगारों को ही उन का लाभ मिलता है और पीड़िता न्याय से वंचित रह जाती हैं इसलिए, एक सशक्त कानून बनाने के लिए सामाजिक संगठन, वकील, डॉक्टर, निवृत्त न्यायाधीश, पोलिस अधिकारी, समाज शास्त्र आदि के जानकारों की समिति बनायी जाए जिसमें युवा प्रतिनिधि भी हो जो किसी भी राजनीतिक पक्ष से संबंधित न हों। आज के युवाओं में विचार करने की उच्च शक्ति दिखती है और अपने विचार निर्भयता से रखने की उन्हें इच्छा भी हैं। युवतियाँ आज अनेक कामों के लिए बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, उन्हें जो अनुभव आते हैं, उन को ध्यान में लिया जाए तो यह कानून सशक्त होगा। भारत में जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, तब देखा गया है कि उन पर न्याय से अधिक राजनीति हावी हो जाती है। पीड़ित या गुनाहगार की जाति, समाज, भाषा, राज्य, आर्थिक स्थिति आदि देखकर मीडिया, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक संगठन आदि उन्हें 'उठाती' हैं या 'दबा' देती हैं। यह भयावह है।

मेरी राय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे लेखकों, अध्यापकों और अन्य बुद्धिजीवियों पर है। आज का बच्चा जो, कुछ घर में सीखता है उससे कहीं ज्यादा वह बाह्य परिवेश यानि स्कूल, कॉलेज, मित्रमण्डली, सिनेमा और टीवी से ग्रहण करता है। इसे ध्यान में रखकर देखना चाहिए कि हमारी पाठ्यपुस्तकें उसे क्या सिखा रही हैं। जरूरी होगा कि पुरुष वर्चस्व को स्थापित करने वाले पाठ हटाए जाएं और उसकी जगह वह सामग्री दी जाए जो आदमी और औरत की समानता को प्रतिष्ठित करती हैं। टीवी सीरियल, सिनेमा व अखबारों में भी उस सामग्री पर रोक लगना लाजिमी है जो पुरुषवादी मानसिकता को बढ़ावा देकर स्त्री को दोयम दर्जे पर खड़ा करती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी लिखें और कुछ भी दिखाएं इस तर्क को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। एक समाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सेंसरशिप की वकालत नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सामग्री इन दिनों परोसी जा रही है, उससे स्पष्ट है कि हमारे भीतर स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो चला है। यह जाहिर है कि अधिकतर साहित्य पुरुषों द्वारा रचा गया है। भारत के जिस मूर्तिशिल्प का इतना बखान होता है वह भी पुरुषों ने ही उकेरा है। हमें यह सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए कि अतीत में विलासी राजाओं के आदेश से ये रचनाएं हुई थीं। जो भी पाठ्यपुस्तकें लिखी जाएं, जो सीरियल व फिल्में बनें उनका परीक्षण करने के लिए बनी कमेटियों में स्त्रियों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एडवरटाइजिंग स्टैण्डर्स कौंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं में विज्ञापनों के परीक्षण के लिए बनी समितियों में महिलाओं को समुचित स्थान दिया जाए। ये समितियां शिकायत मिलने पर नहीं, बल्कि खुद संज्ञान लेकर परीक्षण करें। यदि सीरियल लेखक, गीतकार, संवाद लेखक, विज्ञापन लेखक, हास्य कवि और पत्रकार तय कर लें कि उन्हें स्त्री का अपमान करने वाली बातें नहीं लिखना है और इसके लिए अपनी कलम नहीं बेचेंगे तो वे भूखे नहीं मर जाएंगे। यह पिता, पति और पुत्र का दायित्व है कि वह अपने घर की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। जिस

समाज में जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, सिपाहियों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले यही सिखाया जाना चाहिए कि वे स्त्री जाति व वंचित समूहों का सम्मान करना सीखें व उसके साथ अदब के साथ पेश आए। उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। जिस तरह उत्तर प्रदेश की पूर्व (मुख्यमंत्री) ने घोषणा की है कि वे किसी बलात्कारी को आगे टिकट नहीं देंगी उसी तरह सारे राजनीतिक दल शपथ लें कि स्त्रियों के अपमान के किसी भी आरोपियों को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को अपने संसद सदस्यों से लेकर ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना चाहिए जहां उन्हें रुढ़िवादी, ओछी, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता से मुक्त होने का पाठ पढ़ाने के साथ तमीज से बात करना भी सिखाया जाए।

हमारे समाज में बहनों, पत्नियों, बहुओं और बेटियों को विशेष सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है। घरबार चलाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। कई बार तो वे महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला लेती है। बिल्डर्स भी महिलाओं की रूचि के अनुसार अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं। खासकर किचन को प्लान करने में बिल्डरों की विशेष रूचि होती है ताकि इसी हथियार के द्वारा वे ग्राहक के साथ आयी उसकी पत्नी को प्रभावित कर सके। किचन के आकार से ही मकान का चित्र नजर के सामने रखा जाता है। महिला के अंतिम निर्णय को साधने का यह अच्छा प्रभावशाली उपाय है। वैसे भी घर खरीदने के मामले में घर की महिला को प्राथमिकता दी जाती है। आजकल युवा लोगों द्वारा मकान खरीदने का चलन बढ़ा है। पहले कामकाजी लोग सेवानिवृत्ति पश्चात मकान बनाते थे। अब युवा वर्ग पैतृक मकान होने के बावजूद स्वयं का मकान खरीदने को प्राथमिकता देता है चाहे वह निवेश के लिए ही क्यों न हो। इसके लिए सबसे ज्यादा कारणीभूत है एकल परिवारों का प्रचलन। आजकल हर कोई परिवार से पृथक एकल चलो का नारा लिए बैठा है। घर की मालकिन वास्तव में पत्नी ही होती है। वह चाहे कामकाजी हो या गृहणी। दोनों भूमिका वह अच्छे से निभाती है। घर खरीदने के पश्चात उसके इंटीरियर को सजाने का काम भी महिला ही संभालती है। एक अध्ययन से साबित हुआ है कि महिलाएं कीमती कारों की बजाय सुविधाजनक आधुनिक किचन को पसंद करती है। उम्दा रसोईघर महिलाओं को अधिक संतुष्टी प्रदान करता है। रसोईघर को सुंदर तरीके से सजाने में पूरे घर की शोभा बढ़ जाती है।

सुरक्षा और निजता (प्राइवेसी) जिंदगी के खास पहलू होते है। मकान बनाते हुए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। आजकल चोरों और अत्याचारी लोगों द्वारा नए–नए तरीके से कारनामों को अंजाम देना पाया जा रहा है। दिनों दिन विकृत होती मानसिकता का यह आलम है कि कब कौन किस समय आपके मकान में न जाने किस नियत से घुस जाए पता नहीं चलता। चोर और अत्याचारी लोग निरंतर आपके घर तथा व्यवहार का अध्ययन करते रहते हैं। आपके सूने घर की सूचना न जाने उन तक कैसे पहुंच जाती है कि ठीक उसी समय वे चोरी करते हैं जब आप घर से बाहर होते हैं। इस संबंध में एक अध्ययन बताता है कि जिस घर में सुरक्षा के लिए कुत्ता पाल रखा हो वहां चोर भी घुसने में कई बार सोचता है। अर्थात कुत्ते वाले घर चोरों की प्राथमिकता में नहीं आते। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। उसे उचित प्रशिक्षण देकर बहुत सी बातें सिखाई जा सकती है। काटने वाला कुत्ता खतरनाक होता है। अतः कुत्ता ऐसा हो जो पूर्ण अनुशासन में रहे तथा घर के सदस्यों की सुने। अनजान को देखकर उस पर झपटने वाला कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अनजान या बाहरी व्यक्ति के लिए कुत्ते का भौंकना या गुर्राना ही उसके कदम रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अतः पालतू कुत्तों को स्वयं प्रशिक्षण देना अनिवार्य है वरना वह मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुत्ता बहुत ही कम खर्च वाला एक बढ़िया सुरक्षा कर्मचारी साबित होता है। वह आपसे केवल रोटी की अपेक्षा करता है। बदले में वह पूरी ईमानदारी से घर की सुरक्षा में जुटा रहता है। इसलिए हर घर में एक देशी कुत्ता जरूर पालना चाहिए जिससे कि आपके घर को चोर उच्चक्के सीधी तौर पर निशाना न बना सकें। यूं कहे तो उचित होगा कि घर का पालतू कुत्ता सुरक्षा का पहला कवच है।

एक जमाना था जब हम बहुत समृद्ध थे। समय बदला और हमारे देश की गिनती गरीब देशों में होने लगी। अब फिर हम उन्नतशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परंतु इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा दाव पर लगी है। पूरे हिन्दुस्तान को 'रेप' की बीमारी हो गई है। हम पूरे विश्व में बदनाम हो गए हैं परंतु सुधारात्मक उपायों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। विकसित देशों का उदाहरण लें तो वहां हमारे देश जैसे रेप नहीं होते। वहां सहमति और सौदर्य का बाजार हैं। उस तरीके के बाजार और संबंधों को हमारे देश में मान्यता नहीं है। सेक्स को बांधे रखा गया है। वह घृणा की वस्तु है। ओशो ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था मकान खरीदने के मामले में। उनके शिष्यों के आग्रह पर मुंबई में एक घर खरीदना तय हुआ। ओशो ने समझाया कि एक छोटे बच्चे को उसकी माता के साथ ले जाएं। यदि बालक रोया तो उस घर को न खरीदें। जहां बालक न रोये, हंसे और प्रसन्न रहे समझो वह घर बढ़िया है। यह हुई सुख समृद्धि की बात। हम बात कर रहे हैं घर में नारी सुरक्षा की। अक्सर पुरुष काम धंधे और नौकरी की वजह से दिन में बाहर रहते हैं। घर में रह जाती है महिलाएं। चाक चौबंद दरवाजे, बंद खिड़कियां और लैटरिन बाथरूम के प्रवेश द्वार तथा एक्जास्ट फैन तथा खिड़कियां आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से कहीं का भी लॉक सिस्टम यदि खराब होता है तो उसे तुरंत

सुधार लेना चाहिए। आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पश्चिम के देशों की तरह किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। एकदम से दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। मैजिक आई या जाली वाले दरवाजे प्रयोग में लाने चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अपनी तथा परिवार की सुरक्षा के लिए किचन के चाकू, छूरे प्रयोग पश्चात छिपाकर रखे। अपराधी घर के भीतर अपराध करने से नहीं चूकते। उन्हें मात देने के कुछ उपाय हमें करने ही चाहिए। हमें 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। बिन बुलाए मेंटेनन्स करने वालों को अंदर आने नहीं देना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा तो हमेशा डबल डोरवाला होना चाहिए।

पिछले वर्षों में हमारे देश में कार, फ्रिज, महंगे टीवी और कीमती सजावट के सामान लेने का प्रचलन बढ़ा है। चोर आपकी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। वह तो नगदी तथा गहने की तलाश में रहता है। आधुनिक समय में बैंकों का जाल सा बिछा है। घर के जेवर और नगदी बैंक के लॉकर में रखी जा सकती है। उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके आप परिवार का भला करेंगे तथा आपकी कीमती चीजें सुरक्षित भी रहेंगी। ज्यादा जोखिम लेना कभी भी महंगा पड़ सकता है। स्वयं एक खुफिया तंत्र को विकसित करना

आवश्यक है। हमेशा अपने घर में आने–जाने वाले, संपर्क में आने वाले, गैस सिलिंडर वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, दूध सप्लाई करने वाले, फेरी लगाने वाले, चंदा मांगने वाले, पुराने कपड़े खरीदने वाले, सड़कों पर खेल दिखाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, भिखारी, लाचार से दिखने वाले, रद्दी खरीदने वाले या छोटी–मोटी चीज बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले आदि व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिए। किसी भी भेष में कोई आपकी दुर्गत कर जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इनसे काम से काम ही रखना चाहिए। अपराध अधिकतर पैसों के लेन–देन पर होते हैं। अतः परिवार में पैसों का लेन–देन नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारी में छोटी–मोटी रकम के लिए उधार देने की बजाय मदद के रूप में देनी चाहिए। पैसे लौटाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अनावश्यक रूप से नातेदारी में वैमनस्य नहीं होगा। वरना उधार लेने वाला आप से मुंह चुराएगा और हो सकता है एक दिन घात भी कर दे। जहां तक हो सके अपने परिवार की दिनचर्या और कमजोरियां दूसरों को उजागर नहीं होने दें। घर के सभी लोगों को इसकी ताकिद देनी चाहिए वरना घर का भेदी लंका ढाए जैसी कहावत सच होते देर न लगेगी। घर में नौकर रखना जोखिम का काम है। इसमें अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए।

लोग लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं तो लाखों ग्रामीण और छोटे कस्बों की महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। समझ में नहीं आता कि मकान तो बना लिया परंतु शौचालय नहीं बनाया। महिलाओं पर अत्याचार होने में अधिकतर खुले में शौच को जाना पाया गया है। दरिंदे घात लगाकर बैठे रहते हैं। हालांकि दबंगों और बदमाशों द्वारा महिलाओं की अस्मिता से खेलना कोई नई बात नहीं है। बिजली न होने से घर में घुप्प अंधेरा भी अपराध को बढ़ावा देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार का ध्यान इस बात पर होते हुए भी हम पूर्ण विद्युतीकरण तथा संपूर्ण रूप से प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बिजली की मांग प्रत्येक वर्ष बढ़ती चली जा रही है मगर न्यूनतम बिजली की भी आपूर्ति न होना खेद जनक है। ऐसे भी गांव कस्बे मिल जाएंगे जहां दिन–दिन भर बिजली नहीं आती। वहां सुरक्षा और मकान की मालकिन की सुरक्षा कैसे हो? हमें बिजली के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी होगी। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही घर खरीदना चाहिए।

आस पड़ोस में निवास करने वाले रहिवाशियों से भी अनेक प्रकार की तकलीफें होने की संभावना रहती है। अतः घर की छत के ऊपर से जा रहे केबल वायर, घर के ऊपर से लिए गए बिजली कनेक्शन तथा पड़ोसी का बेतरतीब तरीके से उगा पेड़ भी झगडे का कारण बन सकता है। पड़ोस के मकान की पानी की टंकी का ओवर फ्लो पानी आपकी छत पर गिरे और आपकी नींद खराब हो जाए ऐसी अव्यवस्था का भी बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। जहां असुविधा हो वहां तुरंत उसका समाधान निकालना जरूरी है। आपकी चुप्पी परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी प्रापर्टी में पानी का संकट जीवित रहने के लिए बाधा बन सकता है। भूमिगत जल का प्रयोग हानिकारक है जानते हुए भी गांवों और छोटे कस्बों में अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। कम से कम उसे उबालकर और छान कर तो प्रयोग में लाया जा सकता है। आलस्य समस्या का समाधान नहीं है। जिंदा रहना है तो सुरक्षित पानी पीना जरूरी है। अधिकतर बीमारियां असुरक्षित पानी पीने से होती है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मीठा पानी केवल 3 प्रतिशत जल स्रोत्रों से मिलता है। हर जगह शुद्ध पानी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पानी को शुद्ध कर पीना परिवार के लिए राहत की बात हो सकती है। कम से कम छानना और उबालकर पीना जरूरी है।

घर की एक छत दूसरे घर से सटी होने से अपराधी के लिए आसानी होती है। इसलिए छत पर भी सुरक्षा के उपाय करना अनिवार्य है। मकान की मालकिन को केवल नाम की मालकिन न बनाकर उसके सौभाग्यनुसार उसे घर की स्वामीनी भी बनाना जरूरी है। उसे भी घर का मालिकाना स्वामित्व मिले। केवल मनोवैज्ञानिक सांत्वना देकर मकान की मालकिन कहना न्यायोचित नहीं है। मकान के टाइटल में नाम न होना, उचित प्रकार का वसीयतनामा ना होना मकान मालकिन को हानि पहुंचाता है। किसी अनहोनी की स्थिति में महिलाओं को हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी उसका अपना परिवार भी साथ नहीं देता। ऐसे में अपने बच्चों की और स्वयं की सुरक्षा करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। भविष्य में जनगणना करते वक्त इस प्रकार के डाटा बेस बनाने की आवश्यकता है कि घर–घर में महिलाओं की स्थिति क्या है? इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ होगा वहीं दूसरी ओर उनके उत्थान के लिए सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई चौकाने वाले तथ्य सामने आयेंगे जिस पर विचार करना आवश्यक होगा। इससे गरीब महिलाओं को फायदा होगा।

विश्व भर में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में रोटी और कपड़े के बाद मकान को ही माना गया है। उचित आवास पाना मानव का अधिकार है। सम्मानित जीवन जीना भी अधिकार है। प्रत्येक सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होती है। मगर कथनी और करनी में अंतर होता है। उम्मीद की जानी चाहिए की मकान की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि देश के लाखों करोड़ों नागरिक असुरक्षित आवास में निवास कर रहे हैं। महिलाओं को आवास वित्त प्रदान करने में प्राथमिकता देनी होगी। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आवास वित्त महिलाओं के नाम पर ही देना चाहिए जिससे उधारी की रकम सही समय पर चुकता होगी। आवासीय ऋण में होने वाले एनपीए नहीं होगें या बहुत कम होगें। महिला आसानी से अपना घर नीलाम नहीं होने देती। अतः महिलाओं के नाम पर गृह ऋण देना सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी उचित है। विवाहित पुरूषों को गृह ऋण देते वक्त पत्नी को भी कर्जदार में शामिल करना चाहिए। पत्नी पति को सही वक्त पर किश्ते जमा करने के लिए बाध्य करेगी। कर्ज का पहला चैक कर्जदार को देने के वक्त उसकी पत्नी या मां की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए ताकि वे संयुक्त रूप से कर्ज की जिम्मेदारी समझ सके। अनेक राज्यों में महिलाओं को रजिस्ट्री फीस में छूट नहीं मिल रही है। सभी राज्य सरकारों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। महिलाओं को आवास वित्त उपलब्ध कराने में बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। ब्याज छूट की रियायत या सब्सिडी की दर पुरूषों से ज्यादा होनी चाहिए। हाउसिंग बोर्डों को चाहिए कि वे 50 प्रतिशत आवास या भूखंड महिलाओं के लिए आरक्षित रखें तथा उन्हें सुलभता से आवास वित्त उपलब्ध करा देने में मदद करें। भूखंडों पर आवास बनाने हेतु तकनीकी सलाह भी उपलब्ध करानी चाहिए इसके लिए आवास एजेंसियां जो सरकार के मातहत कार्य करती हैं एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती हैं।

मकान के अंदर ही अनेक असुरक्षात्मक चीजों का रखरखाव करना जरूरी है। जैसे घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो बिजली के स्विच और प्लग उनके पहुंच से दूर रखें, घर के बाहर का दरवाजा या गेट बंद करके रखें बेहतर है ताला लगा दें। रसोई में प्रयोग लाने वाले कुकर और अन्य उपकरणों को रोज जांचना जरूरी है ताकि जानलेवा परिस्थिति से बचाव हो सके। चुंकि घर की मालकिन अधिक समय तक रसोई में रहती है इसलिए यह सावधानी जरूरी है। मेले, बाजार, मॉल आदि में छोटे बच्चों को न ले जाए तो अच्छा और यदि ले जाना पड़े तो सतत निगरानी में रखना चाहिए। इस मामले में लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। पुरुष यदि साथ है तो यह जिम्मेदारी उन्हें स्वयं उठानी चाहिए। घर के आस–पास यदि लोगों की अनावश्यक चहल कदमी हो तो या फिर सुनसान अकेला कोने का मकान हो तब भी कैमरे लगाना जरूरी है। इससे चोर दूर रहेंगे क्योंकि उन्हें भी पकड़े जाने का डर तो होता ही है। मकान की सुरक्षा की जितनी चिंता करनी है उससे ज्यादा चिंता उसमें निवास करने वाले सदस्यों की करनी चाहिए। यही है घर परिवार का महात्मय।

अनिल सचिदानंद
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
एएचएफसीएल, मुंबई

महिला सुरक्षा एवं आवास का महत्व

भोजन और कपड़े के साथ–साथ आवास को बहुत ही लंबे समय से जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। घर एक ऐसी संपत्ति है जिसे आराम, सुरक्षा ओर संरक्षा के साथ जोड़ा जाता है और किसी परिवार के लिए यह समग्र समृद्धि का प्रतीक भी होता है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकार के तौर पर माना गया है। हालांकि, वर्ष 2022 तक 9 करोड़ इकाइयों से अधिक की परिलक्षित आवास की कमी के चलते भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अपना एक घर पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आवास की यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में व्याप्त है, जिसमें कुल आवास की कमी का 90 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग) तथा एलआईजी (निम्न आय समूह) परिवारों का है। एक ओर जहां ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों पर अच्छा–खासा अध्ययन किया जा चुका है और आवास के लिए उनकी इच्छा और उनकी समस्याओं को विभिन्न मंचों पर जोर दिया गया है, वहीं इसी बड़े समूह के भीतर एक उप–खंड भी शामिल है जिसमें निम्न आय समूह की कार्यशील महिलाएं भी आती हैं, जिन पर हमारे नीति–निर्माताओं को त्वरित ध्यान देने की जरूरत है।

इस क्षेत्र की महिलाएं, वेतनभोगी (प्राइवेट कंपनियों, लघु उद्योगों, नर्सिंग एवं पैरामेडिक कर्मचारियों, हाउसकिपिंग कर्मचारियों, स्कूल/कालेजों में काम करने वाले चपरासियों, नौकरानियों और रसोईए इत्यादि) तथा स्वरोजगार–प्राप्त (सब्जी तथा फल बेचने वाले, घरेलू व्यवसाय जैसे पापड़, अगरबत्ती, बुनाई करने वाले, रेडिमेड वस्त्र बनाने वाले, टीफिन सेवा हेतु रसोई चलाने वाले, सिलाई, धुलाई, ट्यूशन देने, वैवाहिक व्यवस्था देखने वाले इत्यादि) का परिवारों में बराबर की हिस्सेदारी होती है और कई मामलों में यह पूरे परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत भी होता है।

ये महिलाएं, अब तक, मोटे तौर पर वित्तीय समावेश के दायरे से बाहर रही हैं। यहां उल्लेख करना उचित होगा कि ये स्वस्थ बैंकिंग व्यवहारों के विकास के बारे में शिक्षा से भी अनभिज्ञ रहे हैं और इसलिए वे स्मार्ट तरीके से बचत कर पाने अथवा जीवन की किसी छोटी/बड़ी परिस्थितियों के लिए अपनी बीमा कर सकने में भी असक्षम है, जैसे कि कोई आपात चिकित्सा, बच्चों की उच्च शिक्षा, उनकी शादी के खर्चे इत्यादि। इसलिए, जरूरत के समय में, ये महिलाएं स्थानीय साहूकारों से छोटे ऋण का सहारा लेते हैं, जो बदले में उनसे भारी–भरकम ब्याज (मासिक आधार पर वह भी ज्यादातर मामलों में दोहरे अंको में) वसूलते हैं। यह उन मामलों में और भी सच हो जाता है जब बात उनके आवास की जरूरत की हो। वित्तीय सहायता उद्योग (बैंक/वित्तीय संस्थान/हाउसिंग वित्त कंपनियों को मिलाकर), उनके ऋण पात्रता का आकलन करने में सामने आ रही चुनौतियों के कारण (ऋण को वापस चुकाने में उनकी क्षमता और इच्छा को नहीं पहचान पाने की बड़ी बाधाओं के चलते), अभी तक ऐसी महिलाओं को आवास का समाधान प्रदान करने में विफल रहा है। वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता के चलते, उनके परिवार झुग्गियों और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं।

भारत के आर्थिक शक्ति बनने की ओर बड़े कदम उठाने के साथ–साथ एक विभत्स वास्तविकता यह भी है कि इन महिलाओं की आकांक्षाएं पूरे जीवन भर धरी की धरी रह जाती हैं और यहां तक कि उनकी ओर सबसे ईमानदार प्रयास करने के बावजूद वे गरीबी के चंगुल से बाहर आने में असमर्थ हैं।

हम सोचते होंगे कि निम्न आय समूह में महिलाओं के लिए घर खरीदने की तरफ वित्तीय सहायता में काफी समस्याएं हैं। लेकिन यही हाल मध्यम और मध्यम–उच्च वर्गीय क्षेत्रों का भी है और साथ ही साथ उन मामलों में जहां अविवाहित कार्यशील महिला है, क्योंकि उन्हें भी आवासीय वित्त उद्योगों द्वारा कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। इसका प्रमुख कारण है:

- विवाह के बाद/बच्चों के होने के बाद ईएमआई को चुका सकने की संभावित असमर्थता
- किसी भी उपयुक्त सह–आवेदक का नहीं होना
- गारंटीकर्ता के होने पर जोर दिया जाना।

परित्यक्ता/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के मामले में तो इन बातों पर और अधिक जोर दिया जाता है जिसके चलते उन्हें घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

यह सामान्य अवधारणा रही है जो अधिकतर समय किसी ठोस आंकड़ों से समर्थित नहीं होते हैं कि घर खरीदने के लिए अच्छी–खासी रकम की जरूरत होती है, और यह किसी एकल महिला के लिए संभव नहीं हो पाता कि वह पूरी ऋण भुगतान की अवधि के दौरान इसकी भरपाई या पुनर्भुगतान कर सके। इसलिए, महिला द्वारा किए जाने वाले गृह ऋण आवेदनों में गारंटीकर्ता पर जोर दिया जाता है।

इसके लिए कोई भी विनियामक शर्तें/दिशानिर्देश नहीं हैं जो किसी भी वित्तीय संस्था को किसी एकल कामकाजी महिला को बंधक वित्त प्रदान करने में बाधक हो। इन्हें, किसी भी अन्य आवेदनों की तरह ही, केवल और केवल क्रेडिट पात्रता के आधार पर प्रक्रियागत किया जाना होता है, पर उन्हें पूर्ण नहीं किया जाता। अतः लैंगिक पूर्वाग्रह न केवल ऐसे अंधेरे–ग्रस्त इलाको में प्रचलित हैं, बल्कि शहरी भारत के चकाचौंध और ग्लैमर में बसने वाले लोगों के मन में भी घर किए हुए है।

महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें बेहतर वातावरण प्रदान करने के बारे में काफी सारी बातें कही और लिखी गई हैं ताकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इन पंक्तियों के बारे में सोचते हुए, अच्छी बसाहट में खुद का मकान होना, सारी मूलभूत सुख–सुविधाओं (पानी, बिजली और शौचालय) का होना, युक्तिगत सामाजिक संरचनाओं (घर के आस–पास स्कूल, अस्पताल इत्यादि) से घिरे रहना और सड़क/रेल संपर्क में रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। यह मिम्र आय समूह में महिलाओं के बारे में यह और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जो इसके साथ दुःखद परिस्थितियों में रहने को मजबूर होती हैं और वहां उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाती हैं।

'वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास' के भारत सरकार के मिशन के साथ, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)की शुरूआत की गई है, एक सार्थक प्रयास शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने की दिशा में प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के तहत चार योजनाओं को शहरी गरीबों के लिए शुरू किया गया है, नामतः निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ झुग्गी पुनर्वास, क्रेडिट सहबद्ध सब्सिडी के साथ किफायती आवास को प्रोत्साहन, सार्वजनिक व निजी सेक्टर के साथ साझेदारी में किफायती आवास, तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत गृह निर्माण हेतु सब्सिडी की योजना। ये योजनाएं ईडब्ल्यूएस/एलआईजी खंड से महिलाओं (विधवाओं को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए) को प्राथमिकता प्रदान करती है, जिससे उनके लिए वित्तीय समावेशन को संभव किया जा सकेगा।

निम्न आय समूह की कामकाजी महिलाओं को घर खरीद सकने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, एस्पायर होम फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (एएचएफसीएल) ने भी एक विशेष पहल की शुरूआत की है जिससे कि इस क्षेत्र को सुविधा प्रदान की जा सके। एस्पायर से महिला आवास लोन (माला) एक पूर्ण महिला प्रभाग है, जो 'महिलाओं के लिए – महिलाओं द्वारा' के दर्शन पर कार्य करता है, यह वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ निम्न आय समूह की कामकाजी महिलाओं को किफायती घर खरीदने हेतु परामर्श सहायता भी प्रदान करता है। कामकाजी महिलाओं के लिए खुद का एक घर होने के सपनों को साकार करने की दिशा में माला एक छोटा सा ईमानदार प्रयास है।

ऐसा लगता है कि पीएमएवाई के माध्यम से भारत सरकार ने मांग और आपूर्ति के पक्ष में एक काफी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। आवास वित्त सहायता उद्योग को भी इस कार्य हेतु कमर कसने तथा बदलते हुए परिदृश्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है जहां अधिक से अधिक महिलाएं अब कार्य करती है और अपने परिवार व बच्चों की शिक्षा में सहयोग प्रदान कर रही है। एक बात जिसे बदलने की सबसे अधिक जरूरत है वह है महिला ग्राहकों के आवेदन पर विचार करते समय उनके प्रति हमारी अवधारणा। कामकाजी

महिलाओं के आवेदन को भी हम किसी भी अन्य आवेदन की तरह ही विचार करते हुए प्रक्रियागत किया जाना चाहिए। उद्योग को 'वैवाहित स्थिति' / 'सामाजिक' / 'आय वर्ग' की स्थिति से ऊपर उठ कर एक महिला के आवेदन पर निर्णय लेना होगा, वह भी बिना किसी पूर्व अवधारणाओं / पूर्वाग्रहों के, केवल उसकी योग्यता के आधार पर।

यदि लोन प्रवर्तक उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो कामकाजी महिला ग्राहकों का एक बड़ा खंड बन सकता है जिनसे भारतीय हाउसिंग फाइनैंस बाजार के खिलाड़ियों को अच्छे–खाते कारोबार की संभावनाएं भी मिल सकती हैं। उन्हें उनकी आवश्यकताओं को इसके अनुसार ढालने की जरूरत है

परिस्थितियां अब बदल रही हैं तथा उद्योग ने इस उभरते हुए गृह ऋण प्राप्तकर्ताओं के वर्ग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। गृह ऋण लेने वाली महिलाओं को न्यूनतम ब्याज दर प्रदान करने के माध्यम से ज्यादातर वित्तीय संस्थाएं कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। महिला ऋण–प्राप्तकर्ताओं को इसके लिए आगे आने व इनसे लाभ प्राप्त करने की जरूरत है। छोटे पर महत्वपूर्ण प्रयास आरंभ करने की आवश्यकता है जिससे कि वर्तमान परिदृश्य में बदलाव लाया जा सके जिससे योग्य महिला आवेदनकर्ताओं को पुरुषों के समान ही उनके खुद का घर खरीदने के अपने सपने साकार करने में वित्तीय सहायता हेतु सक्षम बनाया जा सके।

नयना सहस्रबुद्धे, मुख्य प्रबंधक
भारतीय महिला बैंक
नई दिल्ली

कोई भी नवयुवती जब अपने सुखी परिवार का सपना देखती है तो उसमें घर, घर की चार दीवारें भी शामिल होती हैं किन्तु नारी के लिए घर अर्थात केवल रहने की जगह अथवा बसेरा नहीं होता बल्कि उसके लिए वह घरौंदा होता है। नारी अक्सर चारदीवारी में ही रहती है, लेकिन उसे भी वह स्वर्ग की तरह सजाती है। अधिकतर घर, जमीन, जायदाद पुरुषों के नाम होते हैं, लेकिन घर की नारी का अस्तित्व पूरे घर में विद्यमान रहता है। ऐसा सुखी परिवारों में ही देखने को मिलता है किन्तु वहाँ भी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं या आती हैं।

भारतीय सभ्यता पितृ प्रधान है। यहाँ लड़कियों को 'पराया धन' मानकर बड़ा किया जाता है। विवाह के पश्चात जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो उसका मायके से नाता केवल एक मेहमान के रूप में रह जाता है। पति के घर में भी वह कई बार बेहाल सी रहती है, दहेज के कारण उसकी प्रताड़ना भी होती है। पितृसत्तात्मकता के कारण घर, जमीन अथवा जायदाद पति के नाम ही होता है एवं जब झगड़े के कारण मामला बहुत बिगड़ जाता है, तो नारी को अपमानित करने का, डराने का सबसे आसान ओर अक्सर अपनाया जानेवाला तरीका है – उसे घर से बाहर निकाल देना। विवाह के साथ ही वह पिता का घर, उस घर पर अधिकार, सबकुछ छोड़ कर आती है (ऐसा माना जाता है), यदि पति ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया तो ना वह घर की रहती है ना घाट की।

ऐसा अनुभव किया जाता है कि दीवारों और छत के संरक्षण के कारण नारी शारीरिक रूप से सुरक्षित हो जाती है जबकि झुग्गी–झोपड़ियों में रहनेवाली नारी के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा कुचले जाने की संभावना अधिक रहती है। पक्का मकान व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का प्रतीक होता है। मकान यदि पक्का हो तो – उसे न्यायिक तरीके से पाया होगा, कॉलोनी प्राधिकृत होगी, बिजली जल की आपूर्ति होगी, घर में शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएँ होंगी – ऐसे कई प्रमुख बिन्दु सुनिश्चित हो जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी का अर्थ हो जाता है अवैध आवास, आधारभूत सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) का अभाव आदि।

आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की अत्यधिक चर्चा होती है, तो नारी और उसका आवास इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नारी एवं उसकी सुरक्षा – सशक्तिकरण – निष्पक्ष न्याय – ये सारे बिन्दु जुड़े हुए हैं। यह माना जाता है कि विश्व में 50% आबादी महिलाओं की है। आँकड़े ये बताते हैं कि कुल कार्य का दो–तिहाई (2/3) हिस्सा महिलाएँ करती हैं, सकल आय का दस प्रतिशत (1/10) हिस्सा महिलाओं का है तथा केवल एक प्रतिशत (1/100) संपत्ति महिलाओं के नाम हैं। यह विचारणीय (सोचनीय) विषय है कि महिलाएँ घर में, खेतों में, व्यवसाय में जो श्रम करती हैं, उसकी गणना आय में नहीं होती है। इसलिए संपत्ति के क्रय में उसकी हिस्सेदारी कम होती है। पितृप्रधान सामाजिक संरचना होने के कारण संपत्ति (घर, जमीन–जायदाद) में उसका नाम तक नहीं आता। इस बिन्दु पर बार–बार चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि आवास लेने, वित्त पाने, नारी सुरक्षा आदि जैसे बिन्दुओं को केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मानवाधिकार के पैमानों पर भी मापने की आवश्यकता है।

भारत का संविधान हर व्यक्ति को चाहे स्त्री हो या पुरुष–समानता का अधिकार देता है

परंतु नारी के गृह एवं जमीन पर अधिकारों की चर्चा 2001 के 'महाराष्ट्र महिला नीति' तथा 2003 के आंध्र प्रदेश सरकार की महिला नीति' के पश्चात हुई है जिसके तहत हिन्दू कोड बिल में परिवर्तन किया गया। इसके पश्चात पैतृक संपत्ति में बेटी का नाम तथा घर में पति–पत्नी दोनों के नाम दर्ज करने के निर्देश दिये गए। सामाजिक प्रचलन ने यह सिद्ध किया है कि घर– जमीन की मालकिन होने से नारी मानसिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है। पक्का मकान होने से वह बाह्य, असामाजिक तत्वों से अक्सर सुरक्षा पति है, किन्तु घर के अंदर वह सौ प्रतिशत सुरक्षित है, ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता। पति या घर के अन्य सदस्यों के कारण भी वह असुरक्षित होती है। उदाहरण स्वरूप कुछ मुद्दे अवश्य सामने आए हैं जहाँ घर–जमीन में नारी का नाम होने के कारण उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो गयी तथा पत्नी पर हाथ उठाने, नशेबाजी, जमीन गिरवी रखने बेचने के प्रतिशत में गिरावट आई है।

कुछ वर्षों तक स्त्री का पिता–पति–पुत्र पर निर्भरता आम बात थी। किन्तु आज परिस्थिति बदल गयी है। आज की नारी आत्मनिर्भर है। पारिवारिक मर्यादा को निभाते रहना आज की नारी आवश्यक नहीं समझती। एकल नारीयुक्त परिवारों की संख्या बढ़ रही है। अपनी पसंद से एकल रहने, रहना पसंद करनेवाली महिलाओं के अतिरिक्त विधवा होने के कारण, पति या पुत्र द्वारा परित्यक्त होने के कारण, वृद्धावस्था के कारण अनुमानतः 30 प्रतिशत घर एकल नारीयुक्त घर हैं। अक्सर उन्हें बच्चों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जिन परिवारों में नारी सौ प्रतिशत सुरक्षित नहीं है वहाँ एकल नारी को छेड़खानी, एकतरफा प्रेम, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न जैसे अपराधों को सहना पड़ता है।

ऐसे सामाजिक परिवेश में आवास नीति निर्धारित करनेवालों को लैंगिक भेदभाव का पहलू ध्यान में रखना चाहिए। गृह निर्माण में लगे नीतिज्ञ नीति की अगुवाई करनेवाला प्रशासन, भूमि अभिलेख, बिल्डर्स, डेवेलपर्स, आर्किटेक्ट्स, गृह निर्माण संस्थाएँ, एजेंट – हर व्यक्ति का संवेदनशील होना अपेक्षित है ।

नारी सुरक्षा

1. नगर रचना, गृह रचना, डिजाइनिंग, वास्तु कला में सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए ।
2. सरकारी योजना, वित्त प्रणाली, ब्याज–दरें सस्ती होनी चाहिए ।
3. तीसरा महत्त्वपूर्ण विषय लिंग–आधारित आवास होना चाहिए ।

नारी केन्द्रित गृह निर्माण करते समय कुछ समूह विशेषों पर ध्यान देने की आवश्यकता है – छात्राएँ / कामकाजी महिलाएँ / महिलाधीन परिवार / परित्यक्त वृद्धाएँ

छात्राएँ: – महिला सशक्तिकरण के दो पहलू हैं – शिक्षा और अर्थार्जन। तहसील, जिला, राज्य के स्तर पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है तथा शैक्षिक संस्थानों में छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि शिक्षा संस्थान के परिसर में आवास सुविधा, सुरक्षा की गारंटी, गाँव से संस्थान तक यातायात सुविधा उपलब्ध हो तो महिला शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ेगा, किन्तु ये सुविधाएँ सस्ती भी होनी चाहिए ।

कामकाजी महिलाएँ :– हर व्यक्ति का 'घर का अधिकार' संविधान प्रदत्त तो है ही, किन्तु सन् 1948 के UDHR (Universal Declaration of Human Rights) के अनुसार मानवाधिकार भी है। सरकार भी 'सबके लिए घर' योजना का प्रारम्भ कर रही है। इसके उपलक्ष्य में कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल के निकट आवास उपलब्ध होना चाहिए। इन आवासों में सुरक्षा समेत, बच्चों के लिए क्रेच, खेल के मैदान जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। कामगार कानून में आवश्यक परिवर्तन करके यह जिम्मेदारी व्यक्ति/संस्था/संगठन पर डालनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी ऐसे अवसर उपलब्ध करना आवश्यक है ।

महिलाधीन परिवार :– आँकड़े यह बताते हैं कि 30 प्रतिशत परिवार एकल नारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसी महिलाओं को सस्ते आवास देना, कम ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध करना, सरकारी गृह योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण रखना भी आवश्यक है। परित्यक्त स्त्रियों, वृद्धाओं के लिए भी कम्यूनिटी, किचन, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। यह बातें नीति से लेकर अनुवर्तन तक लागू होती हैं।

वित्त एवं लैंगिक पक्षपात :– बैंकिंग व्यवस्था को भी महिलाओं के लिए भेदभाव रहित करना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2013 रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत महिलाएँ बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से बाहर हैं। बैंकों में जमा कुल राशि से केवल 13 प्रतिशत जमाराशियाँ महिलाओं के नाम हैं तथा कुल ऋण राशि के 5 प्रतिशत की भागीदार हैं। 2/3 हिस्सा सकल कार्य, 1/10 हिस्सा आय, 1/100 हिस्सा संपत्ति, 5 प्रतिशत ऋण राशि – ये आँकड़े आर्थिक परिदृश्य में स्त्री–पुरुष के बीच के भेदभाव को दर्शाते हैं। यदि आय नहीं, तो ऋण पाने की क्षमता नहीं होगी, फिर संपत्ति नहीं होगी तथा संपार्श्विक प्रतिभूति भी नहीं होगी – अंततः ऋण भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह एक प्रकार का कुचक्र है। इस चक्रव्यूह को सजगतापूर्वक तोड़ने का प्रयास करना होगा। स्वयं–सहायता समूहों का तो यह भी अनुभव है कि महिलाओं को दिये जानेवाले ऋण की वसूली की मात्रा अच्छी होती है।

इस पृष्ठभूमि पर नारी आवास एवं लिंगाधारित बजट की चर्चा करना आवश्यक है। लिंगाधारित बजट में यह संकल्पना होती है कि देश के कुल बजट का कितना हिस्सा महिलाओं पर खर्च हुआ, कितनी महिलाएँ लाभान्वित हुईं, अंतिम कड़ी तक कितना हिस्सा पहुँचा– इन तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। यह केवल महिला एवं बाल–कल्याण की योजनाओं अथवा निधि के विषय में ही नहीं है बल्कि सड़क निर्माण से लेकर विदेशी निवेश तक प्रत्येक क्षेत्र में कितनी महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं – इसका ही अध्ययन होता है लिंगाधारित बजट।

नारी एवं आवास वित्त की चर्चा में महत्त्व है आवास से जुड़ी नारी की सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक एवं शारीरिक सुरक्षा से मुद्दों का। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समग्र नीति, कार्यक्रमों की श्रंखला खड़ी करना, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करना, संपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, अनुकूल कर प्रणाली, आरक्षण व्यवस्था, लाइसेन्स प्रक्रिया, विपणन श्रंखला तथा सबसे परे नारी को आवास एवं जमीन जायदाद पर अधिकार मानना आवश्यक है ।

नारियों में आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए सुझाव :

- सस्ती गृह संकुलों के निर्माण को प्रोत्साहन
- लिंग वैशिष्ट गृह संकुलों के निर्माण को प्रोत्साहन
- सुरक्षा प्रबंधन
- ऋण वित्त की लचीली योजनाएँ, ब्याजदर निर्धारित करना
- महिलाओं के लिए आवासीय सहकारी संस्था बनाना
- नारी सशक्तिकरण करनेवाली संस्थाओं, संगठनों को सहायता
- नगर रचना में महिला आवास संकुल के लिए भूखंड आरक्षित करना
- राजकीय आवास योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
- बैंकों द्वारा ग्रामीण आवास योजनाओं का सशक्तिकरण

आत्मनिर्भर पर्यावरण हितैषी गृह योजनाएँ जहाँ परिवार को मूलभूत आवश्यकताओं धान, सब्जी, पानी, बिजली, ईंधन आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो। ऐसे घर– परिसर योजनाएँ समय की मांग हैं ।

नारी आवास वित्त को बढ़ावा देने से एवं घरेलू हिंसा का संबंध टूट जाएगा। सभी की सामाजिक स्थिति को गरिमा प्राप्त होगी। संपत्ति के निर्माण में नारी का योगदान उसे संपत्ति की स्वामिनी बनाने में परिवर्तित होगा। आवास वित्त नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का सार्थक स्तम्भ बनेगा ।

स्वास्थ्य में योग का महत्व

अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
यूको बैंक, कोलकाता

स्वास्थ्य के महत्व से हम सभी परिचित हैं। वेद में 100 वर्ष की आयु की कामना की गई है – जीवेम शरदः शतम्। यही नहीं, कामना यह भी है कि हम जब तक जीएं हमारा जीवन स्वस्थ तथा सक्रिय हो। ऋषियों की वाणी में कहा गया है – स्थिरैरंगैस्टुवा सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। अर्थात देवताओं से प्राप्त आयु हम स्वस्थ अवस्था में रहकर बिताएं। कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमारसंभवम् में ब्रह्मचारी वेषधारी शिव के मुख से तपस्या में अपने शरीर को सुखा चुकी पार्वती के प्रति कहलवाया है शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् – शरीर ही सभी धर्मों (कर्तव्यों) का पहला साधन है। दूसरे शब्दों में, यदि शरीर ही नहीं रहा तो कर्तव्यों का निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार हर युग तथा हर समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनी रही है।

अच्छा स्वास्थ्य काफी हद तक आहार–विहार की शुद्धता पर निर्भर करता है। आहार का संबंध हमारे खानपान से है तथा विहार का संबंध हमारे पर्यावरण से है। शुद्ध तथा पौष्टिक भोजन कामकाज के लिए हमारे शरीर को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, उसे बीमारियों से लड़ने के योग्य बनाता है तथा दीर्घजीवन प्रदान करता है। पर्यावरण हमारे शरीर को शुद्ध प्राणवायु (आक्सीजन), निर्मल प्राणद्रव (जल) तथा स्वास्थ्यवर्धक प्राणज्योति (सूरज की रोशनी) प्रदान करता है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आहार तथा विहार की शुद्धता के बिना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इस प्रकार हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाता है। यही कारण है कि अच्छा स्वास्थ्य सभी चाहते हैं ताकि पृथ्वी पर वे अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें।

पर अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ कामना करने से ही नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। यह ठीक है कि शुद्ध खान–पान तथा अप्रदूषित पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है परंतु यदि हमारा शरीर इनको ग्रहण करने के योग्य नहीं हो अथवा इनको ग्रहण करने के लिए वह आवश्यक यत्न करना न चाहे तो अनुकूल लाभ की आशा नहीं की जा सकती है। अतः स्वास्थ्य रक्षा तथा उसकी वृद्धि के लिए विशेषज्ञों ने निरंतर प्रयास किए हैं। ये प्रयास दो दिशाओं में किए गए। ये प्रयास मनुष्य के शरीर के दो पक्षों से संबंध रखते हैं। मनुष्य के शरीर का एक वह पक्ष है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं। यदि इस पक्ष का कोई अंतर्वर्ती भाग है तो उसे मशीनों की सहायता से देखा अथवा अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान की प्रगति से मनुष्य के भौतिक शरीर के भीतर कैमरा भेज कर उसकी क्रियाशीलता का पता लगाया जा रहा है। उन्नत मशीनों की सहायता से शरीर के हर भाग की आंतरिक तथा वाह्य परीक्षा अब की जा रही है।

मनुष्य के शरीर का जो दूसरा पक्ष है वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह मन, बुद्धि तथा अहंकार का संघात है। चूंकि ये तीनों आंखों के सामने प्रकट नहीं रहते अतः इन्हें अंतःकरण भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन में समग्र स्वास्थ्य के लिए शरीर तथा अंतःकरण को पुष्ट करने पर ध्यान दिया जाता था। आधुनिक युग में भी यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का उसके शारीरिक स्वास्थ्य से अभिन्न संबंध है। कुछ शोधों के निष्कर्ष यह बताते हैं कि स्वस्थ अंतःकरण शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक पूर्व शर्त है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है उसी प्रकार स्वस्थ अंतःकरण ही स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। अनिद्रा, अवसाद (डिप्रेशन) हृदय–रोग, मधुमेह, रक्तचाप संबंधी तकलीफें आधुनिक समाज में सफलता के उत्कट आकांक्षी लोगों को ग्रसने लगी हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि विकसित देशों के साथ–साथ विकासशील देशों में भी अनेक ऐसे रोग फैलते जा रहे हैं जिनका संबंध मानव के अंतःकरण से है और जिसका तात्कालिक कारण उछ्शृंखल जीवन शैली है।

इस प्रकार, स्वस्थ शरीर तथा मन की उपलब्धि किए बिना पूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। योग एकीकृत स्वास्थ्य संपदा की प्राप्ति में पूरक की भूमिका निभाता है। रोग होने पर उसकी पहचान करने तथा उसके उपचार के लिए औषधियां विहित करने का काम चिकित्सा–शास्त्र का विषय है। पर मन को किस प्रकार तनाव मुक्त रखा जाए, किस प्रकार उसकी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, श्वास–प्रश्वास की क्रिया को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए तथा स्नायु–तंत्र के साथ–साथ कंकाल–तंत्र को दीर्घ काल तक किस प्रकार सक्रिय रखा जाए यह सारी चिंता योग शास्त्र करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में योगशास्त्र की प्राचीनता के संबंध में उल्लेख मिलता है। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योगशास्त्र जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं सबसे पहले उसे मैंने ही सूर्य को बताया था सूर्य ने इसे मनु को तथा मनु ने इछ्वाकु को बताया। भारतीय षड् दर्शनों में योग दर्शन सुप्रतिष्ठित है। यह सांख्य दर्शन के साथ संगति रखता है। प्राचीन काल में योग दर्शन के अनेक आचार्य हुए परंतु इसे पतंजलि ने सुव्यवस्थित किया। योग के रूप में जिस ज्ञान को आज इतनी लोकप्रियता मिल रही है तथा जिस कौशल के अर्जन में इतनी सक्रियता दिखलाई पड़ रही है उसे मध्यकालीन संतों ने, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ का नाम प्रमुख है काफी लोकप्रिय किया। संत कबीर के उपदेशों में योग–साधना के विभिन्न प्रयोगों का संदर्भ मिलता है। आधुनिक काल में भी जहां तकनीक के सहयोग से रोग की पहचान तथा उसके उपचार के क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की गईं हैं, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा असाध्य रोगों से लड़ने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में योग की शरण में जा रहे हैं।

योग का अर्थ है शरीर में निहित ऊर्जा के प्रवाह को व्यवस्थित करने तथा इसे ऊर्जस्वित तथा शक्तिशाली बनाए रखने की साधना। यह साधना नितरंतर अभ्यास से संभव होती है। स्वास्थ्य के संवर्धन में योग के महत्व के विषय में भारत में जागरूकता देर से आई है। यह विस्मय की बात है कि जिस विद्या का विकास भारत में हुआ हो उसके महत्व को भारत से पहले पश्चिमी देशों ने समझा तथा उससे लाभ उठाया। विगत जून माह की 21 तारीख को जब विश्व के 144 देशों ने पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया तब योग के प्रति भारत में भी जागरूकता बढ़ी।

आम तौर पर आसन की विभिन्न मुद्राओं को ही योग समझ लिया जाता है। वस्तुतः योग से जिस शारीरिक क्रिया का अर्थ लिया जाता है तकनीकी भाषा में उसे हम

आसन कहते हैं। आसन योग के आठ अंगों में एक है। ये आठ अंग इस प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि। योग के ये आठ अंग मानव के संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा तथा अभिवृद्धि के सोपान हैं। यम तथा नियम शरीर की आंतरिक तथा वाह्य शुद्धि का का आग्रह करता है। आसन योग का वह चरण है जो हमारे शरीर को उसके लिए उपयोगी आयाम प्रदान करता है। प्राणायाम हमारे श्वास–प्रश्वास को उचित दिशा में निर्देशित करने की साधना है तथा प्रत्याहार में हम अपने अभ्युदय के मार्ग में बिखरे कांटों को हटाते हैं। इस प्रकार अष्टांगिक योग के पांच सोपान चढ़ने के बाद हम ध्यान के दरवाजे पर पहुंचते हैं। यहां हमारा सामना अपने आप से होता है तथा हम अपने अस्तित्व से जुड़ने के योग्य हो जाते है। ध्यान से हमें अपने स्वरूप को समझने की योग्यता तथा सामर्थ्य मिलती है।

अष्टांगिक योग में ध्यान की स्थिति को पार करके हम धारणा की भूमि पर पैर रखते हैं। धारणा का अर्थ अपने अस्तित्व को समझ लेने से है। योग का आठवां चरण अभी बाकी है। यह है समाधि। मानवीय संभावना का यह चरम सोपान है। यहां आकर मानवीय सामर्थ्य दैवी संभूति से मिल जाती है। इस अवस्था में मनुष्य में दैवी शक्तियां प्रकट होती हैं। इस दशा में व्यक्ति शरीर का नहीं मानवता का हो उठता है। यहां मानसिक शक्तियां जाग्रत हो जाती हैं। इस जागृति के लिए ही पूर्व के सात चरणों में शक्ति संग्रह किया जाता है। यदि शरीर को यम–नियम–आसन, प्राणायाम–प्रत्याहार–ध्यान तथा धारणा के सात अवस्थाओं से न गुजारा जाए तो शरीर समाधि की भास्वरता को सह नहीं सकेगा। जैसे कमजोर नींव पर कोई

भव्य इमारत खड़ी नहीं की जा सकती वैसे ही शरीर की आंतरिक तथा वाह्य शुद्धि (यम तथा नियम), शरीर तथा श्वास का व्यायाम (आसन तथा प्राणायाम), बाधाओं का परिहार (प्रत्याहार) तथा लक्ष्य की प्रतीति (धारणा) के बिना मानवीय शरीर में उसके मानस का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन नहीं हो सकता।

योग के कुछ स्वास्थ्यवर्धक उपयोग

16

योग के अभ्यास से कोषिकीय स्तर पर रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है, सामान्य स्वास्थ भी ठीक रहता है तथा शरीर की लोच बढ़ती है। इससे माइग्रेन का तीव्र दर्द सहनीय स्तर तक घट जाता है। माइग्रेन के कारणों को ठीक से समझा नहीं जा सका है। माना जाता है कि मानसिक तनाव तथा शारीरिक असंतुलन माइग्रेन तथा इस प्रकार की अन्य समस्याओं का कारण बनता है। कम्प्यूटर अथवा सेल फोन पर व्यस्तता के समय जब आप अपने कंधों को ऊपर उठाए तथा सिर को आगे की ओर किए रहते हैं तो इससे आपकी पेशियां अनावश्यक रूप से ऊपर की ओर खिंचती हैं तथा गर्दन सीधी तनती है। इससे सिर आगे की ओर खिंचता है तथा पेशियों को असंतुलित कर देता है। इससे सिरदर्द तथा माइग्रेन की संभावना बनती है।

योगाभ्यास से अच्छी नींद आती है। तनाव से बचने तथा अगले दिन की व्यस्तता से निपटने के लायक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छी नींद होना आवश्यक है। आधुनिक जीवन की कार्यशैली अनिद्रा तथा अवसाद जैसे मनोविकारों को जन्म दे रही है। एक शोध से पता चला है कि अनिद्रा के रोगियों को आठ माह के योगाभ्यास से काफी लाभ हुआ है। एक दूसरे शोध से पता चला है कि सप्ताह में दो बार के योग अभ्यास से कैंसर रोगियों को अच्छी नींद आई तथा उन्हें कम थकावट महसूस हुई है। इससे तनाव से निपटने में योग की क्षमता का पता चलता है।

आसन, प्राणायाम तथा ध्यान जो योग के विभिन्न चरण हैं, हमारी जीवन शैली में अनुशासन लाते हैं। इसका सबसे अच्छा प्रभाव हमारी आदतों पर पड़ता है। भूख तथा प्यास पर नियंत्रण, क्रोध तथा उद्वेग को दबाने में तथा शरीर के अवययों को क्रियाशील बनाए रखने में योग का महत्व पूरी दुनिया समझने लगी है। योग के अभ्यास से भोजन तथा अन्य मानवीय संवेदनाओं को अनुशासित करने की शक्ति आती है। शोधार्थियों ने पाया है कि योग के नियमित अभ्यास से उपभोग के प्रति हमारी सजगता बढ़ती है तथा हमारी भौतिक तथा भावनात्मक संवेदनाएं सक्रिय रहती है। योग का नियमित अभ्यास सांसों के आने–जाने के प्रति जागरूकता बढ़ाकर मस्तिष्क तथा शरीर के बंध को मजबूत करता है ।

योगभ्यास से उत्पन्न जागरूकता भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से हमें बचाती है तथा मिताहार की ओर हमें प्रेरित करती है। इससे स्वस्थ्यवर्धक भोजन के प्रति रुचि जगती है। मित तथा संतुलित आहार न सिर्फ शरीर को आवश्यक पौष्टिकता प्रदान करता है वरन मोटापे का शिकार होने से भी बचाता है ।

इस प्रकार, योग के आठों अंग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक परिपूर्ण जीवनचर्या के सम्यक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुशासन में हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव सक्रिय रहता है, हमारे प्राण प्रचोदित रहते हैं तथा मानसिक शक्ति जाग्रत रहती है। योग सिर्फ हमारे भौतिक शरीर का परिरक्षण ही नहीं करता यह हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को भी जगाता है और संपूर्ण मानव के रूप में विकसित होने में हमारी सहायता करता है। इससे मानव की भौतिक क्षमता जितनी संपन्न होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उतनी ही जाग्रत हो जाती है। वर्तमान युग में श्री अरविंद ने योग की साधना के द्वारा शरीर में अतिमानस की अवतारणा के सिद्धांत तथा उसके व्यवहार का रूपायन करके उत्तम स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क के उद्विकास में योग के महत्व को स्थापित किया है। कहते हैं, यह श्री अरविंद की सतत योग–साधना का ही प्रभाव था कि देहांत के बाद तीन दिनों तक उनके पार्थिव शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया ।

डा0 ए.के. सिंह
महाप्रबंधक एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने सनकादिकों के पश्चात विवस्वान (सूर्य) को दिया। बाद में यह दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक ब्रह्मयोग दूसरा कर्मयोग। ब्रह्मयोग की परम्परा सनन्दन, सनातन कपिल, आसुरि, वोढु और पच्चशिख नारद–शुकादिकों ने शुरू की थी। यह ब्रह्मयोग लोगों के बीच में ज्ञान, अध्यात्म और सांख्य योग नाम से प्रसिद्ध हुआ।

दूसरी कर्मयोग की परम्परा विवस्वान की है। विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। उक्त सभी बातों का वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है। वेद को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है जिसकी उत्पत्ति ईसा से लगभग दस हजार वर्ष पूर्व की मानी जाती है। पुरातत्ववेत्ताओं के मतानुसार योग की उत्पत्ति 5000 ई.पू. में हुई। गुरु–शिष्य परम्परा के द्वारा योग का ज्ञान परम्परागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा।

पहली बार 200 ई.पू. पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या का सही–सही रूप से वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और यौगिक संस्थानों, पीठों तथा आश्रमों के माध्यम से योग की शिक्षा दीक्षा का प्रसार बढ़ा। पश्चिम के शिक्षित वर्ग का ध्यान 19वीं सदी के मध्य से योग पर जाना प्रारम्भ हुआ। इसी संदर्भ में श्री एन.सी. पाल की पुस्तक Treatise on yoga philosophy का सन् 1851 में प्रकाशन हुआ। तत्पश्चात स्वामी विवेकानन्द के प्रयासों से पश्चिम के विद्वान वर्ग में योग व ध्यान का प्रसार बढ़ा।

योग का क्रिया विज्ञान

योग के अनुसार मनुष्य शरीर की सरचना तीन शरीर व पांच कोशों पर आधारित है। तीन शरीरों का उल्लेख मन्डुक्य उपनिषद और पांच कोशों का उल्लेख तैतीरिया उपनिषद में मिलता है। शरीर व कोश आपस में समाकलित हैं। वेदान्त शरीर त्रय के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म निम्न वर्णित शरीरों व कोशो से आच्छादित हैं:–

1. स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश से बना है।
2. सूक्षम शरीर की संरचना प्राणमय कोश (जीवन, वायु या ऊर्जा), मनोमय कोश (मन) तथा विज्ञानमय कोश (बुद्धि) से है।
3. कारण शरीर की संरचना आनन्दमय कोश से है।

1. स्थूल शरीर : स्थूल शरीर भौतिक नश्वर शरीर है जो भोजन करता है, सांस लेता है, जीवन के कार्य करता है। इस शरीर के निर्माण में पंचतत्वों (आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी व जल) का समावेश है। शरीर जीव के अनुभवों का उपकरण है। शरीर बाहय संसार से जीव के संपर्क का माध्यम है। स्थूल शरीर की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं: पैदा होता है, बूढ़ा होता है (जरा) तथा मृत्यु को प्राप्त होता (मरणम)

2. सूक्ष्म शरीर : सूक्ष्म शरीर मन व जैविक ऊर्जा का शरीर है जो स्थूल शरीर को जीवित रखता है, सूक्ष्म शरीर में निम्न का समावेश है :–

- श्रवनाड़ी पंचकम : बोध के पांच अंग (इंद्रियां) – आंख (दृष्टि), कान(श्रवण), त्वचा (स्पर्श), जिह्वा (स्वाद), नाक (गंध)
- वागाडी पंचकम : कार्य के पांच अंग (कर्मेन्द्रियां) – वाणी, हस्त, पाद, गुदा व जननेंद्रिय
- प्राण पंचकम : पंच स्तरीय जैविक श्वास : प्राण (श्वास), अपान (निःश्वास) व्यान (रक्त संचरण), उडान (छीकना, रोना, उगलना आदि) तथा समन (पाचन)
- मनस : सामान्य विचार का अंग। विचार का आधार संकल्प होते हैं
- बुद्धि : विवेकशील प्रज्ञा। तर्कशील मन के ऊपर की स्थिति जो ब्रह्म अर्थात सत्य व धर्म की ओर आकर्षित होती है

3. कारण शरीर : कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर में बीज समान है। यह निर्विकल्प रूप में है। कारण शरीर पूर्व में ग्रहण अनुभवों की अनुभूति लिए होता है। कारण शरीर की उत्पत्ति अविद्या या अज्ञान है जिसे आत्मा के सत्य स्वरूप का पता नहीं है यह स्वयं की खोज जैसा है तथा जिसकी परिणति आत्मा के परमात्मा से मिलन तथा पूर्णता व अति उत्तम पुरुष (ईश्वर) की खोज में है।

योग का दर्शन

पुरातन समय से योग का उल्लेख एक ऐसे वृक्ष के रूप में किया गया है जिसकी जड़, तना, शाखाएं, पुष्प व फूल है। योग की हर शाखा का अलग गुण है व जीवन के लिए अलग व निश्चित मार्ग प्रशस्त करती है। योग की प्रचलित निम्न छह शाखाएं हैं:–

1. **हठ योग :** शारीरिक व मानसिक शाखा – इसमें आसनों व प्राणायाम के अभ्यास से शरीर व मन को तैयार करने की विधि है।
2. **राज योग :** इस शाखा में ध्यान व महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का प्रतिपादन है।
3. **कर्म योग :** सेवा व कर्म के माध्यम से ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जो नकारात्मकता व स्वार्थपरकता से स्वतंत्र हो।
4. **भक्ति योग :** श्रद्धा व उपासना की शाखा – भावनाओं को सकारात्मक मार्ग पर रखना व स्थिति को स्वीकार करना व सहनशीलता का विकास इस शाखा का लक्ष्य है।
5. **ज्ञान योग :** प्रज्ञा व विवेक की शाखा – अध्ययन व ज्ञान से विद्वता व विचारशक्ति के विकास के रास्ते ब्रह्म के स्वरूप को समझना।
6. **तंत्र योग :** धार्मिक अनुष्ठानों, विधि विधानों धर्म क्रियाओं से मानव संबंधों की पूर्णता।

अष्टांग योग

महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग सूत्र योग के केन्द्रीय मूल पाठ हैं। महर्षि पतंजलि ने योग शोध पुस्तक के प्रारंभ में योग की सुंदर परिभाषा लिखी है।

योग : चित्त वृत्ति निरोधः

चित्त की वृत्तियों के निरोध के ज्ञान को योग कहा। योग मूलतः ऐसी ध्यान पद्धति है जो आत्मा की चेतना व अभिज्ञता को उस स्थिति तक पहुंचा दे जहां वह सक्रिय या निरुपित विचार से स्वतंत्र हो सके व अंततः चेतना की उस अवस्था तक पहुंचना जहां यह स्वयं के स्वरूप को समझकर बाहय संदीपनों के प्रभाव से मुक्त हो सके। महर्षि पतंजलि ने

योग के आठ सिद्धांतों को अष्टांग योग के रूप में योग सूत्र में वर्णित किया है। ये निम्नवत है:

1. यमः पांच संयम कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयम

अ	अहिंसा	(अन्य जीवों को हानि न पहुंचाना)
ब	सत्य	(सदैव सच बोलना)
स	अस्तेय	(कभी चोरी न करना)
द	ब्रह्मचर्य	(सेक्स संबंधों का संयम)
य	अपरिग्रह	(धन लोलुपता व अनावश्यक संग्रहणों से बचाव)

2. नियमः पांच अनुपालन मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए :–

अ	शौच	(तन, मन व विचार की स्वच्छता, शुद्धता)
ब	संतोष	(परिस्थितियों की स्वीकार्यता)
स	तप	(अविरल ध्यान, आडम्बरहीनता, परिरक्षण)
द	स्वाध्याय	(अध्ययन, स्वयं प्रकाशित होना)
य	ईश्वर प्राणिधन	(ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर चिंतन)

3. आसन : ध्यान की मुद्रा में बैठना, स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया। परवर्ती विचारको ने अनेक आसनो की कल्पना की है।

4. प्राणायाम : श्वास पर नियंत्रण प्राण–श्वास आयाम–नियंत्रण। जीवन शक्ति पर नियंत्रण। प्राणायम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने में सहायक है।

5. प्रत्याहार : इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं से दूर करना, इंद्रियों को विषयों से हटाने का काम प्रत्याहार है। इंद्रियां मनुष्य को बाह्य विमुख किया करती है। प्रत्याहार के अभ्यास से साधक योग के लिए आवश्यक अंतर्मुखिता की स्थिति प्राप्त करता है।

6. धारणा : एक चित्त होना चित्त को एक स्थान विशेष पर केन्द्रित करना धारणा है।

7. ध्यान : ध्यान की वस्तु पर तीव्र पूर्ण रुपेण चिंतन। जब ध्येय वस्तु को चिंतन करते हुए चित्त .... हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं।

8. समाधि : चेतनता को ध्यान की वस्तु में समाहित करना। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिन्तन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को सम्भव मानता है।

योग के विद्वानों ने बाद में निम्न पांच यमों की भी संस्तुति कीः–

1. क्षमा : पूर्व में किए वाचिक कायिक घटनाओं में विचरण न करना, क्षमाशील होना
2. धृति : धैर्यवान होना, सहन शक्तिवान होना
3. दया : करुणावान, संवेदनशील
4. आर्जव : पाखण्ड, ढोंग व मिथ्याचार से दूर रहना, निष्कपट होना
5. मिताहार : संतुलित भोजन करना

चक्र :

योग के दृष्टिकोण से मानव शरीर में सात चक्रों की स्थिति का होना बताया गया है। ये चक्र ऊर्जा, विचार, अनुभव व भौतिक शरीर के अभिसरण के बिन्दु हैं। चक्र निर्धारित करते हैं कि हम कैसे अपनी भावनाओं, इच्छाओं, घृणाओं (विद्वेषों), आत्मविश्वास, भय तथा भौतिक लक्षणों के प्रकटीकरण का वास्तविक अनुभव करते हैं।

जब ऊर्जा किसी चक्र में रुक जाती है, वह भौतिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन को जन्म देने का कारण बन जाती है। इसका उत्कण्ठा, आशंका चिंता, अकर्मण्यता या किसी रोग के रूप में प्रकटीकरण होता है। योग आसनों व ध्यान के माध्यम से बद्ध ऊर्जा को स्वतन्त्र कर चक्र के असंतुलन को दूर किया जा सकता है।

शरीर में निम्न सात मुख्य चक्र बताए गए हैंः–

1. सहस्रारा : सहस्त्र (हजार) पंखुडी या मुकुट चक्र सिर के ऊपर के भाग में स्थित है। यह चक्र शुद्ध सचेतन का प्रतिनिधित्व करता है। विवेक, अंतर्बुद्धि व मृत्यु का नियन्त्रक चक्र है।
2. अज्ञ : तृतीय नेत्र चक्र या शासक चक्र दोनों नेत्रों के बीच मस्तक के मध्य भाग में स्थापित है। यह चक्र शरीर की ऊर्जा की दो महत्वपूर्ण धाराओं के मिलन बिन्दु का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है तथा शरीर के विकास का नियन्त्रक है।
3. विशुद्ध : यह चक्र जो विशेष रूप से शुद्धता का बोधक है गले में स्थित है। यह वाणी व श्रवण व अंत ..... ग्रंथियों का प्रतिनिधि है तथा शरीर की उपापचयन क्रियाओं का चक्र है।
4. अनाहत : 'हृदय चक्र' अथवा अप्रभावित चक्र हृदय के स्तर पर स्थित है। अनाहत चक्र जटिल भावनाओं, दया, क्षमा, सुकोमलता, प्यार, संतुलन और स्वस्थ भाव से संबंधित है।
5. मणिपुरा : "भूषण चक्र" या नाभि चक्र नाभि के स्तर पर स्थित है। यह चक्र पाचन, व्यक्तिगत शक्ति, भय, आशंका, अभिमत, अंतर्मुखता से संबंधित है।
6. स्वाधिष्ठान : "आधार चक्र" या "श्रोणीय चक्र" प्रजनन अंगो, जनन व मूत्र तन्त्र व एड्रीनल ग्रन्थि से संबंधित है ।
7. मूलाधार : जड़ चक्र रीढ़ के मूल में अनुत्रिक भाग में स्थित है यह चक्र सहज नैसर्गिक आवेगों यथा भूख, निद्रा, मैथुन व उत्तरजीविता का नियन्त्रक है।

योग से स्वास्थ्य लाभ : योग के स्वास्थ्य संबंधी लाभों व औषधीय उपयोग पर बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम प्रकाशित हुए हैं। अध्ययनों ने बताया है कि योग व्यायाम का एक बहुत ही सुरक्षित व प्रभावशाली ढंग है विशेषतया शारीरिक व मानसिक शक्ति, लचीलापन व संतुलन बनाने में विशेष लाभकारी है। अधोवर्णित अनुच्छेदों में विभिन्न शारीरिक व मानसिक कष्टों में योग के लाभ के बारे जानकारी प्राप्त करते हैंः–

अ. आशंका, चिन्ता, कुण्ठा व उदासी तथा जोड़ो का दर्द

उदासी तनाव जैसी मानसिक स्थितियों में मानसिक व शारीरिक हस्तक्षेप द्वारा निराकरण संभव है तथा योग बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। योग के तनाव पर असर का सुव्यवस्थित आकलन किया गया है। ऐसा पाया गया है कि 9 सप्ताह के योग के कार्यक्रम का तनाव, उदासी और आत्महत्या जैसे मनोभावों के निराकरण में उपयोगी

प्रभाव हुआ। मानसिक स्वास्थ्य में भी आवश्यक सुधार देखा गया। योग करने के पश्चात हाइपोथैलेमस ग्रन्थि की सक्रियता से तनाव कम करने में निश्चित लाभ देखा गया है। अध्ययनों में यह पाया गया कि योग पूरक ढंग से जोड़ो के दर्द के निवारण में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है।

स. अस्थमा

अस्थमा के उन रोगियों में जो योग कर रहे थे पाया गया कि उनके रक्त में हीमोग्लोबिन व एन्टीआक्सीडेन्ट सुपर आक्साइड की मात्रा में सार्थक वृद्धि परिलक्षित हुई। ऐसे रोगियों के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संतुलित संख्या पायी गयी।

द. शारीरिक असंतुलन व गिरना

वृद्ध जनों में शारीरिक असंतुलन व अचानक गिर जाना एक वैश्विक समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ असंतुलन व गिरने से मृत्यु व अंगभंग होने की घटना होना अधिक पाया गया है। योग ने सिद्ध किया है कि योग शारीरिक संतुलन बढ़ाने में मदद करता है तथा दर्द कम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

य. अनिद्रा

बढ़ती उम्र व जीवन के तनावों में भौतिक परिवर्तनों के कारण नींद पर प्रभाव पड़ता है। अनिद्रा से रोज के कामों के निष्पादन पर बुरा असर होता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन व झुझलाहट बढ़ जाती है। अनिद्रा से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। योग का सकारात्मक प्रभाव नींद की गुणवत्ता व नींद की अवधि बढ़ाने में देखा गया है। ऐसे रोगियों में तनाव, क्रोध, थकान की कमी भी पायी गयी।

र. पीठ व कमर दर्द

बहुत सारे नैदानिक अध्ययनों से योग का पीठ व कमर दर्द में प्रभावी लाभ पाया गया है। योग के नियमित अभ्यास से सेरोटोनिन व दर्द निवारक द्रव्यों की मात्रा में वृद्धि पायी गयी।

योग के अन्य लाभ

1. योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता रहा है। आज की चिकित्सा शोधों ने भी सिद्ध किया है कि योग शारीरिक व मानसिक विकास के लिए लाभकारी है।
2. योगाभ्यास से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने व शरीर को स्वस्थ, निरोग, बलवान बनाने में योग लाभकारी है।
3. योग से शरीर के समस्त अंगों, प्रत्यंगों, ग्रंथियों का व्यायाम होता है।
4. योगासन से मांस पेशियों को पुष्टता मिलती है तथा शरीर को आवश्यक लचीलापन भी मिलता है।
5. प्राणायाम के द्वारा श्वास–प्रश्वास की गति पर नियन्त्रण, श्वसन संस्थान संबंधित रोगों में लाभकारी है। दमा एलर्जी, जुकाम आदि रोगों को प्राणायाम से अचूक लाभ होता है। प्राणायाम से फेफड़ों की आक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जिसका प्रभाव पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर होता है।
6. ध्यान भी योग का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान से मानसिक तनाव दूर होकर गहन आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता व धारणा शक्ति बढ़ती है।
7. योग डायबिटीज व ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी उपयोगी है योग से रक्त में शर्करा व उच्च रक्तचाप के नियन्त्रण में प्रभावी मदद मिलती है।

कु. जयश्री कुमावत
लिपिक, बैंक ऑफ बड़ौदा
गोधरा, गुजरात

योग शब्द संस्कृत के 'युज' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना – इंसान के शरीर और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ना। इसका एक और अर्थ आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ना होता है। योग की जानकारी हमें पतंजलि ग्रंथ से मिली है, जिसमें यह लिखा गया है "योगरच चित्तवृत्ति निरोध" अर्थात मन की वृत्तियों पर नियंत्रण ही योग है। भगवतगीता में लिखा गया है "योगः कर्मसु कौशलम" अर्थात कर्मों में कौशल/दक्षता ही योग है। स्पष्ट है कि यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। भारतवर्ष में विभिन्न विद्वानों ने योग की अलग–अलग परिभाषाएं दी है। योग के संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नानुसार है :–

1. **सांख्य दर्शन के अनुसार –** पुरुषप्रकृत्योर्वियोगेपि योगइत्यमिधीयते। अर्थात् पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है।
2. **विष्णुपुराण के अनुसार –** योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने। अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है।
3. **भगवद्गीता के अनुसार –** सिद्ध्यसिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वंयोग उच्चते। (2/48) अर्थात् दुःख–सुख, लाभ–अलाभ, शत्रु–मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वन्दों में सर्वत्र समभाव रखना योग है।
4. **भगवद्गीता के अनुसार –** तस्माद्योगाययुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात् कर्तव्य कर्म बन्धक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का कौशल योग है।
5. **आचार्य हरिभद्र के अनुसार –** मोक्खेण जोयणाओ सव्वो वि धम्म ववहारो जोगो। मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग है।
6. **बौद्ध धर्म के अनुसार –** कुशल चितेकग्गता योगः। अर्थात् कुशल चित्त की एकाग्रता योग है।

भारत में योग एक आध्यात्मिक प्रकिया को कहते हैं जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से सम्बंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्री लंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं।

भारतीय सभ्यता में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति अथवा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग की आवश्यकता को सभी धर्म एवं विभिन्न संप्रदायों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। आधुनिक योग में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। कार्य संपादन की व्यस्ता एवं मन की बढ़ती व्याग्रता, इसका मुख्य कारण है। आज के युग में बढ़ते तनाव, प्रदूषण से हमारा जीवन रोगग्रस्त होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग ही ऐसा माध्यम है, जिसके सहारे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कहा भी गया है कि "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।" योग के माध्यम से हमारे शरीर के साथ–साथ हमारा मन तथा आत्मा की शुद्धि हो जाती है।

श्रीमती लता सुधीर बैसाणे,
सहायक प्रबंधक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई

प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति की खोज में है, लेकिन उसकी स्पष्ट कल्पना उसे कभी नहीं होती। आर्थिक संपन्नता या स्थिरता, यहीं तक उसकी कल्पना सीमित रहती है। हम अनेक धनी लोगों को दुःखी पाते हैं। पॉश इलाकों में रहने वाले लोग भी दुःखी दिखाई देते हैं। तब संत रामदासजी के श्लोक के अनुसार सुख की परिभाषा सही लगती है।

–शरीरी आरोग्य नांदते, जगी हया परि सुख ते कोणते ?

अगर शरीर आरोग्यमय व स्वस्थ है, तो उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इसका मतलब यह है कि सुख प्राप्ति का मुख्य साधन हमारा शरीर ही है।

शरीर और मन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। यौगिक शुद्धि क्रियाएं करने से मन की ताकत बढ़ जाती है तथा मन में सात्विक भावनाएं जग जाती हैं। शरीर रूपी माध्यम को योग में भी काफी महत्व दिया गया है। इस माध्यम का विकास करके मानसिक व अध्यात्मिक उन्नति को पाना ही योग क्रियाओं का उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से सुस्थिति में है, उसे ही संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए मानव शरीर और मन का विस्तृत अभ्यास करके मानव की आध्यात्मिक उन्नति हेतु ऋषियों–मुनियों ने इस योग शास्त्र का सृजन तथा संवर्धन किया। यह योग शास्त्र साधु, बैरागी, संन्यासी तक ही सीमित न होकर सभी सांसारिक तथा गृहस्थाश्रम वासियों के लिए भी बनाया गया है। सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग योग ही है।

भव तापेन तप्तानां, योगोहि परम औषधम् ।

इस उक्ति के अनुसार भव–सागर के तापों से मुक्ति पाने के लिए योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः अन्य कार्यों की अपेक्षा योग को प्रमुखता देना आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम अपने को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं, जो हमारे सामाजिक दायित्वों को सही ढंग से पूरा करने में हमारे लिए सहायक होगा और यह योग साधना द्वारा ही संभव है। जिस व्यक्ति के दोष, धातु, मल, अग्नि संतुलित हैं और जिसका मन, इंद्रियां एवं आत्मा प्रसन्न हैं, उसे ही आयुर्वेद के अनुसार पूर्ण स्वस्थ मानव माना जाता है।

जीवन क्या है? जीवन वस्तुतः हमारी प्रथम श्वास और आखिरी श्वास के बीच का अंतर ही है। आयुष्मान, नीरोगी, स्वस्थ जीवन, श्वास–प्रश्वास पर ही निर्भर होता है। लेकिन यह विडंबना है कि हम अपनी श्वास–प्रश्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि मानव अगर प्रकृति के नियमों का पालन करता है, तो शतायुषी हो सकता है। निसर्ग निर्मित प्राण वायु के इस खजाने का इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना चाहिए और प्रतिदिन व्यवहार में व्यय होने वाली प्राण वायु की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी आवश्यक है और यह योग शास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है।

प्राणी	प्रति मिनिट श्वास की गति	जीवन काल
खरगोश	35– 40	5 साल
कुत्ता	25– 30	10–15 साल
मानव	15– 18	100 साल
कछुआ	आधी	300 साल

योग का महत्व :– वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारी आत्म को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। योग के फायदे आज सभी जानते हैं, जिस वजह से आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। योग के कुछ महत्वपूर्ण महत्व निम्नानुसार हैं :–

1.सम्पूर्ण स्वस्थता :– योग करने पर व्यक्ति सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में किसी प्रकार की बीमारी दस्तक नहीं दे सकती है। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न एवं उत्साही रहता है। वस्तुतः योग किसी व्यक्ति के जीवन को सम्पूर्ण बनाता है।

2.वजन का संतुलन :– आज व्यक्ति शारीरिक परिश्रम कम करता है। आज के समय में अनेकानेक व्यक्ति अपने वजन से परेशान रहते हैं और उसे कम करने के लिए व्यायाम करते रहते हैं। सूर्यनमस्कार तथा कपाल भाती योगासन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने वजन को नियंत्रित में रख सकता है।

3. तनाव से मुक्ति :– आज व्यक्ति तनावग्रस्त जीवन जी रहा है। आधुनिक समय में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को लेकर भी तनावग्रस्त हो जाता है। योगमुद्रा, व्यायाम एवं ध्यान से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है।

4. मन की शांति :– मन को शांतचित्त रखने के लिए हम अक्सर बाहर घूमने जाते हैं। हालांकि सिर्फ योग के माध्यम से हम एक अशांत मन को शांत कर सकते हैं तथा अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं।

5. रोग से लड़ने की शक्ति :– हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक गुणों का मिश्रण है। अगर किसी भी क्षेत्र में असंतुलन हो जाए तो मन उग्र हो जाता है और शरीर में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। योग से मांशपेशियों की मालिश भी हो जाती है और मन तनाव–मुक्त हो जाता है। इन सबसे शरीर में रोग से लड़ने के लिए ताकत मिल जाती है।

6. वृहत्त जागरूकता :– मन कभी शांत नही रह पाता है। हमारा मन आने वाले कल की चिंताओं में व्यस्त रहकर अशांत रहता है। योग के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्रचित्त कर सकते हैं तथा भविष्य की चिंता को भूलकर वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। व्यक्ति यदि भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में ही जीना शुरू कर दें तो व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न तथा रोग–मुक्त रह सकता है। योग के माध्यम से ही यह संभव है।

7. रिश्तों में मिठास :– एक तनावमुक्त व्यक्ति ही अपने परिवार और मित्रों से मिलजुलकर रह सकता है। योग ही व्यक्ति को तनावमुक्त रखने में मदद कर सकता है।

8. शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि :– दिनभर कार्य के बोझ से दबा व्यक्ति योग के माध्यम से तरोताजा महसूस कर सकता है और नए जोश के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सकता है।

9. शारीरिक लचीलापन :– योग साधना से व्यक्ति अपने शरीर के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाता है तथा सभी शारीरिक रोगों को दूर कर सकता है। योग के माध्यम से हमारा शरीर अधिक लचीला बन जाता है।

योग के इन्ही महत्वों को ध्यान में रखते हुए 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 192 देशों और 47 मुस्लिम देशों में योग दिवस का आयोजन किया गया। दिल्ली में एक साथ 35985 लोगों ने योग किया। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर भारत ने दो विश्व रिकॉर्ड बना 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का।

इससे यह सिद्ध होता है कि श्वास–प्रश्वास जितनी कम, आयु उतनी ही अधिक। साधारणतः मनुष्य के श्वास–प्रश्वास की गति 15 से 18 बार प्रति मिनट होनी चाहिए, परन्तु आज की भाग–दौड़ भरी जिंदगी में इसकी गति 50 तक भी बढ़ जाती है। अयोग्य आहार, विहार, आचार और क्रोध जैसे विकारों के कारण श्वास– प्रश्वास के तीव्र गति से होने के कारण हमारी प्राण वायु अधिक मात्रा में खर्च होती है, जिससे मानव दुर्बल और रोगी बन जाता है। श्वास–प्रश्वास की रफ्तार बढ़ जाने से हमारे चित्त की स्थिरता में कमी होती है तथा चंचलता बढ़ जाती है। इस प्रकार श्वास–प्रश्वास पर काबू पाने के लिए योग साधना ही सर्वोत्तम उपाय है।

चले बाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत।
योगी स्थाणुत्वमाप्नोत्ति ततो वायुं निरोधयेत।

इस प्रकार हवा की गति से चलने वाले श्वास– प्रश्वास पर अगर समय पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो चित्त काबू में आना असंभव होगा। आज मानव की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति से शक्ति का नाश हो रहा है तथा वह अस्वस्थ हो रहा है। निसर्ग नियमों का उल्लंघन करने से सूर्य–चंद्र नाड़ियों के मार्ग मे खतरे आ गए हैं। अस्वास्थ्य का दूसरा कारण पेट है। वात, पित्त, कफ इनका प्रक्षोभ बढ़ने से श्वास–प्रश्वास की गति ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिससे फेफड़े अकार्यक्षम बनते जा रहे हैं। सीने में धड़कन जारी है। शारीरिक जड़ता बढ़ रही है। वायु दोष, रक्त–दाब बढ़ रहा है। घबराहट, सुस्ती, कफ, खांसी, सर्दी, चक्कर आना, पसीना, सिर–दर्द, मधुमेह, कोष्ठ–बद्धता आदि बीमारियां तो मानव के जन्म की साथी बन गई हैं। ब्रह्मचर्य का नाश तथा स्त्रियों के गुप्त–रोग बढ़ते जा रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, मनोकायिक स्वरूप की व्याधियों से समाज ग्रस्त है। बाह्य प्रदूषण, आंतरिक प्रदूषण, मानसिक व्यग्रता, अस्थायी लाभ देने वाली दवाएं लेने की प्रवृत्ति, अस्थिर चित्त वृत्ति आदि कारणों से स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता, सहनशीलता कम होती जा रही है। आज की आरामदायक जीवन शैली और व्यायाम के अभाव के कारण व्याधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। योग कुछ देर की साधना नहीं है; बल्कि जीवन भर की व हर पल की साधना है। मानव अपना आत्म–विश्वास खोता जा रहा है। जिसका आत्म–विश्वास खत्म हो चुका है, वह निसर्ग पर क्या विश्वास करेगा। निसर्ग ही सभी व्याधियों का निवारण करने वाला है। वह तो रोग को होने ही नहीं देगा और यदि रोग हो गया तो उसका निवारण करने में निसर्ग ही समर्थ है। रोगों से ग्रसित शरीर को रोग मुक्त करने के लिए नैसर्गिक हठ योग की प्रारंभिक चिकित्सा भी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य भी मिलेगा और क्रमशः आध्यात्मिक शक्तिओं का भी विकास होगा। स्त्री, पुरूष, बालक सभी इस हठ योग रूपी संजीवनी का लाभ उठा सकते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। शरीर और मन, मन से आत्मा, आत्मा से परमात्मा का संपूर्ण मिलन कराकर कैवल्य की प्राप्ति में सहायक होना। सुख–दुख, पाप–पुण्य, शत्रु–मित्र, शीत–उष्ण आदि द्वन्द्वों के बीच सम–भाव की प्राप्ति ही योग है। गीता में कहा है कि 'समत्वं योग उच्यते'। मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं (महोपनिषद) सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना ही योग है।

इस प्रकार किसी वस्तु से अपने को जोड़ना अथवा किसी कार्य में अपने को लगाना, कठोर से कठोर कार्य के लिए अपने को तैयार करना योग है। जिस प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि करनी होती है, उसी प्रकार का उद्योग भी किया जाता है, इसलिए उद्योग मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी। पूर्ण स्वास्थ्य अथवा दीर्घ जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर मन से और शरीर से जो क्रिया की जाती है, उसे योग (हठ योग) कहते हैं। 'योग चित्त वृत्ति निरोधः' अर्थात चित्त–वृत्ति का निरोध करना या चित्त को वृत्ति शून्य करना ही योग है। गीता में कहा है 'योग कर्मसू कौशलम' अर्थात योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। जिस उपाय से कर्म सहज, सुंदर, स्वाभाविक रूप में सिद्ध हो सके, बन्धान का कारण न हो, उसी का नाम योग है। योग अनेक प्रकार के हैं। लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, राज, कुंडलिनी, मंत्र–तंत्र, जप, ध्यान, कर्म, भक्ति, प्रेम, नाद, पातंजल, अष्टांग, क्रिया, प्राचीन हठयोग (मार्कडेय), नवीन हठयोग (मच्छिंद्र नाथ), शब्द, शून्य इत्यादि योग के प्रकार हैं। "ह" यानि सूर्य और "ठ" यानि चंद्र– इन दोनों को जोड़ना यानि योग। इन दो नाड़ियों की सहायता से श्वास–प्रश्वास की प्रक्रिया द्वारा मानव की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास करके उसके जीवन को आदर्शमय बनाने वाली विद्या का नाम हठयोग विद्या है।

हमारी नाक में दो छिद्र है, उन्हें योग में नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी यानि दाहिना नासिका– छिद्र और चंद्रनाड़ी यानि बायां नासिका छिद्र। योग में सूर्य नाड़ी को पिंगला और चंद्र नाड़ी को इडा नाम बताया गया है। किंतु हमारे जीवन में 15 मुख्य नाड़ियों का निकट संबंध है। इनमें से सुषुम्ना, इडा, पिंगला तीन प्रधान नाड़ियां हैं, जिनका संपूर्ण योग से संबंध है। तीनों में भी सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म है। गुदा स्थान से प्रारम्भ होकर, मेरू दण्ड् के मध्य से होती हुई मस्तिष्क तक गई है और गुदा–स्थान से ही बायीं ओर से इडा नाड़ी तथा दायीं ओर से पिंगला नाड़ी नासिका के मूल स्थान तक गई हैं। नाभि स्थान के नीचे पेडू का स्थान है, जिसे स्वाधिष्ठान कहते हैं। यहां हजारों नाड़ियों का जाल वटवृक्ष की जटाओं के समान लगा हुआ है। हमें यहां केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक जानकारी की जरूरत है।

सूर्य और चंद्र नाड़ियों को और भी अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे पिंगला–इडा, धन–ऋण, प्राण–अपान, शिव–शक्ति आदि। ये दो नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी की सहायक नाड़ियां हैं। सूर्य नाड़ी उष्णता प्रधान है, जबकि चंद्र नाड़ी शीतलता प्रधान है

और सुषुम्ना नाड़ी अग्नि प्रधान है। इन तीन नाड़ियों की कार्यक्षमता पर ही मानव का हित–अहित तथा शारीरिक–आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। हर इंसान के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। पिंगला और इडा नाड़ियां क्रमशः एक–एक करके चलती हैं। दोनों एक साथ नहीं चलती। दोनों नाड़ियां सम–समान चलकर शरीर की आन्तरिक सम शीतोष्णता बनाए रखती हैं और प्राणियों को स्वास्थ्य देती हैं। ये दोनों नाड़ियां ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय तक एक साथ चलने का अनुभव देती हैं। जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं तो सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता है। योगी और साधकों के लिए यह बड़ा ही महत्व का समय समझा जाता है। उस समय का आनंद कुछ और ही होता है। श्वास–

प्रश्वास का आयु और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हमारी आयु तथा स्वास्थ्य, श्वास–प्रश्वास पर ही अवलंबित है। मानव अगर प्रकृति के तत्वों का पालन करेगा तो वह शतायुषी होगा। निसर्ग निर्मित प्राण वायु के खजाने का इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना चाहिए, प्रतिदिन व्यवहार में व्यय होने वाली प्राण वायु की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने इसी तत्व को आजमाकर गायत्री के श्रेष्ठ कर्म के नाम से संबोधित किया है। गायत्री मूल योग शास्त्र है। गायत्री ही योग की जननी है। वही शास्त्र सिखाने वाली विद्या हठयोग विद्या है। इसमें आरोग्य शास्त्र, निसर्गोपचार पद्धति, नीति शास्त्र एवं आचार संहिता और प्राणायाम शास्त्र का समावेश है। आचार विचार और आहार में नियमितता और मन पर संयम रखने से शरीर तंदुरुस्त और मन शांत व प्रसन्न रहता है। तन–मन के सहयोग से स्वास्थ का निर्माण होता है। उसमें शरीर स्वास्थ्य का पूरा विचार किया जाता है। योगी जनों की समाधि का आधार प्राणायाम यानि हठयोग ही है ।

पंतजलि योग के अनुसार चित्त–वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। वह स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति को सुधारना है। उसके लिए हठयोग के शुद्धि कर्म करने आवश्यक हैं। हठयोग की अंतर–बाह्य शारीरिक सफाई की क्रियाएं किये बिना शरीर योगाभ्यास के लिए योग्य नही हो सकता। शरीर परिपक्व बनाना यानि अष्टांग योग की बहिरंग साधना करना। इसलिए कहा गया है कि

"केवल राजयोगाय हठविद्या पदिश्यते".

हठयोग के बिना राजयोग नहीं और राजयोग के लिए ही हठयोग है। हमारा शरीर सप्त धातुओं से पुष्ट होता है। शरीर में मांस पेशियों, अस्थियों आदि अनेक अवयवों का समावेश होता है। शरीर के विविध तंत्र परस्पर सहकार्य से कार्य करते हैं। जब यह सब सहकार्य सही रुप में चलता है, तो इस साम्यावस्था को ही बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य कहते है। जब इनमें से कोई एक भी तंत्र सहकार्य नहीं कर पाता है, तो यह साम्यावस्था बिगड़ जाती है और रोग उत्पन्न हो जाता है। शरीर के विविध तंत्रों में साम्यावस्था स्थापित करना, उसका रक्षण करना तथा शरीर को स्वस्थ रखना और उसे रोगों से बचाना ही योग का ध्येय है । योग से जैसे रोग का प्रतिकार होता है, वैसे ही रोग–निवारण भी निश्चित ही होता है। योग साधना और रोग निवारण दोनों ही के लिए शरीर– शोधन आवश्यक है। यानि योगियों और रोगियों दोनों ही के लिए हठयोग के शुद्धि कर्म आवश्यक हैं।

धौतिर्बस्तिस्त था नेतिस्त्राोटकं नौलिकं तथा।
कपालभाति श्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते।
धौति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभाति
यह छः शुद्धि कर्म योग मार्ग में कथित है।

धौति – इसमें पानी पीकर वमन करना है। इससे सहज ही विजातीय द्रव्यों का नाश होता है। त्रिदोषों का संतुलन होता है। कफ, दमा, खांसी, प्लीहा रोग, कुष्ट रोग दूर होते हैं। पेट व अन्न नलिका साफ होती है। शरीर का जडत्व कम होने में मदद होती है।

बस्ति – गुदा द्वार की सफाई की जाती है। गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ के विकार नष्ट होते हैं तथा शरीर हल्का हो जाता है, उत्साह बढ़ता है।

नेति – कपाल, नासिका, इनकी शुद्धि होकर दिव्य दृष्टि का लाभ होता है। निद्रा नाश तथा मस्तिष्क की गर्मी आदि विकार दूर होते हैं। सर्दी, जुकाम, सर–दर्द, सायनस, आधा–सीसी जैसे विकार दूर होते हैं। आलस्य, थकान दूर होकर मन उत्साही व प्रफुल्लित होता है।

त्राटक – आखों की निरोगता, आलस्य का नाश, प्राणलय, शारीरिक तथा मानसिक उत्साह, चंचल इंद्रियों की स्थिरता, शाम्भवी मुद्रा करने की पात्रता आती है।

नौली – इस क्रिया से पेट का भारीपन, अनावश्यक चर्बी, संग्रहणी, त्रिदोष आदि का क्षालन होकर मनुष्य बुढ़ापे तथा मृत्यु से बचता है। आंते बलवान बनकर पाचन शक्ति में सुधार आता है।

कपालभाति – आमाशय की शुद्धि होकर श्वास–नलिका, अन्न नलिका, फेफड़े कार्यक्षम बनते हैं। सर्दी, कफादि के विकार दूर होते हैं। मस्तिष्क की नाड़ियां शुद्ध होती हैं। क्षय रोग, सांस का फूलना तथा हृदय की तीव्र धड़कन आदि विकार दूर होते हैं। अनावश्यक मेद कम होता है। श्वसन लयबध्द होने से मन स्थिर होता है। वायु कोष के अधिक खुलकर प्राण वायु ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे अधिक मात्रा में रक्त शुद्ध होकर शरीरांतर्गत सभी इंद्रियों को शुद्ध रक्त की पूर्ति होती है। आज के प्रदूषण के युग में कपालभाति संजीवनी ही है, क्योंकि जिस श्वसन पर अपना जीवन निर्भर है वह श्वसन संस्था निरोगी बनाने का काम कपालभाति करती है ।

देह की शुद्धि के लिए ये क्रियाएं अति आवश्यक हैं। दुर्गुणों का नाश और सदगुणों का विकास इसमें हैं। योगी तथा रोगी को सर्वोत्तम बनाने का यह अभ्यास है। वस्तुतः हमारा शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। ज्ञानामृत ग्रहण करने के लिए इस घड़े को योगाग्नि में तपाकर परिपक्व बनाया जाता है। हठयोग विद्या को प्राचीन ऋषियों– मुनियों द्वारा गुप्त रखने का कारण भी सत्य था क्योंकि हम सब भोग, लोभ और लालसा में पड़े इंसान उस शास्त्र को नहीं जान सकते थे। आज वही शास्त्र संसार में तपे गृहस्थों के लिए "संजीवनी' साबित हुआ है। इस विद्या से सांसारिक विकारों को तथा काल को भी जीता जा सकता है। यह रोगों का प्रतिकार और आयु की वृद्धि कर सकता है। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पापों का भी नाश कर सकता है। संपूर्ण आयु तक तारुण्य का अनुभव किया जा सकता है। शरीर, प्राण और मन की एकता को साध्य कर सकता है। सदाचार से सेवा वृत्ति की वृद्धि होती है। योग बल सच्चा बल है। उसी से ही ज्ञान प्राप्त होता है। योग बल, मानव की सच्ची सेवा तथा रक्षा करता है। यही सच्चा धन है। इस धन का नाम है "संतोष"। योग साधना हमारे जीवन को अखण्ड स्वास्थ, अपार शक्ति, दिव्य पवित्र ज्ञान, निर्मल आनंद, भरपूर संपन्नता और निश्चल पवित्र प्रेम की रसधारा से भर देती है।

योग एक अमोघ तथा नियमावली के कारण फलदायी शास्त्र है। उस संदर्भ में योग शास्त्र व तंत्र पारंगत योगी जनों की भगवान श्रीकृष्ण ने स्तुति की है। वे कहते हैं कि तप करने वाले तपस्वी से योगी अधिक उच्च है, वह ज्ञानी जनों से भी श्रेष्ठ है तथा कर्मकांड से भी श्रेष्ठ है इसलिए ऐ अर्जून, तू योगी बनो। इस प्रकार योग साधना एक उत्कृष्ट जीवन प्रणाली है. यह साधना करने वाला साधक संपूर्ण स्वास्थ्य तो प्राप्त करता ही है, साथ ही श्रेष्ठ मानव भी बन जाता है. मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है असीम आनंद प्राप्त करना, जो योगाभ्यास द्वारा ही प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग श्योगश ही है. इसलिए कहा गया है कि–

योगात् परतरं पुण्यं योगात् परतरं शिवम
योगात् परतरं सूक्ष्म योगात् परतरं नहि .
(योगशिखोपनिषद)

अर्थात योग से श्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं। योग से श्रेष्ठ, पवित्र व कल्याणकारी कोई मार्ग नहीं. योग अत्यंत सूक्ष्म तथा आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ व अनुपम मार्ग है। योग के सदृश और कुछ भी नहीं है।

मिस सूर्या, प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
कानपुर, उत्तर प्रदेश

योगः– योग विद्या प्राचीन काल से चली आ रही हैं योग विद्या का चलन उस समय से है जब योग से सम्बन्धित ज्ञान कहीं लिखा नहीं था उसके बारे में जानने के लिए बड़े–बड़े आचार्यों के पास जाना पड़ता था उस समय यह विद्या एक आचार्य से दूसरे आचार्य और उनके शिष्यों तक पहुंचाई जाती थी। योग, अपने शरीर को असम्भव सी लगने वाली मुद्राओं में मोड़ने से कहीं बढ़कर है। इसमें मस्तिष्क और शरीर का संगम होता है जिससे दिमागी कसरत से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप का सामान्य होने, तनाव के कम होने, मोटापे और कोलेस्ट्राल पर नियन्त्रण जैसे अपने विस्तृत सकारात्मक प्रभावों के कारण योग व्यायाम का वैश्विक स्वरूप हो गया है। वजन को कम करने के साथ–साथ इससे शरीर सुन्दर और चुस्त–दुरुस्त होता है। योग से हमको मन की शाँति प्राप्त होती है। हम समझ भी नहीं सकते हैं कि सिंपल सा योगआसन करने से हमको कितने लाभ पहुंच सकते हैं। अगर हम मोटे हैं तो भी इसका फायदा उठा कर पतले हो सकते हैं। शरीर और मन को तरोताजा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योगासनों का अपना अलग महत्त्व है।

योग का जन्म :– पुरातत्ववेत्ताओं ने जो साक्ष्य प्राप्त किये हैं उनसे पता चलता है कि योग की उत्पत्ति 5000 ई. पू. में हुई होगी। गुरू शिष्य परम्परा के द्वारा योग का ज्ञान परम्परागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा। लगभग 200 ई0 पू. में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग–सूत्र की रचना की। योग–सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है।

योग क्या है :– योग की उत्पत्ति संस्कृत शब्द 'युज' से हुई है जिसका अर्थ जोड़ना है। योग शब्द योग की क्रियाओं से स्पष्ट होता है। योग में यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संयोग स्थापित होता है जिससे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। प्राचीन मान्यता है कि स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर बसता है। शरीर बीमार होगा तो आप अपने बारे में ही सोचेंगे अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही केन्द्रित रहेंगे। ऋषियों ने शरीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही योग का जन्म दिया।

योगासन के गुण और लाभ :–

1. योग के सम्पूर्ण रूप से साँस लेने और सन्तुलन वाले आसनों पर केन्द्रित होने के कारण मस्तिष्क शांत होता है और शरीर सन्तुलित होता है। इसके कारण हम अपने मस्तिष्क के दोनों भागों से काम लेते हैं जिससे आन्तरिक संचार बेहतर होता है जो शायद हम दैनिक कार्यों से हासिल नहीं कर पाते हैं। योग से हम अपने मस्तिष्क के सोचने और सृजनात्मकता वाले हिस्सों में सन्तुलन स्थापित कर सकते हैं।
2. अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारियों से दूर रहना ही नहीं है बल्कि अपने मन और भावनाओं के बीच सन्तुलन स्थापित करना है। योग से आपको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इससे न केवल बीमारियाँ दूर होती हैं बल्कि यह आपको गतिशील, खुश और उत्साही बनाता है।
3. विभिन्न योग मुद्राओं और श्वास क्रियाओं के सामंजस्य के कारण योग से शरीर में बेहतर रक्त प्रवाह होता है। बेहतर रक्त संचार से शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बेहतर संवहन होता है जिसके कारण त्वचा और आन्तरिक अंग स्वस्थ रहते हैं।
4. विभिन्न आसन, जिनमें हम थोड़े समय के लिये साँस रोकते हैं, आपके हृदय और धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। योग से बेहतर रक्त संचार होता है जिससे रक्त का ठहराव नहीं होता और हृदय स्वस्थ होता है।
5. योग से लचीलापन और शक्ति बढ़ती है जिससे पीठ का दर्द और जोड़ों का दर्द जैसी समस्यायें दूर होती हैं।
6. योग की विभिन्न गहरी और मन्द साँस की प्रक्रियाओं के कारण फेफड़ों और उदर भाग की क्षमता बढ़ती है। गहरी साँस लेने से आराम मिलता है जिससे विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है।
7. योग से सन्तुलन की इन्द्रिय बेहतर होती है जिससे शक्ति और लचीलेपन की क्षमता में विस्तार होता है। इस सुधार से आपका दिमाग तेज चलता है और हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर रूप से नियन्त्रित करने में सक्षम होते हैं।
8. योग से तनाव कम होता है। आपाधापी वाली दिनचर्या के बाद योग करने से तनाव को खत्म होते महसूस कर सकते हैं। नियमित रूप से 30–45 मिनट के लिये व्यायाम करने से आपके दिमाग के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह मूड को भी ठीक करता है। व्यायाम से नई तन्त्रिका कोशिकोओं का निर्माण होता है जिससे अल्जीमर्स और पार्किन्सन्स जैसी बीमारियाँ दूर ही रहती हैं। शारीरिक श्रम से हम लम्बे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
9. स्वस्थ शरीर वाला वजन पाना सभी के लिये एक सपने के समान होता है और नियमित व्यायाम से हम शरीर का वाँछित भार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पर्याप्त व्यायाम के साथ संतुलित आहार लें तो आसानी से अतिरिक्त भार से निजात पा सकते हैं।
10. व्यायाम से पसीना आता है और थकावट आती है लेकिन इससे सहनशक्ति में वृद्धि और माँसपेशियों में थकावट की कमी जैसे दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं।
11. नियमित व्यायाम से प्रतिरक्षण तन्त्र मजबूत होता है और सर्दी–जुकाम जैसी बीमारियों से हम कम ग्रसित होंगें।
12. व्यायाम से अच्छे कोलेस्ट्राल की मात्रा बढ़ती है जबकि खराब कोलेस्ट्राल की मात्रा में कमी होती है। व्यायाम से धमनियों में जमने वाली परत में भी कमी पाई जाती है।
13. अगर हम मानसिक रूप से उच्चीकृत होना चाहते हैं तो अपने प्रिय भोजन पर भरोसा न करके जिम की तरफ बढ़कर व्यायाम करना चाहिये। व्यायाम मस्तिष्क के रसायनों को उत्तेजित कर मूड ठीक करता है।
14. नियमित व्यायाम से आपकी माँसपेशियाँ मजबूत होती हैं, ऊर्जा का संचार होता है और सहनशक्ति आती है। व्यायाम से हमारे ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और प्रणाली कारगर रूप में कार्य करती है।
15. आज की तेज रफ्तार ज़िन्दगी में खुद को स्वस्थ और उर्जावान बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इस तथ्य को लोग अच्छी तरह समझने लगे हैं, और योग के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है।

योग किस के लिए :–

योग किसी भी उम्र के स्वस्थ स्त्री व पुरुष कर सकते हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों में भी योग किया जा सकता है लेकिन इसमें कुछ सावधानियों का ख्याल रखना होता है। जो व्यक्ति शरीर को बहुत अधिक घुमा फिरा नहीं सकते हैं वह भी कुर्सी पर आराम से बैठकर योग कर सकते हैं। योग हर किसी की जरूरत है। कामकाजी लोग अपने दफ्तर में भी कुछ देर योग करके अत्यधिक काम के दबाव के बावजूद भी खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। शारीरिक कार्य करने वाले जैसे खिलाड़ी, एथलिट्स, नर्तक अपने शरीर को मजबूत, उर्जावान और लचीला बनाए रखने के लिए योग कर सकते हैं। छात्र मन की एकाग्रता और ध्यान के लिए योग कर सकते हैं।

योग आवश्यक क्यों है :–

योग हमारे लिए हर तरह से आवश्यक है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन सम्बन्धी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अतरिक्त योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। योग शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है जो रोजमर्रा की ज़िन्दगी के लिए आवश्यक है। योग से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। योग करने वाले वृद्धावस्था में भी चुस्त दुरूस्त रहते हैं। आयु के संदर्भ में भी योग लाभप्रद है।

योग के प्रकार :–

श्वास क्रिया – सीधे खड़े होकर दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में फँसाकर ठोढ़ी के नीचे रख लीजिए। दोनों कुहनियाँ यथासंभव परस्पर स्पर्श कर रही हों। अब मुँह बंद करके मन ही मन पाँच तक की गिनती गिनने तक नाक से धीरे–धीरे साँस लीजिए। इस बीच कंठ के नीचे हवा का प्रवाह अनुभव करते हुए कुहनियों को भी ऊपर उठाइए। ठोढ़ी से हाथों पर दबाव बनाए रखते हुए साँस खींचते जाएँ और कुहनियों को जितना ऊपर उठा सकें उठा लें। इसी बिंदु पर अपना सिर पीछे झुका दीजिए। धीरे से मुँह खोलें। आपकी कुहनियाँ भी अब एकदम पास आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर छः तक की गिनती गिनकर साँस बाहर निकालिए। अब सिर आगे ले आइए। यह अभ्यास दस बार करें, थोड़ी देर विश्राम के बाद यह प्रक्रिया पुनः दोहराएँ। इससे फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है। तनाव से मुक्ति मिलती है और आप सक्रियता से कार्य में संलग्न हो सकती हैं।

सूर्य नमस्कार – सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को सम्पूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। मानव शरीर की सरंचना ब्रह्मांड की पंच तत्वों से हुआ है। और इसे (शरीर रूपी यंत्र) सुचारू रूप से गतिमान स्नायु तंत्र करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में स्नायुविक तंत्र जरा सा भी असंतुलित होता है वो गंभीर बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। 'सूर्य नमस्कार' स्नायु ग्रंथि को उनके प्राकृतिक रूप में रख संतुलित रखता है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। 'सूर्य नमस्कार' स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर निरोग और स्वस्थ होता है। सूर्य नमस्कार की दो स्थितियां होती हैं– पहले दाएं पैर से और दूसरा बाएं पैर से।

पादहस्त आसन – सीधे खड़ा होकर अपने नितंब और पेट को कड़ा कीजिए और पसलियों को ऊपर खीचें। अपनी भुजाओं को धीरे से सिर के ऊपर तक ले जाइए। अब हाथ के दोनों अँगूठों को आपस में बाँध लीजिए। साँस लीजिए और शरीर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी ओर झुकाइए। सामान्य ढंग से साँस लेते हुए दस तक गिनती गिनें फिर सीधे हो जाएँ और बाएँ मुड़कर यही क्रिया दस गिनने तक दोहराएँ। पुनः सीधे खड़े होकर जोर से साँस खींचें। इसके पश्चात कूल्हे के ऊपर से अपने शरीर को सीधे सामने की ओर ले जाइए। फर्श और छाती समानांतर हों। ऐसा करते समय सामान्य तरीके से साँस लेते रहें। अपने धड़ को सीधी रेखा में रखते हुए नीचे ले आइए। बिना घुटने मोड़े फर्श को छूने की कोशिश करें। यथासंभव सिर को पाँवों से छूने का प्रयास करें। दस तक गिनती होने तक इसी मुद्रा में रहें। अपनी पकड़ ढीली कर सामान्य अवस्था में आ जाएँ। इस आसन से पीठ, पेट और कंधे की पेशियाँ मजबूत होती हैं और रक्त संचार ठीक रहता है।

शवासन – इस आसन में आप एकदम सहज और शांत हो जाएँ तो मन और शरीर को आराम मिलेगा। दबाव और थकान खत्म हो जाएगी। साँस और नाड़ी की गति सामान्य हो जाएगी। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए। पैरों को ढीला छोड़कर भुजाओं को शरीर से सटाकर बगल में रख लें। शरीर को फर्श पर पूर्णतया स्थिर हो जाने दें।

कपाल भाति क्रिया – अपनी एड़ी पर बैठकर पेट को ढीला छोड़ दें। तेजी से साँस बाहर निकालें और पेट को भीतर की ओर खींचें। साँस को बाहर निकालने और पेट को धौंकनी की तरह पिचकाने के बीच सामंजस्य रखें। प्रारंभ में दस बार यह क्रिया करें, धीरे–धीरे 60 तक बढ़ा दें। बीच–बीच में विश्राम ले सकते हैं। इस क्रिया से फेफड़े के निचले हिस्से की प्रयुक्त हवा एवं कार्बन डाइ ऑक्साइड बाहर निकल

जाती है और सायनस साफ हो जाती है साथ ही पेट पर जमी फालतू चर्बी खत्म हो जाती है।

शीर्षासन – सिर के बल किए जाने की वजह से इसे शीर्षासन कहते हैं। इससे पाचनतंत्र ठीक रहता है साथ ही मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे की स्मरण शक्ति सही रहती है।

वज्रासन – इस आसन को हम दिन में कभी भी कर सकते हैं लेकिन यह अकेला ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद यह आसन बहुत अधिक प्रभावी होता है। यह न

सिर्फ पाचन की प्रक्रिया ठीक रखता है बल्कि लोवर बैकपेन से भी आराम दिलाता है। इस आसन की मदद से थायरॉइड ग्लैंड नियंत्रित होता है और सिर तक रक्त का संचार अच्छी तरह होता है। इसी कारण इस आसन के नियमित अभ्यास से बालों के झड़ने को नियंत्रित किया जा सकता है।

योग के आयाम –

वैसे तो अष्टांग योग में योग के सभी आयामों का समावेश हो जाता है किंतु जो कोई योग के अन्य मार्ग से स्वस्थ, साधना या मोक्ष लाभ लेना चाहे तो ले सकता है। योग के मुख्यतः छह प्रकार माने गए है। छह प्रकार के अलग–अलग उपप्रकार भी हैं। (1) राजयोग, (2) हठयोग, (3) लययोग, (4) ज्ञानयोग, (5) कर्मयोग और (6) भक्तियोग। इसके अलावा बहिरंग योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग और स्वर योग आदि योग के अनेक आयामों की चर्चा की जाती है, लेकिन मुख्यतः तो उपरोक्त छह योग ही माने गए हैं।

(1) राजयोग – यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह पतंजलि के राजयोग के आठ अंग हैं। इन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है।

(2) हठयोग – षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि– ये हठयोग के सात अंग है, लेकिन हठयोगी का जोर आसन एवं कुंडलिनी जागृति के लिए आसन, बंध, मुद्रा और प्राणायम पर अधिक रहता है। यही क्रिया योग है।

(3) लययोग – यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उक्त आठ लययोग के अंग है।

(4) ज्ञानयोग – साक्षीभाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान योग है। यही ध्यानयोग है।

(5) कर्मयोग – कर्म करना ही कर्म योग है। इसका उद्देश्य है कर्मों में कुशलता लाना। यही सहज योग है।

(6) भक्तियोग – भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन रूप– इन नौ अंगों को नवधा भक्ति कहा जाता है।

महिलाओं के लिए योग बहुत ही लाभप्रद है। चेहरे पर लावण्य बनाए रखने के लिए बहुत से आसन और कर्म हैं। कुंजल, सूत्रनेति, जलनेति, दुग्धनेति, वस्त्र धौति कर्म बहुत लाभप्रद हैं। कपोल शक्ति विकासक, सर्वांग पुष्टि, सर्वांग आसन, शीर्षासन आदि चेहरे पर चमक और कांति प्रदान करते हैं।

इसी तरह से नेत्रों को सुंदर और स्वस्थ रखने, लंबाई बढ़ाने, बाल घने करने, पेट कम करने, हाथ–पैर सुंदर–सुडौल बनाने, बुद्धि तीव्र करने, कमर और सुंदर बनाने, गुस्सा कम करने, कपोलों को खूबसूरत बनाने, आत्मबल बढ़ाने, गर्दन लंबी और सुराहीदार बनाने, हाथ–पैरों की थकान दूर करने, पाचन शक्ति सुधारने, अच्छी नींद, त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने व अन्य कई प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए योग में व्यायाम, आसन और कर्म शामिल हैं। प्राचीन समय में इस विद्या के प्रति भारतीयों ने सौतेला व्यवहार किया है। योग ऐसी विद्या है जिसे रोगी–निरोगी, बच्चे–बूढ़े सभी कर सकते हैं। किंतु योगाभ्यास करने से पूर्व कुशल योग निर्देशक से अवश्य सलाह लेनी चाहिए।

सुश्रुत त्रिवेदी, राजभाषा अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया
कोल्हापुर

स्वस्थ शब्द 'स्व' एवं 'स्थ' से मिलकर बना है। स्व अर्थात स्वयं में, खुद में जबकि स्थ का अर्थ है स्थित होना। भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो सम्पूर्ण प्राणी जगत वस्तुतः एवं परमार्थतः(एब्सोल्यूटली) केवल चेतना या कॉनशियसनेस (आत्मा) है जिसे जड़ या मैटर में स्वयं के होने का भ्रम होता है। जब यह चेतना अपने आप को इस जड़ या मैटर से निर्मित शरीर की चिंता से पूरी तरह आजाद महसूस करती है एवं अपने असली स्वरुप जो कि आनंद से भरपूर है, में स्थित रहती है तो उसे 'स्वस्थ' कहते है। स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक व मानसिक कष्टों, विकारों एवं बीमारियों से मुक्ति।

योग भारतीय दर्शन का व्यावहारिक हिस्सा रहा है जो कि बिना किसी विवाद के अन्य सभी दर्शनों जैसे जैन, बौद्ध, सांख्य इत्यादि में स्वीकार्य रहा है। पतंजलि नामक ऋषि ने इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया यद्यपि योग उनके पहले से ही हमारी संस्कृति में विद्यमान था। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। योग का विशिष्ट अर्थ भी व्यक्तिगत चेतना को समष्टिगत या हर जगह फैली हुई चेतना के साथ जोड़ना है जो कि जीवन, ऊर्जा और आनंद का कभी न खत्म होने वाला झरना है। भारतीय दर्शन के अनुसार जब हम गहरी निद्रा में होते है तब यही समष्टिगत चेतना हमारे शरीर को नवजीवन प्रदान करती है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि जब हम गहरी निद्रा में होते है तो पिट्युटरी ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हारमोन सक्रिय होता है एवं हमारे शरीर में रिपेयरिंग का काम करता है। योग के माध्यम से हम स्वयं को उसी सर्वव्यापी चेतना से जोड़ने का काम करते हैं और वो भी जाग्रत अवस्था में।

आज के युग में योग शब्द कुछ विशेष प्रकार के व्यायामों एवं आसनों के लिए रूढ़ हो गया है लेकिन यदि हम गहराई में जाएँ तो योग एक सम्पूर्ण जीवन शैली है। यह केवल कुछ घंटों का व्यायाम और केवल शरीर की सहभागिता से संपन्न होने वाली चीज नहीं है बल्कि जीवन में प्रत्येक क्षण योग के अद्भुत विज्ञान से अभिभूत हो सकता है, किन्तु कैसे? आइये नीचे लिखे बिन्दुओं पर विचार करते हैः

1. पतंजलि ने योग को आठ हिस्सों में बांटा हैः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
2. **यम** – यम मन को काबू में रखने के उपाय हैं। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आ जाते है। अहिंसा का मतलब किसी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुँचाना एवं प्रकृति की विभिन्न रचनाओं जैसे नदी, पहाड़, पेड़–पौधे इत्यादि के साथ छेड़छाड़ न करना है। सत्य केवल बोलने तक सीमित नहीं है। सत्य का अर्थ है यथासंभव ईमानदारी, अपने कर्तव्यों, वचनों व निश्चय को पूरा करना। अस्तेय का मतलब चोरी न करना है। किसी की वस्तु बिना उसकी अनुमति के उपयोग करना भी चोरी में आ जाता है। ब्रह्मचर्य इन्द्रियों से मिलने वाले सुखों को भोगने की इच्छा पर नियंत्रण है। अपरिग्रह का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना धन–धान्य इकट्ठा करना।
3. **नियम** – नियम का अर्थ शरीर पर नियंत्रण या संयम है. इसके भी 5 भाग है– शौच, संतोष, ताप, स्वाध्याय एवं ईश्वर–प्रणिधान। शौच का अर्थ तन–मन को

साफ रखना, संतोष का अर्थ है अपनी पूर्णता को पहचानना। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम जरूरतें खुद पैदा करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते है और ये भूल जाते हैं कि जरूरतें हमनें स्वयं पैदा की हैं। उन्हें अपनी मजबूरी मानकर तनावग्रस्त होते हैं। अतः यदि हम चाहें तो अपनी जरूरतें सीमित कर खुश रह सकते हैं। यही संतोष है। तप का अर्थ है संयमित जीवन बिताकर अपनी जीवनी शक्ति को खर्च होने से बचाना। स्वाध्याय का अर्थ है चिंतन–मनन और अपने आस–पास से निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा अर्थात आशावादी बने रहना।

4. **आसन** – आसन जो कि योग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। इसमें शरीर को विभिन्न मुद्राओं में रखा जाता है जिससे शरीर चुस्त–दुरुस्त बना रहता है। इसके प्रत्यक्ष लाभ देखे जा सकते है।

5. **प्राणायाम** – यह योग का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे प्राण हमारी श्वासों पर सवारी करते है। आप कभी गौर करें तो अलग–अलग परिस्थिति में हमारे प्राणों की चाल भी अलग–अलग होती है। जब हम आराम की स्थिति में होते है तो हमारे प्राण (श्वासों का आना–जाना) बड़े ही धैर्य और संतुलन के साथ चलते हैं। प्राणों से ही हृदय की गति भी नियंत्रित होती है। जब हम किसी संकट की स्थिति में आते है तो प्राणों की गति का क्रम बिगड़ जाता है, ऐसे में फेफडों को पूरी तरह वायु प्राप्त नहीं होती, वायु या ऑक्सीजन की कमी से शरीर जल्दी थक जाता है, हमारा नियंत्रण भी उस पर नहीं रहता। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को हर परिस्थिति में स्थिर रखने की कोशिश करते हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम में सबसे पहले गहरी सांस ली जाती है, फिर उसे कुछ देर के लिए रोका जाता है ताकि फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण कर लें व विकार–वायु जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड को वापिस कर दें, इसके बाद सांस को छोड़ा जाता है।

6. **प्रत्याहार** – इन्द्रियां जिनसे हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता, का झुकाव बाहरी विषयों की ओर होता है। जैसे आँखों की इन्द्रिय अच्छे–अच्छे दृश्य देखना पसंद करेगी, कान अच्छा–अच्छा संगीत सुनना पसंद करेंगे। ऐसे में हमारा ध्यान कई स्थानों पर बंट जाता है एवं हम खुद से हट कर अलग–अलग जगहों पर बिखर जाते हैं यही अस्वस्थता को जन्म देता है। प्रत्याहार के द्वारा हम अपनी इन्द्रियों को बताते हैं कि जिस सुख के लिए तुम विषयों की ओर लपक रही हो, वो हमारे अन्दर ही है इसलिए बाहर की ओर भागना छोड़ो और अन्दर झाँकों। असली पानी तो यहाँ है, बाहर तो केवल मृग–तृष्णा है।

7. **धारणा** – ऊपर लिखे गए अंगों के द्वारा हम अपनी बाह्य एवं आतंरिक इन्द्रियां अर्थात मन, बुद्धि इत्यादि को समेटने की कोशिश करते है, हमारी चेतना, जो हमारे सम्पूर्ण शरीर में बिखरी है, को, धारणा द्वारा एकजुट किया जाता है। धारणा के द्वारा एकाग्रता किया जाता है। जब बाहरी चीजों से अपना मन हटाकर हम किसी भी एक वस्तु, अक्षर, मूर्ति, चित्र, आकार पर खुद को केन्द्रित करने की कोशिश करते हैं तो उसे धारणा कहते है।

8. **ध्यान** – धारणा के बाद ध्यान की अवस्था आती है। इसमें जिस किसी भी वस्तु में मन लगा रहे होते हैं उसका बार–बार, लगातार चिंतन किया जाता है।

9. **समाधि** – धारणा व ध्यान में हम खुद को, उस वस्तु को जिस पर हम अपना मन एकत्रित करते हैं और ध्यान, तीनों को अलग–अलग महसूस करते हैं किन्तु समाधि में हमें केवल उस वस्तु का ही ध्यान रहता है जिसका हम ध्यान करते हैं। वस्तुतः यह एक जटिल चीज है जिसे महसूस करके ही भली–भांति समझा जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन योग के दार्शनिक पक्ष को बताता है। आज मनुष्य ने बाहरी जड़ – जगत और उससे जुड़ी तमाम चीजों को, जो कि उसके खेलने के साधन है, इस कदर गंभीरता से ले लिया है कि वह निरंतर तनाव में जीवन बिता रहा है। तनाव से मन कमजोर होता है और मन का नियंत्रण छूटते ही तन बीमार पड़ने लगता है। योग, मन या चित्त के झुकाव को बाहर से अन्दर की ओर मोड़कर उसे सही दिशा प्रदान करता है। योग से सिर्फ तन और मन ही स्वस्थ नहीं होते है बल्कि सारा जीवन स्वस्थ हो जाता है। यदि हम योग के प्रथम अंग यम के अंतर्गत अहिंसा का पालन करें, जीव–जंतुओं और पेड़–पौधों से छेड़–छाड़ न करें, नदियों, पहाड़ों, जंगलों को प्रदूषित न करें तो पर्यावरण स्वस्थ रहता है। यम के अन्य भाग जैसे सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य से मनुष्य का व्यवहार नियंत्रित होता है, उसकी कुंठा, हीनता की भावना नष्ट होती है फलतः अपराधमुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। योग का दूसरा अंग नियम का पालन जैसे तन–मन को साफ रखने से रोगाणु दूर रहते हैं। संतुष्ट रहने से मानसिक विकार जैसे जलन, ईर्ष्या, लोभ आदि नहीं पनपते। तप के द्वारा उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है जिससे प्रतिव्यक्ति व्यय कम हो सकती है और आय–बचत में बढ़ोत्तरी संभव है। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है एवं ईश्वर पर भरोसे से सकारात्मक सोच विकसित होती है। कुल मिला कर प्रतिव्यक्ति कार्यक्षमता बढ़ेगी जिससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राष्ट्र स्वस्थ होगा। शरीर को स्वस्थ रखने में तीसरा अंग योगासन महत्वपूर्ण हैं। इनमें किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता बल्कि एक बार आदत पड़ जाने पर ये आसन आनंद प्रदान करते हैं। मांसपेशियों को ढीला छोड़ने, तनाव देने इत्यादि से आतंरिक अंगों को सुचारू गति मिलती है। वे सक्रिय रहते हैं। तंत्रिकाएं अपना काम ठीक से करती हैं। त्राटक योग से नेत्र ज्योति तेज होती है। प्राणायाम से प्राण–वायु प्रत्येक कोशिका तक पहुचती है। रक्त–प्रवाह अच्छा होने से सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व अच्छी तरह मिलते हैं एवं रक्त उनके विकार ले जाकर किडनी इत्यादि के माध्यम से बाहर कर देता है। पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। धारणा–ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है फलतः स्मरण शक्ति तेज होती है।

हमारा शरीर अत्यंत जटिल है किन्तु योग जैसी सरल विधि से इस जटिल तंत्र पर भी काबू पाया जा सकता है। एक बड़ी–लम्बी रेल गाडी को चलाने वाला लोको पायलट उसकी तुलना में बड़ा छोटा होता है। सूक्ष्म, स्थूल को नियंत्रित करता है। योग में चित्त को काबू में रखा जाता है जिससे शरीर खुद ब खुद नियंत्रित हो जाता है। पतंजलि दर्शन में हमारी रीढ़ की हड्डी के समानांतर मस्तिष्क से लेकर कमर के निचले हिस्से तक आठ अदृश्य ऊर्जा चक्रों की भी बात कही गई है जो योग के द्वारा सक्रिय–संतुलित रहते हैं एवं जिन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने पर जगत के छुपे हुए रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल यह खोज का विषय है। योग एक विज्ञान है जो हमें विरासत में प्राप्त हैं। हमें इसका लाभ लेते हुए न केवल अपना जीवन स्वस्थ बनाना है अपितु इसके सूक्ष्म–विज्ञान को समझ कर इसके अब तक छुपे हुए लाभों को भी उजागर करना है। जैसे हमारा आवास, हमारा घर हमारे लिए महत्वपूर्ण है वैसे ही यह शरीर भी हमारा आवास है। इसे सदैव नया, दुरुस्त और क्रियाशील बनाए रखने हेतु योग बिना ब्याज का कर्ज प्रदान करता है जिसे चुकाने की भी जरूरत नहीं होती अतः योग अपनाएं, अपना जीवन सुन्दर, सुखद, सफल बनाएं।

डॉ0 वर्षा सोमदेवे,
एम.बी.बी.एस

योग शब्द संस्कृत की मूल धातु युज् से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ–समाधि, जोड़ और सामंजस्य हैं। यौगिक ग्रंथों के अनुसार, योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतनता को सार्वभौमिक चेतनता के साथ एकाकार कर देता है। योग, मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्णता सामंजस्य को प्रदर्शित करता है। योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार हैं, जिसके द्वारा सभी त्रिविध प्रकार के दुःखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना हैं। योग विश्व के सबसे पुराने विज्ञानों में से एक हैं, जिसका आरंभ भारत में हुआ था, जो कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा आध्यात्मिक विकास को संरक्षित करने में बहुत उपयोगी है।

योग विद्या का उद्भव सभ्यता के प्रारम्भ के साथ हुआ था। श्रुति परंपरा के अनुसार, भगवान शिव योग विद्या के आदिगुरु, योगी या आदियोगी हैं। योग साधना आधारभूत मानवीय मूल्यों की खोज हैं। सिधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेकों आकृतियों के साथ ढेरों मुहर एवं जीवाश्य अवशेष इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। सरस्वती घाटी सभ्यता में प्राप्त देवी–देवताओं की मूर्तियाँ एवं मुहरें तंत्र योग का संकेत करती हैं। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भगवद्गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपरा के साथ–साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता हैं। इसके अलावा, यह मौलिक अथवा शुद्ध योग था, जो कि दक्षिण एशिया की रहस्यमय परंपराओं में भी परिलक्षित होता हैं। यह वह समय था जब योग का अभ्यास गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किया जा जाता था तथा इसके आध्यात्मिक मूल्यों पर भी विशेष महत्व दिया जाता था। उनके धार्मिक कृत्यों में उपासना और योग का स्वरुप अन्तर्निहित था। वैदिक काल के दौरान, सूर्य को सबसे अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसके प्रभावस्वरूप 'सूर्य नमस्कार' के अभ्यास का आविष्कार किया गया। "प्राणायाम" दैनिक अनुष्ठान और आहुति देने की प्रक्रिया का हिस्सा था। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पंतजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया तथा इसके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को "पातंजलयोगसूत्र" नामक ग्रन्थ में व्यवस्थित किया।

ऋषि पतंजलि द्वारा सूत्र 196 में योगाभ्यास और दर्शन (जिसे 'योग सूत्र' कहा जाता है) को व्याख्यायित और विधिपूर्वक संहिताबद्ध किया गया था। इस सूत्र में योग के अभ्यासों और सिद्धांतों के सभी पक्षों का उल्लेख किया गया था। वर्तमान समय में इसे संक्षिप्त, एकीकृत और समग्र पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। पतंजलि के अनुसार, योगाभ्यास के आठ घटक हैं, जिन्हें अष्टांग योग के रूप में जाना जाता हैं अथवा योग साधना के आठ 'अंग' है। योग का अंतिम लक्ष्य– योगाभ्यास और परिष्कार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना हैं।

योग भारत के दो महान धार्मिक शिक्षकों– महावीर और बुद्ध को मुख्य रूप से समर्पित है। योग साधना की आरंभिक प्रकृति में, पाँच महान सिद्धान्तों की अवधारणा – महावीर के पंच महाव्रत और बुद्ध के अष्ट मार्ग को माना जाता हैं। हमें इसका अत्यधिक स्पष्ट विवरण भगवतगीता में मिलता हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। योग के यह तीन तत्व मानवीय ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च उदाहरण हैं तथा यहां तक कि आज भी लोगों को गीता में बताई गई शिक्षाओं का पालन करते हुए, आत्मशांति प्राप्त होती हैं। पतंजलि योग सूत्र के अलावा, योग के विभिन्न अन्य पक्ष भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से योग के आठ पथों को चिंहित किया गया है। व्यास द्वारा योग सूत्र पर अति महत्वपूर्ण टीका भी लिखी गई है। इस अवधि के दौरान, मन के हर सूक्ष्म पक्ष को महत्व दिया गया तथा योग साधना के माध्यम से मन को सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से बाहर लाया गया। इस तरह मन और शरीर दोनों में तालमेल बैठाकर, उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है।

1900 ईस्वी से लेकर 1700 के बीच की अवधि को आधुनिक समयावधि के रूप में जाना जाता हैं। इस अवधि में महान योगाचार्य– रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि हुए, जिन्होंने राजयोग के विकास में योगदान दिया। यह वह समय था, जब इस समयावधि में वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ–योग फल–फूल रहा था। समसामयिक युग में, लोगों का योग प्रथाओं द्वारा स्वास्थ्य को बनाए रखने, बढ़ावा देने और संरक्षण में दृढ़ विश्वास है। प्रतिष्ठित योग आचार्यों जैसे कि स्वामी शिवानंद, श्री टी. कृष्णाचार्य, स्वामी कुवलयानंद, श्री योगेंद्र, स्वामी राम, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, पट्टाभिजोइश, बीकेएस. अयंगर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती इत्यादि की शिक्षाओं के माध्यम से योग आज सम्पूर्ण विश्व में फैल रहा हैं। आधुनिक युग में स्वामी रामदेव जी महाराज तथा श्रीश्री रविशंकर जी योग के महान प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

प्राणायाम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सुव्यवसित एवं नियमित अभ्यास है। यह श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसके पश्चात् मन के प्रति सजगकता उत्पन्न करने तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को सजगकता के साथ किया जाता है। बाद में, यह घटना नियमित, नियंत्रित एवं निर्देशित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित हो जाती है। प्राणायाम का अभ्यास नासिका, मुख एवं शरीर के एनी छिद्रों तथा शरीर के आंतरिक एवं बाहरी मार्गों तक जागरूकता बढ़ाना हैं। प्राणायाम का अभ्यास नियमित,नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर रोकने की अवस्था कुंभक तथा नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना रेचक कहा गया। प्रत्याहार के अभ्यास से व्यक्ति स्वयं की इन्द्रियों के माध्यम से सांसारिक विषय का त्याग कर अपने मन तथा चौतन्य केंद्र के एकीकरण का प्रयास करता है।

इन दिनों, योग की शिक्षा कई प्रख्यात, निजी ट्रस्टों और संस्थाओं, प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में योग के विभागों, योग विश्वविद्यालयों, योग महाविद्यालयों तथा योग संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा संस्थाओं और उपचारात्मक संगठनों में बहुत सारे योग चिकित्सालयों, योग थेरेपी और प्रशिक्षण केन्द्रों, योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल एकक, योग अनुसंधान केंद्र इत्यादि की स्थापना की गई है। योग, आज के तनाव पूर्ण माहौल में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है क्योंकि यह वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के साथ–साथ एक करुणामय दुनिया बनाने के लिए, मानव जाति को शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। मानव जाति और भारत की सांस्कृतिक विरासत के विकास मे योग का महत्वपूर्ण योगदान है।

डिजिटल इंडिया

फणीष मणि त्रिपाठी,
सहायक प्रबंधक,
इंडियन ओवरसीज बैंक, तमिलनाडु

अस्पताल में दाखिले के लिए दर–दर न भटकना पड़े। छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में मिल जाए। दिल्ली का चक्कर लगाए बिना सरकार तक शिकायत पहुंचे और गांव में बैठे–बैठे अनाज मंडियों के भाव पता चल जाएं। भारत में फिलहाल से ये सपना है लेकिन अगले कुछ सालों में यह हकीकत में तब्दील हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में "मैं एक डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा हूं जहां हाइ–स्पीड डिजिटल हाइवे राष्ट्र को एकजुट रखेंगे। 1.2 अरब कनेक्टेड भारतीय इन्वोशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तकनीक सुनिश्चित करेगी कि नागरिक–सरकार के बीच आदान–प्रदान भ्रष्टाचार मुक्त हो।" इसी साल पहली जुलाई को हजारों लोगों से खचाखच भरे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने जब यह कहा तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दरअसल ये उद्घोष उस भारत के स्वागत में था जो कल डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाएं नागरिकों की मुट्ठी में होंगी।

देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति हुए वर्षों बीत चुके हैं लेकिन ई–गवर्नेंस चर्चा तक ही सीमित रह गया। डिजिटल इंडिया के जरिए सरकार ई–गवर्नेंस को वास्तविकता बनाना चाहती है। डिजिटल इंडिया को साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं। केंद्र में नई सरकार के आने के बाद ई–गवर्नेंस हेतु MyGov.in नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा मंच है जहां सरकार किसी नई योजना को अमलीजामा पहनाने से पहले नागरिकों से राय आमंत्रित करती है, बहस होती है। जिन लोगों की राय संगत होती है उसे योजना का ड्राफ्ट तैयार करते हुए संज्ञान में लिया जाता है। पिछले दिनों वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया जैसी कई पहलों के लिए नागरिकों से स्लोगन और लोगो आमंत्रित किए गए थे। यानि जनता द्वारा, जनता के लिए जनता की सरकार, जो भारतीय लोकतंत्र का निहितार्थ है अब सही मायने में चरितार्थ होने जा रहा है।

डिजिटल इंडिया पहल को डिजिटल इंडिया ड्राफ्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स (डीआइओटी) पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डिजिटल इंडिया की बड़ी देन होगी डिजिटल लॉकर प्रणाली। इसके जरिए दस्तावेजों को कागजी रूप में रखने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का इंतजाम किया जाएगा। एक ऐसा लॉकर जो दिखेगा नहीं, जिसके रखरखाव की जरूरत नहीं होगी लेकिन उसमें आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध होंगी। आप जब चाहें उन तक पहुंच सकेंगे। जहां जरूरत होगी वहां भेज सकेंगे। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल एप लॉन्च किया है ताकि मिशन के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ई–हस्ताक्षर की सुविधा भी शुरू की जाएगी जिसके जरिए नागरिक अपनी आधार पहचान का उपयोग करके ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच बनाने की भी योजना है। इसके लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ई–हॉस्पिटल सिस्टम शुरू किया जाएगा। अस्पताल पहुंचने से पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, डॉक्टर से मुलाकात का समय तय कर सकेंगे, डॉक्टर की फीस का भुगतान कर सकेंगे और खून की उपलब्धता की जांच कर सकेंगे। इनके अलावा डायग्नॉस्टिक सेवाएं भी ऑनलाइन मिल सकेंगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू किया जाएगा जहां छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रस्तुति से लेकर उसकी जांच, मंजूरी और संवितरण तक मुमकिन होगा। पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में रखने की भी तैयारी चल रही है ताकि नागरिकों तक प्रभावी रूप से सेवाएं पहुंचाई जा सकें। डिजिटल इंडिया के बैनर तले इनके अलावा और भी कई पहल की जाएगी जिससे नागरिकों की जिन्दगी आसान हो सके।

डिजिटल इंडिया किसी राज्य विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होगा। लक्ष्य है कि डिजिटल इंडिया से देश का कोई भी नागरिक अछूता नहीं रह जाए। जन–जन तक डिजिटल इंडिया को पहुंचाने के लिए सरकार ने पुख्ता योजना भी तैयार की है। इस योजना पर करीब एक लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीएसएनएल के तीस साल पुराने टेलीफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क लेगा। जो हर प्रकार की सेवाएं जैसे वायस, डाटा, मल्टीमीडिया और अन्य प्रकार की संचार सेवाओं का प्रबन्धन करेगा। बीएसएनएल पूरे देश में वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करेगा। तकनीक के जरिए नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए उन्हें ब्रॉडबैंड से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए ब्रॉडबैंड हाइवे बनाए जाएंगे जो डिजिटल इंडिया की नींव होंगे। इन्हीं की मदद से नागरिकों तक अबाध रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचेगी। आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत ऐसे विभिन्न उत्तर–पूर्व राज्यों और देश के सुदूर इलाकों में बीपीओ केंद्र बनाए जाएंगे। देश के सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

हालांकि डिजिटल इंडिया के लिए राह इतनी आसान भी नहीं होगी। क्योंकि सेवाएं

पहुंचने मात्र से मसला हल नहीं होने वाला बल्कि वो किस गति और फुर्ती से पहुंचती हैं ये ज्यादा मायने रखता है। आपको इसका अर्थ समझाते हैं। ब्रॉडबैंड उस हाई स्पीड को कहते हैं जिसके जरिए उपयोगकर्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। भारत में 512 केबीपीएस के ऊपर की कोई भी स्पीड ब्रॉडबैंड की परिभाषा में आ जाती है। जबकि विदेशों में ब्रॉडबैंड स्पीड 10–50 एमबीपीएस होती है। ब्रॉडबैंड की डिलिवरी के लिए पूरे देश में पाइप्ड नेटवर्क होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दूसरी बड़ी चुनौती निधियों की है। सालाना 3000 करोड़ रुपए नेटवर्क स्थापित करने के लिए आबंटित किए जाने की

योजना है जबकि अनुमान के अनुसार कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। यानि डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए पर्याप्त निधि आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और ब्रॉडबैंड नेटवर्क का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना होगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में जो चंद महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं उसमें सरकार का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए 1.36 करोड़ मोबाइल नंबरों और 22 लाख ईमेल पते का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंतर्गत 150 संगठनों के 40,000 सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है। करीब 1000 प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस टर्मिनल स्थापित किए जाने का काम चालू है। इस योजना की देखरेख और नियंत्रण डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप पर है जिसकी अध्यक्षता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हाथों में है। नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया सके। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को डिजिटल इंडिया की कमान सौंपी गई है। कोशिश है कि डिजिटल इंडिया योजना को 2019 तक पूरा कर लिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। करीब 2.5 लाख शैक्षिक संस्थान, सभी विश्वविद्यालय वाई–फाई से जुड़े होंगे। लोगों के लिए वाई–फाई सुविधा से लैस 4 लाख सामुदायिक केंद्र होंगे। योजना से करीब 1.7 करोड़ लोगों को तत्काल रूप में रोजगार मिलेगा जबकि लंबी अवधि में 8.5 करोड़ लोगों को डिजिटल इंडिया के फलस्वरूप नौकरियों के मौके मिल सकते हैं।

लाखों करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट निजी भागीदारी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। सरकार जिस तेजी और गंभीरता के साथ इस योजना को लेकर आगे बढ़ रही है उससे निजी क्षेत्र भी निवेश के लिए आकर्षित हो रहा है। डिजिटल इंडिया के लॉन्च के पहले ही दिन इंडस्ट्री ने इस क्षेत्र में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि ये निवेश अपने साथ 18 लाख नौकरियां लेकर आएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। कंपनी देश के सभी 29 राज्यों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करेगी और मोबाइल हैंडसेट्स का उत्पादन भी भारत में करेगी। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप भी अगले कुछ साल में डिजिटल स्पेस, क्लाउड कम्प्यूटिंग और टेलीकॉम में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने भी ऐलान किया है कि उनकी कंपनी अगले पांच वर्षों में 7 बिलियन डॉलर का निवेश नेटवर्क, ब्रॉडबैंड और वाई–फाई स्थापित करने पर खर्च करेगी।

वैसे आपको बताते दें कि सर्वप्रथम शतप्रतिशत साक्षरता हासिल करना वाला राज्य केरल, देश का पहला 100% डिजिटल राज्य भी बन गया है। राज्य के प्रत्येक नागरिक के पास अब मोबाइल है और 75% लोग ई–साक्षर हैं। केरल के सभी ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। राज्य ने सभी जिलों में ई–जिला कार्यक्रम चलाया और सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ा जिसकी वजह से केरल आज एक डिजिटल राज्य बन चुका है। केरल इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि डिजिटल इंडिया का सपना नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया उस डिजिटल डिवाइड यानि खाई को भी पाटने की कोशिश करेगा जो गांव–शहर, अमीर–गरीब के बीच बन गई है। तकनीक और सुविधाओं तक समान पहुंच से भारत में तरक्की की बयार चहुं ओर बहेगी और सबको तरोताजा करेगी।

मंजीत कुमार दास
राजभाषा अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
विजयवाड़ा

डिजिटल भारत, भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक है–

1. डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना।
2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुँचाना।
3. डिजिटल साक्षरता।

इस योजना को 2019 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। एक टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहाँ दोनों (सेवा प्रदाता व उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर–मंत्रालयी पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगे जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयनित रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पुनर्निमाण की भी योजना है। यह योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। यह एक सराहनीय और सभी साझेदारों की पूर्ण समर्थक वाली परियोजना है। जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन तथा भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं। डिजिटल इण्डिया को कार्यान्वयित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करना होगा।

डिजिटल भारत सप्ताह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 जुलाई 2015 को किया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरूआत 01 जुलाई से 06 जुलाई 2015 तक थी। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने ई–हेल्थ, ई–एजुकेशन और डिजिटल लॉकर जैसी योजनाओं को भी लॉन्च किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सायरस मिस्त्री, सुनील भारती मित्तल, अजीम प्रेमजी, कुमारमंगलम बिड़ला समेत कई बड़े उद्योगपति मौजूद थे। इसके अलावा कई ग्लोबल बिजनेस लीडर्स ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के जरिये बड़े पैमाने पर भारत में निवेश लाने की कोशिश में है।

यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत छः लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य प्राप्त करने की है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी गई हैं।

सप्ताह भर चलने वाली इस लम्बी पहल के दौरान, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य, नए प्रदर्शन और सीएससी पर मौजूदा सेवाओं के प्रस्तावों व योजनाओं द्वारा वित्तीय सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए, वीएलई (ग्रामीण स्तर के उद्यमियों) ई– साक्षरता और शिक्षा

के तहत विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, पहले ई–केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) आधारित नौकरी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को ई–स्वास्थ्य और ई–कॉमर्स की पहल के बारे में शिक्षित और सूचित करने के लिए तथा लोक शिकायत दाखिल करने को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न गतिविधिक योजनाएं बनाई गई हैं जैसे कि डिजिटल साक्षरता सत्र, नौकरियों के लिए लोगों का पंजीकरण, डिजिटल लॉकर का उद्घाटन, निवेशक जागरूकता कार्यक्रम और कई अन्य पहलों के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करना इत्यादि। हर घर को डिजिटल साक्षर बनाने की आशा और भारत को वैश्विक का केन्द्र बनाने के लक्ष्य के साथ समग्र विकास के लिए आईटी एक प्रमुख शक्ति बनती जा रही है।

इस विचारधारा की पहल करने का उद्देश्य, भारत देश को सशक्त और ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था देने के लिए डिजिटल भारत में बदलना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिकल्पित किया गया है। इस कार्यक्रम का केन्द्रीय बिन्दु गांवों, ब्लॉक, जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर की सभी प्रणालियों को एकीकृत करना है। मौजूदा ई–शासन पहलों का पुनोत्थान किया जाएगा एवं उन्हें डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पंक्तिबद्ध किया जाएगा। भारत में डिजिटल इंडिया सप्ताह का समर्थन करने वाले 9 स्तम्भ हैः

1. ब्रॉडबैंड राजमार्ग
2. फोन के लिए सार्वभौमिक पहुँच
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
4. ई–गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
5. ई–क्रांति – सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
6. सभी के लिए सूचना
7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
8. नौकरियों के लिए आईटी
9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

1. ब्रॉडबैंड राजमार्ग – सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसीज) के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न फ्रीक्वेंसीज या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में बड़ी सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। ब्राण्डबैंड राजमार्ग निर्माण से आगामी 3 वर्षों के भीतर देशभर के 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जायेंगी।

2. फोन के लिए सार्वभौमिक पहुँच – देशभर में तकरीबन सवा अरब की आबादी में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या जून, 2014 तक करीब 80 करोड़ थी। शहरी इलाकों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। हालांकि, बाजार में निजी कम्पनियों के कारण इसकी सुविधा में पिछले एक दशक में काफी बढ़ोतरी हुई है। देश के 55,000 गांवों में अगले 5 वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम – भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी–सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

4. ई–गवर्नेंस–प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार – सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आइडी कार्डों आदि की जहां जरूरत पड़े, वहां इसका ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण– यूआईडीएआई (आधार), पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा।

5. ई–क्रांति– सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी– इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई–एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों (ढाई लाख) को मुफ्त वाई–फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड एवं संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई–हेल्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–जेल, ई–प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय व्यवस्था के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो–एटीएम प्रोग्राम चलाया जाएगा।

6. सभी के लिए सूचना – इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दो तरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण– इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत 'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फैब–लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो–एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

8. नौकरियों के लिए आईटी– देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा

कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेंगी। गावों व छोटे शहरों में लोगों को आइटी से जुड़े नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा, यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा।

कम से कम अब हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही रोजगार समाप्ति की आशंका पाल लें। यह दूसरा भारत है जो इंटरनेट की बात आत्मविश्वास से करता है। कंप्यूटर के आने से रोजगार तो बढ़ा लेकिन बेरोजगारी दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं हुई। इंटरनेट के प्लेटफार्म पर होने वाले प्रयोगों से रोजगार की संभावनाएं पनप रही हैं।

हमारे देश में 90 करोड़ लोगों के पास फोन हैं जिसमें से 14 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्ट फोन है। फोन उपभोक्ताओं को भी हम स्मार्ट फोन और गैर स्मार्ट फोन में अमीर गरीब की तरह बांट सकते हैं। जिनके पास स्मार्ट फोन हैं उनमें से बहुत से लोग साधारण हैं जिसके आधार पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को इंटरनेट मिलने भर की देर है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके जरिये इसकी चुनौतियों और संभावनाओं पर बात करने का मौका मिल रहा है।

ट्वीटर पर फीडबैक से पता चलता कि बहुत से इंजीनियर और दूसरे विषयों के छात्र इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि अगर कोई अच्छी सुविधा होगी तो लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह भी है कि अब तक इसके बारे में कितने गरीब छात्रों को

जानकारी थी। एक तरह से देखिये तो सरकार ने अपनी तरफ से तो इन कोर्स के जरिये अमीर गरीब और शहर और गांव के बीच की खाई मिटा दी लेकिन असल में क्या हुआ, गांव और गरीब के बच्चे ने ज्यादा इस्तेमाल किया या शहरी बच्चे ने. इंटरनेट पर किसी चीज के हो जाने से समाज का अंतर नहीं समाप्त हो जाता है। इंटरनेट खाई मिटाने की चीज नहीं है। उसके आंगन में भी कई तरह की खाइयां हैं ,जैसे 4 जी बनाम 2 जी।

जरूरत है कि हम इसकी संभावनाओं और सुरक्षा के सवालों के बारे में सजग हों। हम कितने आराम से ई– कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आय कर भर रहे हैं। लेकिन अस्पताल में ऑनलाइन भुगतान या समय लेने से ऑपरेशन की तिथि कल मिल जाएगी यह तो नहीं होने वाला है। यही होगा कि भीड़ अब अस्पताल के बाहर नहीं दिखेगी। उसी तरह से जैसे ऑनलाइन टिकट की सुविधा से टिकट की खरीद में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और टिकटों की उपलब्धता भी बेहतर नहीं हो सकी। एक और उदाहरण, मोबाइल एप्स बना देने से चुनाव में सीमा से ज्यादा खर्च नहीं होगा इसकी गारंटी कौन देगा। हर कोई ई–गर्वनेंस को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त भारत से जोड़ देता है पर क्या जहां–जहां है वहां–वहां मुक्ति मिल गई है।

हमारे देश में नेटवर्क की इतनी समस्या है कि पहले लोग छत पर एंटिना घुमाने जाते थे ताकि दूरदर्शन का सिग्नल आ जाए आज कल लोग छत पर जाते हैं या बांध पर चले जाते हैं जहां से नेटवर्क पकड़ लें। इतना धीरे है कि भारत का स्थान दुनिया में 115 वां हैं। जाहिर है सरकार एक दिन में इन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती मगर सरकार के लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने।

डिजिटल इंडिया के सामने चुनौतियां

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को इसके लक्ष्य तक पहुंचाने की राह में कई चुनौतियां से जूझना पड़ेगा। इसमें मानव संसाधन यानी कर्मचारियों की कमी का मसला सबसे अहम हो सकता है।

देश में सूचनाओं को प्रेषित करने वाली संस्था नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के पास इस कार्य को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। सभी स्तर पर प्रोग्राम मैनेजर्स की जरूरत होगी, जिसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। वरिष्ठ स्तर पर कम से कम चार अधिकारियों की जरूरत होगी। साथ ही इसके लिए सभी मंत्रालयों को मुख्य सूचना अधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी की जरूरत होगी। इसके अलावा, एक अहम मसला वित्तीय संसाधनों से जुड़ा है। नेसकॉम के मुखिया आर चंद्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है।

आम जनता के हित में केन्द्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। मोदी सरकार की कोशिश यही है कि समाज के सबसे हाशिए पर बैठे लोगों के जीवन में बदलाव आए। हालांकि, भ्रष्टाचार के दीमक के कारण और अपने अधिकार के विषय में सूचना के अभाव के कारण लोगों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जो कि इसके हकदार होते हैं। यदि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया जाए और संप्रेषण को आसान बना दिया जाए, तो सरकार की योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होगी। गांव–पंचायत में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों–मसलन मनरेगा, इंदिरा आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं हैं, जो गांवों में चलाई जाती हैं।

शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक विकास की 29 ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने के लिए हम पंचायतों पर निर्भर हैं। देश के ग्रामीण तभी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, जब उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी होगी। अगर ग्रामीणों को इन योजनाओं की सही जानकारी दी जाए, इनमें खर्च की जाने वाले राशि और होने वाले काम के विषय में जानकारी हो तो वे अपने अधिकार मांग सकते हैं। यदि हर पंचायत में इंटरनेट हो, उनकी अपनी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में गांव–पंचायत से जुड़ी सभी सूचनाओं, योजनाओं, उनके निष्पादन की स्थिति का वर्णन हो तो गांव को इससे काफी फायदा होगा।

फूलचंद नागर, प्रबंधक,
बड़ौदा एपेक्स अकादमी
बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद

भारत के नवजवान अपनी सूचना प्रौद्योगिकीय प्रतिभा के बलबूते पर दुनिया को अचंभित कर रहे हैं। हमारे पूर्वज सांपों से खेला करते थे और आज का नवयुवक चूहों से खेलता हैः

–श्री नरेन्द्र मोदी

भारत में ई–शासन पहल ने नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने के साथ ही व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए 90 के दशक के मध्य में एक व्यापक आयाम ले लिया था। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) का शुभारंभ किया। साथ ही साथ कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न ई–शासन परियोजनाओं को शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों पर ओर अधिक जोर देकर देश में ई–शासन सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके उपरान्त देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की नवल पहल का भी मजबूत से अमलीकरण किया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन के साथ भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की है। डिजिटल इंडिया, भारत सरकार के द्वारा कल को बदलने का ब्लू प्रिंट हैं, जिसका लक्ष्य "भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलते हुए" आईटी (इंडियन टैलेंट) + आईटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) = आईटी (इंडिया टुमॉरो) को प्राप्त कर परिवर्तनकारी बनाना है। भारत के विकास रथ के उज्वल पथ को बनाने के लिय स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कंक्रीट का काम करेंगे। जो आज बिंदु सा दिख रहा हैं कल सम्पूर्ण विकास चक्र बन जायेगा।

डिजिटल इंडिया का विजन क्षेत्रः– "भारतवर्ष को डिजटली और आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाकर विकसित बनाना है" डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। यह सभी के व्यापक दृष्टिकोण के विचारों और सुझावों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है ताकि उन्हें किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने दम पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वह इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। डिजिटल इंडिया को सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के समग्र समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के लिए आवश्यक नौ स्तम्भों, अर्थात् ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई–शासन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई–क्रांति – सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रमों को बल प्रदान करना है।

- ई–क्रांति– डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश में ई–शासन, मोबाइल शासन और सुशासन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा "गवर्नेन्स के कायाकल्प के लिए ई–गवर्नेन्स का कायाकल्प" की दृष्टि से ई–क्रांति के दृष्टिकोण और प्रमुख घटक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25/03/2015 को अनुमोदित किया गया है। सभी नई और वर्तमान में जारी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं जिनका पुर्नोत्थान किया जा रहा है, अब इन परियोजनाओं को ई–क्रांति के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात् 'परिवर्तन न की रूपांतरण', 'एकीकृत सेवाएं न कि व्यक्तिगत सेवाएं', 'प्रत्येक एमएमपी में सरकारी प्रक्रिया में री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) को अनिवार्य किया जाना', 'मांग पर आईसीटी बुनियादी सुविधा', 'डिफॉल्ट रूप से क्लाउड', 'मोबाइल प्रथम', 'फास्ट ट्रैक स्वीकृति', 'मानक और प्रोटोकॉल अनिवार्य', 'भाषा स्थानीयकरण', 'राष्ट्रीय जीआईएस (भू–स्थानिक सूचना प्रणाली)', तथा 'सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण' के अनुरुप होना चाहिए।

ई–क्रांति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएं अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। नोटः ई– ट्रान्जेक्शन कॉउन्ट को ई–ताल (इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन एकत्रीकरण एवं विश्लेषण लेयर) पोर्टल से लिया गया है। राष्ट्रीय ई–लेन–देन के आंकड़े और मिशन मोड परियोजनाओं सहित राज्य स्तरीय ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल है। यह समय–समय पर वास्तविक समय के आधार पर वेब आधारित अनुप्रयोगों से लेन–देन के ऑकड़े प्राप्त करता है। ई–ताल सारणीबद्ध और ग्राफिकल रूप में लेन–देन की गिनती के त्वरित विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी – मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम प्रोग्राम और सीएससी/डाकघरों का उपयोग कर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ किया जाएगा।

शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी–ई–शिक्षा :– सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में मुक्त वाईफाई प्रदान किया जाएगा (यह कवरेज तकरीबन 250,000 स्कूलों तक होगा)। डिजिटल साक्षरता पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लाया जाएगा। ई–शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम (एमओओसीओस) का विकास और उद्यामन किया जाएगा।

हेल्थ के लिए प्रौद्योगिकी – ई–हेल्थकेयर :– ई–हेल्थकेयर के अन्तर्गत ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड, दवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति, रोगी की जानकारी का पूरे भारत में आदान प्रदान, आदि को कवर किया जाएगा। इसे 2015 में आरम्भ किया जाएगा और पूर्ण कवरेज 3 साल में प्रदान किया जाएगा।

किसानों के लिए प्रौद्योगिकी :– इससे किसानों को वास्तविक समय में कीमत की जानकारी, इनपुट का ऑनलाइन आदेश एंव ऑनलाइन कैस, ऋण और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से राहत भुगतान प्राप्त करने में सुविधा होगी।

सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी :– नागरिकों को समय रहते एहतियाती उपाय करने एवं जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए मोबाइल आधारित आपातकालीन सेवाएं और आपदा से संबंधित सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर प्रदान की जाएगी।

न्याय के लिए प्रौद्योगिकी :– अंतःप्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, को कई संबंधित आवेदनों जैसे ई–न्यायालयों, ई–पुलिस, ई–जेलों और ई–अभियोजन द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी :– राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केन्द्र

को देश के भीतर विश्वसनीय और सुरक्षित साइबर–स्पेस सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी तंत्र में सुधारः–

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम– इ–गवर्नेंस उज्ज्वल भविष्य का सुगम रास्ता होगा "

–श्री रवि शंकर प्रसाद

सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण – सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का आधार प्लेटफार्म, भुगतान गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफार्म, नागरिकों और व्यवसायों में सेवा डिलीवरी की सुविधा के लिए राष्ट्रीय, राज्य सेवा डिलिवरी गेटवे (एनएसडीजीध्एसएसडीजी) के रूप में ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मिडलवेयर के माध्यम से डाटा के आदान–प्रदान के लिए इसे एकीकृत और अंत:प्रचालनीय किया जाना चाहिए।

ओपन डाटा प्लेटफार्म– ओपन डाटा प्लेटफार्म मंत्रालयों/विभागों को उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण के लिए ओपन प्रारूप में डेटासेट के सक्रिय रिलीज की सुविधा देता है। सूचना और दस्तावेजों की ऑनलाइन होस्टिंग से नागरिकों को ओपन और आसानी से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होगी।

ऑनलाइन संग्रह – (डिजिटल लाकर) प्रमाण पत्र, शैक्षणिक डिग्री, पहचान दस्तावेजों आदि के लिए ऑनलाइन संग्रह का प्रयोग। जिससे नागरिकों को खुद भौतिक रूप से प्रस्तुत होकर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो।

फॉर्म का सरलीकरण और आकार में कमी– फार्म को सरल एंव उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा केवल न्यूनतम और आवश्यक जानकारी के साथ बनाया जाना चाहिए।

ऑनलाइन एप्लिकेशन और ट्रैकिंग –ऑनलाइन एप्लिकेशन और स्थिति ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

सरकार सोशल मीडिया की भागीदारी :– सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सूचित करने और उनसे बातचीत करने के लिए सक्रिय रुप से संलग्न करेगी। MyGov.in, शासन से नागरिकों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकार के साथ विचारों/सुझावों का आदान–प्रदान करने के माध्यम के रूप में, 26 जुलाई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इसमें सुशासन के लिए नागरिकों और सरकार के बीच टू–वे संचार की सुविधा होगी।

ऑनलाइन संदेश :– विशेष अवसरों/कार्यक्रमों पर नागरिकों को ऑनलाइन संदेश ई–मेल और एसएमएस के माध्यम से मदद की जाएगी।

ब्रॉडबैंड हाइवे :–

"भविष्य में आने वाली पीढ़ी अपने बसाव से पहले ब्रॉडबैंड हाइवे ढूंढेगी "

–श्री नरेन्द्र मोदी

सभी के लिए ब्रॉडबैंड–ग्रामीणः 2,50,000 ग्राम पंचायतों को दिसंबर 2016 तक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के तहत कवर किया जाएगा।

सभी के लिए ब्रॉडबैंड–शहरीः नए शहरी विकास और इमारतों में सेवा वितरण और संचार सुविधाओं को अनिवार्य करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों का उद्यामन किया जाएगा।

राष्ट्रीय सूचना संरचना (एनआईआई):– एनआईआई देश में पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के लिए उच्च गति कनेक्टिविटी और क्लाउड मंच प्रदान करने के लिए नेटवर्क और क्लाउड अवसंरचना द्वारा एकीकृत होगा। इन अवसंरचना के घटकों में, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क (एनकेएन), राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन), सरकारी प्रयोक्ता नेटवर्क (जीयूएन) और मेघराज क्लाउड नेटवर्क शामिल है।

"डिजिटल इंडिया का लक्ष्य दूर–सुदूर गरीब–ग्रामीण को देश प्रगति पथ पर लाना हैं"

–श्री मुकेश अम्बानी

देश में करीब 55,619 गांव ऐसे है जहाँ मोबाइल कवरेज नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए व्यापक विकास योजना को ऐसे गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान कराने के लिए शुरू किया गया है। मोबाइल कवरेज से वंचित गांवों को चरणबद्ध तरीके से मोबाइल कवरेज मुहैया कराया जाएगा। इसकी लागत 2014–18 के दौरान 16,000 करोड़ रु. के आसपास होगी।

पब्लिक इंटरनेट एसेस कार्यक्रम– "पब्लिक इंटरनेट एसेस कार्यक्रम का प्रयोजन गरीबी और अमीरी की खाई को पाटना हैं"

सामान्य सेवा केंद्रः– सीएससी को मजबूत किया जाएगा और इसके परिचालन की संख्या वर्तमान में लगभग 135,000 से 250,000 तक बढ़ जाएगी, अर्थात प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीएससी। सीएससी को सरकारी और व्यापार सेवाओं के वितरण के लिए व्यवहार्य और बहुआयामी एंड–प्वाइंट दिया जाएगा।

बहु–सेवा केन्द्रों के रूप में डाक घरः– 150,000 डाक घरों को बहु सेवा केंद्रों में तब्दील करने का प्रस्ताव है। सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाना आवश्यक है इसके लिए आईटी का उपयोग कर री–इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण है,

नेट जीरो आयात के असाधारण लक्ष्य को हासिल करनाः– इस स्तंभ आशय का एक असाधारण प्रदर्शन के रूप में 2020 तक नेट शून्य आयात के लक्ष्य के साथ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, जैसेः

1. कराधान, प्रोत्साहन
2. अर्थव्यवस्था का पैमाना, लागत नुकसान को कम करना
3. फोकस क्षेत्र – बिग टिकट आइटम
4. फैबस, फैब लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसैट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो–एटीएम।
5. इन्क्यूबेटर, क्लस्टर
6. कौशल विकास, पीएचडी कर रहें छात्रों को प्रोत्साहित करना।
7. सरकारी खरीद
8. सुरक्षा के मानक – अनिवार्य पंजीकरण, प्रयोगशालाओं और लघु उद्योगों के लिए सहायता
9. राष्ट्रीय पुरस्कार, विपणन, ब्रांड बिल्डिंग
10. राष्ट्रीय केंद्र – फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा बल
11. इलेक्ट्रॉनिक्स में आर एंड डी

वर्तमान में चल रहे कई कार्यक्रमों को ठीक से समायोजित किया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा ढांचा अपर्याप्त हैं और इसे मजबूत बनाने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़ती जा रही है और 2020 तक 400 अरब डालर तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत सरकार भी इस क्षेत्र में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही हैद्य

"डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य भौगोलिक डिविडेन्ड की तकनीकीय क्षमता को भौतिकीय डिविडेंड में बदलना हैं"
–श्री नरेन्द्र मोदी

इस स्तंभ का ध्यान आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कराने पर केंद्रित है।

1. छोटे कस्बों और गांवों के लोगों के लिए आईटी प्रशिक्षण
2. इस घटक का लक्ष्य 5 वर्षों में आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों के एक करोड़ छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
3. पूर्वोत्तर राज्यों में आईटी/आईटीईएस इस घटक का लक्ष्य राज्यों में आईसीटी सक्षम वृद्धि की सुविधा के लिए हर उत्तर–पूर्वी राज्य में बीपीओ की स्थापना पर केंद्रित है।
4. प्रशिक्षण सेवा डिलिवरी एजेंट व्यवहार्य रूप में बिजनेस डिलिवरी और आईटी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तीन लाख सेवा डिलिवरी एजेंटों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित है। टेलीकॉम और दूरसंचार से संबंधित सेवाओं पर ग्रामीण श्रमिकों का प्रशिक्षण।
5. इस घटक का ध्यान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पांच लाख ग्रामीण श्रमिकों को दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपीएस) के प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

उत्तर पूर्व बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस)

भारतीय बीपीओ उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और भारत धीरे–धीरे विश्व स्तर पर बीपीओ के प्रमुख निर्दिष्ट स्थान के रूप में उभरा है। परिचालन लागत प्रभावशीलता, कुशल मानव शक्ति और रोजगार के अवसरों के लिए बढ़ती मांग सहित कई अन्य कारकों ने देश में बीपीओ उद्योग के तीव्र विकास में योगदान दिया है।

- शीघ्र कटाई कार्यक्रम में मूल रूप से उन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा हैं जिन्हें कम समय के भीतर लागू किया जाना है। अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं हैः

1. संदेशों के लिए आईटी प्लेटफार्म
2. सरकारी शुभकामनाएं ई–शुभकामनाओं के रूप में होंगी
3. बॉयोमैट्रिक उपस्थिति
4. सभी विश्वविद्यालयों में वाई–फाई
5. सरकार के भीतर सुरक्षित ई–मेल
6. सरकारी ई–मेल डिजाइन का मानकीकरण
7. सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट
8. विद्यालयी पुस्तकों की ई–पुस्तकों के रूप में उपलब्धता
9. एसएमएस आधारित मौसम की जानकारी, आपदा अलर्ट
10. खोया और पाया बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम प्रबंधन संरचनाः– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया पर निगरानी समिति होगी, डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह की संरचना, संचार एंव आईटी मंत्री और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति होगी । संरचना को लागू करने के लिए विभागों टीमों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सचिव/निगरानी/तकनीकी सहायता, शक्ति और जिम्मेदारी का उचित विकेंद्रीकरण है।

कार्यक्रम प्रबंधन संरचना के प्रमुख घटक इस प्रकार होगें:–

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर निगरानी समिति, जो नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रासंगिक मंत्रालयों/विभागों के द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ गठित कि जाएगी, ये समिति निर्धारित डिलिवरेबल्स एंव माइलस्टोन के साथ समय–समय पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के की निगरानी करेगी।

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नीतिगत फैसलों का कार्यान्वयन करेगी.
2. बाहरी हितधारकों के सुझाव जानने, डिजिटल इंडिया के नीतिगत मुद्दों पर निगरानी समिति को जानकारी प्रदान करने और केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेपों पर सरकार को सलाह देने के लिए संचार और आईटी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह की स्थापना।

डिजिटल भारत सप्ताह की परिकल्पनाः–

डिजिटल भारत सप्ताह के रूप में कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा जिनका काम होगाः–

1. डिजिटल भारत के संदेश को असरदार ढंग से पहुँचाना।
2. सीएससी/पोस्ट ऑफिसों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों आदि जैसे अनेक डिजिटल उपस्थिती स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से नागरिकों को सूचित करना, शिक्षित करना और शामिल करना।
3. डिजिटल मीडिया अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को जोड़ना।
4. सभी को कार्यक्रम की परिकल्पना, सेवाओं और लाभ के बारे में जानकारी देना।
5. मौजूदा ई–सेवाओं की पहुँच को लोकप्रिय बनाना और प्रसार करना, नई सेवाओं की योजना बनाना और आरंभ करना।
6. व्यावहारिक डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता पर नागरिकों को शिक्षित करना, डिजिटल भारत सप्ताह के दौरान और उसके पश्चात डिजिटल बुनियादी ढांचों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना।

उपसंहारः – भारतवर्ष को जगत–गुरु का पद पाना हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी को उत्तम और साइबर सुरक्षा को सर्वोतम बनाना होगाद्य डिजिटल इंडिया मिशन कामयाब तभी होगा जब हम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोपरि होंगे अन्यथा डिजिटल इंडिया ध्वस्त इंडिया में बदल जाएगा। हम आशा करेंगे कि भारत के कर्णधार साइबर स्पेस में आतंकिय गतिविधियो जैसे डराना–धमकाना, लूटना, रचना–स्वत्व उल्लंघन करना और साहित्यिक चोरी पर लगाम लगा पाएंगे और डिजटली तंदुरुस्ती के साथ जीवन मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, प्रतिष्ठा, संवेदना, लचीलापन और अखंडता को बरकरार रखते विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे।

ऋचा अरोड़ा, कार्यकारी,
न्यू हैबीटेट हाउसिंग फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट लिमिटेड

डिजिटल इण्डिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गई नई पहल है जिसमें रिलाईन्स जैसी कई बड़ी कम्पनियों ने हिसाब लिया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत को डिजीटल जिहाल से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इस कार्यक्रम के तहत न सिर्फ भारत के शहरी इलाकों और बड़े राज्यों का विकास होगा, बल्कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों के जीवन को सरल बनाना है, जिसके चलते कई बड़े कदम उठाने की योजना की गई है। गाँवों में शहरों की तरह इंटरनेट और ब्रोडबैण्ड की सुविधायें देने के साथ –साथ युवाओं को उच्च दर्जे की ट्रेनिंग दी जानी भी इस कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक अथवा कागज रहित करना जिससे नागरिकों को कम समय और कम खर्च के अन्दर ज्यादा सुविधायें मिलें और सरकारी दफ्तरों का कार्य भी जल्दी हो सके। इस सेवा से न सिर्फ कार्य समय पर पूरे होंगे, बल्कि रिश्वतखारी और नौकरशाही से भी छुटकारा मिलेगा। इससे देश के नागरिकों का विश्वास सरकार और सरकारी कामकाजों में भी बढ़ेगा। जिसके चलते कई भारत कंपनियां एवं विदेशी कंपनियां भी भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

डिजिटल इण्डिया का आयोजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है :–

1. हर नागरिक को डिजिटल सुविधायें उपलब्ध कराना।
2. सरकारी सेवायें डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक कम वक्त, कम खर्च और सरल तरीके से पहुंचाना।
3. भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रचार करना।

इसके अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रमुख सेवायें निम्न हैं :–

1. विश्वविद्यालयों को वाई–फाई युक्त करना।
2. दूर और छोटे गाँवों में इंटरनेट की सुविधायें देना।
3. डाकघरों में ई–सेवायें उपलब्ध कराना।
4. सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी।
5. नागरिक संचार पहल अथवा सभी के लिए सूचना।
6. ब्रॉडबैंड हाई–वे
7. नौकरियों के लिए आई–टी।
8. ई–गर्वनैन्स तकनीकी के जरिये सरकारी सेवाओं में सुधार आदि।

2. इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरों के साथ–साथ गाँव में भी इंटरनेट जैसी सुविधायें आसानी से उपलब्ध करायी जा सकेंगी तथा सभी गाँवों को ब्राडबैंड से जोड़कर हाई–स्पीड इंटरनेट सुविधाए दी जायेंगी। इससे दूर बसे छोटे–छोटे गाँवों में भी ई–गर्वनैन्स, ई–एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक हार्वेस्ट जैसी सुविधायें भी प्राप्त होंगी। स्कूलों और गांवों में इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल क्लास की व्यवस्था भी की जा सकेगी। इससे संदर्भित सभी जानकारी www.digitalindia.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

3. इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया वीक भी आयोजित किया जिसके अन्तर्गत भारत के सभी नागरिकों को इस कार्यक्रम की योजनाओं, सेवाओं और उसके लाभ के बारे में अवगत कराया गया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से "मेक इन इंडिया" इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना को

बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक माना जा रहा है। इसके तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण का केन्द्र विकसित किया जायेगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पूरा करना भारत के लिए एक बढ़ी चुनौती है। ब्रॉडबैंड हार्डवेयर, इंटरनेट जैसी सुविधायें देना ही पर्याप्त नहीं है। अगर इन सुविधायें को इस्तेमाल करना ही लोगों के लिए कठिन हो तो ऐसी तकनीकों का कोई लाभ नहीं है। इसके लाभ के लिए इन तकनीकों का उतना ही जरूरी है। सरकार ने इसके लिए करीब एक करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना भी तैयार की है जो बाकी नागरिकों को भी इसका उपयोग करने में मदद करेंगे। खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी लोग कम्प्यूटर और उसके लाभ से अपरिचित हैं।

4. इस काम में न सिर्फ सरकार बल्कि कई बड़े उद्योगपतियों का भी सहयोग मिलेगा। सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी जैसे कई बड़े उद्योगपतियों ने इसमें निवेश करने में रूचि दिखाई है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 तक पूरा करने की योजना है।

भारत जैसे बड़े देश में इतना बड़ा बदलाव लाना इतना आसान नहीं होगा। कई गाँवों में जहां बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती वहाँ इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीक लाना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। भारत की यह नई शुरूआत भारत की सरकार ही नहीं भारत के नागरिकों का भी पूरा सहयोग माँगती है, ताकि इस बदलाव को वो पूरी तरह सहयोग करें और अपना सकें।

वरुण कुमावत
बी. ई. सुचना प्रोधोगिकी ,
पी. जी. डी. बी. फ.

डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है, जो कि हर नागरिक के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं, ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस योजना के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर नागरिक को आधुनिक तकनीक का लाभ मिल पाए।

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ–साथ देश में सूचना–प्रोधोगिकी का प्रचार–प्रसार करना है, भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना है।

डिजिटल इंडिया के कार्य–क्षेत्र के मुख्य नौ स्तंभ निम्नलिखित हैं :–

यहां उपरोक्त कार्यक्षेत्र पर संक्षिप्त चर्चा करना भी आवश्यक तथा तर्कसंगत होगा :–

1. ब्रॉडबैंड हाइवे – सड़क हाइवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत देश के आखरी घर तक ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

2. सभी नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार स्तम्भ मोबाईल फोन है। सरकार ने डिजिटल योजना के माध्यम से सभी नागरिकों तक टेलीफोन की सुविधा पहुँचाने की कार्य–योजना बनाई है।

3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम जिसके तहत इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस कार्य–योजना के तहत सभी गांवों तथा शहरों में सार्वजनिक स्थल पर फ्री इंटरनेट सेवाएं एक्सेस की जाएगी।

4. ई–गवर्नेंस – इसके अंतर्गत तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आरम्भ से ही ई–गवर्नेंस के पक्ष में रहे हैं। ई–गवर्नेंस के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

5. ई–क्रांति – इसके तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को मुहैया कराया जाएगा। ई–क्रांति अर्थात इलेक्ट्रॉनिक क्रान्ति, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उपलब्ध कराने की योजना है।

6. इंफोर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराना है।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन – सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल–पुर्जों के आयात को शून्य करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुरूआत से ही "मेड इन इंडिया" का आह्वाहन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को भारत में निर्माण करने पर बल देता है।

8. आईटी फॉर जॉब्स यानी सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक नौकरियां पैदा की जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का उपयोग करके युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर पैदा करना है।

9. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम – इसका संबंध स्कूल–कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाजिरी से है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों को शामिल किया गया है।

आज का दौर सूचना क्रांति का दौर है, जिसमें मोबाईल फोन, इंटरनेट अहम भूमिका निभा रहा है। आज का भारत विकसित देशों की श्रेणी में अपने को शामिल कर चुका है। एक विकसित देश के रूप में यह आवश्यक है कि हम सूचना–प्रौधोगिकी की दिशा में नए कदम उठाएं तथा नई पहल करें। वर्तमान की बीजेपी सरकार हमारे देश को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से सश्क्त तथा प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयासरत तथा प्रतिबद्ध है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके जन–जन तक आधुनिक तकनीक की रोशनी पहुंचाना है।

सरकार का पहला लक्ष्य है ब्रॉडबैंड हाइवे। इसके तहत देश के आखिरी घर तक ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का प्रोग्राम, जो तीन–चार साल पीछे चल रहा है। आधुनिक फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सरकार का दूसरा लक्ष्य है सबके पास फोन की उपलब्धता, जिसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास फोन खरीदने की क्षमता हो। ख्याल अच्छा है लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि क्या सबके पास फोन खरीदने की क्षमता आ गई है या फिर सरकार अगर ये सोच रही है कि वो खुद सस्ते फोन बनाएगी तो इसके लिए तकनीक और तैयारी कहां है?

तीसरा स्तंभ है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम

हर किसी के लिए इंटरनेट हो यह अच्छी बात है। इसके लिए पीसीओ के तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाए जा सकते हैं। ये पीसीओ आसानी से समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन हर पंचायत के स्तर पर इसको लगाना और चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसी के चलते पिछले कई साल से योजना लंबित है।

चौथा है ई–गवर्नेंस। यानी सरकारी दफ्तरों को डिजीटल बनाना और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का। इसे लागू करने का पिछला अनुभव बताता है कि दफ्तर डिजीटल होने के बाद भी उनमें काम करने वाले लोग डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं। इसका तोड़ निकालने का कोई नया तरीका ढूंढा है क्या सरकार ने?

ई–क्रांति

ये ई–गवर्नेंस से जुड़ा मसला है और सरकार की मंशा है कि इंटरनेट के जरिए विकास गांव–गांव तक पहुंचे। मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ई–क्रांति के लिए हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा प्रशिक्षण और उपकरण सबकुछ डिजिटल होना जरूरी है। अगर हमने सरकार के ढांचे को इंटरनेट से नहीं जोड़ा तो फिर इसके तहत डिलीवरी कैसे करेंगे? और अगर कर भी दी, तो सही में इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसमें बड़ी धांधली होती है।

सरकार ने अपने लिए छठा लक्ष्य रखा है इंफोर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अभाव में यह कैसे संभव है? इसके लिए जरूरी है अच्छा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर होना ताकि लोग आसानी से जानकारियां पा सकें। साथ ही इसके तहत सिर्फ सूचनाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है या जमीनी सूचनाएं इक्ठ्ठी करना भी है। अगर सिर्फ पहुंचाना मकसद है तो यह गैर–लोकतांत्रिक है।

सातवां लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का। इसके तहत उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल–पुर्जों के आयात को शून्य करना है। यह कभी भी संभव नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है व्यापार करना। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन का सवाल है तो अभी तक हम इस मामले में शहरों तक ही सीमित हैं और गांवों तक जा ही नहीं रहे हैं। इसमें नीति और नियमितता की चुनौतियां बहुत ज्यादा है।

आठवां है आईटी फॉर जॉब्स। सरकार अगर आईटी क्षेत्र के जरिए नौकरियां पैदा करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से हर ब्लॉक स्तर पर हमें रूरल बीपीओ खोल देना चाहिए। रुरल बीपीओ प्रोग्राम से रोजगार के अवसर भी बनेंगे, डिजिटाइजेशन और ई–गवर्नेंस भी होगा। ये काम भी पिछले कई साल से लंबित है।

डिजीटल क्रांति के लिए नौवां स्तंभ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। यह लक्ष्य समझ से परे है। मोटे तौर पर इसका संबंध दफ्तरों और स्कूल–कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाजिरी से है, लेकिन सरकार इसके जरिए क्या करना चाहती है ये जनना जरूरी है।

डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, जिसके मूल में आम जनता तक सूचना क्रान्ति की लौ पहुंचाना है लेकिन इस परियोजना की सफलता को लेकर कभी–कभी संदेह भी होता है, लेकिन यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस परियोजना की अभी शुरूआत है तथा इसे अभी बहुत आगे तक जाना है।

नरेश कुमार शर्मा
सहायक प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
अहमदाबाद

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश की 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गावों को ब्राडबैंड से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि यह कार्यक्रम 2017 तक हर गाँव तक पहुचे। इसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब तक इस योजना से 55,000 पंचायतें जोड़ी जा चुकी हैं। इन पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही 1.70 लाख आई टी पेशेवर तैयार करने का भी सरकार का लक्ष्य है जिसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रोनिक स्किल डेवेलपमेंट योजना कि शुरुआत कि है

भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन की आवश्यकता है। हर रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो गया है ताकि प्रदर्शन, सुरक्षा, रखरखाव को बेहतर किया जा सके।

सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जो सभी प्रकार के ई–प्रशिक्षण सामग्री (शिक्षकों एवं छात्रों, दोनों के लिए) से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। वर्ग 6 से ऊपर के सभी छात्रों को टेबलेट, जैसे– आकाश– दिया जाना चाहिए जो कि देशवाशियों को सरकार से सीधे जोड़ने में मददगार हों। –प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी और त्वरित बदलाव लाने में अहम है। लोगों को इसकी महत्ता के बारे में बताना एवं इसका व्यापक उपयोग निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, जैसे– टीसीएस द्वारा पासपोर्ट प्रक्रिया की शुरूआत की की गई। सरकार को लोगों को शिक्षित करना चाहिए और मोबाइल उपकरणों पर आसानी से इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी क्षेत्रीय और सहकारी बैंकों को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

आरएफआईडी अर्थात रेडियो आवृत्ति पहचान बार कोड पहचान के समान ही एक तकनीक है। यह छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ एकीकृत किया जा सकता है और एकल उपयोगकर्ता की पहचान के लिए व्यक्तिगत फोनों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा किए गए लेन–देन में, खरीददारी, यात्रा, होटल एवं रेस्तरां के बिल, बिजली, पानी, गैस, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, नौकायान इत्यादि से संबंधित बिलों का एक जगह भुगतान हो

बेहतर संचार, जानकारी साझा करने और हमारे देश के डिजिटलीकरण के लिए संपूर्ण भारत में मुफ्त वाईफाई सक्रिय किया जाना चाहिए।

हरेक गांव में ई–सेवा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि लोगों को सभी सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा सके।

जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभ उठाई जाने वाली सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों से जोड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। एक

निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ सेवाएं केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही उपलब्ध रहेंगी। केरल का 'अक्षय केन्द्र' मॉडल सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहद सफल रहा है। लोग वहां जाकर सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस्ड (प्रसंस्कृत) की जाती हैं और एक निश्चित समय के भीतर सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई रिश्वत नहीं, कोई चिंता नहीं।

न्यायिक प्रणाली को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर उसे पुलिस विभाग, सीबीआई, फॉरेंसिक आदि के साथ जोड़ा जाए ताकि अवांछित एवं जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके।

ई–वोटिंग के माध्यम से छात्रों को मतदान का अधिकार दिया जाए। दूर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्र चुनाव के समय दूरी की वजह से मतदान नहीं कर पाते हैं। ई–वोटिंग के लिए एक अलग वेबसाइट शुरू की जानी चाहिए। अगर एक छात्र अपने सही प्रलेखों के साथ ऑनलाइन वोटिंग के लिए अनुरोध करता है तो उसे एक पासवर्ड भेजा जाना चाहिए ताकि वह ई–वोटिंग कर सके।

सरकार ने पहले ही 'भारतीय नागरिक पहचान कार्ड' (आईसीआईसी) परियोजना के रूप में एक सही कदम उठाया है। इस केंद्रीय डेटाबेस में सभी नागरिकों से संबंधित सभी जानकारियां, जैसे – जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षिक प्रमाण–पत्र, वोटर पहचान–पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, गैस, बिजली, टेलीफोन उपभोक्ता आईडी, बैंक खाता संख्या, बॉयोमीट्रिक्स, बीमा, वाहन पंजीकरण इत्यादि होनी चाहिए। सभी नागरिकों को एकल डिजिटल आईसीआईसी या एक नंबर दिया जाना चाहिए। लोगों को यह नंबर याद रखना चाहिए। उस कार्ड या नंबर को सभी तरह की आवश्यकताओं, चाहे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, अस्पताल में भर्ती करने के समय, यातायात चौकियों, बीमा लेने के समय, रेल–हवाई टिकट, रंगीन टीवी खरीदने, के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

सभी सरकारी या निजी निकायों को मोबाइल के एक आसान अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के माध्यम से आईसीआईसी नंबर सत्यापित करने होंगे जिसमें अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) में आईसीआईसी नंबर डालते ही नागरिकों के सारे विवरण देखे जा सकते हैं। यह अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) अंगूठे के निशान से भी सत्यापण कार्य कर सके। (तकनीक के माध्यम से यह संभव है)। इससे न सिर्फ नागरिकों को आसानी होगी बल्कि भ्रष्टाचार कम करने में भी मदद मिलेगी। इन्हीं सभी कामों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, उसे डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है।

यह डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था (नॉलेज बेस्ड इकॉनमी) बनाने के लिए एक कार्यक्रम है। यह 7 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान शुरू किया गया और यह कार्यक्रम 2014 वर्ष से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है जो यह सुनिश्चित करेगा की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों।

21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. ब्रॉडबैंड हाइवेज– सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसीज) के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न फ्रीक्वेंसीज या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है।

इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समयसीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन सालों के भीतर देशभर के ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करायी जायेंगी।

2. मोबाइल कनेक्टिविटी सभी के लिए – देशभर में तकरीबन सवा अरब की आबादी में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या जून, 2014 तक करीब 80 करोड़ थी। शहरी इलाकों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। हालांकि, बाजार में निजी कंपनियों के कारण इसकी सुविधा में पिछले एक दशक में काफी बढ़ोतरी हुई है।

देश के 55,000 गांवों में अगले पांच वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम– भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी–सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

4. ई–गवर्नेंस– प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार को सुधारना– सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आइडी कार्डस आदि की जहां जरूरत पड़े, वहां इसका ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण– यूआइडीएआइ (आधार), पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा।

5. ई–क्रांति– सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी– इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई–एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों (ढाई लाख) को मुफ्त वाइ–फाइ की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई–हेल्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–जेल, ई–प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो–एटीएम प्रोग्राम चलाया जाएगा।

6. सभी के लिए जानकारी– इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर

सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता– इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत 'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फैब–लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्डस, माइक्रो–एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

8. रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी – देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आइटी से जुड़े जॉब्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आइटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

9. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चुनौतियां:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को इसके लक्ष्य तक पहुंचाने की राह में कई चुनौतियां से जूझना पड़ेगा। इसमें मानव संसाधन यानी कर्मचारियों की कमी का मसला सबसे अहम हो सकता है। देश में सूचनाओं को प्रेषित करने वाली संस्था नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के पास इस टास्क को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। सभी स्तर पर प्रोग्राम मैनेजर्स की जरूरत होगी, जिसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। वरिष्ठ स्तर पर कम से कम चार अधिकारियों की जरूरत होगी। साथ ही इसके लिए सभी मंत्रालयों को मुख्य सूचना अधिकारी/मुख्य तकनीकी अधिकारी की जरूरत होगी। इसके अलावा, एक अहम मसला वित्तीय संसाधनों से जुड़ा है।

यदि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया जाए और संप्रेषण को आसान बना दिया जाए, तो सरकार की योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होगी। गांव–पंचायत में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों–मसलन मनरेगा, इंदिरा आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं हैं, जो गांवों में चलाई जाती हैं। शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक विकास की 29 ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें लागू करने के लिए हम पंचायतों पर निर्भर हैं। देश के ग्रामीण तभी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, जब उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी होगी। अगर ग्रामीणों को इन योजनाओं की सही जानकारी दी जाए, इनमें खर्च की जाने वाले राशि और होने वाले काम के विषय में जानकारी हो तो वे अपने अधिकार मांग सकते हैं। यदि हर पंचायत में इंटरनेट हो, उनकी अपनी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में गांव–पंचायत से जुड़ी सभी सूचनाओं, योजनाओं, उनके निष्पादन की स्थिति का वर्णन हो तो गांव को इससे काफी फायदा होगा।

सीमित नही हो :

पिछले कुछेक वर्षों में मोबाइल ने लोगों के जीवन को सरल बनाया है। आज मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी है। इसके जरिए हम जनता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सिर्फ सरकारी योजनाओं या सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखने से बात नहीं बनेगी। इसके तहत कुछेक साझेदारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर कुछ विशेष क्षेत्रों को चिह्नित करके सरकार इस दिशा में आगे बढ़े तो एक निश्चित समय सीमा के तहत इसका काफी फायदा हो सकता है। सरकार को इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एनजीओ को भी शामिल करना चाहिए। समाज से जुड़े इस क्षेत्र की पहुंच गांव–गांव तक है।

एक तरफ सरकार सभी विभागों की सारी सूचनाएं वेबसाइट पर डालने की बात कर रही है। विकास कार्यक्रमों में एनजीओ की भी भागीदारी है, जिनके जरिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च की जा रही है। यदि इन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को नुकसान पहुंचेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र पब्लिक लाइब्रेरी है। देश के सभी पब्लिक लाइब्रेरी को डिजिटल इंडिया से जोड़ना चाहिए, ताकि न सिर्फ ज्ञान का संवर्धन हो, बल्कि युवा तकनीकी रूप से भी दक्ष होंगे और इस कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सौजन्य से उत्तर प्रदेश में आठ पब्लिक लाइब्रेरी को और पश्चिम चंपारण में इन्हें डिजिटल करने का काम शुरू किया है, और इसका फायदा भी हुआ है। इसी तरह मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कही जा रही है।

मदरसों को अगर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाए तो एक उन्हें अपने परंपरागत शिक्षा माध्यमों से फायदा मिलेगा और दूसरी तरफ वे इंटरनेट से जुड़कर आधुनिक ज्ञान–विज्ञान से परिचित होंगे। इसी तरह सामुदायिक रेडियो को बढ़ाना चाहिए। यह दूरस्थ इलाकों के लिए मोबाइल की तरह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सहयोगी हो सकता है। सरकार ने जन–धन योजना शुरूआत की है। इसका लक्ष्य है, लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर हो। इसलिए डिजिटल इंडिया के तहत जितना मशीनीकरण होगा, कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग उतनी ही आसान होगी और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। 90 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में से एक होने बावजूद भारत के पास ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले बहुत कम स्पेक्ट्रम है। इसलिए अगर भारत सरकार डिजिटल इंडिया का अपना सपना साकार करना चाहती है तो उसे अधिक से अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना चाहिए।

पूरे देश में बैंडविड्थ की बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से इंटरनेट बहुत 'धीमा' चलता है। 'डिजिटल इंडिया' और 'फ्री' वाई–फाई जैसी चीजों के बारे में कहने से पहले बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर ही बहुत काम करने की जरूरत है। फिलहाल, हमारा देश इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह 'विदेशियों पर निर्भर' हैं। एक छोटा उद्‌ममी अपना सेटअप लगाना चाहे तो यह 'संभव' ही नहीं है। सारे सर्वर विदेशियों के 'हवाले' हैं और तो इसके चलते भारत में वेबसाइट बनवाने और चलाने वाले ग्राहक कहते हैं कि सर्वर 'अमेरिका' का होना चाहिए जो कि बहुत 'सस्ता' और 'बेहतर' होता है।

डिजिटल सेवाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में पहले कुछ बुनियादी जरूरतें बढ़ाने पर जोर देते हैं। जैसेकि नए मोबाइल टावरों की कमी है। डेढ़ लाख गांवों में बिजली नहीं है। यानी गांवों में सिर्फ ब्रॉडबैंड पहुंचाने भर से काम नहीं चलेगा, यह तय करना होगा कि उन सेवाओं का इस्तेमाल करने में लोग सक्षम हों। ये सेवाएं उनके लिए किफायती हों तथा ग्रामीण लोग डिजिटल डिवाइस और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हों। साथ ही सरकार को अपनी सेवाओं में ई–डिलिवरी, ई–ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना होगा।

वित्तीय समावेशन

श्रीमती अनिता रैलन
केनरा बैंक, दिल्ली

किसी भी देश के राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के परिप्रेक्ष्य में समावेशन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। आर्थिक विकास के बिना कोई भी समाज वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। वित्तीय समावेशन से सकारात्मक अभिप्राय यह है कि बुनियादी बैंकिंग सेवाएं कम सुविधा वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों तक उपलब्ध कराई जाएं ताकि जनसाधारण अनिश्चित मुद्रा बाजार और कर्ज देने वाले साहूकारों से निजात पा सके, परन्तु इसे व्यावहारिक धरातल में उतारना उतना ही कठिन है जितना कहना सहज। देश के लिए यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है। पर जीवन में उतारना राष्ट्र के लिए कठिन चुनौती हो सकती है। यह एक कड़वा सच है कि विकास के फल केवल कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते है तथा समाज का एक बड़ा वर्ग उससे वंचित रहता है। भारत के संदर्भ में कहना होगा आज भी मुट्ठी भर रहीसों की तुलना में करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हैं।

वित्तीय समावेशन क्या है: आखिरकार समावेशन है क्या, सर्वप्रथम यह जानना अति आवश्यक है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है वित्तीय सहायता को समाज के कमजोर वर्गों एवं गरीब जनता को देश की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना।

भारतीय रिवर्ज बैंक के उपगर्वनर के शब्दों में :– ''वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले समूहों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना जो वह आसानी से वहन कर सकें। हमारी सार्वजनिक नीति के अनुसार बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं में आती है अतः सार्वजनिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है देश की समस्त जनता को बैंकिंग और भुगतान सेवाएं बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य रूप से उपलब्ध न हो।''

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. वित्तीय सहायता से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना ।
2. गांवों में एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना
3. प्रत्येम परिवार का कम से कम एक बचत खाता खोलना ।
4. जमीदारों के चंगुल से निकालने हेतु कम दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करवाना ।
5. जाति व वर्ग से ऊपर उठकर वित्तीय सेवाएं प्रदान कराना ।

भारत में वित्तीय समावेशन का शुभारंभ वर्ष 1969 में चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण से माना जा सकता है। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को जन–जन पहुंचाने का प्रयास किया गया शाखाओं की संख्या में दिनों दिन वृद्वि हुई, उन क्षेत्रों में भी बैंक शाखाएं खुली जहां की जनता इन सेवाओं से वंचित थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति–प्राप्त प्रबंधन गुरू सी.के. प्रहलाद का कहना कि पिरामिड़ के निचले भाग को लक्ष्य बनाकर व्यवसाय करने पर ही अधिक सफलता मिल सकती है, उचित प्रतीत होता है। क्योंकि देश के 78% परिवारों का औपचारिक रूप से किसी भी वितीय संस्था से न जुड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ा बाजार बैंकों को अपना व्यवसाय तेज गति से बढ़ाने हेतु उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश के माध्यम से अपनी वार्षिक नीति में बैंकों से आग्रह किया हैं कि वे अपनी वर्तमान पद्धतियों की समीक्षा करें तथा अपनी सेवाएं आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उसमें आवश्यक बदलाव लाएं ।

वित्तीय समावेशन हेतु प्रयासः– भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर एवं प्रसिद्व अर्थशास्त्री डा0 श्री सी.रंगराजन की अध्यक्षता मे वितीय समावेशन पर एक समिति का गठन किया गया था जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गई जो इस प्रकार हैं–

1. वित्तीय समावेशन हेतु युवा शिक्षित बेरोजगारों को उन्हीं के क्षेत्रों में जहां वह निवास करते हैं (व्यवसाय प्रतिनिधि बनाना) प्रत्येक को 3–5 ग्रामों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है । तथा समस्त परिवारों को वित्तीय समावेशन की परिधि में लाया जा सकता है। देश में लगभग 5–6 लाख गांव हैं एवं बैंकों की 78000 से आधिक शाखाएं कार्यरत हैं। प्रतिनिधि नियुक्त करने से समस्त परिवारों को वित्तीय समावेशन की परिधि में लाया जा सकेगा ।
2. प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा सकता है जिसके द्वारा एटीएम, स्मार्ट कार्ड का उपयोग तथा टेली बैंकिंग को शीघ्र ही प्रयोग में लाने की आवश्यकता है ।
3. भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा नीति (2005–2006) की मध्यावधि समीक्षा के समय बैंकों की शाखाओं विशेष रूप से ग्रामीण शाखाओं में अधिक से अधिक जमा खाते खोलने के लिए नवीनतम बैंकिंग जमा उत्पाद ''नो फ्रिल जमा खाता'' प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शून्य शेष की सुविधा उपलब्ध है इनके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत ''अपने ग्राहक को जानिये मानदडों में भी छूट दी गई है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाता खोलना संभव हो सके। परिणाम उत्साहवर्धक रहे एवं लाखों की संख्या में No frill SB Account खोले जा चुके हैं। यही नहीं सामान्य क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्द्व शहरी क्षेत्रों में बहुत ही आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही है, कृषकों को तो कृषि कार्ड के माध्यम से पहले से ही यह सुविधा प्रदान है। वितीय समावेशन को शीघ्रातिशीघ्र सफल बनाने हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है ताकि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आय–उपार्जन संभव हो सके। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी यह बताता है कि बैंकों के लिए यह उपयोगी होगा वह ग्राहकों को वैयक्तिक रूप से आकर्षित करने के बजाय स्वयं सहायता समूह द्वारा संगठित ग्राहकों से संपर्क करें। जिससे ऋणों की वसूली शीघ्र होगी ।

वित्तीय समावेश की ओर बढ़ना एक चुनौती के रूप में स्वीकारा गया है जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एग्रीक्लीनिक परियोजनाओं की स्थापना की गई। कृषि क्षेत्र के लिए फसली बीमा योजना भी लागू की गई है। बैंकिंग क्षेत्र को अधिकाधिक क्षेत्रों में शामिल कर लोकपाल योजना को नया रूप दिया गया है और लोकपाल तक पहुंच सुगम बना दी गई है। शिकायतों को अब ऑन लाइन भी दायर किया जा सकता है। बैंकों द्वारा स्वीकृत उचित व्यवहार संहिता भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम हैं ।

सुझावः– ''पीटर ड्रकर के अनुसार'' योजना केवल अच्छा इरादा बनकर रह जाती है यदि उसे सफल बनाने हेतु कठिन परिश्रम न किया जाए। मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों में शत–प्रतिशत वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत वित संचालान, मध्य प्रदेश द्वारा धरातलीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित सुझाव द्वारा वित्तीय समावेशन के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है ग्राम प्रभारी को खाता खोलने के लिए स्टेशनेरी उपलब्ध कराना। लीड बैंक द्वारा ग्रामों का बंटवारा करना तथा उपरोक्त अन्य कार्यो के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना ।

राज्य स्तरीय बैंक समितियों के संयोजकों को भी सूचित किया गया है कि वह नो फ्रिल खातों तथा सामान्य खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्डों की सहायता से एक दो जिलों की 100% वित्तीय समावेशन के लिए पहचान करें। पूर्वोतर क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं पर

नगेन्द्र कुमार सिंह
सहायक प्रबन्धक (राजभाषा)
इण्डियन ओवरसीज बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा

किसी भी विकासशील देश की बुनियाद वित्तीय व्यवस्था पर आधारित होती है। भारत में बैंकों का गठन देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध करने के उद्देश्य से की गयी। आगे चलकर भारत सरकार द्वारा कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण लोगों में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ाने हेतु किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों का मूल उद्देश्य शुरूआती दौर से ही देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देना रहा है। देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने हेतु कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सही दिशा में प्रोत्साहित करना है। हमारे देश की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969–74 माननीय श्रीमती इंदिरा गाँधी की अध्यक्षता में मूलतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से तैयार की गयी एवं सातवीं पंचवर्षी योजना वर्ष 1985–90 मूलतः भारतीय उद्योगों को केन्द्र में रखकर तैयार की गयी। यह दोनों योजनाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेकों बदलाव लाएँ। भारत सरकार ने कृषि एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का ढाँचा तैयार किया एवं वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को प्रतिवर्ष संपूर्ण अग्रिम का 2 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैंक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसानों और उद्यमियों को ऋण देकर राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही है । राष्ट्र की समुचित विकास हेतु प्रत्येक नागरिक को बैंक से जोड़ना अनिवार्य है।

इस उद्देश्य की पूर्णता हेतु बैंकों में वित्तीय समावेशन का दौर आता है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में डॉ रंगराजन जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। रंगराजन जी वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं – " समाज का एक वृहत्त कमजोर तबका एवं निम्न आय समूह को वित्तीय सुविधाएँ जैसे ऋण न्यूनतम लागत पर समय से एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है।" इस समिति ने वित्तीय समावेशन के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अनेकों मार्ग सुझाएँ। हमें बिना सामाजिक भेदभाव किये प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सेवाएँ जैसे बचत खाता, ऋण, बीमा, भुगतान एवं धन प्रेषण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। वित्तीय समावेशन का लागू प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने हेतु इस समिति द्वारा निम्नलिखित चरण सुझाएँ गये –

1. सीमित सुविधा (नो फ्रिल) बचत खाता खोलना
2. सामान्य उद्देश्य हेतु क्रेडिट कार्ड जारी करना
3. बचत खातों में अतिदेय सुविधाएँ प्रदान करना
4. ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएँ घर तक स्मार्ट कार्ड के जरिए पहुँचाना

हम स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के जरिए खाता धारकों को खाता परिचालन उनके स्थान पर अर्थात बिना शाखा में गए प्रदान करने में सक्षम हैं। ग्राहकों को बायो–मैट्रिक स्मार्ड कार्ड दिये जाएंगे जिससे कि वे व्यवसाय संपर्की के सहयोग से हाथ में रखने वाले उपकरण (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) के द्वारा स्वाइप करके नकद प्राप्ती और जमा कर सकते हैं। ग्राहकों को पर्याप्त सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी जैसे पहचान हेतु कार्ड पर फोटो, फिंगर इम्प्रेशन द्वारा पहचान, क्षेत्रीय भाषा में लेनदेन की घोषणा और लेनदेन पर्ची इत्यादि जो कि सिस्टम जनित होगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक की उपगर्वनर श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनेक सिफारिशों में कहा है कि प्रत्येक शाखा द्वारा आगामी 4 वर्षों में प्रतिमाह कम से कम 50 से 60 नए खाते खोले जाने चाहिए, नए परिवेश के अनुरूप नई टैक्नोलॉजी नए संसाधनों को जुटा कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए इस विश्वास के साथ कि वह वित्तीय समावेशन के मार्ग में आने वाली बाधाओं से पार पा सकें तथा उसमें पारदर्शिता परिलक्षित हो सकें। उपरोक्त सिफारिशों, प्रयासों, सुझावों, दिशानिर्देशों, लाभों के मध्य नजर वित्तीय समावेशन के स्तर का आकंलन कुछ इस तरह किया गया है ।

हालांकि देश के उतरी क्षेत्र में सभी औपचारिक संस्थाओं द्वारा खोले गए बचत खाते के संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय समावेशन के सही स्तर का आकलन कुछ कठिन हो गया हैं। जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में खातों के संबंध में आकंड़े उपलब्ध है जो बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं ।

बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकों का भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान है चूंकि ये समाज के वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवाएं उपलब्धि कराते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में बैंकिग उद्योग की कई गुण वृद्वि हुई है। पर यह भी निर्विवाद सत्य है आज भी समाज का पिछड़ा वर्ग बैंकिग सेवाओं का लाभ उठा पा रहा, इस विषय में यदि हम तमिलनाडु के विविध जिलों का अध्ययन करें तो हम क्षेत्रीय असमानताओं तथा विसंगतियों को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगा पायेंगें। इसमें कुल घरों की संख्या की तुलना में बैंकिग सेवाओं की उपलब्धता के प्रतिशत को ध्यान में रखा गया है। जिसमें साक्षरता दर को मापा गया है ।

उत्तर भाग के जिलों में बैंकिंग सेवाएं कम है उसी अनुपात में बचत खातों की संख्या भी कम है। अर्थात सांस्कृतिक भौगोलिक, प्राकृतिक तत्व भी बैकिंग सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करते हैं। उच्च साक्षरता दर भी बहुत मायने रखती है। आज भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में सभी घरों में सभी परिवार वालों के बचत खाते खोले जा चुके हैं उनमें बचत करने की इच्छा जागृत हुई है। भविष्य के प्रति जागरूकता आई है आज वित्तीय समावेशन समय की मांग हो गई है। इस विषय पर जितना कहा जाए, जितना सोचा जाए, जितना करा जाए कम है। इसके लिए सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों लघु वित्त संस्थाओं, बीमा संस्थाओं एवं अन्यर वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल स्थापित किया जा रहा है। जिससे समग्र आर्थिक विकास हो।

निष्कर्षः लोकतांत्रिक तकाजे के रूप में समावेशी विकास के स्वर को गुंजित करने वाला शखनाद एक अर्थव्यवस्था में मानव शरीर में रक्त वाहिनियों के समान अपरिहार्य हो गया है। गरीब तबके की जनता को जमीदारों, दलालों तथा लाल फीताशाहियों के चुंगल से हटाकर पारदर्शी तथा त्वरित सेवाओं की उपलब्धता हो। पेटभर भोजन न मिलने पर हुई असामयिक मौत की दर्दभरी दास्तां न समावेशी समदर्शी, सर्वहितकर विकास की बयारों के आगे थम सी जाए।

पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने जहां अपनी पुस्तक ''भारत 2020'' नवर्निमाण की रूप रेखा में कहा है कि ''मेहनत से काम करने से अगले 20 वर्षों में हम संसार के पांच समृद्ध और शक्तिशाली देशों में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रत्येक योग के लोगों को कहा है कि वह हाथ में कम से कम एक ऐसी योजना रख लें जो भारत को विकसित देश बनाने में सहायक हों। बैंकिग संस्थाएं एक–एक गांव को चुनें और एक रूपरेखा बनाए कि 2020 में वह गांव कैसा होगा। वही प्रोफेसर युनुस का कथन कि वे 2030 तक गरीबी को म्यूजियम में कैद कर देंगे'' साकार हो सकेगा। अर्थात वित्तीय समावेशन के तहत हो रहे क्षेत्रीय विकास में आने वाली बाधाओं को सभी के सम्मिलित प्रयासों से दूर कर लिया जाएगा ।

इस कार्ड से निम्नलिखित लाभ हैं –

1. ग्राहकों को बचत खाता के अंतर्गत उनके घर पर सुगमता से बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ।2. जैसे ग्राहकों को शाखा जाने की आवश्यकता नहीं। शाखाएँ वृहत्त संख्या में बचत खाताएं, पेंशन खाताएँ, बीमा खाता धारकों की सेवा शाखा परिसर से ही कर सकती है ।3. शाखाएँ नये ग्राहकों को जोड़कर अपनी व्यवसाय बढ़ा सकती है ।4. ग्रामीणों से वसूली सरलता से की जा सकती है ।5. समस्यामुक्त लेखा ऑनलाइन लेनदेन के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है ।6. नरेगा के अंतर्गत भुगतान सुविधाजनक बनाना । 7. अपने बैंक उत्पादों का प्रचार – प्रसार करना ।

बैंक वित्तीय समावेशन संबंधी कार्य को सरलता एवं सुगमता से लागू करने हेतु व्यवसाय संपर्की नियुक्त करते हैं। बैंकिंग सेवाओं से आम जनता को परिचित करवाने हेतु व्यवसाय संपर्की एक सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे ग्रामीणों व्यक्तियों को बैंकिंग साक्षरता प्रदान करने में भी कारगर साबित हो रहे हैं । वित्तीय समावेशन का प्रभावी कार्यान्वयन बिना इनके सहयोग से असंभव सा कार्य है । बैंक समय – समय पर व्यवसाय संपर्कियों को प्रशिक्षण देता रहता है। बैंकों के लाभ प्रदता एवं ब्राण्डिंग में भी इनका प्रशंसनीय सहयोग है।

वित्तीय समावेशन की प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी देश को संबोधित करते हुए एक भावी एवं दूरदर्शी योजना 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की उद्घोषणा करते हैं। भारत सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य समस्त नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना को सफल बनाने की संपूर्ण जिम्मेवारी बैंकों को दी गयी। इस योजना का एक अन्य मूल्य उद्देश्य बैंक और ग्राहक के बीच के बिचौलियों को निर्मूल करना भी रहा है। समकालीन दौर में भी ग्रामीण एवं शहरी समाज का एक वृहत्त समूह ऋण एवं वित्तीय सहायता हेतु सेठ, साहूकार एवं महाजन पर निर्भर है ।इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शून्य राशि से बचत खाता खोलने का पात्र है। भारत सरकार के द्वारा नागरिकों प्रदत्त समस्त आर्थिक अनुदान, एलपीजी रियायत आदि सुविधाएँ बैंक से जोड़ दी गयी है। वित्त मंत्रालय द्वारा समस्त बैंकों को निर्देश दिया गया कि नागरिकों के बचत खातों से उनका आधार कार्ड नं. जोड़ें। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने घोषणा किया कि जिनके पास बैंक का खाता होगा, एलपीजी रियायत उन्हीं नागरिकों को दी जाएगी। इस तरह की आर्थिक रियायत संबंधी घोषणा ने भी आम जनता को बैंकों से जोड़ने में अमूल्य योगदान दिया है। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिनांक 30.04.2015 तक कुल 1400 लाख खाता खोले गये जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक वृहत्त समूह को इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 8 महीने में बैंक से जोड़ना एक असामान्य सा कार्य, जिसे बैंकों ने पूरा किया। इस योजना को जन–जन तक पहुँचाने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय बैंक संघ के द्वारा टेलीविजन एवं रेडियो पर व्यापक स्तर पर प्रचार – प्रसार किये गये। केवाइसी के समस्त मापदण्ड को पूरे न करने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के अंतर्गत एक छोटा खाता खोलने की अनुमति दी गयी। समस्त बैंकों ने इस योजना का अपने – अपने स्तर पर पैम्पलेट, बैनर इत्यादि तैयार कर प्रचार – प्रसार किया। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करवाने में समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपना अभूतपूर्व योगदान एवं सार्थक प्रयास किया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना का सफल कार्यान्वयन एवं बैंकरों के द्वारा किये गये सार्थक प्रयास एवं योगदान हेतु सभी बैंक कार्मिकों का हार्दिक अभिनंदन किया। आगे चलकर इस योजना को और लाभकारी बनाने हेतु वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गये प्रत्येक खाताधारकों के बचत जमा बैंक खाता में रू. 5,000/– अतिदेय की सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया। यह अतिदेय सुविधा परिवार के सिर्फ एक सदस्य को प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा परिवार के धन अर्जन करने वाले सदस्य को प्रदान किया जाएगा, मूलतः घर के महिला को वरीयता दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाताधारक का खाता अन्य किसी भी बैंक में नहीं है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही महत्वपूर्ण सुविधा का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से मदद करनी है ।

भारतीय समाज को वित्तीय साक्षर एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दो नई योजना बीमा क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' एवं 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का उन्मोचन किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी बैंकों को सौंपी गयी। उम्र 18 से 50 वर्ष तक वाले व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरूवात की गयी, जिसकी वार्षिक किस्त रू. 330/– निर्धारित की गयी और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को रू. 2 लाख दिया जाएगा। उम्र 18 से 70 वर्ष तक वाले व्यक्तियों के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरूआत की गयी, जिसकी वार्षिक किस्त रू. 12/– है और दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को रू. 2 लाख एवं दुर्घटना के पश्चात विकलांग होने पर रू. 1 लाख प्रदान की जाएगी। इस योजना से जुड़ने के लिए व्यक्तियों का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस योजना का मूल उद्देश्य बीमा प्रधान समाज का निर्माण करना है। मूलतः आम नागरिक जिनका दैनिक आय बहुत कम है, जो कि बीमा करवाने में असक्षम हैं, वे इस तरह की योजना से जुड़कर लाभप्रद होंगे। भारत सरकार की इस भावी योजना को सफल बनाने हेतु वित्त मंत्री माननीय अरूण जेटली ने वर्ष 2015–16 की वित्त बजट में कुल राशि रू. 33,150 करोड़ बीमा क्षेत्र के लिए आवंटित किया। इस तरह की ठोस कदम से आम नागरिक को भविष्य में फायदे का आसार दिखता है एवं इस योजना से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभांवित होगा।

भारत सरकार ने 02 दिसम्बर 2014 को एक नई योजना 'सुकन्या समृद्धि खाता योजना' का उद्घोषणा किया, जिसका मूल उद्देश्य 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के प्रचार – प्रसार से है। इस योजना से कोई भी बच्ची जुड़ सकती है, जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे कम है ।एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियाँ इस योजना से जुड़ने के पात्र हैं। आरंभ में खाता प्राकृतिक अभिवावक या विधिक अभिभावक द्वारा परिचालित होगा। खाता न्यूनतम राशि 1,000 से खोला जाएगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में उस खाता में रू. 1.50 लाख से अधिक नहीं जमा होना चाहिए। खाता खोलने के पश्चात न्यूनतम उसे 14 वर्ष तक की उम्र तक जारी रखना है, अन्यथा दण्ड स्वरूप राशि रू. 50/– प्रति वर्ष ली जाएगी ।खाता खोलने के दिनांक से 21 वर्ष की उम्र में खाता परिपक्व हो जाता है और पूर्ण राशि का आहरण किया जा सकता है। खाता धारक उच्च शिक्षा एवं विवाह हेतु उम्र 18 हो जाने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत आहरण कर सकते हैं। इस योजना से बेटियों को न ही सिर्फ उचित शिक्षा प्राप्त हो सकता है बल्कि उनके विवाह में आने वाली समस्याओं का भी निदान हो पाएगा।

क्रमशः भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रम में दिनांक 09.07.2015 को 'अटल पेंशन योजना' की उद्घोषणा की। इस योजना का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी, कृषक, स्वरोजगार चलाने वाले व्यक्ति जिन्हें 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात कोई पेंशन प्राप्त नहीं होता, उनके लिए शुरू की गयी। यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, जो कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परिचालित होगी ।इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। ग्राहकों का इस योजना में न्यूनतम 20 वर्ष तक या उससे अधिक अंशदान होना चाहिए, किंतु 60 वर्ष से अधिक तक नहीं। ग्राहक का जितना अंशदान होगा, उन्हें पाँच वर्ष की अवधि जैसे वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक केन्द्र सरकार भी सहयोग स्वरूप कुल चंदे का पचास प्रतिशत या रू. 1000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अतः यह योजना

निर्धारित तिथि के बाद भी जारी रहेगा परंतु सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहयोग उपलब्ध नहीं होंगे। अभिदाता का 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद रू. 1,000 से 5,000 तक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। किसी भी बैंक के खाता धारक इस योजना से जुड़ने के पात्र हैं। हम इस योजना का सफल कार्यान्वयन कर समाज को पेंशन प्रधान बना सकते हैं । यह योजना ग्राहकों को 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आर्थिक सहायता करने में कारगार साबित होगा ।

भारत सरकार के द्वारा सही दिशा में एक और सार्थक योजना 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' सूक्ष्म इकाइयों के लिए दिनांक 08.04.2015 को शुरू की गयी। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के व्यवसाय बढ़ाने एवं आर्थिक सहायता हेतु उधार देने के संबंध में निर्देश देता है। इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण को तीन अनुभागों में विभाजित किया गया है – प्रथम शिशु – जिसमें अधिकतम रू. 50,000/– तक अग्रिम दी जा सकती है, द्वितीय – किशोर – जिसमें रू. 50,001 से रू. 5,00,000 तक अग्रिम दी जा सकती है, तृतीय तरूण – जिसमें रू. 5,00,001 से 10,00,000 तक दी जा सकती है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य आय एवं रोजगार उत्पादित करना है एवं गैर कृषि संस्थानों से लाभ सृजन करना है ।

हमें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मूल रूप से बच्चों और युवाओं को जोड़ने का संकल्प लेना है। इस उद्देश्य की पूर्णता हेतु भारतीय बैंक संघ द्वारा बच्चों के लिए स्कूलबैंक परियोजना का उन्मोचन किया गया। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का लक्ष्य है सभी भारतीय छात्रों को वित्तीय साक्षर करना एवं वित्तीय उत्पादों से परिचित करवाना। हमें छात्रों को वित्तीय साक्षर कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जिससे कि वे पैसों की बचत कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें – 'पैसे बचाओ, सपने सजाओ'। इस योजना के अंतर्गत समस्त 1 लाख 20 हजार बैंक शाखाओं को 1 करोड़ 20 लाख छात्रों को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। सभी बैंक शाखाओं को एक स्कूल का चयन करना है और उस स्कूल से इस उद्देश्य हेतु दो शिक्षक को नामित करना है। शाखा प्रबन्धक एवं नामित शिक्षक स्कूली छात्रों का खाता खोलेंगे एवं वित्तीय संबंधी पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान करेंगे। उस पाठ्यक्रम में बचत, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, अधिकार, जीवन उद्देश्य, सुरक्षा, बजट आदि पर चर्चा किया जाएगा। छात्र पूर्ण रूप से हमारे देश के वित्तीय नागरिक हैं। वे हमारे देश को भविष्य में आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में लाने में सक्षम होंगे। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों की क्रयशक्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। उनमें नये–नये उत्पादों की उपयोग करने की ललक है। निस्संदेह आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र होगा।

उपरोक्त योजनाएँ वित्तीय समावेशन हेतु सही दिशा में कार्य कर रही है। हम इन योजनाओं के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को बैंक से जोड़ पाएंगे। भारत सरकार द्वारा निर्मित उपरोक्त योजनाओं का प्रचार – प्रसार एवं कार्यान्वयन की मूलभूत भूमिका बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की है। इन समस्त योजनाओं का कार्यान्वयन में बैंक एवं बैंक कार्मिकों को एक कड़ी के रूप में कार्य करना है। बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिस पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज की संरचना की जिम्मेवारी होती है। हमें समस्त नागरिकों को एक बेहतर एवं सुरक्षित जिंदगी प्रदान करनी है एवं रोजगार सृजन करने की दिशा में भी प्रयासरत रहना है। बैंक कार्मिकों का उद्देश्य जरूरतमंद एवं मेहनती व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, उन्हें एक स्तरीय जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से नागरिकों को रूबरू करवाने की आवश्यकता है एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान कर उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने हेतु अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी है। अतः यह योजनाएँ भविष्य में बैंकों के लिए लाभप्रदता का मुख्य कारक बनेंगे।

प्रद्युत नारायण बनर्जी, मुख्य प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता

वित्तीय समावेशन को कमजोर लोगों और निम्न आय वर्गों तक कम लागत और समय पर वित्तीय सेवाएँ तथा आवश्यक होने पर पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में वित्तीय समावेशन और इसके विभिन्न पहलुओं पर भारत सरकार द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वर्ष 2008 में विचार किया गया। इस समिति ने वित्तीय समावेशन को समाज के सभी वर्गों तक आवश्यक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को पहुंचाने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। वित्तीय समावेशन पिछले दशक से भारत सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। हालांकि नीति– निर्माताओं और नियामक संस्थाओं जैसे भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण ने वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए विनियम और दिशानिर्देश तैयार किए हैं पर वंचित लोगों तक इन सेवाओं को पहुँचाने में इनका अपेक्षानुरूप प्रभाव नहीं हो पाया है। वित्तीय समावेशन वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें जहाँ एक ओर गरीब लोगों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचानी हैं तो वहीं दूसरी ओर वित्त व्यवस्था को भी किसी तरह से अस्थिर नहीं होने देना है। पिछले वर्षों में वित्तीय सेवाएँ अधिकतर समृद्ध वर्ग के लोगों की पहुँच में रही हैं। आम आदमी को तो वित्त के लिए अपने परिवार, दोस्तों या नजदीकी रिश्तेदारों का सहारा लेना पड़ता है। यदि वित्त–व्यवस्था विकसित हो तो ये गरीब लोग भी मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकते है और आर्थिक विकास के लिए उसमें अपना सक्रिय योगदान भी कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन आज देश–विदेश में काफी प्रचलित हो चुका है। विकसित देश भी अब बैंकिंग व्यवस्था से वंचित रहे इस वर्ग को मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रति अधिकाधिक गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वे अब इस बात को मानने लगे हैं कि विकास का कार्य आम आदमी को शामिल किए बिना अधूरा ही रहता है।

महत्व : वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वित्तीय समावेशन साध्य है जिसमें लोगों के लिए वित्तीय बाजार/सेवाओं जैसे साधनों की आवश्यकता होती है और वित्तीय शिक्षण के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि वे कैसे इनसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वित्तीय शिक्षण से आशय वित्त की जानकारी देने से है। हाल के वर्षों में वित्त बाजारों के तेजी से हुए विकास और आय वर्गों, अर्थ व्यवस्था और नीतियों में परिवर्तन के चलते वित्तीय शिक्षण का महत्व बढ़ गया है। जागरूकता, ज्ञान और कौशल का विकास जिससे आवश्यकतानुरूप बचत, निवेश, उधारियों और खर्च की सही जानकारी हो सके। ज्ञान की प्राप्ति और वित्तीय मामलों की समझ। वित्तीय शिक्षण का उपयोग मुख्यतया व्यक्तिगत मामलों में किया जाता है। वित्तीय शिक्षण के अंतर्गत सामान्यतया वित्त संबंधी व्यक्तिगत मामलों जैसे जमीन–जायदाद, बीमा, निवेश, बचत, कर–योजना और सेवानिवृत्ति के बारे में सही निर्णय लेने की जानकारी दी जाती है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, वित्तीय आयोजना जैसी वित्तीय अवधारणाओं, क्रेडिट कार्ड की विशेषताओं, लाभप्रद बचत विधियों, उपभोक्ता के

अधिकारों, पैसे के निवेश में समय के मूल्य आदि की भी जानकारी दी जाती है। हमारे अधिकांश परिवार आधुनिक वित्तीय बाजारों का उपयोग नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवार यहाँ तक की वर्ष 2010 के उत्तरार्ध तक अपनी केवल 5% बचत राशियों का ईक्विटी, म्यूचुअल फंडों और डिबेंचरों में निवेश करते पाए गए हैं। हमारी आर्थिक विपन्नता का मुख्य कारण यही माना गया है। आज के वित्तीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश की जाने वाली राशि भारतीयों की तुलना में कहीं अधिक पाई गई है।

लागत और लाभः वित्तीय समावेशन पर हाल के दिनों में ध्यान दिया गया है पर कुछ वित्तीय संस्थानों का अब तक का यह अनुभव रहा है कि गरीबों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना न तो व्यवहार्य और न ही फायदे का सौदा है। वित्तीय समावेशन को कैसे अधिक से अधिक लाभप्रद बनाया जाए, यह दुनिया भर में बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वित्तीय समावेशन का कार्य निरंतर पर्याप्त आय उत्पन्न करने वाला नहीं रहा है फिर भी इसमें काफी संभावनाएँ हैं। बैंकों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे अपने खातेदारों को नए–नए उत्पाद उपलब्ध कराकर उनके साथ अपने संबंधों को लाभप्रद बनाएँ। कुछ बैंक ये तर्क देते हैं कि वित्तीय समावेशन के फायदे गिनाते समय गरीबों को सेवाएँ मुहैया कराने में प्रारंभ में आने वाली भारी लागत के कारण लाभप्रदता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैंकरों को अपनी सोच को बदलना चाहिए और वित्तीय समावेशन को एक अर्थप्रद कार्य स्वीकार कर गरीबों तक पहुँचने के नए–नए और कम खर्चीले तरीके अपनाने होंगे। उन्हें अलग अलग

बाजारों का गहन अध्ययन करना चाहिए। ग्रामीण भारत में अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं की तुलना में बैंकों पर लोग अधिक विश्वास करते हैं, इसलिए उन्हें उनके लिए क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पाद और सेवाएँ तैयार करनी चाहिए।

वित्तीय शिक्षणः हालांकि वित्तीय शिक्षण अपने आप में एक खर्चीली प्रक्रिया है फिर भी इसकी बैंकों के लाभप्रद कारोबार को बढ़ाने में उपयोगिता को देखते हुए यह खर्च न केवल दीर्घावधि में बल्कि अल्पावधि में भी बेहतर परिणाम दे सकता है। बैंक इनमें से कोई एक या कई को मिलाकर वित्तीय समावेशन शुरू कर सकते हैं, यह अपने ग्राहकों में वित्तीय साक्षरता लाने में भी लाभप्रद हो सकता है। बैंक भले ही इनमें से कोई एक या मिलाकर अनेक प्रक्रियाएँ अपनाएँ पर अब तो बाजार भी लगातार उन्हें पूरी गंभीरता के साथ वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं।वित्तीय शिक्षण और कुछ नहीं वित्त के बारे में जानकारी ही है। वित्तीय शिक्षण का महत्व वित्तीय बाजारों में हुए विकास और भौगोलिक, आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनों के कारण हाल के दिनों में बढ़ा है। अधिकाधिक वित्तीय बाजार पहले से कहीं अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं और लगातार नए से नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। बैंकों, ब्रोकरों और अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कई प्रकार के ऋण और बचत उत्पाद आज पहले से कहीं अधिक उनकी पहुंच में हैं। सेवांत लाभ योजनाओं में परिवर्तन होने और लोगों के जीवन काल में वृद्धि होने के कारण भी उपभोक्ता बेहतर और लाभकारी बचत प्रबंधन में अधिकाधिक संलग्न होते जा रहे हैं। फाइनैंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में उन देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है, जो वित्तीय शिक्षण में सबसे आगे हैं। भारत में हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों के अधिकाधिक पेचीदा होते जाने के कारण भी वित्तीय शिक्षण बहुत जरूरी होता जा रहा है।

वित्तीय शिक्षण वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने तथा अंततोगत्वा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ साक्षरता का स्तर बहुत नीचे है और बड़ी संख्या में लोग औपचारिक वित्त व्यवस्था में शामिल नहीं हैं। इस कारण वित्तीय शिक्षण के कार्य का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। घर–परिवार चलाने में आने वाली मुसीबतों में ज्ञान और कौशल के आभाव के चलते और वृद्धि हो जाती है और वे वित्त संबंधी निर्णय सोच–विचार कर नहीं ले पाते। वित्तीय शिक्षण के द्वारा वे अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए समय रहते तैयारी कर सकते हैं। वे अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना किसी अनावश्यक कर्ज भार के तैयार रह सकते हैं। ऋण संबंधी परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वे ऐसा कर्ज कभी न लें जिसे वे चुका न सकते हों। इसके अंतर्गत सामान्यतया लेनदारों के साथ कैसे बात करके उपभोक्ता ऋण प्रबंधन योजना तैयार करें, यह बताया जाता है। भारत में रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण आम उपभोक्ता की ऋण की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे देश में ऋण परामर्श की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है।

चुनौतियोंः हालांकि वित्तीय समावेशन देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है फिर भी इंडियन चौंबर आफ कामर्स द्वारा जारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके विकास में अनेक बाधाएँ हैं। इस रिपोर्ट में उच्च लागत, उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव, और जागरूकता या शिक्षण या साक्षरता का अभाव तीन बड़ी चुनौतियाँ बताई गई हैं, ये चुनौतियाँ भले ही बड़ी जरूर हैं पर इन पर निश्चित ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय समावेशन में कई प्रकार की बाधाएँ हैं, जो अलग अलग देशों और अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। मेरी राय में इनका सामना करने के लिए सबसे बड़ा साधन वंचित जनों को वित्तीय शिक्षण या शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में शामिल कराना हो सकता है। वित्तीय शिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वित्तीय उत्पादों, उनके प्रयोग, परिचालन और खाता–प्रबंधन को समझने में सहायता मिलती है।

उपसंहार : वित्तीय स्थिरता के साथ वित्तीय समावेशी विकास के लक्ष्य की तब तक प्राप्ति नहीं की जा सकती जब तक वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित नहीं कर ली जाती। बैंकों को वित्तीय समावेशन को एक लाभप्रद बिजनेस मॉडल के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है न कि एक दायित्व के रूप में ग्रहण करने के। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब बैंक वित्तीय समावेशन योजना में शामिल ग्राहकों को और अधिक ऋण उत्पादों की पेशकश करेंगे और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लेनदेन की लागत में कमी लाएँगे। वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण का एक जोरदार माध्यम सिद्ध हो सकता है यदि लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में कारगर भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए। विपन्नों का सहारा लेकर ही संपन्नता का स्वप्न साकार किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन विपन्नों, बैंकों और सारे देश के लिए एक स्वर्णिम प्रक्रिया है।

प्रियंका शर्मा
सहायक प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुम्बई

वित्तीय समावेशन विश्व द्वारा निर्मित एक नया "बिजनेस मॉडल" है जो भविष्य में विश्व बाजार के रुप में उभरेगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा, आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक एवं परिचालन के लिए नए आयाम तलाशे जाएं जिससे कम लागत में कारोबार अर्जित करते हुए जरुरतमंद लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए वित्तीय समावेशन पर चर्चा 2000 के दशक से महत्वपूर्ण बन गई है। आज अधिकतर विकासशील देशों में सभी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन प्रमुख है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य समाज के वंचित, कमजोर एवं कम आय वर्ग में आने वाले लोगों को वहनयोग्य मूल्य पर वित्तीय सेवाएँ एवं उत्पाद उपलब्ध कराना है। समाज के आर्थिक ढांचे के सम्पूर्ण विकास के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व को हम इसी से आंक सकते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में पॉलिसी निर्माण के 7 महत्वपूर्ण बिन्दुओं– कारोबारी रणनीति, वित्तीय रिपोर्ट एवं उनका एकीकरण, जोखिम, अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, मानव संसाधन एवं वित्तीय समावेशन पर चर्चा की जाती है. सरकार द्वारा शासन तंत्र, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य 'सबका साथ– सबका विकास' तथा विकास की समेकित प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है जिसके अन्तर्गत विकास के लाभ का बराबर हिस्सा सभी को मिलने के साथ त्रि–आयामी विकास की बात कही गई जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था पर जोर दिया गया:

1. राज्यों को उनके राजस्व, आर्थिक गतिविधियों, मूलभूत व अन्य सुविधाओं के विकास के लिए सशक्तिकृत किया गया।
2. निर्माण, ढांचागत सुविधाओं एवं विदेशी निवेश के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को शिक्षा, स्वास्थ, विज्ञान, तकनीक एवं वित्तीय पूँजी पर जोर दिया गया।
3. बैंकों एवं बैंक मित्रों के माध्यम से लोगों में वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन को दिशा देने का प्रयास किया गया जिसमें बैंकिंग सुविधाएं, खाता खोलना, परिचालन करना इत्यादि सम्मिलित है।

वित्तीय समावेशन को दो चरणों में लागू किया गया है–

पहले चरण में देश के परिवारों का सर्वे कर यह पहचान करना शामिल है कि कितने परिवार बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। राज्य व राज्य बैंकर्स समिति द्वारा बैंकों के सहयोग से इस सर्वे का कार्य पूरा कराया गया। तत्पश्चात् दूसरे चरण में जन–धन विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं जिनमें से प्रमुख हैं–

प्रधानमंत्री जन–धन योजना: यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना एवं सभी परिवारों में बैंक खाता खोलना है। यह योजना 15 अगस्त, 2014 से "मिशन मोड" में प्रारम्भ की गयी थी जिसमें बैंकों के साथ राज्यों एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को शामिल किया गया था। यह योजना समाज के वंचित, कमजोर एवं कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रख कर बनायी गयी है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना इतनी अधिक आकर्षक रही है कि लोग स्वत: ही इसके साथ जुड़ने लगे। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जन–धन योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों के बजाय परिवारों को फोकस किया गया जिसमें खाता खोलने में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी गयी है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना को बैंकों के माध्यम से लागू कराने में बैंकों द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार के लिए नाममात्र की राशि का निवेश "व्यय" के रुप में किया गया है जिसका प्रतिफल बैंकों को भविष्य में प्राप्त होगा।

योजना के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं:

जीवन बीमा: रु 30,000/– का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

ओवरड्राफ्ट सुविधा: परिवार की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खाते में रु 5000/– तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रावधान रखा गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए खाते में आधार क्रमांक अंकित कराना अनिवार्य है।

रुपे डेबिट कार्ड: खातेदार के नाम से यह प्रदान किया जाता है जिससे खाते का परिचालन किया जाएगा। यह कार्ड किसी भी एटीएम, पीओएस, विक्रेताओं के टर्मिनल, सूक्ष्म एटीएम पर उपयोग किए जा सकते हैं। रुपे कार्ड को सक्रिय बनाये रखने व खाते को निष्क्रिय होने से रोकने के लिए इसका लगातार परिचालित किया जाना चाहिए।

दुर्घटना बीमा: रु. 1.00 लाख की राशि का दुर्घटना बीमा रुपे डेबिट कार्ड में निहित है जिसे सक्रिय बनाए रखने के लिए कार्ड का परिचालन 45 दिनों में एक बार किया जाना अनिवार्य है। यदि कार्ड के माध्यम से खाते की शेष राशि की जानकारी प्राप्त की जाती है तो इसे भी रुपे कार्ड के माध्यम से किया गया संव्यहार ही माना जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: यह सूक्ष्म कारोबार/इकाईयों के लिए एक पुनर्वित्त योजना है। इस योजना में ऋण को तीन श्रेणियों, शिशु, किशोर एवं तरुण में वर्गीकृत किया गया है जिसमें रु 50,000/– से रु 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): इस योजना के अन्तर्गत 18–70 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति आएंगे जिनका रु 2 लाख की राशि तक दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर किया जाएगा। प्रीमियम की राशि रु.12 प्रति वर्ष होगी। योजना 01 जून, 2015 से लागू की गयी है।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): इस योजना के अन्तर्गत 18–50 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति आएंगे जिनका रु. 2 लाख की राशि तक प्राकृतिक एवं दुर्घटना मृत्यु जोखिम कवर किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम रु 330/– होगा। योजना 01 जून, 2015 से लागू की गयी है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): यह योजना व्यक्तियों को रिटायरमेंट पर एक निश्चित पेंशन प्रदान करेगी जो 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा योजनान्तर्गत प्रति माह किए गए अंशदान की राशि एवं अंशदान की अवधि पर निर्भर करेगी। योजना 01 जून, 2015 से लागू की गयी है।

वित्तीय समावेशन: राह की चुनौतियां

भारत में वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत आने वाली चुनौतियां अन्य देशों के समान ही हैं। जन–धन योजनाओं के माध्यम से लोगों का खाता बैंकों में खुल गया अर्थात सबका साथ हो गया है अब सबका विकास आवश्यक है। इसके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि खोले गए खातों का नियमित परिचालन सुनिश्चित कराया जाए तभी हम कह सकेंगे:

"सबका साथ–सबका विकास"। इसके लिए हमें खाताधारकों को साक्षर तथा जागरुक बनाना होगा। उन्हें यह अवगत कराना होगा कि :

–बैंकों में खाता खोलना क्यों आवश्यक है?

–उन्हें बचत क्यों करनी चाहिए एवं बचत बैंकों में ही क्यों करनी चाहिए?

–ऋण बैंक से ही क्यों प्राप्त करना चाहिए ?

–ऋणों की चुकौती समय पर क्यों करनी चाहिए?

–ब्याज क्या है और साहूकारों द्वारा किस प्रकार ब्याज लिया जाता है तथा बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज से कितना भिन्न है?

–खातों में आधार क्रमांक अंकित होने से किस प्रकार डीबीटी/डीबीटीएल व अन्य सब्सिडी, मनरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे खाते में जमा हो जाएगा? पीएमजेडीवाई योजना के अन्तर्गत खुले खातों के अन्तर्गत केवल उन खातों को ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी जिनमें आधार क्रमांक अंकित कराया गया होगा।

–ऐसा भी देखा गया है कि लोगों में बैंक मित्रों के प्रति विश्वास में कमी रहती है। इसका कारण उन्हें सेवाओं, उत्पादों एवं तकनीक की सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण रुप से नही होती है साथ ही क्षेत्र में उनकी उपस्थित अनवरत नही रहती है। कभी– कभी लोगों को बैंक मित्र द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद उनके अनुरूप उत्पाद नही लगते हैं। उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक न मिलना भी एक कारण हो सकता है। परिणामस्वरुप सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन की दिशा में शिथिलता आ जाती है और हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। यद्यपि इस दिशा में बैंकों द्वारा कार्य किया जा रहा है परन्तु उसमें अभी और अधिक गति प्रदान करना आवश्यक है।

आवश्यकता इस बात की है कि इस विशाल परियोजना के सफल क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाए एवं उनको दूर करने हेतु व्यापक रणनीति तैयार की जाए ताकि बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके साथ ही उससे लाभकारी कारोबार भी सम्भव हो सके। बैंक मित्रों के सहयोग से क्षेत्रों में लगातार साक्षरता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें समस्त योजनाओं/उत्पादों, रुपे कार्ड परिचालित करने, पिन नम्बर सुरक्षित रखने आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए। बैंकों को इस धारणा के साथ कार्य करना चाहिए कि वित्तीय समावेशन में सहयोग कर वे किसी प्रकार की चौरिटी का कार्य नही कर रहे हैं बल्कि अपने लिए भावी कारोबार निश्चित कर रहे हैं और अपना ग्राहक आधार बढ़ा रहे हैं। प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों के पास मजबूत तकनीकी आधार होना चाहिए। तकनीक के ही सहयोग से इतनी अधिक संख्या में खोले गए छोटे खातों की परिचालन लागत को कम किया जा सकता है क्योंकि लागत अधिक होने की स्थिति में उन्हें अधिक समय तक बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा साथ ही लाभप्रदता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। रुपे डेबिट कार्ड तकनीक के उपयोग के साथ मोबाईल बैंकिंग को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि यह आने वाले समय की तकनीकी बैंकिंग है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरिता के लिए अति आवश्यक है जिसके परिणामस्वरुप राजनीतिक व सामाजिक स्थिरिता सम्भव हो सकेगी। बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न गतिविधियां निहित हैं अतः अन्य स्टेक होल्डर्स एवं संबंधित एजेंसियों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए व स्थिरिता को बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते रहना चाहिए।

राजीव वार्ष्णेय,
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
गुवाहाटी

'मैंने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा की है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने ऐसी संपदा, ऐसे नैतिक मूल्य, ऐसे क्षमतावान लोग देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम इस देश को कभी जीत पायेंगे, जब तक कि हम इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ नहीं तोड़ेगे और इसलिये मैं इसकी पुरानी एवं अति प्राचीन शिक्षा पद्धति, इसकी संस्कृति को बदलने का सूझाव देता हूँ। इसलिये भी कि भारतीय समझते हैं कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनसे बेहतर है। वे अपना आत्मगौरव, मूल संस्कृति खो देंगे और वह हो जायेंगे, जो हम चाहते हैं, एक वास्तव में आधीन देश।' (भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाने वाले लॉर्ड मैकाले का ब्रिटिश संसद में दिनांक 02.02.1835 को दिया गया व्यक्तव्य)

यह शोध का विषय हो सकता है कि भारतीय समाज में कपट, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं ठगी जैसे कृत्य किसके प्रभाव से प्रारंभ हुये। किन्तु अब ये दुष्कर्म समाज में व्याप्त हो चुके हैं। चूंकि अधिकांश भारतीय नागरिक सरल स्वभाव के हैं इसलिये चालाक और धूर्त लोग (संस्थायें) उन्हें आसानी से धोखा देते आ रहे हैं। इससे लोगों के मन में भय समा गया था। परिणामस्वरूप वे अब तक वित्तीय समावेशन जैसी अच्छी बातों से भी दूर रहे थे। इसलिये भारत में इस दिशा में कुछ वर्षों पूर्व प्रारंभ हुये वित्तीय समावेशन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। वित्तीय समावेशन के महत्वाकांक्षी कार्य को तब नये पंख मिले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुये जन – धन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। सभी वाणिज्यिक बैंकें उत्साहपूर्वक इस कार्य में जुट गये। इसके परिणाम शानदार आये। दिनांक 12 अगस्त 2015 तक प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत देश में कुल 17.57 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 10.63 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.93 करोड़ शहरी क्षेत्र में खोले गये हैं। इन खातों में कुल रुपये 22394 करोड़ की राशि जमा की गई है। (वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार) निःसंदेह वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन में सहभागी बनाने की दिशा में यह महान् ऐतिहासिक उपलब्धि है। अतीत में वैभवशाली कहलाने वाले भारत देश, समय के साथ – साथ, विभिन्न कारणों से विकास की प्रक्रिया में पिछड़ते – पिछड़ते बहुत पीछे रह गया और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी के दलदल में गहरा फँस गया। आज भी देश के करोड़ों नागरिकों को दिन में दो बार भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। यह भारत विश्व के अधिकांश देशों में निर्धन नागरिकों की स्थिति है।

"कटु यथार्थ है कि विश्व के अधिकांश निर्धन आज भी जमा, ऋण या बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वित्तीय सेवाओं में पूर्ण सहभागी होने से वंचित लोगों की समस्या कैसे सुलझायें। हम ऐसे समावेशी वित्तीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं और करना चाहिये, जिससे लोग अपना जीवन बेहतर बना सकें।" – संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव, कोफी अन्नान (दिनांक 29.12.2003)

भारतीय दर्शन में प्रारंभ से ही, बचत और उसकी सुरक्षा का महत्व, प्रतिपादित किया गया है। यह भी कहा गया है कि बिना धन के मित्र और सुख नहीं मिलता है। यह भी कहा जा सकता है कि, धनार्जन तो दुष्कर है ही, असावधानी से पास में रखा अपना धन भी, पराया

हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के धन पर अनगिनत दृष्टि रहती हैं। शासन, प्रशासन, मित्र, रिश्तेदार, परिजन ही नहीं छली, कपटी, धोखेबाज, जालसाज एवं ठगों की दृष्टि उस धन पर रहती है। कोई विधिवत तो कोई अनैतिक रूप उस धन पर आधिपत्य चाहते हैं। स्पष्ट है कि वित्तीय सुरक्षा की अवधारणा भारत में आदि काल से थी। विश्व के हर समाज में, निर्धनों का, आर्थिक शोषण हो रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। भारत में भी, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग तरह – तरह के, शोषण झेल रहा है, और अनेक मामलों में तो, अमानवीय जीवन, जीने को अभिशप्त है। अतः भारत की समस्त जनसंख्या को वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत लाना, समय की माँग है।

एक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं का केन्द्र बिन्दु, धन होता है। धन कमाने, और धन खर्च करने के उसके विभिन्न वित्तीय लेनदेन राष्ट्र की सकल वित्तीय गतिविधियों का भाग बनें अर्थात, उसका राष्ट्र की वित्तीय गतिविधियों में सहभागी होना तथा उसके वित्तीय लेनदेनों का राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों का भाग बन जाना ही वित्तीय समावेशन है।

कहते हैं कि दुनिया में गरीबी से बड़ी कोई बुराई नहीं है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, जीवनभर भयंकर गरीबी से लड़ती है। उसकी प्राथमिकता तो मात्र दोनों समय की रोटी की व्यवस्था करना होता है। देश में गरीबी उन्मूलन की अनेकों योजनाओं बनायी और चलायी जा रही हैं, तदापि गरीबी की विकट समस्या में अंतर नगण्य है। ऐसे में इस वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि भारत ने विगत शताब्दी में महान स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य को देश छोड़ने पर विवश कर दिया था। देश में सती प्रथा, बाल विवाह, आरक्षण आदि बड़े – बड़े आंदोलन हुये। वर्ष 2011 में लोकपाल आंदोलन हुआ। लेकिन आश्चर्य है कि वित्तीय समावेशन जैसी अनिवार्यता पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन उस विषय पर जनचेतना को जाग्रत और उद्वेलित करते हैं। इसकी सीख हृदय पर दीर्घकाल तक रहती है। जो कार्य कई वर्षों के शिक्षण से नहीं हो पाता है, वह आंदोलन से सहज हो जाता है।

वित्तीय सेवाओं से वंचित जनसंख्या, वित्तीय लेन – देन हेतु वित्तीय सेवा प्रदाता संस्था, बैंक की व्यवस्था से जुड़े यही वित्तीय समावेशन है। अभी तक वित्तीय समावेशन का कार्य चल तो रहा था किन्तु विगत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के पश्चात वित्तीय समावेशन की गूँज आज भारत में सर्वत्र सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं उसके सूत्र वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता ने जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा और इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य भी यही है कि वंचित वर्ग अर्थात कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग को सामान्य बचत खाता, आवश्यकता आधारित ऋण मिलना, धन प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन की उपलब्धता जैसी सेवाओं का मिलना सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन की पूर्ण सफलता हेतु सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को देश के समस्त वर्गों की पहुँच में लाना आवश्यक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीवन सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजनाओं को बैंक खातों से जोड़ दिया। इसे साकार करने हेतु बैंक खाता अवश्य होना चाहिये। जन–धन योजना के प्रारंभ से पूर्व बैंक खाता खुलवाना एक कठिन कार्य था। अब बैंक खाता तो आसानी से खुल जायेगा। क्योंकि बैंकों ने खाता खोलने की शर्तों को बहुत आसान कर दिया है। खाता खोलने की न्यूनतम राशि शून्य कर दी गई है। पहचान (केवाईसी) को सरलतम कर दिया गया। इसलिये अब लोग स्वयं आगे आ रहे हैं और अपने खाते खुलवा रहे हैं। साढ़े सत्रह करोड़ खाते उसके बाद करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में सहभागिता की है। इतना सब होते हुये भी अभी अनेक चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती पर यहाँ हिन्दी के सुविख्यात कवि धूमिल की सुप्रसिद्ध कविता दृष्टव्य है –

एक आदमी रोटी बेलता है / एक आदमी रोटी खाता है / एक तीसरा आदमी और है / जो न रोटी बेलता है / न रोटी खाता है / वो बस रोटी से खेलता है / मैं पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है / मेरे देश की संसद मौन है

वास्तव में यह तीसरा आदमी ही है, जो दिखाई नहीं देता है किन्तु इतना शक्तिशाली है कि वो गरीबों को मिलने वाले अधिकांश वित्तीय लाभ हड़प लेता है, खा जाता है। वित्तीय समावेशन का आशय है कि पात्र को ही लाभ मिले। आज देश के नागरिक हर क्षेत्र में, हर कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्याओं से त्रस्त है। इस की समस्या की जड़ यह तीसरा आदमी ही है। वित्तीय समावेशन सरकारी गैर सरकारी कार्यों से इसकी उपस्थिति समाप्त करने का सार्थक प्रयास है। अब विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे बैंक खातों के माध्यम से मिला करेगा। इस तरह अन्ततः गरीबी हटाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक चुनौती तकनीक की है। आज देश में सभी प्रकार की वित्ताय सेवाओं में प्रयुक्त की जा रही नवीनतम तकनीक के प्रयोग में सामान्य भारतीय नागरिक स्वयं को सहज नहीं पाता है। ये तकनीक का युग है, अतः तकनीक तो आवश्यक है, किन्तु अधिकाधिक लोगों को साथ में जोड़ने के लिये उपभोक्ता मित्र तकनीक को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की तकनीक को उपयोग से पूर्व भारतीय परिवेश के अनुकूल अवश्य होना चाहिये। जिससे विशाल जनमानस इनका उपयोग कर सके। इसी प्रकार आज अधिकांश संस्थायें अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु स्वतः उत्तर प्रदाता यंत्र (IVRS) का उपयोग कर रहे हैं। इनसे संपर्क करने पर फोन के बटन दबाने के विकल्पों से शिक्षित व्यक्ति भी झुंझलाने लगता हैं। इसमें व्यापक सुधार अपेक्षित है। बोलने वाले एटीएम एवं जैविक तकनीक (बायो मैट्रिक) वाले एटीएम आज लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसी तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा फोटो वाले एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड जारी किये जायें। बैंकों द्वारा मुद्रित फोटो (चिपकी हुई नहीं) वाली पासबुकें जारी की जायें। बीमा कंपनियों द्वारा मुद्रित फोटो (चिपकी हुई नहीं) वाली पॉलिसियाँ जारी की जायें। वित्तीय समावेशन की सफलता दिशा में यह नई सार्थक पहल हो सकती है। यह कार्य न अव्यवहारिक है, न कठिन है और न मँहगा है। इसके कार्यान्वयन के लिये कलर प्रिंटर का उपयोग करना होगा, जो कि छोटे – बड़े हर कार्यालय में सहज उपलब्ध हैं या करवाये जा सकते हैं।

भारत में अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग वित्तीय समावेशन के पथ की एक बड़ी बाधा है। वित्तीय समावेशन की समग्र सफलता की दिशा में यह कार्य भारतीय भाषाओं में करना अत्यावश्यक है। ये न अव्यवहारिक है, न कठिन है और न मँहगा है। अनुवादक हर जगह सहज उपलब्ध हैं। अंग्रेजी का उपयोग करने वालों के अपने तर्क होते हैं किन्तु अनुवाद तो हो सकता है। इस दिशा में सुखद यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं राजभाषा का प्रयोग करते हैं इसकी सफलता के लिये अपेक्षित है कि देश के अर्थशास्त्री, विद्वान, ज्ञानी जन, संस्थायें भारतीय भाषाओं में कार्य करें। भारत में राजनैतिक इच्छा शक्ति किसी भी कार्य की सफलता का अनिवार्य तत्व है। यह राजनैतिक इच्छा शक्ति अब प्रत्येक स्तर अपेक्षित है। यदि यह बनी रही तो वित्तीय समावेशन की पूर्णता का लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जायेगा। किन्तु यदि यह राजनैतिक इच्छा शक्ति दुर्बल हुई तो भारत में वित्तीय समावेशन की रेल गाड़ी को पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। इसलिये वित्तीय समावेशन के जन आंदोलन को निरंतर जाग्रत रखना होगा, जिससे, समस्त भारतवासी वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत आ जायें और देश के समग्र विकास में उनके वित्तीय लेन देन सम्मिलित हों, सभी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले। तीसरे व्यक्ति का अस्तित्व न रहे, तब भारत में मानवीय मूल्यों की, पुनर्स्थापना हो तथा स्वर्णाक्षरों में अंकित, भारत के, अविस्मरणीय गौरवशाली अतीत की प्रतीक, सोने की चिड़िया जैसा भारतवर्ष, बनाने का, भारतवासियों का, दीर्घकालीन स्वप्न साकार हो सके।

रुबी सिंह
राजभाषा अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
रोहतक

वित्तीय समावेशन क्या है?

बिना किसी बाधा के सेवा और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सक्षम समाज के लिए अनिवार्य है। जैसा कि बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक सेवा के तहत आती हैं ऐसे में पब्लिक पॉलिसी के उद्देश्य में यह अनिवार्य होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के देश की समस्त जनसंख्या को बैंकिंग और भुगतान सेवाएं उपलब्ध हों। वित्तीय समावेशन की रूपरेखा पब्लिक पॉलिसी के लिए इस बात की भी चिंता रहती है कि खासकर, कमजोर तबके के अधिकतर लोग जो कि कम आय पर निर्भर हैं उनकी पहुंच मुख्यधारा से जुड़े वित्तीय उत्पादों तक नहीं है। इसलिए, वित्तीय समावेशन का मकसद संगठित वित्तीय तंत्रों के तहत हो रहे कार्यकलापों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है ताकि कम आय वाले लोगों को भी इस दायरे में लाया जा सके। परिचालन के हिसाब से वित्तीय समावेशन के तहत कम से कम प्रत्येक परिवार में एक खाता या घर के किसी भी व्यक्ति का एक खाता हो। इसे बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस स्कीम के स्कोप के हिसाब से सरकार द्वारा शुरू किए गया वित्तीय समावेशन प्रोग्राम काफी महत्वाकांक्षी एवं आशाजनक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग नेटवर्क के तहत लाने का मकसद है, ताकि समाज के वंचित लोगों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकें। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित एवं कम आय वाले समूहों के लिए एक सस्ती कीमत पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता ही वित्तीय समावेशन है किन्तु यह वित्तीय समावेशन की संकीर्ण परिभाषा है क्योंकि वित्तीय समावेशन की परिधि में बैंकिंग के अलावा बीमा, पेंशन, पूंजी बाजार इत्यादि भी शामिल है। वर्ष 2008 में वित्तीय समावेशन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉ। सी। रंगराजन ने वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए कहा था कि "कम आय व कमजोर वर्गों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक समय पर सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है।" दूसरे शब्दों में, वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे वर्ग तक सुविधापूर्वक, सरल तरीके से इनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।

वित्तीय समावेशन क्यों?

जब वित्तीय समावेशन को बड़े दायरे में लिया जाता है तो यह समाज के गरीब तबके के लोगों की जीवन स्थिति को सुधार की ओर ले जाता है। ऐसी वित्तीय सेवाएं जिसकी पहुंच आम आदमी तक हो उससे आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होता है। जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए रोजगार पैदा होता है। जिसका लाभ आगे चलकर उसके लिए वित्तीय फायदे के दूसरे रास्ते खोल देता है। आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने की वजह से ग्रामीण परिवारों के हाथों में खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि में बढ़ोत्तरी होती है जिससे कि बचत होती है और इससे बैंकों के साथ वित्तीय संस्थानों के डिपॉजिट बेस का दायरा बढ़ता है। सरकार की प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना पूरी तरह से वित्तीय समावेशन की सफलता पर निर्भर है जो कि सीधे तौर पर सामाजिक विकास के फायदे और सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाता में पहुंच जाएगा। इससे सामाजिक कल्याण स्कीमों में होने वाली चोरी पर लगाम लग पाएगा जो कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए, आरबीआई अपना ध्यान बड़ी संख्या में बेसिक बैंक खाता खोलने की दिशा में केंद्रित कर रहा है। ऐसे में वित्तीय समावेशन को एक साधन के रूप में देखा जा रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक ईंधन के रूप में काम करेगा, ताकि लोगों के हिसाब से समेकित विकास संभव हो सके ताकि समाज और अर्थव्यवस्था के बीच विभिन्न तरह की खाई को पाटा जा सके। चाहे वह अमीर और गरीब के बीच हो, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच हो या फिर किसी एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच से जुड़ा मुद्दा हो। वित्तीय समावेशन वित्तीय संस्थानों के लिए काफी मददगार साबित होता है, खासकर खुदरा जमा के क्षेत्र में स्थायी आधार दिलाता है।

छोटे ग्राहक ऐसी परिस्थिति में स्थायी जमा के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की जमा राशि की अनुपस्थिति में वित्तीय संस्थानों को संकट के समय कर्ज देने में परेशानी आती है। वित्तीय समावेशन लोगों को नकद आर्थिक व्यवस्था से निकालकर बैंक खातों की ओर ले जाता है, जिसकी निगरानी भी की जाती है। बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में एक परिवार को नियोजित खर्चे और इमरजेंसी के लिए पैसा जुटाने से लेकर सरकार की ओर से हस्तांतरित की गई राशि, भुगतान करने और अतिरिक्त पैसा इकट्ठा करने में काफी परेशानी आती है। वैसे व्यक्ति जिसके पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन पैसे ले जाना जरूरी है वह जोखिम के बहुत करीब होता है। बैंकिंग सेवाओं उपलब्ध होने से भुगतान करने की लागत में भी कमी आती है। ग्रामीण और समाज के वंचित समुदायों को सामाजिक फायदे के तहत चोरी होने पर उसकी भरपाई, सामाजिक स्कीमों की प्रक्रिया में सुधार और दूसरे भुगतान (जिसमें टैक्स और दूसरे भुगतान शामिल हैं) की दिशा में भी बैंकिंग समावेशन का काफी महत्व है। बचत का कोई समुचित साधन नहीं होने के अभाव में यह कम आय वाले परिवारों को महंगे और कम समय के लिए एक बार कर्ज लेने के बाद लम्बे समय के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

ग्रामीण विकास के योगदान में वित्तीय समावेशन की भूमिकाः

वास्तव में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन सफल रुप से कार्यान्वित किया जा सकेगा। जिसके लिए हमें निम्नगत कार्य करने होंगेः–

1 ग्रामीण लोगों को रोजाना बचत की आदत लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने और इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय रुप से उन्हें साक्षर करना है। बैंक द्वारा बचत खाते खोलना एवं आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधाएं मुहैया कराना। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह या व्यवसाय प्रतिनिधि या सुविधादाता (बीसी–बीएफ) की सेवा ली जा सकती है। गाँव–गाँव में बैंकों की शाखाएँ खोलना बैंकों के लिए फायदे का सौदा

नहीं है क्योंकि कम जनसंख्या के कारण लाभ कम होता है लेकिन लागत पूरी आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को दूरदराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के लिए बिचौलिए के रूप में सेवाप्रदाताओं का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिन्हें "बिजनेस फैसिलिटेटर" अथवा "बिजनेस कॉरस्पॉण्डेण्ट" नाम दिया गया।

2 ग्रामीण इलाकों में स्थित डाकघर की आम आदमी बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक जमा योजना के बारे में वित्तीय सुविधाहीन लोगों को जानकारी देना और उन्हें इन सुविधाओं से जोड़ना तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजनाओं से प्राप्त रोजगार को इन लोगों के खाते में जमा करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे नगद निकासी करें एवं अन्य राशि की बचत करें। जिसमें वे अपना पारिवारिक आर्थिक नियोजन कर सकें।

3 वित्तीय साक्षरता के अभियान को सक्रिय करना होगा। इस अभियान में न केवल भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड का ही योगदान हो, बल्कि राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रचार माध्यमें एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों को वित्तीय साक्षरता अभियान में पहल करनी होगी। महाराष्ट्र में किसानों के लिए मुंबई दूरदर्शन के द्वारा "आमची माती, आमची माणसं" और पुणे दूरदर्शन द्वारा "कृषि दर्शन" आदि कार्यक्रमों के प्रसारण काफी लोकप्रिय हो चुके थे। अतः वित्तीय साक्षरता के लिए भी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, तो काफी लाभ होगा।

4 सरकारी क्षेत्र के बैंको, ग्रामीण बैंको एवं सहकारी बैंको के द्वारा किसानों हेतु जारी की गई "किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)" के अंतर्गत खेती एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सके। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को दिए जानेवाले ऋण को बढ़ाने के लिए सेन्ट किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी) योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक ऋण सुविधाएं प्राप्त हो सके।

5 ग्रामीण मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें कुशल व्यवसायिक बनाकर उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से इस दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए कृषक मजदूरों में आशा पल्लवित की है। इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक भी अपना योगदान दे रहे हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी मजदूर एवं कारीगरों के लिए सेन्ट्रल स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समस्या रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है।

आगे की राहः–

वित्तीय समावेशन बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ देश की उन्नति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। वित्तीय समावेशन को सतत बनाए रखने के लिए एक तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें तकनीकी, एक अच्छा बिजनेस मॉडल और उपयुक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम करने की जरूरत है। हालांकि इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियां हैं। बैंकों को नए इनोवेशन के इजाद के लिए अलग तरीके से सोचने की जरूरत है ताकि वित्तीय समावेशित समाज के लक्ष्य को अमली जामा पहनाया जा सके।

वित्तीय समावेशन की राह में एक सक्षम भुगतान तंत्र प्राथमिक तौर पर सबसे बड़ी बाधा के तौर पर मौजूद है। ऐसे में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स की दिशा में काम करना होगा ताकि बैंकिंग सेवा या पर्याप्त बैंकिंग सेवा से दूर की जनसंख्या को इससे जोड़ा जा सके। साथ ही साथ, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय क्षेत्रों की स्थिरता की कीमत पर वित्तीय समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें एक काबिल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ही वित्तीय समावेशन काम कर सकता है। वित्तीय समावेशन की सफलता नई तकनीकी इजाद के अलावा व्यावहारिक बिजनेस रणनीति पर निर्भर करेगा, जिसमें समाज के सबसे निचले तबके को लक्ष्य में रखकर लेनदेन की लागत को कम करते हुए उचित नियामक वातावरण होना चाहिए। ऐसा होने से यह समेकित विकास के लक्ष्य को हासिल करने के साथ एक फायदेमंद बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है।

सारांशः–

सार रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास की दिशा में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है एवं वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंक भी अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण और वित्तीय सुविधा विहीन इलाकों में वित्तीय साक्षरता और हमारी सक्रिय कार्यप्रणाली के माध्यम से वित्तीय समृद्धि के लिए सफलता प्राप्त की जाएगी। वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास के पहलुओं पर अध्ययन करने से ज्ञात हो रहा है कि आगामी दिनों में वित्तीय समावेशन की कार्यप्रणाली अधिक गतिमान एवं समस्या रहित होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास और योजनाएं सक्रिय रुप से कार्यान्वित होगी और डॉ। अब्दुल कलाम का नवनिर्माण का सपना वास्तव में बदल जाएगा। सभी भारतीयों को भरपूर मात्रा में अनाज की आपूर्ति होगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। श्री समीर कोचर द्वारा लिखित पुस्तक "Speeding Financial Inclusion" के अनुसार "देश में वित्तीय समावेशन से वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने का खर्चा लगभग 820 करोड़ रूपए है और यदि सरकार द्वारा यह राशि व्यवसाय बनाने में लगाई जाए तो इस मॉडल को बैंकिंग तंत्र का पूरा सहयोग मिल सकेगा जिससे निस्संदेह देश में शत– प्रतिशत वित्तीय समावेशन सम्भव हो सकेगा।"

संतोष कुमार
लिपिक, सह खजांची
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
जालंधर

'वित्त' वह धुरी है जिसके सहारे आर्थिक विकास का पहिया घूमता है। यह धुरी जितनी सशक्त होगी विकास के पहिए की गति भी उतनी ही तेज व संतुलित होगी। सम्पूर्ण समाज के विकास की संकल्पना संतुलित अर्थव्यवस्था एवं उसके समग्र विकास के सन्दर्भ में की जाती है। जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र की समुचित एवं आनुपातिक भागीदारी हो। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर की संकल्पना शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचार पर निहित है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिक का विकास का मानक अनिवार्य जीवन सुविधाओं के उपभोग में उसकी सहभागिता से है। समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दृष्टि से उन्हें मूलभूत बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'वित्तीय समावेशन' की अवधारणा का जन्म हुआ।

वित्तीय समावेशन का तात्पर्य

वित्तीय समावेशन समिति के अध्यक्ष श्री सी रंगराजन के अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित है:–

"समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों अर्थात् अत्यंत निम्न आयवर्ग के लोगों को उचित लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना व इस प्रकार की वित्तीय सेवाओं की उन तक पहुँच को सुगम बनाना ही वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन समाज के सुविधाहीन व निम्न आयवर्ग के लोगों तक उचित लागत पर बैंकिंग सुविधाओं की सुपुर्दगी का दूसरा नाम भी है"।

वित्तीय समावेशन क्यों?

बीसवीं सदी में महात्मा गांधी ने कहा था की "भारत की आत्मा गाँवों में बसती हैं किन्तु आज इक्कीसवीं सदी में भारत के गाँव विकास की दिशा में पिछड़े हैं। भारत में कुल 611 जिले हैं जिनमें से 375 जिलों में बैंकिंग सुविधाएँ अपेक्षा से कम है या नहीं है। इनमें से भी 54 जिले देश के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में है। ये जिले देश के अन्य हिस्सों के साथ जुड़े भी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सुविधाविहीन जिलों की संख्या 63 है। मध्य प्रदेश में 41 और बिहार में 36 जिलों में बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँची है या कम है। गाँव के अधिकतर लोगों का वित्तीय सेवाओं की सुविधा से वंचित रहना कम विकास दर का एक बड़ा कारण है। यह विकट स्थिति बैंक के राष्ट्रीयकरण के छियालीस वर्षों के बाद भी होना अच्छा संकेत नहीं है। जब तक समाज के सभी वर्ग एवं देश के सभी क्षेत्र विकास में बराबर भागीदारी नहीं करेंगे तब तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ पाएगा।

वित्तीय समावेशन के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं।

समेकित विकास हेतु यह बहुत जरूरी है।

जमा संग्रहण निवेश तथा ऋण संवितरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को इससे वंचित रहने के कारण किसी अप्रत्याशित वित्तीय आघात को झेलने की शक्ति नहीं रह जाती है।

यह गरीब वर्ग को परंपरागत सूदखोरों से बचाता है।

लोगों तक वित्तीय सुविधाएँ पहुँचाने की लागत बहुत कम है।

बैंकों के विचार से लघु जमा संग्रहण तथा ग्राहक आधार में वृद्धि के कारण बैंक अपने तरलता प्रबंधन तथा आस्ति देयता प्रबंधन अच्छी तरह से कर पाएँगे।

वित्तीय समावेशन से फायदे

वित्तीय समावेशन के पूर्ण रूप से लागू होने पर देश को समाज को तथा गरीब जनसंख्या को बहुत सारे लाभ होंगे। वित्तीय समावेशन लोगों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता पैदा करेगा।

गरीबी में कमी – वित्तीय संसाधनों तक पहुँच होने से देश के बड़े तबके की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वे अपनी जरूरत के हिसाब से ऋण बचत तथा बीमा जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते है। वे ऋण की मदद से जहां नए व्यापार व छोटे–मोटे उद्योग धंधे खोल सकते हैं, वहीं वे जरूरत से अधिक आय की बचत करके भविष्य के लिए योजनाएँ बना सकते हैं।

बेरोजगारी में कमी – वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण शहरी गरीब जनसंख्या छोटे–छोटे उद्योग जैसे हथकरघा लगा सकते हैं जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा बैंकिंग सेवाओं के बढ़ने से तरह–तरह के आय रोजगार जैसे कि कर्मचारियों की भर्ती में हिस्सा लेकर वे अपनी सहभागिता बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास – किसी भी समाज के सामाजिक विकास के लिए आर्थिक विकास का होना बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश के बहुत बड़े वर्ग को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिसके माध्यम से गरीब व

निम्न वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास किया जा सकता है। आर्थिक विकास से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तथा वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सामाजिक विकास एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नया आयाम मिलेगा। वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज में इस वर्ग को भी विकास की मुख्य धारा में लाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है।

गरीब एवं निम्नवर्ग के लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ – हमारी सरकारें समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लातीं हैं जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जा सके। परंतु इस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा योजनाओं को लागू करने वाले तथा बिचौलिए हड़प जाते हैं तथा जरूरतमंद लोगों तक ये योजनाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। वित्तीय समावेशन के

माध्यम से सीधे बैंकिंग चौनल के द्वारा इन योजनाओं का लाभ गरीब एवं निम्नवर्ग के लोगों को पहुंचाया जा सकता है जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमः

वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज के गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं।

नो–फ्रिल खाते खोलना

– सरकार ने सभी बैंकों को नो–फ्रिल खाते खोलने के आदेश दिए हैं। गरीब एवं कम आयवर्ग के लोग जीरो बैलेन्स के खाते बैंक में खुला सकते हैं।

के.वाई.सी. में छूट – निम्न तथा कम आयवर्ग के लोगों के लिए के.वाई.सी. मानदंड में छूट दी गयी है। कोई भी के.वाई.सी. युक्त ग्राहक उनका परिचय देकर बैंक में खाता खुलवा सकता है, जिससे उनके लिए खाता खोलना आसान हो गया है।

बैंकों को बिजनस करस्पॉडेंट जैसे माडल का इस्तेमाल करके बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी बैंकों को उनके सेवा क्षेत्र के हिसाब से 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे कम आयवर्ग के लोगों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किसानों को रू. 25000 तक का ऋण बिना प्रतिभूतियों के प्रदान करने को कहा है।

वित्तीय समावेशन के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ–

- पहचान पत्रों का सभी वर्गों के पास न होना।
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं कि अरुचि।
- पारदर्शिता की कमी।
- पहुँच की समस्या।
- अशिक्षा

पिछले वर्ष 28 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक जन–धन योजना के अंतर्गत करीब 10 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके है। इससे वित्तीय समावेशन कि दिशा में बड़े सुधार की उम्मीद है। इन खातों के माध्यम से मनरेगा का पैसा, गैस सिलेन्डर की सब्सिडी, सरकारी छात्रवृति तथा पेंशन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिलने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन समग्र विकास की कुंजी है।

श्रीनिवास कृष्णन, प्रबन्धक
विजया बैंक, गाँव – कोड़य
शाखा, तालुका – मांडवी,
जिला– कच्छ

'वित्तीय समावेशन' शब्द से तात्पर्य वित्त अर्थात बैंकिंग के विविध व्यवहारों, जैसे ऋण, जमा व बैंकिंग की अन्य सुविधाओं में समाज के सभी वर्गों को समाविष्ट करने से है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब हम समाज के सभी वर्गों को बैंकों के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि समाज का निचला व गरीब तबका ही बैंकिंग सुविधाओं से अधिक संख्या में वंचित है और चूँकि इन निचले व गरीब तबका का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, इसलिए, आज गाँव के गरीबों को बैंकिंग की विविध सुविधाओं से जोड़कर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन की भूमिका को अधिक कठोरता के साथ लागू किया जाना अपरिहार्य ही नहीं अनिवार्य भी हो गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने हेतु धन अर्थात् आर्थिक स्रोतों का होना अत्यधिक जरूरी है और ये धन सरकार द्वारा समाज के सभी तबकों को बैंकों के माध्यम से ही निर्गमित होते हैं । इसलिए, वित्तीय व अन्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, गाँव के गरीब व निचले तबकों को, वित्तीय समावेशन द्वारा उन्हें वित्त व अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे इनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कर ही, हम गाँवों का सर्वांगीण विकास करने में सफल होंगे ।

गाँवों में वित्तीय समावेशन के विभिन्न प्रयासः हमारे देश की 65% आबादी गाँवों में ही निवास करती है, इसलिए अगर हम यह कहें कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं तो गलत नहीं होगा। गाँवों में भी 65% से 70% की आबादी ऐसे लोगों की है जो कि दूसरों की कृषि जमीन पर बेगारी अर्थात् दैनिक मजदूरी कर अत्यधिक गरीबी में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे गरीब व निचले तबके के लोगों को, बैंकों के माध्यम से वित्तीय व अन्य बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हुए, उन्हें अर्थ–शक्ति प्रदान करना ही इस 'वित्तीय समावेशन' का प्रमुख उद्देश्य है। आज देश के गाँवों में गरीबों व अमीरों की बीच की खाई बहुत अधिक हैं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से इन गरीबों को वित्त व बैंकिंग की अन्य सुविधाएं प्रदान कर ही हम अपने गाँवों का सर्वांगीण विकास करने में कामयाब हो सकते हैं। इसी वजह से आज हमारी सरकार ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को अत्यधिक महत्व दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन हेतु यह जरूरी है कि गाँव की गरीब जनता में वित्तीय समझ को बढ़ाया जाएं अर्थात् उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया जाएं। वर्ष 1969 में 19 बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण, गाँवों में इसी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया, सरकार का पहला कदम था। इसके पश्चात् सरकार ने गाँवों की अपनी जरूरतों को समझते हुए, विशेषतः ग्रामीण आवश्यकतों को पूरा करने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की और इनकी तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की देश के गांवों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलकर, देश की ग्रामीण जनों को व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्र की मुख्य धारा से

जोड़ने का प्रयास किया। इन्हीं सब प्रयासों के फलस्वरूप, दिनांक 31.03.2014 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की 43962 शाखाएं व 23334 एटीएम कार्यरत हैं और वे वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ घुल–मिलकर, ग्रामीणों की विकट आर्थिक स्थिति से निपटने का एक मजबूत सहारा बन गई हैं ।

वर्ष 1982 में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी लघु व कुटीर उद्योगों तथा कृषि की वित्तींय आवश्यकताओं को समझते हुए, उनसे संबंधित योजनाओं के निर्माण व उनके क्रियान्वयन हेतु, एक अलग संस्था 'नाबार्ड बैंक' की स्थापना की । 'नाबार्ड' बैंक ने गांवों में संचालित कुटीर व कृषि उद्योगों की आवश्यकताओं को समझते हुए, तरह–तरह की वित्तीय योजनाओं का शुभारंभ किया और इसे विभिन्न सरकारी व ग्रामीण बैंकों की मदद से क्रियान्वित किया। इस हेतु 'नाबार्ड' ने बैंकों को वित्त व पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कृषि व छोटे स्तैर पर स्थापित लघु व कुटीर उद्योगों को, प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करते हुए, सभी बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% हिस्सा, इन क्षेत्रों को देने के दिशा–निर्देश जारी किए ।

वर्तमान की भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) के नियमों में ढील देकर, 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' के माध्यम से सभी भारतवासियों का बैंक में खाता खोलने का एक जन–अभियान शुरू किया है। नाबार्ड ने भी अपने सभी सदस्या बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे महीने में कम–से–कम एक दिन गांवों में वित्तीय साक्षरता हेतु कैम्प आयोजित करें और उन्हें बैंकिंग की विभिन्न गतिविधियों व योजनाओं से रूबरू कराकर, उन्हें बैंकों से जोड़ने का प्रयास करें । यहीं नहीं अब 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' के माध्यम में गांव के सभी परिवारों व लोगों को बैंक के साथ जोड़कर, गांव के गरीब लोगों के हितार्थ चलने वाली 'मनरेगा' जैसी योजनाओं का पारिश्रमिक भी लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकार देने का प्रयास कर रही है । इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े गांव के सभी लोगों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकिंग की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हुए, आज हमारी सरकार गांवों का सर्वांगीण विकास करने का सपना साकार करने में जुटी हैं।

गांवों में वित्तीय समावेशन की कठिनाईयां : यह एक कटु सत्य है कि सरकार द्वारा गाँवों में वित्ती य समावेशन के किए गए, इन तमाम प्रयासों के बावजूद, अब भी देश में गाँवों का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की तमाम सुविधाओं अर्थात् वित्तीय समावेशन से वंचित है। 31.03.2014 के ताजा ऑकड़ों के अनुसार देश में बैंकिंग का कुल नेटवर्क 1,15,082 शाखाएं व 1,60,055 एटीएम का हैं और इनमें से सिर्फ 43,962 शाखाएं अर्थात् 38.2% व 23,334 एटीएम अर्थात् 14.58% ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यहीं नहीं सरकार ने देश के गाँवों में बैंक की शाखाएं तो खोल दी, किन्तु इन बैंकों में काम करने वाले नौकरशाहों की मनः स्थिति नहीं बदली। इसके फलस्वरूप वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं का फायदा गाँव के धनाढ़य कृषक परिवारों व जमींदारों को ही मिला और उन्होंने इसके माध्यम से अपनी सम्पत्ति में इजाफा किया। इस तरह आज गाँवों में गरीब कृषक मजदूरों व इनके बीच की खाई कम होने के स्थान पर और अधिक चौड़ी ही हो गई है। गरीबों के कल्याण हेतु चलने वाली विभिन्न वित्तीय योजनाओं के सम्बन्ध में बैंकों ने अपने स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित भी नहीं किया। इसी तरह ऋणों के अनुत्पादक होने से हमे आज भी सभी बैंक, वित्त हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण आज भी गाँव के गरीब परिवार वित्तीय समावेशन व बैंकिंग की तमाम सुविधाओं से वंचित है। यहीं नहीं बैंकों ने भी सरकार के दबाव में आकर, पर्याप्त संख्या में अपने यहीं स्टाफ सदस्यों की भर्ती किए बिना ही गाँवों में अपनी शाखाओं का विस्तार कर दिया, इस तरह स्टाफ सदस्यों के अभाव में, बैंक भी वित्त सुविधाओं से वंचित गाँव के गरीब तबकों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूर्ण वित्तीय समावेशन अभी करागर नहीं हो पाया ।

गाँवों में वित्तीय समावेशन के उपाय: वित्तीय समावेशन की सफलता हेतु यह जरूरी है कि सभी बैंक गाँवों में कार्यरत अपनी सभी शाखाओं में, गाँव के परिवेश में पले–बढ़े व्यक्तियों को ही प्रतिनियुक्त करें और उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएं। आज गाँवों के गरीबों हेतु बहुत सारी ऋण योजनाएं बैंकों द्वारा चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं की जानकारी रखना स्टाफ सदस्यों को बहुत ही मुश्किल बन गया है। इसलिए, क्षेत्र विशेष व योजना विशेष हेतु शाखाओं को निर्मित किया जाएं उनमें प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों को प्रतिनियुक्त किया जाएं। इसी तरह आज अनुत्पादक आस्तियों के खौफ से डर व सहम कर, बैंक समर्थ लोगों को ही वित्त की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसे बदलने हेतु यह जरूरी है कि बैंक के स्टाफ सदस्यों को, छोटे–छोटे ऋणों के सम्बन्ध में निर्णय लेने की पूरी छूट दी जाएं। बैंकों में पर्याप्त संख्या में स्टाफ सदस्यों को प्रतिनियुक्त कर, गाँव के गरीब व निचले तबके के लोगों को, बैंको के साथ जोड़ने की समुचित निगरानी व्यवस्था को निर्मित किया जाना भी जरूरी है। इस तरह गाँव के गरीब निचले तबके व्यक्तियों का परिवार, बैंकिंग की तमाम सुविधाएं अर्थात् वित्तीय समावेशन को सहीं अर्थों में पाकर, अपना व गाँव का सर्वांगीण विकास करने में सफल सिद्ध होगा ।

उपसंहारः साराशतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन से तात्पर्य, गाँव के वंचित व निम्न आय वाले परिवारों अर्थात् भूमिहीन कृषक मजदूरों व गरीब परिवारों को बैंकिंग की वित्त आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर तथा गाँव की कुल घरेलु बचत में वृद्धि कर, गाँव का सर्वांगीण विकास करना है। सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्न व मध्यम आय–वर्ग के परिवारों की आर्थिक हालत में सुधार तो हुए हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव के कारण, अधिक असरकारक ढंग से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। अतः अब समय आ गया है कि सरकार देश में चल रहे विभिन्न वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों की, 'जनसंख्या' आदि जैसे विभिन्न बाहरी तत्वों के पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर, समीक्षा करें और इस हेतु उनमें आवश्यक सुधार कर, इन्हें अधिक तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'वित्तीय समावेशन' द्वारा सभी ग्राम्य जनों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ने में कामयाब होंगे, उसी दिन गाँव की घरेलु बचत व निवेश में वृद्धि होगी और गाँवों में अधिक संख्या में रोजगार सृजित होंगे। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'वित्तीय समावेशन' के माध्यम से गाँव के हरेक परिवारों की माली हालत सुधरेगी और हम अपने गाँवों का सर्वांगीण विकास करने में सफल होंगे। अंत में अगर यह कहा जाएं कि 'वित्तीय समावेशन' के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मूलमंत्र है जिसके द्वारा ही हम एक 'आदर्श ग्राम निर्माण' की अपनी परिकल्पना को साकार कर सकते हैं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।

श्री विनोद चन्द्रशेखर दीक्षित
प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया
अहमदाबाद

विहंगावलोकन

भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जहां स्वतंत्रता के बाद से ही, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के निरन्तर विकास के साथ साथ एक जीवंत और स्थिर वित्तीय प्रणाली विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता थी। जिसके लिए गॉवों के साथ साथ शहरों की जनसंख्या को भी अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदार, सहयोगी बनाना जरूरी था। समय समय पर सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य किया जाता रहा है। वित्तीय साक्षारता एवं वित्तीय समावेशन में अंतर्निहित एक मानवीय पहलू भी है जिसका संबंध लोगों को केवल वित्तीय सुविधाओं को प्रदान करना ही नहीं है बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें समृद्ध एवं खुशहाल बनाने से भी है। आज जब सारे विश्व में वित्तीय प्रणाली को समावेशन की दिशा में ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं तब भारत में भी वित्तीय समावेशन को एक राष्ट्रीय मिशन बनाकर सफल बनाया जा रहा है। आजादी के साठ साल बाद भी केवल चालीस प्रतिशत भारतीयों के बैंकों में बचत खाते हैं और 7 लाख गावों में से सिर्फ 6 प्रतिशत में बैंक शाखाएं हैं । गरीबी हटाओ को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए सारे अभियान असफल होने के पीछे प्रमुख कारण वित्तीय समावेशन का अभाव ही है ।

क्यों जरूरी है वित्तीय साक्षरता ?

वित्तीय समावेशन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई यह जानना बहुत जरूरी है। 21वीं शताब्दी की पहली दशाब्दी में लोगों में वित्तीय साक्षरता के महत्व को सभी ने स्वीकार किया। अधिकतर देश वित्तीय शिक्षा के लिए एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय रणनीति अपना रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय साक्षरता की परिभाषा इस प्रकार दी है कि–यह वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का संयुक्त समग्र रूप है, जिसकी सहायता से वित्तीय फैसले लिये जा सकें और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। आज का समाज एक गांव, शहर या देश तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये पूरे विश्व में एक समान हो गया है। लोग वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं। एक सुशिक्षित परिवार नियमित रूप से बचत करेगा, सही योजनाओं में निवेश करेगा और अपनी आमदनी बढ़ायेगा। इस प्रकार व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा समाज की भलाई होगी। वित्तीय साक्षरता अथवा वित्तीय शिक्षा को व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, 'वित्त बाजार से उसके उत्पादों, खासकर उसके प्रतिफलों एवं जोखिमों के ज्ञान के साथ, लोगों को परिचित कराना, ताकि वे अपने विकल्पों का चयन अच्छी तरह से समझ–बूझकर कर सकें। इस दृष्टिकोण से देखने पर वित्तीय शिक्षा प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत वित्त से संबंधित है जो लोगों को ऐसे प्रभावी कार्य में सक्षम बनाती है जो कुल मिलाकर उनकी खुशहाली को बढ़ाती है और वित्तीय मामलों में उनकी समस्याओं को कम करती है। वित्तीय समावेशन में मुख्य चार बातें हैं – धन बचत करने की योग्यता, ऋण पाने की क्षमता, मुद्रा स्फीति से अधीक आय कमाना और जोखिमों से खुद को बचाना। समग्र आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति एवं संभावित वित्तीय संकटों से बचाव हेतु शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन को कोई भी नकार नहीं सकता है ।

वित्तीय समावेशन और साक्षरता की आवश्यकता एवं लाभ :

हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदीजी के शब्दों में कहा जाए तो 'हमारे यहां एक तरह की सोच है कि वित्तीय समावेशन हमेशा अच्छा नहीं होता यदि हम देश में विकास पिरामिड को देखें तो पता चलेगा कि इसका आधार बड़ा और विस्तृत है। यदि आधार मजबूत होगा तो पिरामिड भी मजबूत होगा।' वित्तीय साक्षरता से विश्वास, अर्थ संबंधी ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, जिससे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का सही लाभ उठाया जा सकता है और अपनी वर्तमान तथा भावी परिस्थितियों को अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता के कारण शोषण करने वाली वित्तीय योजनाओं और साहूकारों द्वारा लिये जाने वाले अधिक ब्याज से भी लोगों को और समाज को बचाने में मदद मिलती है। आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने की वजह से ग्रामीण परिवारों के हाथों में खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि में बढ़ोत्तरी होती है जिससे कि बचत होती है और इससे बैंकों के साथ वित्तीय संस्थानों के डिपॉजिट बेस का दायरा बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों, और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों को केन्द्रीय बैंकों के बारे में और सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 'प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी'' नाम से एक परियोजना शुरू की है। वित्तीय समावेशन बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ देश की उन्नति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है।

वित्तीय समावेशन की उपादेयता – वित्तीय समावेशन न केवल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि सामाजिक भूमिका में भी अपना योगदान देता है। वित्तीय बाजार की व्यापक पहुँच और विस्तार के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती और यह वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही संभव है । वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आर्थिक सुधार को सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लागू करने की प्राथमिकता दी है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने भी कहा था "उनके सपनों के भारत में देश के गरीबतम व्यक्ति की भी देश की प्रगति एवं निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए ।

वित्तीय समावेशन के मुख्य उद्देश्य –

- वित्तीय समावेशन का अर्थ है समान के निचले से निचले स्तर पर बैठे वर्ग तक वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
- वित्तीय समावेशन मे यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय मुख्यत: मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं की ही मदद ली जाय।
- वित्तीय समावेशन का सबसे लोकप्रिय व आसान तरीका बैंक खाता खोलना माना जाता है।
- वित्तीय समावेशन को समावेशित विकास को प्राप्त करने का सर्वप्रमुख माध्यम माना जाता है ।
- केरल, हिमाचल प्रदेश तथा पाण्डिचेरी 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशित प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं।
- मंगलम (पाण्डिचेरी), भारत का पहला पूर्णतया वित्तीय समावेशित राज्य था

वित्तीय समावेशन हेतु किए गए अब तक प्रयास/सफलता –

वित्तीय समावेशन हेतु सरकार द्वारा समय समय पर बहुत से उपाय किये गए हैं। वर्ष

1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया लेकिन अभी देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास ही बैंक खाते हैं और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तो यह अनुपात और भी कम है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, गरीबों को महाजनों और साहूकारों के चुंगल से छुड़ाना था। हमारे देश की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। देश की बैंकिंग शाखाओं का लगभग 40% ही ग्रामीण क्षेत्रों में है। देश के 6,00,000 आबादी समूह में से मात्र 5 प्रतिशत के पास वाणिज्यिक बैंक की एक शाखा है। 13% के पास डेबिट कार्ड हैं और केवल 2% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं ।

- बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु, बैंकों द्वारा सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्रारूप तैयार करना तथा वित्तीय जानकारी प्रदान करने हेतु, बैंकों द्वारा ग्रामीण ज्ञान परामर्श केंद्र स्थापित करना ।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। मनरेगा जैसी योजनाओं से बैंकों द्वारा सुरक्षित, निश्चित व आसान भुगतान प्रक्रिया से गरीबी उन्मूलन में सहायता प्राप्त हो रही है ।
- सरकार ने 9 मई 2015 को तीन नई योजनाओं की शुरुआत की – दो बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यौजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक पेंशन योजना (अटल पेंशन योजना) । इसे पीएमजेडीवाय का दूसरा चरण कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को किसी भी तरह के लाभ देने से पहले उन्हें मुख्य धारा की बैंकिंग से जोड़ना बेहद जरूरी है ।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका 28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है वह वित्तीय समावेशन संबंधी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 31.01.2015 की स्थिति के अनुसार, 12.54 करोड़ खाते खोले जा चुके है जिनमें से 5.50 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5.04 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए है। दिनांक 31.01.2015 तक 11.07 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके है। 10499.62 करोड़ रुपए की जमा राशि जुटाई जा चुकी है। दिनांक 23.01.2015 की स्थिति के अनुसार 2105.93 लाख के कुल सर्वेक्षण परिवारों में से 2105.52 लाख परिवारों के खाते खोले जा चुके हैं जो 99.98% का कवरेज दर्शाता है ।

वित्तीय समावेशन एवं बैंक द्वारा किए गए प्रयास

देश की अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिये बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं से वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से मूलभूत बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ा जाना आवश्यक व सरहनीय कदम हैं। वित्तीय समावेशन में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता हेतु चार वित्त उत्पादकों को रखा गया है। जिसमें नो फ्रील बैंक खाते, इलेक्ट्रोनिक धनप्रेशन, बचत अथवा आवर्ती जमा खाते उध्यमशीलता के विकास हेतु जनरल क्रेडिट कार्ड एवं किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना रखा गया है । जहां तक बात बैंकों के ग्रामीण इलाकों में विस्तार के लिए मुख्य चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है । इसमें पहला है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के जरिये पहुंच बनाना। दूसरा कदम है उत्तम तकनीक का उपयोग करना, तीसरी बात महत्वपूर्ण है जिसमें मनरेगा फंड, सरकारी योजनाओं का फंड, सब्सिडी की रकम सीधे ग्राहकों के खाते में आएगी और चौथी बात यह है कि आधार के जरिए हम खाता खोलेंगे। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो। 100% बैंकिंग अथवा वित्तीय समावेशन का अर्थ हुआ कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खुलना। वित्त मंत्रालय के पास 5 नवम्बर 2014 तक के आंकड़ों के अनुसार केरल में 11.26 लाख बैंक खाते, गोवा में 77,485, चण्डीगढ़ में 1.36 लाख, पुड्डुचेरी में 69,819 तथा लक्षद्वीप में 3,588 खाते खोलकर वित्तीय समावेशन के इस लक्ष्य को हासिल किया गया। इसक अलावा गुजरात राज्य के तीन जिलों – पोरबंदर, मेहसाणा और गाँधीनगर ने भी 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है। ई–क्रांति, डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश में ई–शासन, मोबाइल शासन और सुशासन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा "गवर्नेन्स के कायाकल्प के लिए ई–गवर्नेन्स का कायाकल्प" की दृष्टि से ई–क्रांति के दृष्टिकोण और प्रमुख घटक को सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 को अनुमोदित किया गया है।

ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन –

वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कृषि तंत्र को आधुनिक बनाना एवं कृषि उत्पादकता और विपणन प्रणाली को बढावा देना अत्यंत जरुरी है, जो ग्रामीण विकास की आधारशीला है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन। ग्रामीण जनता एवं छोटे किसानों को बैंको के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर वे साहुकारों के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाने में सहायता प्राप्त हुई है। वित्तीय समावेशन शब्दावली का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति, 2005–06 के वक्तव्य में पहली बार किया। भारतीय रिजर्व बैंक के

उप गवर्नर श्री.वी.लीलाधर ने के अनुसार, "वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले समूहों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो उन पर भार न बन सकें।" भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीमान डी. सुब्बाराव ने "आर्थिक अवसर और वित्तीय पहुंच" का सरोकार स्थापित किया है और वित्तीय पहुंच को खासकर गरिबों के लिए शक्तिशाली मानते हुए उन्हें बचत इकट्ठी करने, निवेश करने और ऋण लेने का एक वित्तीय अवसर के रुप में परिभाषित किया है।

वास्तव में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन सफल रुप से कार्यान्वित किया जा सकता है। जिसके लिए हमें निम्न कार्य करने होंगेः–

ग्रामीण लोगों को रोजाना बचत की आदत लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें

वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने और इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय रुप से उन्हें साक्षर करना। ग्रामीण मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें कुशल व्यवसायिक बनाकर उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास के पहलुओं पर अध्ययन करने से ज्ञात हो रहा है कि आगामी दिनों में वित्तीय समावेशन की कार्यप्रणाली अधिक गतिमान एवं समस्या रहित होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास और योजनाएं सक्रिय रुप से कार्यान्वित होगी और डॉ. अब्दुल कलाम का नवनिर्माण का सपना वास्तव में बदल जाएगा।

वित्तीय समावेशन – चुनौतियाँ

वित्तीय समावेशन का सूचकांक पहली बार 100 देशों के बीच बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में भारत 50 वें स्थान पर है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आम आदमी को "बेहतर जीवन" सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। अगर हमें आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना है जो बैंक सुविधाएं से वंचित हैं, तो वित्तीय समावेशन की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करना वास्तव में उतना आसान नहीं है, जहाँ हम वित्तीय जागरुकता एवं वित्तीय साक्षरता का प्रचार ग्रामीण एवं वित्तीय सुविधा विहिन लोगों वित्तीय सहायता प्रदान करने में कुछ समस्याएं भी है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए हमें जिन चुनौतियों का सामना करना होगा, उसमें कुछ बिंदु इस प्रकार है:–

- वित्तीय सुविधा विहिन लोगों से बचत खाते, नो फ्रिल्स खाते खुलवाने एवं उनके लेन–देन के निरीक्षण के कार्य करनेवाले व्यवसाय प्रतिनिधि अथवा सुविधादाता का पारिश्रमिक उस स्तर का हो, जिससे वे अपनी आजीविका योग्य रुप से चला सके।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों और सुविधादाताओं (बीसी–बीएफ) को योग्य प्रशिक्षण दिया जाना होगा। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संगठन (आईआईबीएफ) एवं नाबार्ड के माध्यम से बीसी–बीएफ को प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया है, लेकिन ग्रामीण या वित्तीय सुविधा विहिन लोगों की वित्तीय जरुरत को ध्यान में रखकर क्रमश: जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रणाली कार्यान्वित की जानी चाहिए। योग्य प्रशिक्षण के अभाव में बीसी–बीएफ–मॉडेल के अंतर्गत काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है।
- वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण इलाकों एवं वित्तीय सुविधा विहिन क्षेत्रों से आशानुरुप सहयोग न मिलना।
- मजबूत सूचना प्रबंधन तंत्र और गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर सहीरुपेण कारन्वयन वित्तीय समावेशन को सफल बना कर देश को वित्तीय संकट मेन उबार सकता है ।

उपसंहार

वित्तीय समावेशन वर्तमान आर्थिक परिद्रश्य में वह रणनीति है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग गतिविधियों , लाभों, उपायों व बैंकिंग सामाजिक उपादेयता को सर्वसुलभ कराया जाता है। वित्तीय समावेशन से क्षेत्रीय लोगों को अपने कार्य सुविधाजनक, आदर पूर्वक एवं खुलेपन से करने में सहायता मिलती है। हम जब वित्तीय समावेशन की प्रत्याशाओं को पूरा करेंगे, तभी देश के समग्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आज जब बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों में जोरदार प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है तब बैंक वित्तीय समावेशन को आत्मसात करके अपने कार्य क्षेत्र की परिधि का विस्तार सबसे अच्छे रूप में कर सकते हैं ।

विनोद यादव, प्रबंधक
विजया बैंक,
बैंगलुरू

प्रस्तावना

वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास के लिये एक रूपावली है जोकि गरीबी दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वित्तीय सेवाओं का ग्रामीण इलाकों में सूचनाओं का अभाव, कम जागरूकता, खराब कार्य पद्धति, वित्तीय संस्थानों का वित्तीय इतिहास, बीमा और पेंशन सेवाओं का अभाव वित्तीय समावेशन के कार्य– क्षेत्र और जरूरत को रेखांकित करता है। वित्तीय समावेशन के लाभ शायद हमारी देश की आधी आबादी तक भी नहीं पहुंच पाया है, शायद इसका कारण लोन, बीमा और दूसरी सेवाओं का ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में नदारद होना है और यही वित्तीय समावेशन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर प्रश्न खड़ा करता है। वित्तीय समावेशन हमारे देश के समावेशी और सतत् विकास के लिये अनिवार्य है। वित्तीय समावेशन हमारे देश की अधिकतर आबादी तक वित्तीय सेवाओं को पहुचाने के एक नीति है जिसमें राशी का जमा–संग्रहण कर उसका लाभ वापस उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

साहित्य की समीक्षा : सतत विकास और निरंतर सम्पन्नता किसी भी देश के लिये उसकी अधिकतर आबादी का वैश्विक वित्तीय सेवाओं पर कितना पहुंच है उस पर निर्भर करता है। आगे प्रयोगसिद्ध प्रमाण यह दिखाते हैं की कैसे समावेशी वित्तीय प्रणाली, गरीबी दूर करने और आर्थिक अवसर बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा सस्ती वित्तीय सेवायें जैसे– भुगतान और प्रेषण सेवायें, बचत खाता, लोन और बीमा सेवाओं को उन लोगों तक पहुचाना जो इन सेवाओं से वंचित हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ, बैंकिंग सेवाओं को सस्ती दरों पर वंचित और कम आय वाले विशाल जन समुह तक पहुचाना है। बैंकिंग सेवाओं को विशाल जन–समूह तक पहुचाना लोगों के हित में है, और यह आवश्यक है कि यह बिना किसी भेद–भाव के लोगों तक पहुंचे और समुचित लाभ मिल सके।

वित्तीय समावेशन : वित्तीय समावेशन का अर्थ बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं को सस्ती दरों पर वंचित और कम आय वाले विशाल जन समुह जिसमें घरेलू उद्यमों,लघु व मध्यम उद्यमों और व्यापारी शामिल हैं। यह कृषि कि संपूर्ण वित्तीय तीव्रता को ही नहीं बल्कि ग्रामीण व गैर कृषि गतिविधियों को भी बढ़ाता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है जिससे वित्तीय समावेशन में सुधार होता है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाता है। भारतवर्ष कि लगभग 45% आबादी गरीबी व भुखमरी से पीड़ित है जिसमें से केवल 31% के पास ही बैंकिंग सुविधायें हैं और 80% के पास कोइ जीवन व स्वास्थ्य बीमा नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए 2020 के विजन के अनुसार लगभग 600 मिलियन नये खाते बिभिन्न चैनलों के माध्यम (जैसे नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूहों, बैंक की नई शाखायें) से खोलने की योजना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता है।

वित्तीय बाजार तक पहुंच : वर्तमान में हमारे देश में 99 ब्लॉक ऐसे हैं जहां कोइ भी बैंक की शाखा नहीं है, और जिसमें 86 ब्लॉक उत्तर–पूर्वी प्रदेशों में हैं और 13 ब्लॉक देश के अन्य भागों में हैं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 150 करोड़ का बजट बैंक की नई शाखायें उन स्थानों में खोलने के लिये निर्धारित किया है जहां वित्तीय सुविधायें उप्लब्ध नहीं हैं और जो स्थान सुदूर और दुर्गम हैं। लेकिन अधिकतर उत्तर–पूर्वी प्रदेशों में जनसंख्या दस हजार से भी कम होने के कारण नई शाखायें अधिक संख्या में नहीं खोली जा सकती हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी की मदद से वित्तीय समावेशन को सूक्ष्म–वित्त संस्थाओं, व्यापार संवाददाता, सहकारी समितियों, किराने की दुकानों द्वारा शाखा–रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।

ऋण बाजार तक पहुंच : हमें ऐसे अधिक उत्पादों की आवश्यकता है जो लोगों की ऋण और बीमा जरूरतों को पूरा कर सके। लोगों की ऋण सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये बचत से जुड़े एक वित्तीय मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है जोकि सरल हो और उसका लाभ लोगों तक पहुंच सके। प्रदेशों के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां सक्रिय हैं, लेकिन इन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ–साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इनका सह–अस्तित्व भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब प्रदेश सरकारों ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सुचारू रूप से चलाने के लिये खरीद, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे क्षेत्रों में कदम उठाने शुरु कर दिये हैं।

वित्तीय साक्षरता : वित्तीय साक्षरता का अभाव होने की वजह से खराब बुनियादी ढांचे का होना वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख रूकावट है। इसलिये भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण(क्रेडिट) परामर्श और वित्तीय समावेशन के लिये एक आरंभिक परियोजना शुरु की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में प्रयास हेतु, तथा बैंकिंग व आम लोगों के लिये एक बहुराष्ट्रीय वेबसाइट भी शुरू की है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक ने 198 ग्रामीण ज्ञान केंद्रों की शुरुआत की है जिनका उद्देश्य प्रमुख तौर पर किसानों को वित्तीय रूप से साक्षर करना है। वित्तीय समावेशन का अर्थ वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों के दायरे को बढ़ा कर कम आय वाले लोगों को शामिल करना है। हाल के ही वर्षों में बैंकिंग का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है लेकिन प्रमुख चुनौती उन 6 लाख लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना है जो गावों में रहते हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए प्रारंभिक कदम : भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार आर्थिक प्रगति के लिये बैंकिंग के दायरे को पूरे देश में बढ़ाने के लिये, वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 1990 के पहले के वर्षों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये बहुत सारे कदम उठाये गये, जैसे कि 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन, साल 1969 और 1980 में वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीयकरण, 1970 में लीड बैंक योजना की शुरुआत, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण देने के मानदंड, ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिये शाखा लाइसेंस मानदंड, साल 1982 में नाबार्ड का गठन उन बैंको को ऋण देने के लिये किया गया था जो अंततः कृषि के लिये कृषकों को ऋण देता है, और साल 1975 में क्षेत्रिय ग्रामीण बैंको का गठन, ये सभी कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको की शाखाओं के विस्तार के लिये समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये उठाये गये थे। साल 1990 के बाद वित्तीय लाभ से वंचित लोगों के लिये कुछ प्रमुख कदम उठाये गये जैसे की साल 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरु की गयी स्वयं सहायता समूहों के लिये लिंकेज कार्यक्रम और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का सरलीकरण, ये कुछ कदम मील का पत्थर साबित हुए। साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूवात हुई और साल 2005 में नाबार्ड के प्रस्ताव पर 25000/– की सीमा तक एक जनरल क्रेडिट कार्ड की शुरूआत हुई।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) : भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग बैंक की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) वह प्रणाली है जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सकता है जहां पर बैंक की बुनियादी सुविधायें नदारद हैं और इस प्रणाली के माध्यम से उन क्षेत्रों का विश्लेषण कर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं। देश में बैंकिंग नेटवर्क के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) विकसित करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग डीएफएस द्वारा शुरु किया गया है। इस परियोजना के तहत ग्राम स्तर पर बैंक शाखाओं, एटीएम, व्यवसाय प्रतिनिधि, समाशोधन गृहों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की करेंसी चेस्ट के बारे में मौजूदा जानकारी को संग्रहीत करने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्राचीर से 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की घोषणा की जिसमें 'बैंकिंग सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच' अर्थात 'बैंकिंग सुविधाओं' को घर–घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया जिसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर के साथ छह महीने के बाद 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड के साथ बचत खाता प्रदान किया गया, तथा योजना के अगले चरण में सूक्ष्म बीमा और पेंशन आदि को भी जोड़ दिया जाएगा।

निष्कर्ष

बैंकों को वित्तीय उत्पादों, शिक्षा, पैसे के प्रबंधन के बारे में सलाह, ऋण परामर्श, बचत और सस्ती ऋण के बारे में जागरुकता पैदा करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में उनकी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। बैंकों को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में उनकी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार करने की जरूरत है और इसे हासिल करने का एक माध्यम सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग उत्पादों को बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। एटीएम नकद वितरण मशीनें उन्हें, अनपढ़ कम शिक्षित हैं या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो लोगों के लिए अनुकूल उपयोगकर्ता बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। एटीएम नकद वितरण मशीनो को जो अनपढ़ हैं, कम शिक्षित हैं या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए अनुकूल व उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। बैंकों को वित्तीय अवसर के रूप में तथा साथ–हीदृसाथ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेंदारी दोनों तरह से निम्न आय समूहो के लिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं को शामिल करके एक नई रणनीती बनाने जरूरत है। बैंकों को प्रौद्योगिकी तथा एमएफआई और गैर सरकारी संगठनों के साथ उपलब्ध विशेषज्ञता सहित सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। वित्तीय समावेशन वाणिज्यिक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर सकता है। केवल बैंकों को अपने–अपने दायरों से बाहर सोचने के लिए तैयार किया जाना चाहिए!

मौली अग्रवाल,
सहायक प्रबंधक
सुंदरम बीएनपी परिबास
होम फाइनेंस लि., चेन्नै

15 अगस्त 1947 की प्रातः वेला में स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ। देश ने स्वतंत्रता का स्वागत किया, परन्तु क्या भारतीय नागरिक उस स्वंत्रता को महसूस कर सके जिसके लिए उनके पूर्वजों ने बलिदान दिया था? गरीब और उस पर ग्रामीण गरीब उसी स्थिति में जीवन यापन करते रहे। वे उस वित्तीय स्थिति का लाभ नहीं उठा सके, जो नीति–अनुसार उनको मिलनी चाहिए थी। मात्र कारण था – एक उपयुक्त संवहन माध्यम के अभाव का। ये वर्ग वित्तीय समावेशन के बजाय, वित्तीय अपवर्जन के द्वारा समाज से अलग कर दिए गए और यदि उन्होंने कभी वित्तीय सेवाओं के लाभार्थ के लिए कदम भी बढ़ाये तो उन पर लगाये जाने व्यय के बोझ की कल्पना मात्र से वे निरीह इन सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। समय बीतता गया, सरकारी नीति बनती गयी, परन्तु इस वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य नीति बनाये जाने का विचार भी अंकुरित न हो सका। परन्तु कहते हैं – समय परिवर्तन शील है, हमेशा वंचित रहने वाले कभी संचित भी होंगे, ऐसे विचार एवं धारणा पनपने लगी और इस तबके के लोगो के मन में आशा का संचार हुआ। सरकार भी जागृत हुई और अंततः वित्तीय समावेशन के रूप में नीति का प्रादुर्भाव हुआ। अतः निर्धन, निम्न आयवर्गीय एवं प्रतिकूल स्थिति में रहने वालों का, वहन कर सकने वाले व्यय सीमा के भीतर वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करा देना ही वित्तीय समावेशन का मूलभूत उद्देश्य रहा। इस वित्तीय समावेशन के प्रवर्तन के पीछे तीन मुख्य कारण थे –

1. धनार्जन के सीमित स्त्रोत होने के बावजूद भी ऐसे ग्रामीण नागरिकों में बचत की आदत डालना ।
2. आय का स्त्रोत बढ़ाने हेतु व कुशल कारीगर होने के पश्चात भी धन के अभाव में कोई व्यवसाय न कर पाने पर इन लोगों को ऋण के अवसर प्रदान कराना, तथा
3. भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकारी अनुदान के साथ–साथ उन रिसाव युक्त दरारों को भरना, जो धन के दुरूपयोग का कारण थी और जिस में बिचौलिये अधिकतम धन राशि हजम कर जाते थे।

भारत एक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है परन्तु प्रत्येक नीति में समृद्ध व्यक्ति ही प्रभुता लाभांशों को प्राप्त करने में अग्रणी रहे। यह 10 प्रतिशत अमीर व्यक्ति, भारत की कुल पूंजी में से 90% पूंजी के मालिक बन बैठे। गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। इन दोनों के मध्य की खाई और चौड़ी व गहरी होती गयी। कारण केवल एक ही रहा–इन गरीब लोगो का देश के विकास में हिस्सा न लेने के अवसरों का अभाव। यदि कभी ऐसे अवसर आए भी तो एक ऐसे सशक्त माध्यम का न होना इस गंभीर स्थिति को भयावह बनाता रहा।

समय अनुसार सरकारी नीतियाँ बनती रही परन्तु मात्र अभिलेखों का हिस्सा बन कर रह गयी। इन नीतियों में यद्यपि "वित्तीय समावेशन" की झलक थी परन्तु इन नीतियों को लागू करने के लिए जो ठोस कदम उठाये जाने चाहिए थे, इच्छा शक्ति के अभाव में न उठाये जा सके और वे नीतियां मरणासन्न होती गयी।

आइए, नीतियों की चर्चा करने से पहले, 'वित्तीय समावेशन' क्या है? इस पर प्रकाश डालते हैं, इसके तीन उद्देश्य थेः–

1. प्रथम उद्देश्यानुसार वित्तीय समावेशन अथवा (फाईनेंशिअल इन्क्लूजन) वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक नागरिक, वह चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ऐसे माध्यम से जुड़ा हो जिसके द्वारा उसको वित्तीय अथवा धन सम्बंधित लाभ उसकी आवश्यकतानुसार किसी नियत नीति के अंतर्गत मिलता रहे। दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशन वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक नागरिक सकल घरेलू उत्पाद से लाभान्वित हो। यह तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे माध्यम से जुड़ा हो जो इस सकल घरेलू उत्पाद के वित्तीय आंकलन एवं समाशोधन से जुडा हों। इसमें बचत या जमा सेवाएं, भुगतान एवं प्रेषण ऋण तथा इन्शोरेंस सेवाएँ भी शामिल की गयी थी।
2. वित्तीय समावेशन का दूसरा उद्देश्य, लोगों की इस लाभांश की पहुँच को, सस्ता सरल व सुगम बनाना था। ऐसा तभी संभव हो सकता था जब सरकारी तंत्र द्वारा लागू कठोर एवं कठिन प्रक्रिया में से कांट छांट कर अवांछित पहलुओं को निकाल दिया जाए और व्यक्ति के पहचान हेतु एक ही प्रमाणिकता को सिद्ध करने वाले विभिन्न दस्तावेजों को कम कर दिया जाए।
3. तृतीय उद्देश्य बिचोलियों और कमीशन दलालों को इस रास्ते से हटाकर, लाभांश को सीधे लाभार्थी तक प्रेषित किया जाना भी था।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे सरकारी तंत्र अथवा माध्यम की आवश्यकता हुई जो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखता हो। एक विश्लेषणानुसार, सरकारी व अर्धसरकारी बैंक व वित्तीय संस्थाएं ही मात्र ऐसे माध्यम थे जो जन–जन तक पहुँच सकते थे। यद्यपि कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की उपस्थिति कम या नगण्य थी, परन्तु जब सामाजिक दायित्व निभाना हो तो अपेक्षित कदम तो उठाने ही होंगे। अतः इन संस्थानों की शाखाएं बढाई गयी और इनका सेवा क्षेत्र भी वृहद किया गया।

वित्तीय समावेशन का आरम्भ 29 दिसम्बर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री. कोफी अन्नान के भाषण से शुरु हुआ जिन्होंने विश्व का ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित किया और समानांतर विकास की रूपरेखा तैयार की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन पहुँचाना था। वित्तीय समावेशन संघ के कार्यकारी निदेशक एल्फ्रेड हेनिन ने भी विश्व बैंक के सम्मेलन में 24 अप्रैल, 2013 को पुनः इस बात को दोहराया। इसका दृष्टीकोण वर्ष 2014 तक, भारत सहित 13 राष्ट्रों तक वित्तीय समावेशन को पहुँचाना था।

भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति 2005–2006 द्वारा तत्कालीन गवर्नर श्री.वाई.वी.रेड्डी के उदभाषण से हुई। इस नीति के अंर्तगत 'खान कमेटी' की सिफारिशों के अनुसार बैंकों में बिना किसी जमा धन राशि (नो फ्रिल खाते) के भी खाता खुलवाने की पहल की गयी। सन 2005 के अंत में भी इंडियन बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री. के सी चक्रवर्ती, जो बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर भी रहे, ने भी वित्तीय समावेशन के लागू किये जाने पर जोर दिया। इस नीति अनुसार एवं बैंकों की सहायता से तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित "मंगलम" भारत का पहला गाँव हुआ जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शत प्रतिशत बैंकिंग सुविधा प्रदान की गयी। हाँ, सीमा थी कि संपूर्ण वर्ष में रु.50,000/– से अधिक जमा नहीं किया जा सकेगा।

वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री. नरेन्द्र दमोदर मोदी जी द्वारा जन धन योजना का उदघोषण इस ओर एक नया कदम था और 26 जनवरी, 2015 तक 7.50 करोड़ खाते

खोलने का लक्ष्य रखा गया था। 15 अगस्त, 2015 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को दिए गए संबोधन में प्रधान मंत्री ने बताया कि अब तक वित्तीय समावेशन की नीति के अंतर्गत कुल 17 करोड़ खाते खुल चुके हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि सन 2020 तक 60 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा है।

जन धन योजना की नीति के अंतर्गत उठाये गए मुख्य आदेशों को निम्न बिन्दुओं द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है–

1. बिना जमा राशि के बैंक खातों का खोलना, इस वित्तीय समावेशन की जन धन योजना का प्रथम व मुख्य पहलू है। गरीब जनता से धन अपेक्षा रखना अस्वाभाविक होगा। अतः ऐसे खातों को बिना धन अथवा न्यूनतम धनराशि के साथ खाता खोलने की नीति बनायीं गयी। ऐसे खातों में कुछ सीमा तक ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दिए जाने का भी प्रावधान रखा।
2. 'अपने ग्राहक को जानिये' (केवाएसी) नियम, बैंकों में कठोर रूप से अपनाये जाते है ताकि यदि खाते में कोई गड़बड़ी अथवा धोखा धडी हो तो खाता धारक से अविलम्ब पूछताछ की जा सके और यदि आवश्यक हो तो विधि सम्पन्न कार्यवाही भी की जा सके। परन्तु जन धन योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के खातों के सम्बन्ध में यह नियम सरल कर दिए गए है। जिसमें किसी भी खाता धारक, जिसके खाते में "ग्राहक को जानिए" के सभी आयाम पूर्ण व उचित है, द्वारा प्रस्तावित खाता खुलवाया जा सकता है। स्वयं बैंक भी ग्राहक के किसी भी परिचय पत्र अथवा पते के साक्ष्य के आधार पर खाता खोल सकेंगे। इन नियमों में अब और भी शिथिलता दे दी गयी है। भारत के यूनिक परिचय अधिकारी द्वारा जारी पत्र भी, जो खाता धारक का नाम, पता एवं आधार कार्ड नंबर प्रदर्शित करता हो, खाता खुलवाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज होगा।
3. इन खातों के खुलवाने हेतु बैंकों द्वारा नामित व्यावसायिक संपर्ककर्ता (बिजनेस कोरेस्पोंडेंस) की सेवाओं का भी लाभ लिया जा सकेगा। ये व्यावसायिक संपर्ककर्ता ग्राहक एवं बैंक के बीच एक कड़ी का कार्य करेंगे और खाता खुलवाने एवं अन्य प्रक्रिया को पूर्ण करने में ग्राहकों को सुलभता ही नहीं प्राप्त कराएँगे अपितु अंतिम समय में आने वाली किसी भी समस्या का निदान भी कराएँगे। व्यावसायिक संपर्ककर्ता गाँव पंचायत से मिलकर एक संयुक्त सेवा केंद्र भी खोलेंगे जो एक ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक हब की तरह कार्य करेगा और जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होने के कारण ग्रामीण निवासियों को ई–गवर्नेन्स भी प्रदान करेगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अधिकतम प्रयोग के लिए भी इस वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है। जिनके द्वारा ग्रामीण व दूर दराज के गैर बैंकिंग स्थानों पर नागरिकों के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं, व्यावसायिक कार्यकर्ता के द्वारा प्रदान की जा सके। बायोमेट्रिक के द्वारा, अनपढ़ लोगों के खाते खोलने का भी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है।
5. इलेक्ट्रॉनिक आधारित तकनीक केन्द्र के उपयोग से खातों में पैसे का लेन–देन, भेजना व प्राप्त करना शीघ्रतम व कम खर्चीला होगा। इस माध्यम से धन का प्रेषण लाभांशी के घर तक पहुँच सकेगा और वास्तविक धन पर निर्भर करना भी कम होगा।
6. वित्तीय समावेशन का एक पहलू सामान्य उपयोग हेतु अग्रिम कार्ड (क्रेडिट कार्ड) का जारी किया जाना भी है जिसकी वित्त सीमा रु.25,000/– तक होगी। यह बैंकों के ग्रामीण व् अर्धशहरी शाखाओं द्वारा जारी किया जा सकेगा और इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के वित्त पोषण उनकी आवश्यकतानुसार एवं धन प्रवाह के अनुसार होगा। इसमें किसी प्रकार की प्रतिभूति की मांग करना, वित्त प्रयोजन की घोषणा करना तथा वित्त का अंतिम प्रयोग जानना आवश्यक नहीं होगा। यह चक्रधारी वित्त (रेवोल्विंग क्रेडिट) हेतु होगा, जिसमें ऋणी स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर उसका उपयोग कई बार कर सकेगा।
7. शाखाओं का विस्तार इस वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन स्थानों पर जहाँ बैंक शाखाएं नहीं है, वहां बिना किसी पूर्व अनुमति के शाखाएं खोलने का प्रावधान है। 50000 तक की जनसँख्या तक, किसी भी पूर्व अनुमति के बिना, शाखाएं गैर बैंकिंग क्षेत्रों में खोली जा सकती है। हाँ, सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। उत्तर पूर्व प्रदेशों व सिक्किम में अनुसूचित व्यावसायिक घरेलू बैंक ग्रामीण, अर्धशहरी व शहरी क्षेत्रों में बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के शाखाएं खोल सकेंगे। हाँ, सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा।
8. वित्तीय समावेशन के पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक पाया कि गैर बैंकिंग क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान कुल खोले जाने वाली बैंक शाखाओं में से न्यूनतम 25% बैंक शाखाएं, इन गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों/केन्द्रों पर खोली जाए।

वित्तीय समावेशन का विश्लेषण तीन महत्वपूर्ण मापदंडों – शाखा मापदंड, जमापूंजी मापदंड एवं साख मापदंड जो 0 से 100 तक के स्तर पर सांकेतिक है, का संयोग है। इसकी रिपोर्ट का आकलन क्षेत्रीय, राज्य, जिला स्तर पर किया जाता है। प्रथम तीन वर्षों की प्रवृति को समयबद्ध नियम से किया जाना है।

जिसके अंग है–

1. समावेशन आकलन जो लगभग 40 तक होना चाहिए।
2. जमा राशि खाते, जो ऋण खातों के 16 करोड़ के विरुद्ध, 624 करोड़ हो चुके है।
3. 632 जिलों में से 616 जिलों ने 2009–11 के मध्य बढ़ोतरी दर्शित की हो।
4. तीन उच्चतम स्तर राज्य रहे है– पुदुचेरी, चंडीगढ़ तथा केरल

तीन उच्च स्तर जिले रहे हैं– पटनामथीटा (केरल) कराईकल (पुदुचेरी) एवं तिरुवानन्तपुरम (केरल)

प्रधान मंत्री जन–धन योजना, जो औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरम्भ हुई, का वर्णन, प्रधानमन्त्री के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2015 के संभाषण में किया गया। रु.5,000/– की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ, दुर्घटना बीमा तथा एक लाख रुपये तक के रुपे किसान कार्ड दिए जाने का भी प्रावधान है।

कुछ आलोचकों द्वारा वित्तीय समावेशन को सूक्ष्म वित्त नीतियों के सन्दर्भ में देखा जाता रहा है और यह कहा जाता रहा है कि इसके द्वारा उपभोक्ता–शिक्षण अथवा उपयुक्त नियंत्रक नीतियों को अनदेखा किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरुप, उपभोक्ता अधिक वित्त पोषण के शिकार हो रहे है और अधिक ऋणी होने पर ऐसी स्थिति में पहुँच रहे है जहाँ वे आत्महत्या के लिए उन्मुख हो रहे हैं। राजनीतिज्ञ ऋणियों को ऋण भुगतान के लिए रोक रहे हैं जिससे ऋण भुगतान दरें पतन की ओर जा रही है। यह सूक्ष्म ऋण उद्योगों के अस्तित्व को समाप्त कर रहीं है। एक उचित नीति की आवश्यकता है जो इन सभी मुद्दों को एक साथ लेकर एक व्यवस्था कायम करे जिसमें वित्तीय समावेशन का मूल रूप से प्रवर्तन हो सके। भारत सरकार वित्तीय समावेशन के, मूल भूत रूप से कार्यान्वयन हेतु दिन रात कार्य में लगी है और संभव है कि इसके परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। वह दिन दूर नहीं है जब इस नीति का प्रभाव चारों ओर दिखने लगेगा।

जनधन योजना: सही कदम, नई दिशा

आकांक्षा शर्मा, सहायक प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
जबलपुर

जनधन योजना एक ऐसी अनूठी पहल है जिसने आज हमारे देश को विकासशील देशों में सूचित कर दिया है। इस योजना ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वित्तीय समावेशन का मतलब समाज पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसके साथ ही ये सेवाएँ उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर देना है। कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएं हैं – ऋण, भुगतान, बीमा सेवा और धनप्रेषण सुविधाएं है जो हमारी जनता को काफी आसान तरीके से मिलनी चाहिए जिससे आम जनता इसका लाभ उठा सके एवं देश को आगे बढ़ा सके। योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाए और सभी परिवारों को कवर करने के लिए उसका विस्तार भी किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अब तक कवर न हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाएगा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे जो पूरे विश्व में खुद एक अनोखी और अचंभित कर देने वाला विषय था। जनधन योजना ने न केवल आम आदमी को बैंक खाता शून्य रुपया से खोलने की सुविधा दी बल्कि कई ऐसी सुविधा दी जिससे उनका भविष्य मजबूत हो।

जनधन योजना के अंतर्गत 6 स्तंभों के द्वारा व्यापक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखा गया है

1. प्रथम चरण है जिसमें 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक को खाता खोलना एवं जनता को रुपे डेबिट कार्ड और पासबुक की सुविधा प्रदान करना। रुपये डेबिट कार्ड पर 2.00 लाख का जीवन बीमा प्रदान करने की पहल है जो की अपने आप में ही जनता की सुरक्षा के हित में है। बैंक खाते खुलने के 6 महीने बाद 5000 रुपया की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और एक लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर सुविधा प्रदान करना।

2. द्वितीय चरण 15 अगस्त, 2015 से 15 अगस्त 2018 तक जिसमें ओवर ड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करना है। सूक्ष्म बीमा या स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना भी प्रदान करना। इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष व्यस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जनधन में कार्य योजना ऐसी है जिसमें की औसतन 3–4 गांवों के 1000–1500 परिवारों वाले देश के सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को सब–सर्विस एरिया (एसएसए) में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें पूर्वोत्तर–पर्वतीय राज्यों को छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव है कि अगले 3 वर्षों में प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए 2000 से अधिक आबादी वाले 74000 गांवों को स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा कवर किया जाएगा और ऐसे केंद्रों को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा जहां 1+1/1+2 कर्मचारी काम कर रहे हों। समूचे देश में सभी 6 लाख गांवों को सर्विस एरिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिनमें प्रत्येक बैंक सब–सर्विस एरिया वाले 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतें एक निश्चित बैंकिंग बिंदु से करेगा। यह प्रस्ताव है कि सब–सर्विस क्षेत्रों को बैंकिंग केंद्रों अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग के जरिए कवर किया जाएगा। शाखा रहित बैंकिंग के अंतर्गत एक नियत बिंदु व्यापार प्रतिनिधि एजेंट की सेवाएं शामिल हैं जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाए और सभी परिवारों को कवर करने के लिए उसका विस्तार भी किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अब तक कवर न हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाएगा। विस्तार कार्य के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7000 से अधिक शाखाओं और 20000 से अधिक नए एटीएम भी पहले चरण के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बैंक की पहल :

इस योजना को सफल करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वित्तीय शिक्षा प्रदान करना जो की बैंक करसपांडेन्ट की सहायता से सुनिश्चित हो सकता है। 'वित्तीय शिक्षा' की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब समय बदल चुका है, अमीर और अमीर

होता जा रहा है किन्तु मध्यम वर्ग और गरीब होता जा रहा है, हमारी वित्तीय समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं किन्तु कहीं भी इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। बैंक करसपांडेन्ट हर नागरिक को बैंक और उससे जुड़ी लाभ के बारे मे जागरूक करती है और उन्हे बढ़ते हुए भारत देश से जोड़ती है। "वित्तीय शिक्षा" से हमारे "विचारों" में बदलाव आएगा, जिससे हमारे "काम" बदल जायेंगे और जब हमारे काम बदल जायेंगे तब हमारे "परिणाम" भी बदल जायेंगे क्योंकि हम एक ही

काम को बार–बार करते हैं और हर बार अलग परिणाम की अपेक्षा करते रहते हैं किन्तु हमारे परिणाम नहीं बदलते। अतः यदि हमें अपने जिंदगी के ''परिणाम'' बदलने है तो हमें ''काम'' बदलने होंगे और ''काम'' तभी बदलेंगे जब हमारे ''विचार'' बदलेंगे। इस तरह जब हमारे ''वित्तीय–विचार'' में बदलाव आएगा तब ''समाज'' में भी वित्तीय बदलाव आएगा और जब हमारा समाज वित्तीय रूप से प्रशिक्षित होगा, तब हमारा देश भी वित्तीय रूप से मजबूत हो जायेगा, जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे देश का आर्थिक स्वरुप ही बदल जायेग। जहाँ ''वित्तीय–समस्या'' की नहीं, ''वित्तीय–समाधान'' की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जोकि सिर्फ और सिर्फ ''वित्तीय–शिक्षा'' से ही संभव है।

जनधन का भविष्य :

यह देखा गया था कि सुप्त खातों पर बैंकों की लागत अधिक आती है और लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। इस तरह बड़ी संख्या में खोले गए खातों के सुप्त पड़े रहने के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए व्यापक योजना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत एलपीजी योजना में डीबीटी फिर शामिल की गई है। आज यह देखा गया है कि जनधन के लाभ प्राप्त करने के लिए जनता हर बैंक की तरफ रुख कर रही है जो की हमारे देश के वित्त समावेशन के लिए अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री और भारत सरकार ने जो भविष्य के लागत के बारे में सोचा है वो प्रतिलिपि के कारण संभव नहीं हो पाएगी। आज हर अमीर व्यक्ति जिसका खाता दूसरे बैंक में है वह भी इसका लाभ उठाना चाहता है।

जनधन योजना को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए यह आवश्यक है कि हर नागरिक जिसका बैंक में खाता है उसका एक ही ग्राहक संख्या हो जिससे ग्राहक के सारे खातों की जानकारी हर बैंक के पास हो और सही रूप से जनधन योजना का लाभ सही नागरिक को मिल सके। इससे वित्त सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और देश का पैसा देश के पास ही रहेगा।

उपसंहार

28 अगस्त, 2014 को योजना के उद्घाटन के दिन भारत भर में समस्त बैंकों द्वारा एक साथ लगभग 60,000 शिविर लगाए गए। परिणामस्वरूप, योजना के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए ''वित्तीय स्वतंत्रता दिवस'' बताया। 2 अक्तूबर, 2014 तक पीएमजेडीवाई में 5.29 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 3.12 करोड़ और शहरी क्षेत्र के 2.17 करोड़ खाते शामिल हैं। 1.78 करोड़ खातों में रुपे कार्ड जारी किया गया। बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट योजना भारत में वित्तीय समावेशन हेतु चलाई जा रही भारतीय रिजर्व बैंक की एक महत्वाकाँक्षी योजना है। इस कार्यक्रम से ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक करना और उन्हें फायदा कराना। ''वित्तीय–शिक्षा'' का विस्तार करना हमारा फर्ज़ और कर्त्तव्य दोनों है जिससे हमारे साथ–साथ सभी का आर्थिक कल्याण हो सके तथा वर्तमान एवं भविष्य की बढ़ती हुई ''वित्तीय–समस्याओं'' का समाधान हो सके। यदि हमें समस्या का नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना है तो हमें यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी। जबकि आज भारत को सिर्फ ''विचार'' की नहीं बल्कि एक ''वित्तीय–विचार'' की सख्त जरूरत है। जब हमारे समाज का एक–एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हमारा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

प्रदीप कुमार बाफना,
मुख्य प्रबन्धक
बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा
गुजरात

प्रस्तावना

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने उद्बोधन में गरीबो के संपूर्ण वित्तीय समावेशन की बात करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी जिसमें सभी ग्रामीणों, किसानो ,मजदूरों एवं गरीब लोगों के अलावा वित्तीय सेवाओं से वंचित अन्य लोगों को भी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इन वित्तीय सेवाओं में बैंक खाता खोलना ,डेबिट कार्ड जारी करना ,ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना ,जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना शामिल है। इस घोषणा के कुछ दिनों बाद ही 28 अगस्त, 2014 को सम्पूर्ण राष्ट्र में इसे एक साथ पूरे जोर शोर से लागू भी कर दिया गया। इस राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन को "प्रधानमंत्री जन धन योजना" का नाम दिया गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना : संक्षिप्त परिचय

इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने सम्पूर्ण समावेशी विकास की बात करते हुए "सब का साथ सब का विकास" को इस योजना का केन्द्र बिंदु बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है – शहरी तथा ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सेवाएं आसानी से एवं सभी जगह उपलब्ध कराई जाये। यह योजना पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी योजना "वित्तीय समावेशन" से भिन्न है, क्योंकि वित्तीय समावेशन में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया था एवं उसका मुख्य लक्ष्य बैंक खाता खोलना था। उस योजना में बीमा का भी कोई प्रावधान नहीं था एवं विभिन्न प्रोद्यौगिकी समस्याएं भी सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में इन सब समस्याओं को दूर करने का तो प्रयत्न किया ही गया है, साथ ही साथ इस योजना को एक "राष्ट्रीय मिशन" के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में 26 जनवरी, 2015 तक 7.50 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि समय से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया। अभी 05.08.2015 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 17.45 करोड़ हो गयी है।

इस योजना के मुख्य बिंदु निम्न हैं :–

1. बिना कोई रकम जमा किये, शून्य शेष पर खाता खोलने की सुविधा
2. इन खातों में मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड जारी करना एवं ए.टी.एम. से पैसा कहीं से भी आहरण करने की सुविधा देना
3. रुपये एक लाख तक का निशुल्कः दुर्घटना बीमा का प्रावधान
4. रुपये 30,000 तक की जीवन बीमा की सुविधा
5. खाते के 6 माह तक संतोषजनक परिचालन होने पर रूपए 5,000 की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा
6. इस खाते को पेंशन योजना, बीमा योजना से जोड़ना
7. ऋण गारंटी निधि का सृजन करना

8. भारत वर्ष में धन प्रेषण करने की सुविधा उपलब्ध कराना

प्रधानमंत्री जन धन योजना–एक नजर कार्य निष्पादन पर:–

प्रधानमंत्री जन धन योजना – खोले गए खाते एवं उनमें जमा शेष (05.08.2015 को) :

क्रम संख्या		खोले गए खातों की संख्या (करोड़ों में)			जारी रुपे डेबिट कार्ड की संख्या (करोड़ो में)	खातों में शेष राशि	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (करोड़ो में)
		गांवों में	शहरों में	कुल संख्या			
	राष्ट्रीयकृत बैंकों में	7.48	6.16	13.64	12.54	17273.12	45.75
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में	2.65	0.46	3.11	2..27	3684.56	48.55
	निजी क्षेत्र के बैंकों में	0.41	0.28	0.7	0.62	1075.01	45.71
	कुल	10.55	6.9	17.45	15.43	22032.68	46.2

यह योजना एक सही कदम है एवं यह देश को एक नई दिशा देगा। यह बात निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होती है:–

इस योजना के माध्यम से गरीब व्यक्तियों की छोटी–छोटी बचत औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में आने लगी है। शुरू में यह माना जा रहा था कि इन खातों में शून्य शेष वाले खातों की ही अधिकता होगी एवं जमा धन भी कुछ विशेष नहीं होगा पर वास्तविक आंकड़े इस योजना की सार्थकता बताते हैं जो उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। उपरोक्त सारणी से यह तो स्पष्ट है कि शून्य शेष वाले खातों की संख्या 46.2 प्रतिशत है पर साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन भी खातों में शेष आया है वह राशि रूपए 22032 करोड़ है जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। 23 अगस्त से 29 अगस्त, 2014 के मध्य 1,80,96,130 खाते खोले गए जो की "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड" में दर्ज किया गया।

एक बात और 88 प्रतिशत खातादारों ने रूपे कार्ड जारी करवाया है, यानि भले ही आज उनके खातों में शून्य शेष हो सकता है पर वे लोग जब आने वाले दिनों में अपने कार्ड का उपयोग करना चाहेंगें तब उनके खातों में रकम अवश्य ही जमा होगी।

कार्ड के उपयोग से जहां एक ओर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का उपयोग करना प्रारम्भ होगा वहीं दूसरी ओर इन लोगों को 24X7 बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी। खातों के खोलने से लोगों में बचत की प्रवृति बढ़ेगी, उन्हें उनके अनुत्पादक रखी हुई राशि पर ब्याज मिलेगा, इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इन कार्ड धारको को रुपये एक लाख तक का निशुल्कः दुर्घटना बीमा का प्रावधान भी इस योजनान्तर्गत किया गया है एवं उसके लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि कार्ड धारक 45 दिन में खाते से कम से कम एक लेनदेन अवश्य करे। इसके कारण खाताधारक बैंकिंग लेनदेन करने को प्रोत्साहित होगा। इन खाताधारकों को रुपये 5000 तक की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होने से ये व्यक्ति सूदखोर एवं साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो पायेंगे, जहां इन्हें इतनी छोटी–छोटी राशि के लिए भी बहुत ही ऊंची ब्याज दर देनी होती थी।

केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी.बी.टी.एल.) योजना "पहल" के द्वारा गैस अनुदान को भी इन खातों से जोड़ा गया है। अब तक 13.92 करोड़ लाभार्थियों ने पहल योजना में अपना पंजीकरण कराया है एवं इसके माध्यम से 23476.60 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। भविष्य में सभी सरकारी लाभों को लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। इन सबसे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसा जा सकेगा एवं वास्तविक अनुदान राशि एवं लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंच पाएगा।

इन जन धन खाता धारकों के लिए भारत सरकार ने तीन नयी योजनाएं भी प्रारम्भ की है :–

1. अटल पेंशन योजना 2. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना 3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

जहां अटल पेंशन योजना के कारण व्यक्ति को 60 साल बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी वही प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 12 रूपये प्रति वर्ष में उसे एक साल का रूपये 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 330 रूपये प्रति वर्ष रूपये 2 लाख का जीवन बीमा मिलेगा। यह बीमा उपलब्ध होने से किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह तीनों ही योजना के लिए अनिवार्य है की लाभार्थी का एक बचत खाता होना चाहिए, जो जन धन योजना के कारण खुल ही चुका है। अब तो इस खाते के साथ अनेकों इस तरह के लाभ जुडते चले जा रहें हैं।

जिस गति से गांवों में भी मोबाइल का उपयोग बढ़ा है उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में इन खातों में मोबाइल बैंकिंग का उपयोग बढ़ेगा एवं आई.एम.पी.एस. का उपयोग भुगतान प्रणाली में होने लगेगा। इससे खाताधारकों को 24 घंटो एवं सातों दिनों तक धन प्रेषण की सुविधा तुरंत एवं बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।

इस योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने के.वाई.सी. नियमों को भी काफी लचीला बनाया है ताकि इन लोगों को दस्तावेजों के न होने के कारण खाता खोलने से वंचित नहीं रखा जाए। आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों ने अब प्रत्येक परिवार में से एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। जो इस योजना की सार्थकता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना से बैंको को लाभ

यह योजना बैंकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। बैंकों को जहां एक ओर बचत खातों में आकर्षक जमा राशि मिल रही है (अभी का आंकड़ा– 22032.68 करोड़ रूपए) वहीं दूसरी ओर ओवर ड्राफ्ट की सुविधा होने के कारण बैंकों का आने वाले समय में ऋण पोर्टफोलियो भी बढ़ना तय है। जब सभी शून्य शेष वाले खातों में कुछ न कुछ राशि जमा होने लगेगी तो यह राशि कहाँ तक एवं कितने गुणा तक बढ़ सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बैंको को इन खाताधारकों को अपने दूसरे बैंकिंग उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके व्यवसाय में वृद्धि ही होगी।

सरकार द्वारा इन खातों पर कमीशन भुगतान का भी प्रावधान किया गया है, जिससे बैंको

की आमदनी बढ़ेगी। बैंको के लिए इस योजना के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ–साथ, समाज के गरीब लोगों की सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। व्यवसाय प्रतिनिधियों की नियुक्ति से अनेकों लोगो को रोजगार का अवसर मिला है। इन खातों में प्रारंभ से ही तकनीकी साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के कारण बैंको की प्रति व्यवहार लागत भी कम आएगी। जहां शाखा में प्रति व्यवहार लागत रूपए 65–70 आती है वहां ए.टी.एम.पर यह लागत 15 से 20 रूपए के मध्य ही आती है। ग्राहकों का बैंक में भौतिक रूप से आगमन कम होगा, इससे बैंक कर्मचारी अपना बचा हुआ समय दूसरे उत्पादक कार्य में लगा सकते है।

जन धन योजना की सीमाएं एवं मर्यादाएं

उपरोक्त पंक्तियों में हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ व फायदे देखे। पर इस योजना की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। इस योजना में शून्य शेष से खाता खोलने की व्यवस्था होना इस योजना के लिए सबसे नुकसान दायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर भविष्य में इन खातों में लेनदेन नहीं होगा तो बैंको के द्वारा एवं सरकार के द्वारा की गई सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस योजना में कई व्यक्ति केवल ओवर ड्राफ्ट मिलने की आशा के साथ खाता खुलवा रहें हैं एवं वे यह मानकर चल रहें हैं कि यह पैसा उन्हें वापस नहीं चुकाना होगा। इस सोच के साथ खोले गए खातें कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे।

कई बैंको द्वारा केवल सरकार के द्वारा लक्ष्य दिए जाने के कारण औपचारिकतावश ही खाते खोले जा रहे हैं एवं उनके द्वारा इस योजना पर इतना महत्व नहीं दिया गया है। शहरी लोगों के मुकाबले गांवों में अधिक खाते खोले गए हैं, पर ग्रामीण लोगों द्वारा सूचना तकनीकी साधनों का प्रयोग करना संदिग्ध प्रतीत होता है।

निजी क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अभी भी इस योजना के प्रति इतना उत्साह नहीं है, जितना अपेक्षित है। बैंक के द्वारा अभी भी कई खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किये जाने में विलम्ब किया जा रहा है।

अनेक लोगों ने ओवर ड्राफ्ट लेने की खातिर या बीमा सुविधा लेने के लिए पहले से खाता होने के बावजूद दूसरा खाता अन्य बैंक में खुलवा लिया है।

निष्कर्ष

हमने उपरोक्त बिन्दुओं में इस योजना के लाभ एवं सीमाएं देखी, पर फिर भी कहा जा सकता है कि इस योजना के लाभ काफी है एवं उनका देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सीमाएं है उन्हें सावधानी बरत कर दूर किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है की जन धन योजना एक सही समय पर उठाया गया सही कदम है जो आने वाले वर्षो में देश के लिए एक नई दिशा तय करेगा, इसमे कोई अतिरेक नहीं है।

सुमेधा गंगेले,
एकल खिड़की परिचालक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर

'प्रधानमंत्री जन धन योजना' वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता नहीं है, उसका इस योजना के माध्यम से बैंक में खाता खुलवाया जाए। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई गयी योजना है जिसकी घोषणा उनके द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त, 2014 को की गई थी।

इस योजना के पूर्व एक अन्य वित्तीय योजना चालू की गयी थी जिसका नाम था – 'स्वाभिमान योजना' जिसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाते खोलना था परंतु इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो – ग्रामीण, अर्धशहरी या शहरी) का बैंक में खाता खुलवाना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ कुछ ऐसी सुविधाएं जैसे दुर्घटना बीमा कवर, ओ.डी. सुविधा भी प्रदान की गयी जिनके बारे में गरीब जनता सोचती भी नहीं है।

इस योजना का अंग्रेजी रूपान्तरण Prime Minister's People Money Scheme है जिसे लघु रूप में 'पीएमजेडीवाय' (PMJDY) के नाम से जाना जाता है। यह वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जैसे बचत खाता, जमा खाता, प्रेषण, स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन आदि।

इस वित्तीय समावेशन अभियान का औपचारिक रूप से आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 अगस्त, 2014 को किया गया था जिसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त, 2014 को अपने प्रथम स्वतन्त्रता दिवस भाषण के अवसर पर की थी। योजना के उद्घाटन के ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस उपलब्धि को दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 'अधिकांश बैंक खाते जोकि एक सप्ताह में वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत खोले गए, उनकी संख्या 1,80,96,130 है और ये खाते बैंकों द्वारा 23 अगस्त, 2014 से 29 अगस्त, 2014 के बीच खोले गए'। दिनांक 05 अगस्त, 2015 तक बैंकों द्वारा प्राप्त आंकड़ो के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 17.45 करोड़ खाते खोले गए और लगभग 22032.68 करोड़ रुपये की राशि जमा की गयी।

बैंकों व एसएलबीसी से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार दिनांक 05/08/2015 तक इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए खातों की संख्या इस प्रकार हैः

(आंकड़े करोड़ में है)

क्रमांक	क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल	रुपये डेबिट कार्ड	जमा राशि
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	7.48	6.16	13.64	12.54	17273.12
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.65	0.46	3.11	2.27	3684.56
3.	निजी क्षेत्र	0.41	0.28	0.70	0.62	1075.00
	कुल	**10-55**	**6-90**	**17-45**	**15-43**	**22032-68**

इस योजना को औपचारिक रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से मेल कर इस योजना एवं इसके लक्ष्यों के बारे में सूचित किया जिसका उद्देश्य 7.5 करोड़ घरों को शामिल करना था एवं उनके खाते खोलना था और उन्होंने अपने मेल में स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत खाते खोलना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है।

इस योजना का लक्ष्य व्यापक स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं पहुचाना है जिसकी शुरुआत बैंक खाते के साथ छः माह बाद 5000/– रुपए की ओ.डी. सुविधा, रुपये डेबिट कार्ड, एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और रुपये किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गयी।

इस योजना के अंतर्गत :

1. आवेदक किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर या बैंक मित्र के माध्यम से खाता खोल सकते हैं।
2. बैंक में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा।
3. खाते में न्यूनतम राशि जमा रखना आवश्यक नहीं है।
4. खाता धारक को जीरो बचत बैंक खाते के साथ रुपये डेबिट कार्ड एवं एक लाख रु. तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
5. रुपये डेबिट कार्ड 45 दिन में कम से कम एक बार उपयोग में लाया जाना चाहिए।
6. वे खाता धारक जो 26.01.2015 के पहले खाता खुलवाएंगे उन्हें 30000/– रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
7. यदि आवेदक को चेक बुक की आवश्यकता है तो उसे खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा रखनी होगी।
8. खाता खुलने के 6 माह बाद खाता धारक 5000/– रुपये की ओ.डी. सुविधा ले सकते हैं।
9. एनपीसीआई द्वारा लायी गयी नई तकनीक जिसके माध्यम से खाता धारक किसी भी खाते में पूंजी स्थानांतरित कर सकते हैं एवं साधारण मोबाइल द्वारा बेलेन्स की जांच की जा सकती है जबकि पहले इस सुविधा का लाभ केवल एंडरोइड मोबिल वाले खाता धारक ही ले सकते थे।

जैसा कि ऊपर बताया गया कि योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ खाते खोले गए और प्रधानमंत्री ने इस सुनहरे अवसर पर कहा कि 'आज के दिन को हम वित्तीय स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाते हैं' 1 सितंबर, 2014 तक इसके अंतर्गत 3.02 करोड़ खाते खोले गए।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा खोले गए खातों कि संख्या इस प्रकार है:

क्रमांक	बैंक का नाम	खातों की संख्या (आंकड़े लाख में)
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	30.00
2.	पंजाब नेशनल बैंक	20.24
3.	केनरा बैंक	16.21
4.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15.98
5.	बैंक ऑफ बडौदा	14.22

दिनांक 06 नवबंर, 2014 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 7 करोड़ खाते खोले गए जिनकी कुल जमा लगभग 5000 करोड़ रुपये थी। लक्ष्य पूर्ण होने पर वित्त मंत्री द्वारा खाते खोलने के लक्ष्य को 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। दिनांक 20 जनवरी, 2015 को योजना का नाम 'गिनीज बुक' में शामिल किया गया।

इस योजना का उद्देश्य था कि देशभर के प्रत्येक घर में कम से कम एक बैंक खाता हो जिसका लक्ष्य दिनांक 26.01.2015 तक 7.5 करोड़ घरों को शामिल करना था। इस योजना के द्वारा जिन लोगों का कभी बैंक में खाता नहीं रहा उनके लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया। खाता खोलने क लिए केवायसी नियमों को भी आसान कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है:

1. यदि आवेदक के पास आधार कार्ड/आधार नंबर है तो उसे अन्य किसी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आवास का पता बदल गया है तो आवेदक वर्तमान पते को स्वयं प्रमाणित कर जमा कर सकता है।
2. यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह निम्न में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकता है:
   - निर्वाचन पहचान पत्र
   - ड्राइविंग लाइसेन्स
   - पेन कार्ड
   - पासपोर्ट
   - मनरेगा कार्ड

यदि दस्तावेज में आवास का पता भी नहीं दिया गया है तो उसे पहचान पत्र एवं आवास

प्रमाण दोनों है तो आवेदन के साथ एक ही दस्तावेज पर्याप्त है।

3. यदि आवेदक के पास उक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है और बैंक द्वारा उसे निम्न जोखिम खाते के रूप में अंकित किया है तो निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कर खाता खोला जा सकता है:

- किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (फोटो के साथ)

- गजेटेड ऑफिसर द्वारा आवेदक की फोटो सत्यापित कर जारी पत्र।

एक ओर जहां इस योजना के इतने लाभ है और इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं वही दूसरी

ओर इस योजना की आलोचना की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने इस पर अपने विचार देते हुए कहा कि मोदी सरकार वित्तीय समावेशन योजना चालू करने का श्रेय ले रही है जबकि यह योजना यूपीए सरकार द्वारा चलाई गयी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में कुछ भी नया नहीं है। जानकारों के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रलोभन जैसे जीरो बेलेन्स, मुफ्त बीमा एवं ओ.डी. सुविधा से डुप्लिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिन लोगों के पूर्व से ही बैंक खाते हैं वे बीमा कवर व ओ.डी. सुविधा के लालच में दोबारा आवेदन भर सकते हैं। इस योजना के अनुसार बहुत कम लोग जीवन बीमा कवर (रु0 30000/–) के लिए पात्र हैं जिसकी वैद्यता केवल 5 वर्ष है। योजना की इन गुप्त शर्तों को किसी भी टी.वी. विज्ञापन में नहीं बताया गया है। दावा की गई ओ.डी. सुविधा का जिम्मा बैंकों पर छोड़ दिया गया है। सरकारी नोटिस के अनुसार जिन खातों का लेन–देन को लेखा संतोषपूर्ण है, उन्हीं को ओ.डी. सुविधा प्रदान की जाएगी।

इन सब बातों के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस योजना के द्वारा कितने परिवार जोकि बैंक में खाता तक नहीं खोलते या तो केवायसी नियमों के कारण या फिर राशि के कारण, परंतु इस योजना द्वारा गरीब से गरीब परिवार का भी बैंक में खाता है और वे दिन भर की कमाई का कुद हिस्सा बैंक में जमा कर सकते हैं। जिसके लिए उन्हें रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसके द्वारा वे किसी भी एटीएम से राशि निकाल सकते हैं। साधारण मोबाइल के द्वारा पूंजी का स्थानांतरण एवं बेलेन्स की जांच कर सकते हैं।

इस योजना का तत्काल प्रभाव ये होगा कि मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती हैं एवं निर्धन कृषक जोकि आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा एवं आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से उबरने के लिए वे ओ.डी. जैसी सुविधाओं के लिए दावा कर सकते हैं।

सामान्य जनता चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो, अर्ध शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो उनको इस योजना के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया जाता है। अत: यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गयी जन धन योजना – जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सही कदम एवं देश के विकास की नई दिशा है।

रामनारायण चौधरी,
उप प्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ने भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन, ''जन धन योजना'' के नाम से 28 अगस्त, 2014 को शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीबों तथा बहुसख्य आबादी को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाना है, और उन्हें गरिमा, वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करानी है। इस राष्ट्रव्यापी मिशन के तहत देश में सभी परिवारों को बैंक खाते खुलवाने एवं अन्य बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य है। यह योजना एक ऐतिहासिक पहल है जो अभी तक उपेक्षित गरीब लोगों एवं निम्न आय वाले वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सेतु का काम करेगा। इतना ही नहीं, यह भी उम्मीद की जाती है कि इस योजना से गरीब तथा बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को खटमल की तरह खून चूसने वाले साहुकारों एवं सूदखोरों से निजात मिलेगी। साथ ही, इस योजना से समग्र विकास, रोजगार सृजन का नया मार्ग खुलेगा जो अंततः देश में गरीबी दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रस्तावना :– ''वित्तीय समावेशन'' एक लंबे समय से सरकारों एवं नीति निर्माताओं के लिए मूल मंत्र रहा है। 1969 में सरकार द्वारा बैंकों की राष्ट्रीयकरण से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। इसके बावजूद, आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की बहुत बड़ी आबादी, जो गरीब तथा निम्न आय की श्रेणी में है, बैंक खातों एवं बैंकिंग सुविधाओं से कोसो दूर है।

भारतीय जनगणना के आकड़ों के अनुसार, देश के सिर्फ 58.7 प्रतिशत परिवारों के पास बैंकिंग सेवाओं की पहुंच थी। ग्रामीण क्षेत्र में यह 54.4 फीसदी तक ही सीमित थी। गौरतलब है कि यह आंकड़े निष्क्रिय बैंक खातों को शामिल करने के बावजूद था। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि जमा खाताओं का लगभग 50 फीसदी कभी संचालित भी नहीं होता है। परिणामस्वरूप, हकीकत में वित्तीय समावेशन से वंचित लोगों की संख्याएं, जनगणना के आंकड़ों से कहीं और ज्यादा ही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आकड़ों पर गौर करें तो मार्च 2014 तक देश के 640,867 गांवों में से, सिर्फ 46,126 गांवों (तकरीबन 7.20 फीसदी) में बैंकिंग सुविधाओं का सही मायने में पहुंच है। हांलाकि, रिजर्व बैंक का यह दावा है कि बैंकिंग संवाददाता मित्र (बी.सी.) कार्यक्रम के तहत देश के अतिरिक्त 337,678 गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। जबकि बैंकिंग सेवा प्रदाता या बैंक साथी का बहुत बड़ा भाग वास्तविक रूप में कार्यरत ही नहीं है। इसी को अहमियत देते हुए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ''जन धन योजना'' के तहत देश के हर परिवार, चाहे शहरी हो या ग्रामीण को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराकर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को उन वंचित घरों तक पहुंचाना है, जिससे वित्तीय समावेशन का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।

मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार की 'प्रधानमंत्री जन धन योजना', संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार के समय में 2005 के बाद आई ''रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय समावेशन नीति'' का विस्तारित रूप ही माना जा रहा है। लेकिन

पूर्ववर्ती पहल का विस्तार एवं दृष्टिकोण सीमित था। इस अभियान के तहत 2000 या इससे ज्यादा आबादी वाले 20,000 गांवों में बैंकिंग सुविधा, बैंकों एवं बैंक साथी मित्र द्वारा पहुंचानी थी, जबकि देश के हर घर में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान केन्द्रित नहीं था। परिणामस्वरूप एवं अन्य तकनीकियों की खामियों की वजह से वांछित लाभ हासिल नहीं किया जा सका तथा काफी सख्या में बैंक खाता निष्क्रिय हो गए। बैंक साथी की भूमिका कई कारणों से काफी सदिंग्ध रही। इसके बावजूद सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन अभियान ने देश के परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं से जोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभाया। आकड़ो के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खातों वाले घरों की संख्या जो 2001 में 30 फीसदी थी, से बढ़कर 54 फीसदी हो गई। इतना ही नहीं, शहरी घरों में भी इस दौरान 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार, वित्तीय समावेशन ने देश के विकास, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उल्लेखनीय योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

कई उद्घोषणाओं तथा वादों की साक्षी रहे लालकिला के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को 'वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन' की शुभारंभ का भरोसा देशवासियों को दिया था जिससे कमजोर तथा निम्न आय वर्गों को वित्तीय हित स्थिरता, सुरक्षा पर जोर दिया गया था। इसी के तहत 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरूआत देशभर में करते हुए प्रधानमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि उद्घाटन दिवस पर ही कम से कम 1.5 करोड़ नए खाते खोले जाए।

जनधन योजना की शुरूआत के बाद, एक ही सप्ताह के अन्दर इतनी बैंक शाखाएं खोली गई कि इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिर्कार्डस में दर्ज हो गया। सरकार इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। चुनाव के समय दिये गये नारा 'सब का साथ सब का विकास' को इस योजना के तहत, सरकार के इरादों की प्रतिबिम्बित करने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं को दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है:–

प्रथम चरण (15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015) :

इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं को लक्षित किया गया है:

(क) बैंक की शाखा या बैंक मित्र द्वारा देश भर में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता खोलना जिससे देश के हर परिवार बैंकिंग सुविधा से जुड़ सके।

(ख) सभी परिवारों को "रूपे डेबिट कार्ड" जारी करना जिसमें 1 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा सन्निहित होगा।

(ग) यदि इस योजना के तहत खोला गया खाता, छः महीने तक संतोषजनक ढंग से चलाया जाता है तो आधार कार्ड पंजीकृत खाता को पचास हजार रुपये तक की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कि जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा" को लाभार्थी के खातों में सीधा पहुंचाना।

(ङ.) मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड को "रूपे किसान कार्ड" के रूप में बदलने का प्रस्ताव।

(च) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गांव स्तर पर लागू किया जाना।

दूसरा चरण (15 अगस्त, 2015 से 14 अगस्त, 2018 तक) :–

(क) माइक्रो बीमा हर खाताधारक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना "स्वालबंन" बैंक शाखा बैंकमित्र के माध्यम से लागू करना।

(ग) पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों वाले घरों को इस चरण में शामिल किया जाना।

(घ) इस चरण में बचे व्यस्कों तथा छात्रों को कवर करना।

(ङ.) ओवर ड्राफ्ट खातों में चूक को कवर करने के लिए 'क्रेडिट गांरटी फंड' की स्थापना।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की बुनियादी स्तम्भों की मुख्य विशेषताएं:–

स्तम्भ 1 – बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक रूप से पहुंचाना:

वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, बैंकिंग सेवाएं एवं सुविधाओं को समाज के उपेक्षित तबके तक पहुंचाना है। इसके लिए देश के छः लाख से ज्यादा गांवों को 'उप सेवा क्षेत्रों' में संगठित कर, बैंकों को आवंटित करना है। इसके बाद बैंक, एक फिक्ड प्वांईट बैंकिंग आउटलेट की स्थापना करेगी जिसके अंतर्गत 1000 से 1500 घरों को बैंकिंग सेवा अपने किसी शाखा या बैंक मित्र (बीसी) के माध्यम से प्रदान करेगी। इसके अलावा, मोबाईल, टेलीफोन सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।

मोबाइल बैंक मित्र सिर्फ बड़ी गांवों को कवर करता है, जबकि फिक्सड प्वांईट बैंक मित्र हर जगह तथा प्रत्येक घर की पहुंच की सुनिश्चित करेगा। इससे देश के सभी गांवों एवं बस्तियों में प्रत्येक 5 कि.मी. के अंदर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा 82 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनधन योजना को प्रारम्भिक दौर में लागू नहीं किया गया है। ये क्षेत्र भी अगस्त 2016 तक शामिल कर लिये जाएंगे।

स्तम्भ 2 – बुनियादी बैंकिंग खातों को उपलब्ध करवाना :

एक आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 24.67 करोड़ घरों में से, सिर्फ 14.48 करोड़ (अर्थात् 58.69 फीसदी) घरों को बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच है। सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों को मार्च 2015 तक 7 से 5 करोड़ नए बैंक खाता खोलने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें 6 करोड़ ग्रामीण इलाके एवं 1.5 करोड़ शहरी इलाके से संबंधित है, जहां तक सभी बैंकिंग सुविधाएं अभी तक पहुंची नहीं थी। इस कठिन लक्ष्य को हासिल करने हेतु शिविर लगाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ई–केवाईसी, आधार नंबर, कॉल सेंटर को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह के खाते भी खोले जाएगें। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने स्वदेशी डेबिट कार्ड "रूपे" का शुभारंभ कर दिया जो भारत का अपना कार्ड प्रणाली है। इस कार्ड के साथ दुर्घटना ग्रस्त जीवन बीमा एक लाख रूपये तक का एवं जीवन बीमा 30,000 रूपये तक सन्निहित है।

स्तम्भ 3 – वित्तीय साक्षरता :

जन–धन योजना के कई घटकों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु लोगों में जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता का होना नितान्त जरूरी है। जब तक लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली एवं उसके फायदे, बचत, ऋण एवं समय पर ऋण भुगतान के फायदे से भिज्ञ नहीं होगें तबतक जन–धन योजना का राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा।

वित्तीय समावेशन को लक्षित करते हुए वर्ष 2012–13 के दौरान लगभग 718 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए थे जिससे शिविर, सेमिनार एवं व्याख्यान से लगभग 22 लाख लोग लाभान्वित हुए। परंतु, इस तरह के केन्द्र ग्रामीण स्तर पर नहीं खोले गए थे। अतः इस योजना के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता हेतु प्रखण्ड/तालुका स्तर पर केन्द्र खोले जाएंगे तथा हर ग्रामीण शाखा में इसकी ईकाई स्थापित की जाएगी। वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत एटीएम कार्ड का संचालन करना, समय पर ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की राशि के भुगतान का दूरगामी फायदे को बताना शिविर लगाकर किया जाएगा तथा शिविर में बैंक खाते भी खोले जाएंगे। यह भी प्रस्तावित है कि 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' तथा 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के साथ इस योजना का तालमेल करके इन दोनों मिशनों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों की मदद से वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया जाएगा।

स्तम्भ 4 – क्रेडिट गांरटी फंड (सीजीएफ) :

लगभग 8500 करोड़ रुपये वाली क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के अधीन किया जाएगा। इस राशि का आधा भाग बैंकों द्वारा गारंटी शुल्क के रूप में तथा शेष आधा भाग सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह कोष बैंकों को ओवर ड्राफ्ट उपलब्ध कराने के एवज में सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे निगरानी तन्त्र में अनुशासन विकसित होगा।

स्तम्भ 5 – सूक्ष्म बीमा :

इस योजना के तहत, गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर के लिए सूक्ष्म जीवन एवं सामान्य बीमा की सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है। मौजूदा "आम आदमी बीमा योजना" जो एक सूक्ष्म बीमा पॉलिसी है, के अंतर्गत लगभग 4.6 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जो अभी भी 12 करोड़ लक्षित लाभार्थियों से काफी पीछे है। उम्मीद की जाती है कि जनधन योजना के अंतर्गत "बैंक मित्र" के सहयोग से शेष लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

भारत में वित्तीय समावेशन सुधार हेतु सुझावः–

(क) वित्तीय समावेशन को शत–प्रतिशत कामयाब बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी को उनके स्थापित नेटवर्किंग के माध्यम से बैंक रहित क्षेत्रों तक बढ़ाए। सभी सरकारी एवं निजी बैंकों को चाहिए कि वह ग्रामीण गरीबों की अनियमित आय से खर्चों की सीमाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद लाए, जिस पर छोटे–छोटे किस्तों पर ऋण चुकाने की सुविधा हो। बैंक की ग्रामीण शाखाओं को चाहिए कि परम्परागत बचत एवं ऋण सेवाओं के अलावा, जीवन, स्वास्थ्य, कृषि बीमा की सम्भावनाओं वाले उत्पाद पर भी काम करें। ग्रामीण इलाके के अशिक्षित ग्राहकों को विशेष सुविधा देने हेतु ए.टी.एम की जगह बी.टी.एम (Biometric teller machine) कार्ड को मुहैया कराए जाए।

खाता खोलने से ऋण देने तक, अभी तक प्रचलित जटिल कानूनी दस्तावेज की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाना चाहिए। इससे बैंकों के साथ–साथ ग्राहक पर अनावश्यक खर्च का बोझ कम हो सकता है। बैंकों को चाहिए कि अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे, इससे ग्राहकों की भाषा में उनके साथ संवाद सहज तथा सुविधाजनक होंगे। अनुमानतः स्थानीय कर्मचारियों की वजह से धोखाधड़ी प्रथा/गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीएएस) की संख्याओं में भी कमी आ सकती है।

आज भी देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में ए.टी.एम की संख्या पर्याप्त नहीं है तथा उपलब्ध संख्याओं का परिचालन 24 घंटों के लिए उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इनमें से कई, कितने दिनों तक खराब ही पड़े रहते हैं। इस प्रकार, ए.टी.एम की संख्या को ग्राहकों की संख्याओं तथा लेन–देन के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को इस दिशा में और सुधार लाने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण इलाके के बैंकों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या, ग्राहकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए शाखा का चक्कर कई बार लगाना पड़ जाता है। गांवों में यह भी देखा गया है कि ग्राहक 5 से 10 किलो मीटर की दूरी तय कर किसी तरह आता है तथा सिर्फ पैसा निकालने या जमा करने की छोटी सी प्रक्रिया में किसी ग्रामीण बैंक की शाखा में कुंभ मेले की तरह भीड़ होने से उनका दिन भर का समय बर्बाद हो जाता है। इससे उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, बचत खातों के माध्यम से जितनी राशि जुटाने पर ध्यान दिया जाता है, उसी तरह ऋण तथा अन्य सेवाओं को समयबद्ध रूप से देना चाहिए। आज प्रायः कई ग्रामीण शाखाओं में बैंक प्रबंधक के सांठ–गांठ के साथ दलाल मिलकर काम करते हैं। ये दलाल ग्राहकों को उपलब्ध मुफ्त सेवाओं पर कमीशन की उगाही करते हैं जिसका बड़ा भाग बैंक मैनेजर तथा अन्य कार्यरत कर्मचारियों तक पहुंचता है। इस छिपे भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत है। सभ्य समाज के लोगों एवं स्वयं सेवक समूह की सहायता से इस कुप्रथा को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष :– इतिहास गवाह है कि बिना आर्थिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है अथवा नहीं होती है। सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन से समाज में नए वर्ग का उदय होता है। इससे रहन–सहन, शिक्षा, समाज व देश में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। इससे देश आर्थिक मोर्चे के साथ–साथ विभिन्न मोर्चे पर आत्म–विश्वास और साहस के साथ खड़े रहता है। इस महत्ता को समझते हुए मोदी सरकार ने, पूर्व सरकारों की वित्तीय समावेशन पर अधूरी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से पूरा करने तथा हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया है। मोदी सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा की ओर इस योजना को बढ़ता एक कदम माना जा सकता हैं। लेकिन इसकी सफलता के बारे में कोई भविष्यवाणी करना अभी जल्दीबाजी होगी। यह देखना होगा कि यह योजना की सिर्फ कागजी पन्नों/आकड़ों में अन्य योजनाओं की तरह धूमिल हो जाएगी या वास्तव में उम्मीद की किरण जगाएगी।

सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि गत एक वर्ष में 19 अगस्त, 2015 तक लगभग 17 करोड़ 74 लाख जन धन खाता खुल चुके है; 15 करोड़ 65 लाख रूपे कार्ड वितरित हो चुके हैं तथा इन खातों में आश्चर्य चकित रूप से तकरीबन 22 हजार करोड़ रुपये जमा भी हो चुके है, बावजूद लगभग 45.32 फीसदी खाते अभी भी शून्य शेष खाता है। बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता जैसे अभियान के सहयोग से इन जीरो बैलेन्स वाली संख्याओं में कमी लाई जा रही है। सरकार ने इन जन धन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किफायती दर पर तीन बीमा योजनओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कर चुके है जिसके अंतर्गत लगभग 10.4 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है।

हकीकत यह भी है कि बैंक का बहुत बड़ा संसाधन इन योजना को लागू करने में प्रयुक्त होगा जो बैंकों के लिए लाभप्रदता की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इससे सरकारी क्षेत्रों के बैंकों पर भारी दबाव पड़ेगा जिससे निजी क्षेत्र के बैंकों को फायदा होगा। 30,000 रुपये की जीवन बीमा की सुरक्षा का कवर खाता खोलने से लेकर सिर्फ पांच वर्षों तक की अवधी के लिए ही है, जिसे ज्यादा प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि के.वाई.सी प्रक्रिया को लचीला बनाने से एक ही ग्राहक इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों में कई खाता खुलवा कर बीमा, ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं एक से ज्यादा

बार ले सकती है।

अतः जन धन के तहत खुले हुए खाता को दुरूपयोग से रोकने हेतु इसे आधार/पैन संख्या से जोड़कर एकीकृत सूचना प्रणाली तैयार कर हर बैंकों को डाटा आपस में आदान–प्रदान करनी चाहिए। इससे हवाला और कर चोरी पर भी लगाम लग सकती है। रूपे कार्ड में अंतनिर्हित एक लाख का दुर्घटना बीमा तभी वैध होगी जब इस कार्ड का प्रयोग प्रत्येक 45 दिनों के अंदर कम से कम एक बार करना अनिवार्य है। ग्रामीण इलाके में वर्तमान में एटीएम की संख्या एवं इसकी उपलब्धता अशिक्षा को देखते हुए, दूर–दराज के ग्रामीण लोगों द्वारा इसे अमल कर पाना चुनौतिपूर्ण कार्य है। अर्थात रूपे कार्ड पर दी

जाने वाली एक लाख रुपये की बीमा से अधिकतर ग्राहक स्वतः वंचित हो जाएंगे। जन धन योजना की सफलता से बैंक की बी.सी. मार्डल (बैंक मित्र) की भूमिका को प्रधानता दी गई है। काफी कम मासिक आय तथा कमीशन पर निर्भर बैंक मित्र पहले से ही समय पर उपलब्ध नहीं होने एवं भ्रष्टाचार में संदिग्ध कारण आलोचना के शिकार रहे है। यह भी देखना है कि सरकार इस पर नियंत्रण करती है। आलोचकों का मानना है कि जन धन योजना में बहुत कुछ नया नहीं है सिर्फ पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने का कार्य किया गया है।

जो भी हो, ऐसा मानना है कि जन धन योजना को एक वर्ष के किसी दौरान उपलब्धि को देखते हुए इसके प्रति एवं सरकार की सोच के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। वित्तीय समावेशन पर जोर देने वाली यह योजना इतिहास की खामियें एवं विफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ेगें। सरकार भी चाएगी की इनके रास्ते में आने वाली खामियों/परेशानी को कुशलता से हल करते हुए अपना नारा "सब का साथ, सबका विकास" चरित्रार्थ करेगी। इससे पूर्ण बहुमत की नई सरकार के प्रति लोगों का विश्वास लम्बे समय तक कायम रहेगा। अन्यथा इस सरकार का अगले चुनाव में अंजाम यही होगा जो इंडिया शइनिंग की नारे वाली सरकार के साथ हुआ था? क्योंकि आज भी देश के वास्तविक मतदाता गांवों में ही बसते हैं। जो धर्म, जाति, लालच से उठकर विकास की प्राथमिकता देती है।

रविशंकर पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक
यूको बैंक, कोलकाता

प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्तमान सरकार की ऐसी महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसके दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगें। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम स्वाधीनता दिवस भाषण में जन धन योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य नियत समयसीमा में वित्तीय समावेशन के सर्वागीण लक्ष्य को प्राप्त करना है। 28 अगसस्त, 2014 को इसके औपचारिक उद्‌घाटन के साथ ही इस योजना को लेकर जन मानस में अपार उत्साह देखा गया उसके मूलभूत कारण है – इस योजना के अनगिनत लाभ।

जन धन योजना के सम्यक कार्यान्वयन के लिये इसके मूलभूत अंगो को समझना आवश्यक है:

1. **मुफ्त दुर्घटना बीमा** – इस योजना का प्रमुख अंग 1 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा है जो एक रुपे कार्ड के साथ मिलती है। वस्तुतः दुर्घटना बीमा योजना रुपे कार्ड का अभिन्न अंग है और प्रत्येक खाताधारक जिसके पास रुपे कार्ड (रुपे क्लासिक या रुपे किसान क्रेडिट कार्ड) है, वो स्वतः ही इस योजना का लाभार्थी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मात्र इस लाभ के लिये नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।

रुपे कार्ड से युक्त दुर्घटना बीमा के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं:

- खाताधारक की आयु सीमा 18–70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- अकस्मिक दुर्घटना के पीछले 45 दिनों में रुपे कार्ड के माध्यम से कम से कम 1 लेन देन होना चाहिये।
- रुपे कार्ड का उपयोग एटीएम, पौस, ई–कौमर्स साइट पर कर सकते हैं। हमारा बैंक उन कतिपय प्रारम्भिक बैंकों की सूची में है जिसने सबसे पहले ये तीनों लाभ उपलब्ध करायें है।

2. **जीवन बीमा** – प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के उद्‌घाटन के दौरान खाताधारकों के लिये 30000 रुपये की जीवन बीमा की घोषणा की। इस के मुख्य अंग इस प्रकार है:

- यह सुविधा केवल 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार खुलने वाले खातों पर उपलब्ध है।
- खाताधारक की आयु सीमा 18–60 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
- सरकारी/उपक्रम के कर्मचारी एवं उनके सम्बंधी, आयकर रीटर्न जमा करने वाले, आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी अन्य खाताधारक

जिनके पास पहले से बीमा योजना की सुरक्षा है वे सब इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

- खाताधारक के पास वैध रुपे कार्ड होना आवश्यक है ।

3. 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट

प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक महत्त्वपूर्ण अंग 5000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु मुख्य रूप से ध्यातव्य है:

- ओवड्राफ्ट की सुविधा एक घर में केवल एक व्यक्ति (विशेषकर घर की मुख्य गृहणी) के खाते में देय होगी।
- खाताधारक के पास आधार संख्या होना अनिवार्य है।
- ओवरड्राफ्ट खाते के 6 माह सफल परिचालन के बाद ही देय है।
- ओवरड्राफ्ट की अधिकतम राशि 5000 रुपये अथवा 6 माह का औसत बैलेंस है।
- इस ओवरड्राफ्ट पर 12 ब्याज दर प्रस्तावित है तथा इसे ऋण सुरक्षा कोष से संबंधित करने की भी योजना है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना – भ्रांतियां एवं निराकरण

किसी भी बडी योजना की तरह प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर बुनियादी स्तर पर अनेक भ्रांतियां है। गत दिनों समाचार पत्रों में भी ऐसे विश्लेषण आते रहें हैं जिनमें इस योजना को लेकर सहज प्रश्न उठाये गये है जिनका निवारण समुचित चेतना से ही किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप :–

- खातों का प्रतिलिपिकरण – वस्तुतः जन धन योजना के अंतर्निहित लाभों की प्राप्ति हेतु अनेक लोगों द्वारा बार–बार विभिन्न बैंकों में खाते खोले जाने का भय प्रकट हुआ। इसमें संदेह नहीं की कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी परंतु बैंकों की जागरूकता से इन घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। आवश्यकता है कि खाता के अभ्यर्थी को बताया जाए कि उनके वर्तमान खाते में भी रुपे कार्ड ले कर यह लाभ प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार एक व्यक्ति के अनेक खातों से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बैंकों को उनके सेवा क्षेत्र में सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व मिला है। समुचित सर्वेक्षण कर वास्तविक लाभार्थियों को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- वित्तीय खातों की बहुलता – वित्तीय समावेशन के पुराने अनुभवों को देखते हुये इस बात का संदेह है की अधिकांश खाते निष्क्रिय रहेंगे । जन धन योजना में अब तक खोले गये खातो में 60 प्रतिशत से अधिक खातों में कोइ जमा राशि ना होना इस संदेह को बल प्रदान करती है। किंतु यहा ध्यातव्य है कि योजना लाभों का ताना बाना इस प्रकार बुना गया है कि इसके लिये खाते में लेन देन होना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप :
  - o दुर्घटना बीमा के लाभ के लिये घटना के गत 45 दिनों में रुपे कार्ड के माध्यम से वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन होना आवश्यक है।
  - o 5000 ओवड्राफ्ट के लिये भी 6 माह तक खाता का सफल परिचालन होना आवश्यक है।
  - o इसके अतिरिक्त डिबीटी/डिबीटीएल का अंतरण सीधे खाते में करने की योजना से खातों का सम्यक परिचालन सुनिश्चित होगा।
  - o खातों के निष्क्रिय होने से बचाने के लिये खाताधारकों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
- **खातों का केवाइसी अनुपालन :** जन धन योजना के त्वरीत लक्ष्यों को देखते हुए इसमें खुलने वाले खातों में केवाइसी अनुपालन को लेकर अनेक संदेह व्यक्त किए जाते रहे है। यह सच है कि इतने बड़े स्तर पर किये गये इस कार्य में कतिपय असावधानियों की सहज आशंका है किंतु धरातल पर बैंक अधिकारियों द्वारा सतकर्ता बरतते हुए इस समस्या से सहज ही निपटा जा सकता है। रिजर्व बैंक ने इस विषय में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करते हुए बताया है कि
  - o **ई–केवाइसी :** रिजर्व बैंक ने आधार को वैध पहचान और पता के दस्तावेज के रुप में मान्यता दी है। यदि अभ्यर्थी के पास आधार है और उसमें दर्ज पता वर्तमान पता से भिन्न है तो भी एक स्वयं प्रमाणित पत्र को आधार के साथ संलग्न कर खाता खोल सकते है। आधार की वैधता स्थापित करने के लिये ई–केवाइसी एक सहज एवं प्रमाणिक उपाय है। इसके माध्यम से जिस भी अभ्यर्थी के पास आधार क्रमांक है उसकी उंगली की छाप का मिलान आधार के सर्वर से किया जातस है। इस

प्रक्रिया के सफल होने पर अभ्यर्थी का विवरण उसके चित्र (फोटो) सहित आ जाता है। इस सूचना को सीबीएस में सीधे सुरक्षित कर तत्काल खाता खोल सकते हैं अथवा इसे छाप कर अभिलेख (रिकार्ड) के रुप में रख सकते है। अन्य किसी भी केवाइसी दस्तावेज की तुलना में ई–केवाइसी अधीक प्रामाणिक और सुरक्षित है। इसका सद्यः प्रमाणीकरण पूरी प्रक्रिया को सरल, त्वरित और दोषमुकत बनाता है। आज के जोखिम भरे बैंकिंग

प्रक्रिया में ई–केवासी वस्तुतः एक वरदान की तरह है।

- **छोटा खाता** : इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने छोटा खाता की अवधारणा उन अभ्यर्थियों के लिये रखी है जिनके पास कोई भी वैध प्रमाण प्रपत्र नहीं है। इस खाते में लेन देन और अधिकतम बैलेंस (शेष राशि) की सीमा इस प्रकार है:

  एक वित्तीय वर्ष के दौरान समम जमाराशि (बैलेंस) एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है;

  किसी एक महीने में सभी आहरण और अंतरण की राशि मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नही होती है तथा

  किसी भी समय खाते में शेष पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होता है।

इस प्रकार छोटे बचत खाते मात्र बैंक अधिकारी के सामने अंगुठे के निशान अथवा हस्ताक्षर के आधार पर खोले अथवा परिचालित किये जा सकते है। ये बचत खाते प्रारम्भिक 12 महिनों के लिये ही प्रभावी होंगें। खाता धारक इन 12 महीनों में वैध दस्तावेज अथवा आवेदन की प्रति बैंक में जमा करा कर इसे अगले 12 महिनों तक जारी रखवा सकते है। वैध केवाइसी दस्तावेज जमा करने पर छोटा खाता को सामन्य

बचत खाता में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिशानिर्देशों के आलोक में कार्य कर और इ–केवाइसी जैसी सुविधाओं का लाभ ले कर जोखिम की आशंकाओं से बचा जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता : प्रधानमंत्री जन–धन योजना मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ वित्तीय साक्षरता है, जिसके द्वारा लोगों को वित्तीय सेवाओं का बेहतर उपयोग करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। सूक्ष्म वित्त कंपनियों के अनुभव के साथ–साथ स्वयं सहायता समूह के अनुभव से भी देखा गया है कि क्रेडिट (ऋण) का लाभ देने से पहले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली, बचत, ऋण, समय पर भुगतान के महत्व और एक अच्छा क्रेडिट इतिहास का निर्माण करने के लिए उपयोग के फायदे के बारे में जानकारियाँ देना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए प्रमुख विधा में से एक है वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करना, जो जन साधारण को बिना किसी शुल्क के वित्तीय साक्षरता/शिक्षा और बेहतर ऋण परामर्श प्रदान करना है।

बैंकों के लिये लाभप्रदता वित्तीय समावेशन के आरम्भिक दिनों से ही इसकी लाभप्रदता को लेकर अनेक संदेह व्यक्त किये जाते रहे है और वित्तीय समावेशन को व्यवसायिक अवसर कि जगह सामाजिक प्रतिबद्धता की तरह देखा गया। परंतु वास्तविकता इससे इतर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आलोक में देखे तो बैंक व्यवसाय के लिये इसके निम्नलिखित लाभ हैं:

- **कम लागत जमा** – बैंक वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोले जाने वाले बचत खाता पर 4% ब्याज देता है जबकि हमारा औसत जमा लागत 6.9% है। बैंक में अब तक जन धन योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक बचत खाते खोले जा चुके हैं जिनमें कुल जमा शेष राशि 308 करोड़ रुपयों से अधिक हैं। इस प्रकार प्रति खाता औसत जमा राशि 994 रुपये है।
- इसके अलावा, बैंक मित्र के द्वारा संचालित होने के कारण इन खातों मे लेन–देन की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार वैकल्पिक वितरण चैनल का अधिकतम उपयोग करने से परिचालन लागत कम होती है था तथा परिचालन व्यवहारिकता बढ़ जाती है।
- **अपनापन** – वित्तीय समावेशन खातों की प्रमुख विशेषता में से एक जुड़ाव का स्वभाव है। चुंकि वित्तीय समावेशन के खाताधारक प्रथम बार बैंककिंग व्यवस्था से रहे होते है तो बैंकों के पास एकाधिकार व्यापार का निरपक्ष अवसर होता है तथा बैंक इस तरह के ग्राहकों के साथ एक लंबे समय तक संबंध बनाए रखने में सक्षम होगा।
- **पार विक्रय** – जन धन योजना के अंतर्गत प्रावधानों के द्वारा बैंक के सामने असीमित बाजार है जिसमें उत्पाद के पार विक्रय की अद्भूत सम्भावना है। जीवन बीमा/माइक्रो इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एलपीजी/मिट्टी तेल की सब्सिडी के लिए मासिक प्रेषण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के बहुआयामी लाभ बैंकों तथा भारत के नागरिकों दोनों को ही प्राप्त होंगें। कई मायनों में अभूतपूर्व इस योजना ने वस्तुतः विशाल स्तर की अर्थव्यवस्था के नए मापदंड स्थापित किए हैं। बैंकर्स की इस अदभुत क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सीधे संवाद के माध्यम से बैंकर्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इस योजना ने समूह शक्ति के क्षमता को भी पुनर्स्थापित करते हुए सेवा क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अब यह संदेह से परे है कि सम्यक निरीक्षण और दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन से इस योजना के महती लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है।

अमरीत रंजन
कनिष्ठ अधिकारी
केनफिन होम्स लि.
लखनऊ

प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना है, जो वित्तीय समावेषण (2011) को पूरा करने की दिशा 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से भाषण के दौरान ऐलान एवं 28 अगस्त, 2014 को इस योजना का उद्घाटन श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर इंसान के पास एक बैंक खाता उपलब्ध कराना है। ऐसी उम्मीद की गई है यह योजना देश के लिए प्रभावी रूप से फायदेमंद साबित होगी। वित्तीय समावेषण भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रही है। एक बड़ी संख्या में लोगों का वित्तीय सेवाओं से वंचित रहना देश की आर्थिक तरक्की में हमेशा अवरोध बना रहा है। महान अर्थशास्त्रियों की राय में वित्तीय समावेषण गरीबी मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। वित्तीय समावेषण की शुरूआत 2011 में ही की गई, पर उसकी सीमित उद्देश्य एवं उपलब्धियां रही। कोशिश थी 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की, उस वक्त हर घर में एक बैंक खाता खुलवाना उद्देश्य नहीं था। देश के 5 लाख 92 हजार गांव में से मात्र 74,000 गांवों में ही इस अभियान का लाभ हो सका। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, राज्य वित्त मंत्री कु0 निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र, कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी की उपस्थिति में हुआ। इस योजना का लक्ष्य 26 जनवरी, 2015 तक सात करोड़ पचास लाख खाते खुलवाने का था। जन धन योजना जैसा कि नाम से स्पष्ट है। वित्तीय समावेषण अर्थात कम जनसंख्या वाले गांव के लोगों को वित्तीय सेवाओं से समावेक्षित करने का अभियान है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना का टैगलाइन "मेरा खाता भाग्य विधाता" है। इस टैग लाइन का उद्देश्य यह है कि सरकार इस योजना के अंतर्गत खुलने वाले खातों में जो बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है, वह भार तक गरीब खाता धारकों के लिए भाग्य विधाता जैसी हैं। सरकार के द्वारा जनता को दी जाने वाली सहायता राशि अब सीधे उनके खाते में जा सकेगी। इससे बिचौलियों का धंधा बंद हो जाएगा। पैसे एवं सब्सिडी की राशि गरीब जनता तक आसानी से पहुंचाने की योजना रही है। मानवीय श्रम को कम से कम इस्तेमाल करने पर भी लोगों तक वित्तीय लाभ अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाया गया। इस योजना का एक इरादतन कोशिश देश के लोगों ने बचत की एक प्रवृति विकसित करने की भी है। पैसे की बचत की प्रवृति होगी तो देश वित्तीय मामलों में समृद्धिशाली बनेगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य केवल बड़ी संख्या में खाते खुलवाना नहीं था। इसके अलावा अतिरिक्त लाभ में एक मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड, एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं 3,00,000/– रुपये की जीवन बीमा हर एक खाता धारक को उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य सदैव रहा है। सरकार की कोशिश यह थी कि देश में एक भी घर बैंक खाते से वंचित न रहें। इस योजना के अंतर्गत खुलने वाले खातों में न्यूनतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ताकि देश की गरीब जनता भी इस योजना से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ सके। पहले दिन एक करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य था पर इस योजना में पहले दिन ही 1.5 करोड़ खाते खुले। इसमें पचास हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा भी उन खातों में रखी गई, जिनमें आधार कार्ड जुड़ा हो। इस योजना में शहरी एवं ग्रामीण जनता को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है यदि किसी व्यक्ति का पहले से बैंक खाता मौजूद है तो उसे जनधन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए दूसरा बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं है। बीमा का लाभ रुपे कार्ड के जरिए उपलब्ध होगा। वर्तमान खाताधारक इस योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ लेने के लिए रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त करेन के लिए संबंद्ध

शाखा में आवेदन कर सकते हैं। 5000 रुपये की माइक्रो क्रेडिट सीमा को भी वर्तमान बैंक खाते में आवेदन करके बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते बैंक खाता संतोषजनक तरीके से चलाया गया हो। कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें मिली है कि भारी भीड़ के कारण खाता खोलने का फार्म उपलब्ध नहीं है और कुछ लोग स्थिति का फायदा उठा रहे है। इसे देखते हुए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए खाता खोलने का फार्म प्रकाशित किया गया है। खाता खोलने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस आवेदन को नजदीकी बैंक खाता/बैंक मित्र के पास ले जा सकते है। एक पृष्ठ का फार्म विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त, 2014 को दिशा–निर्देश जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज अथवा आधार संख्या नहीं है वे बैंक शाखा में अपनी हस्ताक्षरयुक्त दो तस्वीरें ले जा कर बैंक खाता खोल सकती है। इन खातों को लघु खाता कहा जाएगा और यह सामान्य तौर पर 12 महीने के लिए वैध होगा। इस लघु खातों को खोलने के 12 महीने के भीतर यदि किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारिक वैध दस्तावेज के लिए आवेदन किया है तो प्रमाण दिखाकर इस खाते को जारी रख सकता है। इन खातों के लिए कुछ विशेष सीमा तय की गई है जैसे शेष राशि 50,000 से अधिकस नहीं होनी चाहिए, एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं किए जाएं और 1 महीने में 10,000 रुपये से अधिक नहीं निकाले जाएं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।

क्षेत्रीय आवासीय समस्याएं एवं समाधान

अर्तिका यादवेन्द्र, सहायक प्रबंधक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
लखनऊ

आरंभ से ही हम पढ़ते, सुनते व समझते आएं है कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी,कपड़ा, मकान है। शायद इनका क्रम इनकी प्राथमिकता के आधार पर ही है। 121 करोड़ की आबादी के साथ भारत 21वीं सदी में कदम रख चुका है, जहाँ पर यह तीसरी मूलभूत आवश्यकता भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। जनसंख्या विस्फोट के कारण इसको सँभालना और भी मुश्किल हो गया है। पेट में भोजन पहुँच जाने तथा तन को कपड़े को ढक लेने के बाद, तीसरी आवश्यकता एक छत की ही होती है। जैसा कि हम कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ कई सामाजिक आर्थिक वर्ग है और साथ ही ग्रामीण व शहरी दो अलग–अलग परिवेश है। इन सभी क्षेत्रों की अलग–अलग समस्या है, इसलिए इन सभी को अलग–अलग– तरीके से ही दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि अपने बलबूते पर घर बना ही नहीं सकता। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही है। इनको घर उपल्बध कराने में सरकार को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग है जिसको यदि सस्ता व सुलभ ऋण उपलब्ध करा दिया जाए तो कुछ हद तक वह घर बना सकता है।

भारत में 40 जनसंख्या शहरों में तथा 60 ग्रामीणों क्षेत्रों में निवास करती है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन रहती है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में घर न होने पर लोग मलिन बस्तियों व फुटपाथ पर रहते हैं। जहाँ सरकार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए इंदिरा आवास जैसी योजनाएं लाई है तो शहरी क्षेत्र के लिए, पुरानी योजनाओं के साथ नई योजना 2020–22 सबके लिए आवास का शुभारंभ हो चुका है। गरीब वर्ग के लिए पैसा उपलब्ध कराना तो दूसरी ओर निम्न मध्यम वर्ग के लिए सस्ता व सुलभ ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सस्ते व सुलभ ऋण के लिए सरकार की योजनाएं पहले से ही आती रही है जिसका राष्ट्रीकृत, निजी बैंको आदि द्वारा पालन होता है। साथ ही सरकार ने इस ओर बड़ा कदम उठाते हुए 1987 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप, भारतीय रिर्जव बैंक के सर्म्पूण स्वामित्व में आवास ऋण की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की।"2022 सबके लिए आवास योजना " पूरी तरह से शहरों पर केंद्रित योंजना हैं। इसके कई उद्देंश्य हैं। पहला की शहरों से मलिन बस्तियों को हटाकर, उनकों सस्ता, पक्का घर उपलब्ध कराना। दूसरा कमजोर वर्ग के लिए सब्सिडी से लिंक सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। इसके लिए सरकार सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा सस्ते व पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है

5–7 साल के समय में सरकार को 2 करोड़ घर बनाकर, लोगों को उपलब्ध कराना है। ताकि देश की आजादी के 75वें साल सबके पास घर हों। आज की तारीख में, समस्या की पहचान हो चुकी हैं।समाधान के तरीके ढूँढे जा चुके हैं। और कुछ हद तक उनका कियान्वयन भी हों रहा हैं। परन्तु क्या कारण हैं कि उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहें। समस्या प्रथम स्तर से लेकर आखिरी स्तर तक हो सकती हैं। इसके लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। पहला, इसके लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक तरह की सम्भावनाओं को दूर से दूर नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिए हमें उनके पास जाना होगा, उनकी समस्या सुननी होगी औंर समझानी होगी। उनको सरकार से क्या उम्मीदें हैं। यह जानना होगा, उनके सुझाओ को अपनाने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार से समझ पाएंगे क्योंकि जब सारा काम उनके लिए ही किया जा रहा हैं तो उनके विचारों की सहभागिता होनी ही चाहिए।

दूसरी समस्या पूंजी की हैं। यही तो कारण है जिसके कारण हम शायद आजादी 75वें सालगिरह पर सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखे हैं। पूंजी की उपलब्धता निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करके की जा सकती हैं। इसके साथ ही विश्व बैंक तथा कई अन्य अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी ऋण उपलब्ध कराती हैं जोंकि सरकार की पूँजी की समस्या को दूर करती हैं।

तीसरी समस्या कार्य कुशलता की हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कई मोर्चो पर कार्य करना होगा। तकनीकि, वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

चौथा समस्या हैं। कार्य समय सीमा से बस नाम के बंधे होते हैं। वास्तव में समयसीमा बहुत ज्यादा ध्यान नही दिया जाता। नतीजनत कार्य वर्षो में पीछें चलते हैं जिससे कि हर एक चीज प्रभावित होती हैं। समय सीमा में पूरा न होने के कारण अनेक नई समस्या आ जाती हैं, फंड, गुणवत्ता आदि इसी कारण निजी क्षेत्र का निवेश बाद में कम हो जाता हैं। और हम फिर से अपनी समस्या के शुरूआत में आकर खड़े हो जाते हैं।

इसके साथ ही सभी कार्य परिणाम उन्मुख होनी चाहिए। राज्य की सहभागिता पहले से सुनिश्चित होनी चाहिए।

अंततः यही कह सकते हैं कि समस्याएं बहुत हैं। तो समाधान बहुत हैं। दृढ़ इच्छा, शक्ति, सही सोच, तथा अच्छी कार्ययोजना से सबके लिए आवास के लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया जा सकता है।

हाउसिंग बोर्डो का आवासीय समस्या सुलझाने में योगदान

शौर्य गुप्ता
तकनीकी प्रबंधक, आईसीआईसीआई
होम फाईनेंस लि., बड़ौदा

परिचय

मकान मूलभूत जरूरत है, विकासशील देशों में घर की अनेक समस्याएं हैं और वे जीवन की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। हाल के समय में बढ़ते शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती संख्या के कारण उनकी मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पर खूब सारा बोझ पड़ रहा है। भारत में शहरी मकान की मांग को पूरा करने के लिए करीब 1.7 से 2 लाख हेक्टेयर भूमि की जरूरत है।

आवास मंडल का उद्देश्य – मकान की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में संपत्ति के बाजार के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए आवास मंडलों की स्थापना की है। भारत में गृह निर्माण उद्योग के विकास पर दिया गया बल इन बोर्डस में योगदान को काफी बढ़ा चुका है। अपना कानून बनाकर हर राज्य में आवास मंडल स्थापित किए गए हैं। जिन विभिन्न उद्देश्यों से आवास मंडल स्थापित किए गए हैं उनकी सूची यहां नीचे दी गई है:

नागरिकों को वाजिब कीमत में घर प्रदान करना

मकानों का निर्माण करना और एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी और ईडब्ल्यूएस के आधार पर उनका आबंटन करना

मकान बनाने के लिए जगहों का चयन करना और दी जाने वाली सेवाओं के प्रकार का निर्णय करना

वित्तपोषण के लिए स्कीमें बनाना जो एमआईजी और एचआईजी को मदद करे।

व्यापारिक संकुलों, बहुमंजिला, इमारतों, दुकानों का निर्माण करना और उन्हें तय व सुरक्षित आर्थिक संसाधन के लिए पट्टे पर देना

क) नागरिकों को मकानों के शिकायती जत्थे प्रदान करना:

भारत ऐसा देश है जहां लाखों बेघर हैं, ऐसे में किफायती मकान का महत्व और उसका औचित्य बढ़ा–चढ़ा कर बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता कि भारी संख्या में अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। भारत के अधिकांश प्रतिष्ठित विकासक किफायती आवास परियोजनाएं नहीं बनाते। भारत में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के कारण शहरी मकानों का अभाव है लेकिन शहरी केन्द्रों में हो रही मकानों की आपूर्ति ऐसे वर्ग से जुड़े लोगों की पहुंच से दूर है।

ख) विभिन्न झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्पों का क्रियान्वयन (कचरा बीनने वालों का पुनर्वसन/बेघर बच्चों/औद्योगिक कामगारों का पुनर्वसन):

दुर्भाग्य से झुग्गी झोपड़ियां भारतीय शहरी परिदृश्य का एक हिस्सा है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी समूहों से ताल्लुक रखने वाले अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और बेहतर विकल्पों के अभाव में झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों को तोड़कर, उन्हें अस्थायी घरों में किसी दूसरे इलाके में स्थानांतरित करके झोपड़ियों की जगह बेहतर गुणवत्ता के घर बनाकर देने से समस्या का समाधान हो सकता है। इसी प्रकार से मौजूदा पुरानी इमारतों के स्थान पर ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं।

ग) झोपड़ी पुनर्वसन योजना:

आवास मंडलों ने राज्य स्तर की स्लम रिहेबिलिटेशन एजेंसियों (एसआरए) के सहयोग से कल्पनाशील कदम उठाए हैं जिनका लक्ष्य है; झोपड़ा वासियों को मुफ्त घर देना, जमीन का उपयोग निजी निर्माण के लिए करना, पुनर्वसन की लागत को सब्सिडी देना, निर्मित मकानों को खुले बाजार में बेचना है।

आवास क्षेत्र : समस्याओं और संभावित समाधानों की एक झलक

आवास क्षेत्र देश की जनसंख्या के सामाजिक स्वास्थ्य को वर्णित करता है। देश की जीडीपी में अपने योगदान के अलावा घरों का निर्माण देश की सामाजिक पूंजी को बढ़ाते हुए समाज के कल्याण को बढ़ाता है। गृहनिर्माण प्रमुख क्षेत्र होने के नाते सरकारों के लिए ऐसे नीतियों और उपायों पर ध्यान देना और अपनाना जरूरी हो जाता है जो गृह निर्माण को गति देते हैं और इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यमों से आर्थिक गतिविधि को बल देते हैं।

कुछ प्रमुख समस्याएं और समाधान जो इन समस्याओं को हल कर सकते हैं:

1. **आर्थिक पहुंच:** शुरुआती धन जुटाना विकासकों के लिए बढ़ी समस्या होती है, जिससे मकानों की आपूर्ति काफी हद तक घट जाती है। बैंकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण की अनुपस्थिति में विकासको को धन के लिए वैकल्पिक मार्गों को तलाशने पर मजबूर होना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश वाजिब ब्याज दरें नहीं प्रदान करते। इस कारणवश आपूर्ति घट जाती है। ऊंची महंगाई की दर ने भी खरीदार की खरीदने की क्षमता को प्रभावित किया है और उनकी बचत को उल्लेखनीय रूप से घटाया है।

समाधान – बढ़ती हुई मकान की कीमतें गिरवी रखने पर ऊंची ब्याज दरों के कारण और भी बढ़ जाती है। हाउसिंग फायनॉस कॉर्पोरेशन्स (एचएफसी) नॉन–बैंकिंग फायनांशियल कंपनियां (एनबीएफसी), माइक्रो–फायनांस इंस्टीट्यूशन्स (एमएफआई), प्राइवेट इक्विटी इनवेस्टर्स (पीई) को सरल नियम बनाकर प्रोत्साहित करना चाहिए और क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए उचित सहूलियतें दी जानी चाहिए, इसके अलावा, आरबीआई को 'प्रायोरिटी लेंडिंग' (वरीयता प्राप्त वित्त प्रदान) के लिए अपने–अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए, ताकि कम लागत वाले और किफायती घर बनाने में शामिल विकासक को एक समान कर्ज मिल सके क्योंकि कम लागत वाले आवास परियोजनाओं का विकास करने के लिए उन्हें सस्ती फंडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा भारत में भविष्य में आरईआईटी को प्रचालन करने की सेबी द्वारा अनुमति देने का निर्णय भारतीय रीयल एस्टेट मार्केट (परिसंपत्ति बाजार) की परिपक्वता का संकेत होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आरईआईटी परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। आरईआईटी के कारण अधिक पारदर्शिता भी आएगी क्योंकि डेवलपर्स और निवेशकों को कानून द्वारा निर्देशित प्रक्रियाओं और बाध्यताओं का पालन करना होगा। गृह निर्माण में, खासकर किफायती आवास क्षेत्र में निवेश के लिए आरईआईटी के लिए कर रियायत प्रदान करना इन्हें अधिक सफल बनाने में अत्यावश्यक प्रोत्साहन देगा।

सर्विस्ड लैंड (सेवा युक्त भूमि) की उपलब्धता – मौलिक सुविधाओं से युक्त विकसित भूमि की सीमित आपूर्ति होने के कारण जमीन की कीमत बढ़ती है, जिसके चलते घरों की लागत बढ़ जाती है। कुछ राज्यों में विद्यमान अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन ऐक्ट (यूएलसीआरए) (शहरी भू परिसीमन एवं विनियामक अधिनियम) जैसी असकारात्मक भू प्रबंधन की नीतियां इस सेक्टर के सामने आने वाली प्रमुख रुकावटों में एक है। वैसे तो इस कानून को केन्द्र सरकार ने रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अब भी लागू है। इसके अलावा विभिन्न शहरों में कम फ्लोर इंडेक्स (एफएसआई) सीलिंग के माध्यम उपलब्ध जमीन के कम उपयोग के चलते किसी भी भूखण्ड पर कम मकानों का विकास हो रहा है। इसके कारण विकासक को कम आय मिलती है जिसके कारण उन्हें जमीन की लाग को वसूलने के लिए प्रति यूनिट लागत बढ़ानी पड़ती है।

समाधानः विकास करने योग्य सीमित जमीन और नित बढ़ रही शहरी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शहरों का ऊर्ध्वगामी विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। एफएसआई मानकों का संशोधन करने के अलावा अन्य भूमि सुधारों को भी हाथ लेने की जरूरत है। दिल्ली और गुजरात में पहले से लागू लैंड पूलिंग स्कीमें तेज गति से किंतु वाजिब दरों पर जमीन हासिल करने के लिए कुछ कल्पनाशील पद्धतियां है और देश भर में इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

प्लान की स्वीकृतियां

भू–संपदा आवास क्षेत्र में सामने आ रहे प्रमुख मुद्दों में से एक है लंबी कानूनी प्रक्रिया जिसके कारण प्रोजेक्ट का लॉन्च और उसके पूरा होने में विलंब होता है। वैसे तो इस देरी में कई पहलू कारणीभूत होते हैं जैसे कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और मजदूरों की कठिनाई, धन पाने में मुश्किल है, लेकिन खासकर कानूनी मंजूरियों का पालन करने की प्रक्रिया में काफी विलंब होता है।

समाधानः

सभी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस (एकल खिड़की स्वीकृति) देने से इस देरी में काफी कमी आएगी और भ्रष्टाचार संबंधी लागत भी घटेगी। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता कराने पर प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है और मानव की जरूरत भी काफी हद तक कम हो सकती है। अहमदाबाद, चेन्नई, कोचीन, कोझीकोड, मदुरै, त्रिवेंद्रम, पुणे जैसे कुछ शहर बिल्डिंग की योजनाओं को मंजूरी देने के लिए पहले से स्वचालित प्रणाली को लागू कर चुके हैं। ऐसे उपायों का देश भर में लागू किया जाना चाहिए और समय तथा खर्च बचाने के लिए अन्य प्रक्रियाओं में भी उपयोग में लाया जाना चाहिए।

मनुष्यबल और प्रौद्योगिकी की समस्याएं

भारत में खेती के बाद आवास और गृह निर्माण का व्यवसाय रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। रीयल एस्टेट (भू–परिसंपत्ति) के क्षेत्र में 20–30 प्रतिशत रोजगार है। देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होने के बावजूद, निर्माण क्षेत्र में कुल मिलाकर मानव शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र मानव के श्रम पर निर्भर है परिणामस्वरूप निर्माण पूर्ण करने के लिए लंबा समय लग जाता है और आपूर्ति में विलंब होता है।

समाधानः इसलिए, निर्माण की तकनीकी रूप से तेज और वैकल्पिक तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए और कौशल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष निर्माण उपकरण, निर्माण सामग्री और विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी (रियायती) की दरों पर प्रदान किया जाना चाहिए और प्री–फैब्रिकेटेड (पूर्व रचित) पहलुओं के लिए सीमा शुल्क माफ कर दिया जाना चाहिए।

जमीन और कानूनी रूपरेखाः

अधिकांश शहरों में घर के खरीद मूल्य के लिए कर तत्व में 30–37 प्रतिशत के बीच अंतर होता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, राज्यों के कर जैसे वैट, एलबीटी, स्टैंप ड्यूटी, नगरपालिका कर, उपकर, प्रीमियम और विकास शुल्क शामिल हैं। मुंबई जैसे शहरों में सिंगल सेस (एकल उपकर) जैसे फंजिबल प्रीमियम बिक्री मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत होता है। इसीलिए करों को युक्ति संगत बनाना आवास की कीमतों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण 'मंत्र' में से एक है।

समाधानः

निजी कंपनियां एमआईजी/एलआईजी/ईडब्ल्यूएस/एचआईजी योजनाओं के विकास में प्रवेश करने से खुद को बचाती हैं क्योंकि ये कोई व्यावहारिक व्यवसाय की स्थिति नहीं देते।

आवास मंडल को आय के स्तर ओर बीच की खाई को पाटने के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मकानों के मूल्य निर्धारण का सुगम माध्यम बनाना चाहिए। लागू की जा सकने वाली स्कीमें हैं:–

- स्टैंप ड्यूटी, वैट आदि जैसे बाह्य करों को तर्कसंगत बनाना/समीक्षा करना
- वाजिब कीमत वाले मकानों के लिए ब्याज सब्सिडी
- किफायती घरों के लिए राज्य विकास नियंत्रण के मानकों/नियमों को उदार बना सकते हैं
- कम और सरल कराधान (संभवतः जीएसटी) एक बड़ा कदम होगा

सुझाव

- राज्य के मंडल विनियामक सुधार करके निजी कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं जैसे कि एफडीआई को अनुमति देना, ऋणों पर कर रियायत देना, एसईजेड का निर्माण करना।
- आवास मंडल के लिए एक नया उपक्रम हो सकता है आवास क्षेत्र को ढांचागत सुविधा का दर्जा देना। वर्तमान में बैंकों का भू–संपत्ति क्षेत्र से संपर्क केवल 5% है जो इस क्षेत्र में नकदीकरण की समस्या पैदा करता है। आवास मंडल जमीन संपादन करने के लिए लोन में मदद कर सकता है जब उसका ध्येय किफायती गृह निर्माण हो।
- सरकार को भी विशेष आवासीय अंचल बनाने के लिए विकास के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हाउसिंग स्टॉक इंसेंटिव (गृह जत्था प्रोत्साहन) मिल सके।

निष्कर्ष – देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भारी प्रभाव डालने की क्षमता आवास क्षेत्र में है। उसके सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए खास उपाय किए जाने चाहिए, हाउसिंग प्रकल्पों में सहायता के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि सरकार विकसित और विकासशील देश से सफल रणनीतियां अपनाए ताकि देश की घर की मूलभूत जरूरत पूरी हो सके।

ग्राहक सेवा में हिन्दी का प्रयोग

अरुण कुमार खंडेलवाल,
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपभोक्ता (ग्राहक) के बारे में और उसके अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कहा है:

ग्राहक हमारे परिसर में बहुत महत्वपूर्ण अतिथि होता है।
वह हम पर आश्रित नहीं होता है। हम उस पर निर्भर होते हैं।
वह हमारे काम में रूकावट नहीं होता है– वह तो इसका उद्देश्य होता है।
हम उसकी सेवा करके उस पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं।
वह हमें सेवा का मौका देकर हम पर अहसान कर रहा है।

अतः प्रबुद्ध ग्राहक ही सशक्त ग्राहक होता है। जागरूक ग्राहक न केवल शोषण से अपनी सुरक्षा करता है बल्कि समूचे निर्माण और सेवा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रेरित करता है। उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझते हुए, सरकार ने उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का बनना देश में उपभोक्ता आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में क्रांति ला दी है,

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता जागरूकता स्कीम :
विगत वर्षों में चलाए गए प्रचार अभियान के फलस्वरूप जागो ग्राहक जागो नारा अब घर–घर में मशहूर हो चुका है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता जागरूकता पर जोर बढ़ाने के जरिए, सरकार ने आम आदमी को उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए पहल की है। उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के अंग के रूप में, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत जैसे बड़े देश में, आर्थिक विषमता के परिदृश्य और शिक्षा एवं अज्ञानता के स्तर के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को शिक्षित करना विराट कार्य रहा है। सरकार ने इस उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के अंग के रूप में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक गतिविधियां और स्कीमें शुरू की हैं। इस अभियान को जन–जन तक पहुचाने में हिन्दी का योगदान अतुलनीय रहा है।

मल्टी मीडिया प्रचार अभियान के अंग के रूप में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के इस्तेमाल से प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचार, शिकायत क्षतिपूर्ति प्रणाली, एमआरपी, आईएसआई हाल मार्क, वैकल्पिक विवाद, आदि का प्रचार हिंदी के माध्यम से प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

हिन्दी का आधार: हिंदी हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। इसीलिए हमारे देश ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया। 2011 की जनगणना के अनुसार सवा अरब की आबादी वाले देश में 41.03 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यदि दूसरी भाषा के तौर पर बोलने वालों को भी गणना में शामिल किया जाए तो देश में लगभग 75 प्रतिशत लोग हिंदी बोल सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोले जानी वाली भाषा है और इसे विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग बोल एवं समझ सकते हैं।

कोई हिंदी भाषी जब किसी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में जाता है तो संवाद के लिए अमूमन हिंदी का ही इस्तेमाल होता है। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इसी गति से हिंदी बोलने और जानने वालों की संख्या बढ़ती रही तो 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे।

इसी तरह विदेशों में हिंदी के तमाम गीत–संगीत और समाचार के रेडियो चैनल भी कई सालों से चल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट दर्शकों में 56 करोड़ हिंदीभाषी, 22 करोड़ बांग्लाभाषी, 11 करोड़ पंजाबी, 8 करोड़ मराठी, 8 करोड़ अंग्रेजी भाषी हैं। इस तरह देखें तो दर्शकों की संख्या के लिहाज से अंग्रेजी भाषी चौथे नंबर पर हैं। यही कारण है कि अब कई अंग्रेजीदां चैनल दर्शकों तक क्रिकेट का आंखों देखा हाल पहुंचाने के लिए हिंदी भाषी कमेंट्रेटर नवजोत सिंह सिद्धू की सेवा लेते हैं। आज भारत में सर्वाधिक पत्र–पत्रिकाएं तथा उनके पाठक हिंदी में हैं और सबसे ज्यादा विज्ञापन और फिल्में भी हिंदी में बनती हैं।

हिन्दी हमारी भाषा के नाते ही नहीं, अपनी उपयोगिता के नाते भी आज बाजार की सबसे प्रिय भाषा है। आप लाख अंग्रेजी के आतंक का विलाप करें। काम तो आपको हिन्दी में ही करना है, यह हिन्दी की ही ताकत है कि वह सोनिया गाँधी से लेकर कैटरीना कैफ सबसे हिन्दी बुलवा ही लेती है। कुल मिलाकर हिन्दी आज मीडिया, राजनीति, मनोरंजन और विज्ञापन की प्रमुख भाषा है।

हिंदुस्तान जैसे देश को एक भाषा के सहारे संबोधित करना हो तो वह सिर्फ हिन्दी ही है। यह हिन्दी का अहंकार नहीं उसकी सहजता और ताकत है। मीडिया और मनोरंजन की पूरी दुनिया हिन्दी के इसी विस्तारवाद का फायदा उठा रही है। पूरा विज्ञापन बाजार हिन्दी क्षेत्र को ही दृष्टि में रखकर विज्ञापन अभियानों को प्रारंभ करता है। हिन्दी सिनेमा की उत्तरोत्तर सफलता इस बात का द्योतक है। आजकल एक हिन्दी चलचित्र सैकड़ों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। विज्ञापनों में हिन्दी की उपयोगिता उनमें दोहराइ जाने वाली टैगलाइन, जैसे "ठण्डा मतलब कोकाकोला" या "पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें." की लोकप्रियता इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। टी. वी. पर हिन्दी चैनलों की भरमार हो रही है। विज्ञापन, मनोरंजन या मीडिया की दुनिया में सारे कोरपोरेट हिन्दी की कमाई खा रहे हैं।

बैंकिंग का बदलता स्वरूप– ग्राहक सेवा में हिंदी का उपयोग:
भूमंडलीकरण के साथ–साथ देशगत परिस्थितियों ने भी बाजार के स्वरूप में लगातार परिवर्तन करना आरंभ किया। इस परिवर्तन से जनसामान्य के जीवन में भी बदलाव आना शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनके आर्थिक जीवन में भी प्रगति की नई किरणें आनी शुरू हुई और फिर आरंभ हुआ नवधनाड्य वर्ग जिसने उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ाना शुरू किया। हमारे देश की उदार आर्थिक नीतियों से विश्व बाजार देश के बाजारों में दिखना आरंभ हुआ जिसे बाजार में नए उत्पादों के आगमन के साथ जनसामान्य में एक आकर्षण पैदा होने लगा। देश की आर्थिक स्थिति के सुधार होने की प्रक्रिया से जीवन शैली में वैभव की झलक मिलने लगी तथा बेहतर सुख और सुविधाओं की मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार की आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन आदि ने जनसामान्य के मन में सपने सजाने शुरू किए तथा हैसियत से बढ़कर जीने की ललक ने व्यक्ति को बैंकों की ओर मुड़ने पर विवश किया। बैंकों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया और नई–नई योजनाओं के साथ बेहतर सेवा प्रदान कर ग्राहक आधार बनाने लगा।

इन दायित्वों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने बड़े आधार और विस्तृत ग्राहक

अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वंय में व्यापक परिवर्तन लाना आरंभ किया है। बैंकों ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाया जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। बैंको की योजनाओं को नए नाम उत्पाद से जाना जाने लगा। एक अत्यधिक तेज गति के साथ प्रगति करती हुई बैंकिंग दुनिया को बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि ग्राहकों के लिए सारी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ एकत्र कर लेने के बावजूद भी ग्राहक के बौद्धिक और भावनात्मक रूप को भी समझना आवश्यक है। इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए बैंक को विज्ञापन तथा ग्राहक संपर्क का सहारा लेना पड़ा ता यहां पर हिन्दी भाषा का महत्व प्रमुखता से उभरकर आया।

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और किसी भी सेवा उद्योग में ग्राहक की भाषा का महत्व बहुत अधिक होता है। बैंकों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना न सिर्फ एक सांविधिक दायित्व है, बल्कि इससे बैंकिंग का कार्य जन–जन तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप बैंकिंग कारोबार में काफी बढ़ोतरी भी हो सकती है। सामाजिक बैंकिंग के इस युग में जनता की भाषा हिंदी में काम करना बैंकों में बेहतर ग्राहक सेवा का अभिन्न अंग बन गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिये हिंदी के प्रयोग को ओर अधिक बढ़ाना तभी संभव होगा जब बैंक में नेमी कार्यों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर एप्लीकेशनों में राजभाषा नीति के अनुकूल हिंदी– द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा हो और उस सुविधा के उपयोग के लिए सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हों। विशेषकर वर्ड प्रोसेसिंग आदि में हिंदी का प्रयोग करना अब कोई समस्या नहीं है, भाषायी इंटरफेस की मदद से पासबुक और एफडीआर भी अब सीबीएस से हिंदी में जारी होने लगे हैं। तथापि, कार्य–विशेष के लिए बनवाए गए एप्लीकेशनों में हिंदी के प्रयोग को

संभव बनाने के लिए हमें और प्रयास करने होंगे।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साहित्य, रंगमंच, फिल्मों तथा बोलचाल में अपनी उपयोगिता और धाक जमानेवाली हिंदी के लिए बैंकिंग जागरूकता के लिए साहित्य सरल, सहज और सर्वमान्य भाषा में दे पाना हिंदी भाषा की विशिष्टता का द्योतक है। यदि बैंककर्मियों की हिंदी भाषा के प्रति रूझान का विश्लेषण किया जाए तो अभी भी वह लिखित रूप की तुलना में बोलचाल के रूप में ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। बैंकिंग कार्यक्षेत्र में उपयोग में लाई जानेवाली मिलीजुली भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय है जिसमें यह स्वतंत्रता रहती है कि जब चाहें तब हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें। भारतीय रिजर्व बैंक मिली–जुली भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा के प्रयोग की सिफारिश करता है।

बैंकिंग के बदलते स्वरूप में विपणन एक प्रमुख नायक के रूप में उभरा है। प्रत्येक बैंक एक निर्धारित राशि विज्ञापन पर खर्च कर रहा है जिसमें राज्य विशेष की भाषाओं के साथ प्रमुखतया हिंदी को स्थान दिया जा रहा है। बैंककर्मियों को अब शाखा से बाहर निकलकर अपने उत्पादों को बेचने के लिए नए ग्राहकों को तलाशना पड़ता है जिसमें भाषा की प्रमुख भूमिका रहती है। परिचालन विभाग भी भविष्य की भाषा आवश्यकता को समझकर अपनी नई–नई भूमिकाए निर्धारित कर रहे हैं। हिंदी अब तक शाखा के फाइलों के बीच घूमती रहती थी जिसमें प्रशासन, बैंकिंग आदि की गंभीर और शुष्क शब्दावलियाँ रहती थीं किंतु बैंकिंग के बदलते प्रवेश ने हिंदी को फाइलों से बाहर खींचकर जनता के बीच खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में हिंदी को अपने कार्यालयीन शैली को बरकरार रखते हुए भाषा में भावुकता का भी मिश्रण करना है जिसे कि लोग आकर्षित होकर बैंक के उत्पाद को खरीद सकें।

हिंदी के इस महत्व का अहसास करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने न केवल अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है अपितु बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच सरल हिंदी में संवाद बढ़ाने की दिशा में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की काफी मदद भी की है। पिछले साल बैंकिंग शब्दावली का नया संस्करण निकालना इस दिशा में किया गया एक सार्थक प्रयास है। बैंकिंग जगत में इसका स्वागत हुआ है। कई बैंकों ने रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली के नये संस्करण को अपने सभी स्टाफ/सदस्यों की सुविधा के लिए अपने इंट्रानेट तक में उपलब्ध करा दिया है। पूरे बैंकिंग जगत में हिंदी में एक जैसी शब्दावली के प्रयोग से हिंदी में लिखी गई बात को समझने में और अधिक आसानी होगी। बेहतर और प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए बैंकों में हिंदी भाषा में कामकाज किया जाने लगा है। बैंकिंग में राजभाषा की उपयोगिता की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया ने इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। बैंकिंग और हिंदी के आपसी ताल–मेल में एक स्वाभाविक लयबद्धता भी स्पष्ट हुई है। हिन्दी में जिस तरह की शब्द सार्मथ्य और ज्ञान–विज्ञान के हर अनुशासन पर अपनी बात कहने की ताकत है सही भाषा के इस्तेमाल से नई पीढ़ी को भाषा के संस्कार मिलेंगें।

भारत सरकार की राजभाषा नीति भी ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के लिये हमें प्रोत्साहित करती है हमारी राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढतापूर्वक किया जाना चाहिए। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:

कंप्यूटर, ई–मेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए ।

संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें ।

मंत्रालय/विभाग अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें ।

संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टे, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म आदि द्विभाषी रूप में ही जारी की जाएं ।

बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं – ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए

आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की, सावधि जमा–रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्र आदि, दैनिक बही, मस्टर, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, सूचियां, विवरणियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नए खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची–कार्यवृत्त आदि हिन्दी में जारी हो ।

विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्ट, सूचना–पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी–अंग्रेजी में बनवाए जाएं।

भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, बैंकों, उपक्रमों आदि द्वारा असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म आदि को अनुवाद किया जाए .

मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें

सभी मंत्रालय/विभाग आदि हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के समस्त कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अधिक अच्छी तरह निभा पाएं।

सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाये।

सभी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थान आदि अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में विशेषकर उक्त कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिंदी से संबंधित आलेख प्रकाशित किये जाएं ।

बैंकिंग के बदलते स्वरूप में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि, विभिन्न भाषा–भाषियों को राजभाषा हिंदी सीखने में क्या–क्या कठिनाईयॉं होती हैं इन मुश्किलों को हल करने के उपाय किए जाए। इस प्रकार ग्राहक सेवा क्षेत्र में हिंदी की आकर्षक, आसान और आत्मसक्षम छवि निर्मित हो सकती है। अगर आपको अपने व्यवसाय को व्यापक स्तर पर, जन जन तक पहुचना है तो हर स्तर पर हिन्दी का उपयोग करना होगा। हिन्दी ही वह भाषा है जिसमें ग्राहक सुगमता व सरलती से अपनी बात कह/रख सकता है और समझ भी सकता है। हिन्दी के उपयोग से ग्राहक और विक्रेता के बीच की दूरीयां कम होंगी और देश का चौतरफा विकास होगा।

कृष्णा वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि., मुंबई

ग्राहक एक ऐसा शब्द है जिसमें ग्रहण करने की शक्ति है। किसी भी उत्पाद निर्माता का कार्य अपने उत्पाद तैयार कर उसे उसके उपभोक्ता तक पहुँचना होता है। यह उपभोक्ता अर्थात उत्पाद का उपभोग करने वाला ही वह व्यक्ति है जो ग्राहक है। केवल उत्पाद भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले ही ग्राहक के साथ नहीं जुड़ते बल्कि सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं भी ग्राहकों के साथ जुड़ी हैं जैसे रेस्ट्रॉन, होटल, अस्पताल, स्कूल–कॉलेज, बैंक, बीमा कंपनीयां सिनेमा जगत आदि। सब अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं और जब तक ये सेवाएं अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान नहीं करती तब तक इन सेवाओं का कोई अर्थ नहीं होता। एक छोटी सी भूल भी उन्हें अपने ग्राहक से दूर करने के लिए काफी होती है। हमारी कंपनी के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां पार करते ही जहां एक ओर कंपनी के संस्थापक सर दोराबजी टाटा की उक्ति अंकित है कि वह इस कंपनी की स्थापना क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी दीवार पर इस महान देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की उक्ति भी अंकित है जो ग्राहकों को संबोधित करते हुए कही गई है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है तथा हमारा मानना भी है कि हमारी कंपनी के संस्थापक सर दोराबजी ने सन 1919 में ही ग्राहक की बीमा संबंधी आवश्यकताओं को समझते हुए जब इस कंपनी की नींव रखी तो ग्राहक को भी वही सम्मान दिया जिसका आज डंका पीटा जा रहा है। महात्मा गांधीजी की उक्ति इस प्रकार हैः– "ग्राहक हमारे कार्यालय में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आगन्तुक है। वह हम पर निर्भर हैं। ग्राहक हमारे कार्य में अवरोधक नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है। वह हमारे व्यवसाय के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि इसका अंश हैं। वह हमें सेवा का अवसर देकर हमारा पक्ष नहीं ले रहा है ऐसा करके वह हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है।"

उक्त विचार साधारण ढंग से कहा गया वाक्य है परन्तु इसकी परिभाषा इतनी गहन है कि आज जब कंपनी अपने प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह किसी भी संवर्ग से संबंधित है को Customer Interface Training दे रही है ताकि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में हम कहीं पिछड़ न जाएं। आज की आवश्यकता केवल अपने नए नए ग्राहकों से नाता जोड़ना नहीं है बल्कि यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने पुराने, महत्वपूर्ण ग्राहकों को निरंतर अपने साथ बनाएं रखें और यह तभी संभव है जब हम उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिसकी उसको आवश्यकता है अर्थात उसकी सभी जरुरतों को समझते हुए उसे संतुष्ट कर रहे है। ग्राहक हमें सेवा का अवसर प्रदान करता है और हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम उसे उसके अनुरूप सेवा देकर उसका सहयोग करें। अतः हमें, हमारे ग्राहक की समस्त आवश्यकताओं को समझना होगा। अब जरूरी यह है कि हम यह समझें कि ग्राहक की आवश्यकताएं क्या हैं? ग्राहक की आवश्यकता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा से संबंधित हो सकती है। भौतिक आवश्यकता का अर्थ है ग्राहक के लिए वह सभी द्वारा – सोपान उपलब्ध करवाने जिन तक पहुंचकर वह अपनी

आवश्यकता के अनुरूप सेवा प्राप्त कर सकता है। यदि हम अपने बीमा से जोड़े तो यह है कि कहाँ से वह बीमा सेवा प्राप्त कर सकता है अर्थात हमारे प्रचालन कार्यालय जो बीमा विपणन से जुड़े है। यहां कार्यरत कार्मिकों को उनके द्वार पर आने वाले ग्राहकों को बैठने से लेकर उनके पॉलिसी प्रदान करने तक अलग–अलग पड़ावों से गुजरना पड़ता है और हर स्तर पर अलग–अलग व्यक्तियों से उसे संपर्क करना पड़ता है। तो यहां आवश्यक होगा कि हमारे कार्मिक उन्हें आदर–सम्मान देते हुए समस्त जानकारी उपलब्ध करवाएं और उन्हें एक संतुष्ट ग्राहक बनाकर विदा करें।

जहां तक सामाजिक दायित्व की बात है तो हमारे विकास अधिकारी ,एजेन्ट और ग्राहकों के साथ संपर्क में आने वाले उन सभी कार्मिकों का यह कर्तव्य और दायित्व है कि वे ग्राहक की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उनकी आवश्यकतानुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करें। समय–समय पर उनके साथ संपर्क स्थापित कर बेहतर सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करें। आर्थिक आवश्यकता से हमारा तात्पर्य है ग्राहक को प्रत्येक उपलब्ध विकल्पों की जानकारी उसकी भाषा में देना। ग्राहक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वयं का आत्ममंथन और स्वमूल्यांकन करें। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक को संतुष्ट करने तथा बेहतर सेवा देने के लिए सम्मेलनों, संगोष्टियों और विचार –विमर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहे है। इन कार्यक्रमों में ग्राहक को कैसे उच्चस्तरीय सेवाएं प्रदान की जा सकती है। इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन होता है। प्रत्येक कंपनी

का उच्च प्रबंधन इस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। समय–समय पर कार्यालयीन समीक्षागत बैठकों के आयोजन तथा ग्राहक सम्मेलन आयोजित कर इस पर विश्लेषण किया जाता है। ग्राहकों से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें अपने बैठकों में आमंत्रित करना, उनके विचार जानना तथा दी जानेवाली सेवाओं और सुविधाओं के बारे में चर्चा करना। ग्राहक को केवल उसकी आवश्यकता और व्यवसाय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता इसके लिए आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके विचारों, व्यवहार और क्रियाकलपों को समझा जाए क्योंकि प्रत्येक ग्राहक एक समान नहीं हो सकता। कुछ ग्राहकों को केवल एक बार बताई गयी बात बहुत सरलता से समझ आ जाती है जबकि कुछ केवल अपनी बात कहना जानते है। वह सुनना नहीं जानते। जरा सी असुविधा उन्हें विचलित कर देती है और वे तुरंत ही अपनी समस्या का निपटान चाहते है। समयाभाव और हमारी दैनिक व्यस्तताओं के कारण कभी–कभी यह संभव नहीं होता कि किसी भी प्रतिक्रिया पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अतरू हमारे द्वारा यही कार्रवाई की प्रक्रिया और प्रणाली ग्राहक की संतुष्टि और असंतुष्टि का कारण बनती है। हमारा व्यवहार उसे हमसे जुड़े रहने या अलग होने का कारण हो सकता है। हमारी व्यवहार कुशलता ही उसे सहमति की राह की ओर अग्रसर कर सकती है और यह अगर ग्राहक की अपनी भाषा (हिंदी) हैं तो निश्चित रूप से इस का असर दूरगामी होगा। इस बात को समझने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राहक के मनोविज्ञान को समझा जाए। ग्राहक का मनोविज्ञान इस बात से जुड़ा है कि वह किस क्षेत्र से संबंध रखता है। हमारे ग्रामीण ग्राहक शहरी ग्राहकों से अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग है। समझ अलग है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्राहक और खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यवसाय करने वाले की मानसिकता अलग होती है , यह हमें बखूबी समझना होगा। अब पुनरू प्रश्न आत्म विश्लेषण का ही है। हमें पहले अपने सभी स्तर के लोगों को निष्ठापूर्वक,लगन, मेहनत, ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। तभी हम अपने कार्यक्षेत्र दूसरे पक्ष यानि कि ग्राहक को समझ पाएंगे। हमें ग्राहक को वह पूर्ण सम्मान देना होगा जिसका वह हकदार है। हमारी भाषा इसमें महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है।

ग्राहक की भाषा में किया गया संवाद उसे हमारे साथ बांधने में सक्षम है। ग्राहक हमसे उत्पाद लेकर हम पर एहसान नहीं करता क्योकि यह हमारा काम है और ग्राहक की आवश्यकता। ग्राहक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद देने का अर्थ यह कतई नहीं है कि ग्राहक द्वारा उसकी समस्या के समय पर हम उसे परेशान करें क्योंकि वह अब उसके द्वारा भुगतान किये गये की वापसी चाहता है। यह हमारा कर्तव्य है कि उत्पाद देते समय उत्पाद संबंधी समस्त जानकारी अपने ग्राहक को दें जो उसकी अपनी भाषा में हो। इसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों महत्वपूर्ण है। ग्राहक के साथ एक बार जोड़े गये रिश्ते के आधार पर आगामी गतिविधियों में उसे अपने साथ शामिल रख सकते हैं और बेहतर सेवा ही यह सुनिश्चित करती है कि हमने उसे पाया है या खोया है। हमारा अच्छा समन्वय उसे हमारे प्रचार–प्रसार में भी उन्मुख करता है। आज हमारी कंपनी शिकायत निवारण प्रणाली पर जोर–शोर से कार्य कर रही है जाकि ग्राहक सेवा का ही अंश है। हमारे कॉल सेंटर 24X7 ग्राहकों की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस पर रहीम जी का यह दोहा बिल्कुल सटीक है।

''रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए
टूटने से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।

अतः हमारे ग्राहक के साथ हमारे संबंध ऐसे ही होने चाहिए कि वह एक बार हमसे जुड़कर की हमसे अलग होने की बात न सोचे। इसमें हमारी तत्परता, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, ग्राहक को दिया गया सम्मान, भरोसा , विश्वास सब शामिल है। यह बातें उसे हमारे साथ बने रहने में महत्वपूग्र भूमिका निभाती है। अतरू वह अंग्रेजी के शब्द कस्टमर अर्थात कष्ट से मर न होकर निश्चित रूप से हमारा ग्राहक विश्वास के साथ ग्रहण किया हुआ, समय पर सेवा देने के लिए रिश्तों से जुड़ा हुआ होगा।

रंजन कुमार बरून
सहायक महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

ग्राहक संबंध और संतुष्टि प्रत्येक कारोबारी उपक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम है। सफल व्यापार की बुनियाद उसके सफल ग्राहक संबंध प्रबंधन में निहित होती है। कंपनी के निष्पादन पर ग्राहक की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी उनकी व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जरूरतों को किस प्रकार पूरा करती है। ग्राहक न सिर्फ इस पर ध्यान देता है कि कंपनी क्या करती है बल्कि इस बात पर भी ध्यान देता है कि कंपनी कार्य किस प्रकार करती है इसलिए सेवा की गुणवत्ता से संबंधित ग्राहक की धारण का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी संगठन के लिए एक कार्यकुशल और कारगर सीआरएम कार्यनीति कई तरह से लाभकर होती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह कंपनी के एक वफादार ग्राहक आधार निर्मित करने और उसे बनाए रखने में मदद देती है। यह ऐसे ग्राहकों के समूह को अधिक मात्रा में बिक्री कर सकती है जिसके साथ इसके अच्छे संबंध हों और जो फर्म और इसकी सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट हों। समय बीतने पर यह उन ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में कम लागत उपार्जित करती है क्योंकि ग्राहकों का बढ़ता विश्वास और उत्पाद के बारे में कम संदेह या प्रश्न की स्थिति पैदा हो जाती है। उन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसे संवर्धात्मक अभियानों का कम सहारा लेना होगा। यदि इसका संतुष्ट ग्राहकों का स्थिर आधार है तो यह अपने कर्मचारियों को रखे रहने का लाभ भी उठाती है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन का अर्थ है आपके ग्राहक की प्रबंधन व्यवस्था। यह कारोबारी कार्यनीति है, जिसका प्रयोग दीर्घकालिक, लाभकारी ग्राहक संबंध पैदा करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका अभिप्राय है मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके ग्राहकों को समझना, उन्हें श्रेणीबद्ध करना तथा उनकी प्रत्याशाओं एवं लाभ में उनके अंशदान के आधार पर प्रत्येक खण्ड के लिए स्थितिजन्य विवरण प्रस्तुत करना। पुराने ग्राहकों को बनाए रखने, नए ग्राहक प्राप्त करने और मौजूदा ग्राहक आधार से लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सीआरएम की संकल्पना का उद्भव व्यापार के प्रबंधन तथा लाभप्रदता के प्रति बदले दृष्टिकोण में निहित है। दूसरे शब्दों में, एक–कालिक बिक्री करने के परम्परागत दृष्टिकोण का स्थान अब ग्राहकों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता ले रही है। इस नए दृष्टिकोण में संगठन में उपयुक्त ग्राहक संबंध प्रबंधन कार्यनीति अपनाए जाने की जरूरत की बात कही गई है। यह ग्राहकों के आस–पास घूमती है। यह ग्राहकों को उनका मूल्य सृजित करने, संप्रेषित करने और सुपुर्द करने तथा इस तरह ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करने की प्रक्रियाओं का सेट है जिससे संगठन और इसके हित धारकों को लाभ होता है। यह ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक लक्षित ग्राहकों को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उनके साथ भागीदारी करने की व्यापक कार्यनीति है। इस प्रबंधन दृष्टिकोण में कंपनी और ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट मूल्य सृजित करने का प्रयास किया जाता है।

ग्राहक भी बैंक के प्रति वफादार रहना चाहते हैं क्योंकि वे भी दीर्घकालिक संबंध का लाभ उठाते हैं। इससे उनमें बैंक की सेवाओं में भरोसा और विश्वास की भावना जगती है तथा साथ ही उत्पाद के बारे में चिन्ता कम रहती है। समय बीतने पर, दीर्घकालिक ग्राहक बैंक संबंध में, सेवा प्रदाता वस्तुतः ग्राहक को सामाजिक – सहायक तंत्र का हिस्सा बन सकता है। ऐसे ग्राहक संगठन से विशेष व्यवहार भी प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदी में कार्य करने के लिए प्रबल इच्छाशक्ति सभी कर्मचारियों में होनी चाहिए। आप यह कहकर कतई हिंदी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है या हिंदी का मुझे कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। हिंदी को अपनाना हमारी लाचारी नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस भारतीय संविधान के आगे सारा विश्व नतमस्तक है, हमें उस संविधान के सम्मान हेतु हिंदी को अपनाना चाहिए। जनता तक पहुंचने के लिए, अपना कारोबार फैलाने के लिए हमें हिंदी में अपना दैनिक कार्यालयी कामकाज करना चाहिए। हमारी संप्रेषण शक्ति जितनी प्रभावशाली होगी, उतनी ही जल्द वह हमें आम जनता से जोड़ेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा में अपना कारोबार का विस्तार करना, बहुत ही लाभप्रद होगा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की ख्याति बढ़ेगी। मौजूदा समय में जब उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है हैकिंग की समस्या एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा के बाबत ग्राहकों को जागरूक करना काफी जरूरी है। इस दिशा में हिंदी का प्रयोग हमारी मदद कर सकता है। जैसा कि ऊपर कहा भी जा चुका है कि ग्राहक बैंक का सबसे अनिवार्य घटक है और हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यह एक सर्वज्ञात तथ्य है। इस लिहाज से हिंदी बड़ी संख्या में आम जन को बैंक से ग्राहक के रूप में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन–जन तक पहुंचकर प्रधानमंत्री की जन–धन योजना की सफलता का राज़ भी हिंदी ही है।

राजभाषा को प्रोत्साहन देने एवं भारत की आम जनता को उनकी अपनी भाषाओं में बैंकिंग और वित्त संबंधी सेवाएं दिलाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं सरकारी वित्तीय संस्थाएं सजग व तत्पर हैं। जब तक ग्राहक को उसकी भाषा में बैंकिंग सेवाएं नहीं मिलेगी तो वो बैंक से जुड़ेगा ही क्यों? सरकार ने ग्राहकों को उनकी भाषा में सेवाएं मिलें इसलिए कई प्रभावी कदम उठाए है और सारे बैंक और वित्तीय संस्थान द्विभाषी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू की गई है जो उन सभी बैंक ग्राहकों के लिए होगी जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। उक्त सेवा केवल अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी और प्रांतीय भाषाओं में भी शुरू होनी चाहिए। बैंकों को भारत के आम बैंक–ग्राहकों को एसएमएस चेतावनी एवं ऑनलाइन बैंकिंग/नेट बैंकिंग सेवा अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। निजी बैंकों के लिए वेबसाइट बनाने के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए और निजी बैंकों की वेबसाइट भी हिंदी में होनी चाहिए। निजी बैंक/सरकारी बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा सेवाएं हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं में देने के लिए अनिवार्य नियम बनाए जाने चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वेबसाइटें अंग्रेजी व हिंदी की पृथक न होकर द्विभाषी नीति के अंतर्गत एक ही साइट द्विभाषी होनी चाहिए।

सोमेन्द्र यादव, प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, आणंद

*'समस्त भारतीय नदियां ,उपनद हैं
और हिंदी महानदी है ।'*

– रवीन्द्र नाथ टैगोर

मानव विकास परंपरा में उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ 'भाषा' भी मुख्य रही है। भाषा के बिना मनुष्य, समाज और राष्ट्र गूंगा कहा जाता है। वस्तुतः 'भाषा' राष्ट्र को जोड़ने, संस्कृति और समाज को संगठित करने, संवाहित करने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का सशक्त आधार होती है। भाषा का मानव, समाज, संस्कृति, सभ्यता और बाजार से घनिष्ठ संबंध रहा है। संप्रति, हिंदी भी भाषा के उक्त गुणधर्मों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। हिंदी का संबंध हमारे देश निर्माण से है, देश की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, व्यवसायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शक्ति के साथ–साथ व्यापारिक शक्ति से भी है। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ के रूप में हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं से साम्यता एवं इनकी जननी के रूप में संस्कृत से इन सभी के संबंध ने हमारे देश के स्वनतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सन् 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक के 190 वर्षों की इस सफरनामे में हिंदी की महती भूमिका थी जिसने संपूर्ण राष्ट्रे को एक सूत्र में पिरोया और समानांतर रूप से एक संपर्क भाषा (Lingua franca = Link Language) के रूप में अपना सांस्कृतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक विकास भी किया।

देश का आर्थिक विकास – भाषा के परिप्रेक्ष्य में

किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसकी वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। भारतीय भाषाओं की वैश्विक बाजार में भागीदारी एवं वैश्विक पहुंच इस हेतु महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है।

संप्रति, हिंदी जनभाषा, संपर्क भाषा, संचार की भाषा, व्यापार–व्यवसाय की भाषा, प्रचार–प्रसार की भाषा, विपणन की भाषा, सरकारी दफ्तरों में काम–काज की भाषा है। व्यवसाय विकास में हिंदी की भूमिका का सही आकलन इसके व्यापक प्रयोग से ही आंका जा सकता है। वैश्विक क्षितिज पर हिंदी पूरी तरह से छायी हुई है। संप्रति, हिंदी, सूरीनाम, फीजी, सिंगापुर, ट्रिनिनाड एंड टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, गुयाना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देशों में संपर्क भाषा के रूप मे प्रयोग में लायी जाती है। विश्व में सबसे अधिक बोली और समझी जानेवाली भाषाओं में हिंदी प्रथम स्थान पर है और चीनी भाषा दूसरे। डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने अपने वर्षों के सर्वेक्षण में चौंकानेवाले तथ्य एकत्रित किए हैं, उनके अनुसार हिंदी जानने वालों की संख्या 1 अरब 10 करोड़ 30 लाख है, जबकि चीनी भाषा जाननेवालों की संख्या सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ है।

विश्व फलक पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन–अध्यापन :

विश्व के लगभग 93 देशों में हिंदी बोली, समझी और पढ़ी जा रही है। अमेरिका में हार्वर्ड, पेन, मिशिगन, येल आदि जैसे लगभग 75 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा यहां हिंदी के लिए कई संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, हिंदी न्यास आदि प्रमुख हैं। इतना ही नहीं वहां कई हिंदी पत्रिकाएं जिनमें विश्व, सौरभ, हिंदी जगत, क्षितिज, विश्व विवेक, बाल भारती, हिंदी चेतना आदि प्रमुख हैं। यहां हिंदी लेखकों एवं कवियों की भी बहुत बड़ी संख्या है। जापान का भारत से आध्यात्मिक जुड़ाव है और यह जापान में हिंदी शिक्षण का बहुत बड़ा आधार है। जापान में लगभग साढ़े आठ सौ कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसी अनुक्रम में कनाडा, रूस, नीदरलैंड, पौलेंड, सूरीनाम , कोरिया, इटली, बल्गाइरिया, फिनलैंड, फीजी, नेपाल और चीन , ब्राजील, मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, सूडान, स्पेन, हांगकांग आदि में हिंदी के अध्ययन–अध्यापन की समुचित व्यवस्था है। हिंदी के अध्ययन एवं अध्यापन इसकी वैश्विक आवश्यकता का विशेषतः व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को सातवीं राजभाषा बनाए जाने का मुहिम मॉरीशस सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से चल रहा है और इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। हिंदी की इस व्यापकता एवं आवश्यकता के उक्त प्रमाणों के पश्चात् व्यवसाय विकास में इसकी भूमिका निर्विवाद है।

भारतीय भाषाएं और बाजार (व्यवसाय) और ग्राहक

संविधान के आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं के अलावा भी हमारे देश में अन्य भाषाएं विद्यमान हैं किंतु इन्हें संवैधानिक रूप से भाषा का दर्जा अप्राप्त है। यद्यपि देश के आर्थिक विकास में, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकरण, बाजारवाद, साक्षरता, शिक्षा के प्रसार, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास आदि से वाणिज्य और व्यवसाय की प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में और जन व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी का एवं भारतीय भाषाओं/क्षेत्रीय भाषा का संवर्धन हुआ है। वाणिज्य, शिक्षा के विकास, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, विज्ञान, बैंकिंग और डाक तार सेवाओं आदि में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई है। व्ययवसायिक प्रयोग क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा का जो कार्य क्षेत्र विकसित हुआ है उसमें व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, परिवहन, बैंक, कंपनी, सहकारिता और व्यवसायिक विज्ञापन, समाचार आदि का उल्लेखनीय योगदान है।

वैश्वीकरण और भारतीय भाषाएं एवं ग्राहक सेवा

वैश्विकरण की प्रक्रिया में सात तत्व शामिल हैं, ये हैं – आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा बाजार, चौथा संचार माध्यम और पांचवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां ,छठा आप्रवासन और सातवां संपन्नता। इनमें से बाजार और संचार ये दोनों भाषाओं के विशेषतः हिंदी के पूर्णतः अनुकूल हैं और शेष चीजें जैसे कि मध्यम वर्ग, आधुनिकीकरण, आप्रवासन आदि भी अनुषंगी रूप से हिंदी के अनुकूल हैं। आशय यह है कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था , मीडिया के वर्चस्व , वैश्वीकरण और उदारीकरण ने हिंदी के विकास में अहम भूमिका निभायी है तो दूसरी ओर हिंदी ने भी वैश्वीकरण और उदारीकरण को भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में नया रूप दिया है। उदारीकरण ने हिंदी को बाजार की भाषा बनाया क्योंकि विश्व के पूंजीवादी देशों की व्यवसायिक दृष्टि भारत को एक बडे बाजार के रूप में देखती है और बाजार में मुनाफे के लिए हिंदी को बाजार की भाषा बनाना जरूरी है। पिज्जा हो या बर्गर, बेचने के लिए हिंदी का ही सहारा लेना पड़ता है। हिंदी के विस्तार एवं उसे व्यावसाय की दृष्टि में सबसे ऊंचा दर्जा देने का सबसे बड़ा श्रेय मीडिया तथा हिंदी फिल्मों का भी है। विदेशी चैनलों को बहुत जल्दी यह आभास हो गया कि भारत में टेलीविजन पर केवल अंग्रेजी कार्यक्रम दिखाकर वे लाभ नहीं कमा सकते इसलिए स्टार, जीटीवी, सोनी आदि सभी में हिंदी धारावाहिक तथा हिंदी समाचार प्रस्तुत करने की होड़ सी लग गयी। विदेशी फिल्में चाहे

वे हॉलीवुड की अंग्रेजी फिल्में हों या जर्मन , फ्रेंच इत्यादि भाषा की निर्मित फिल्में हो, उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करना पड़ता है। सभी प्रकार के टीवी कार्यक्रमों में हिंदी का बोलबाला है अर्थात टी आर पी बढानी है तो हिंदी का सहारा आवश्यक है। एफ एम रेडियो पर भी हिंदी ने खूब धूम मचाया है ।

1980 और 1990 के दशक में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज हुई परिणामस्वररूप अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनिया भारत आईं और हिंदी के प्रयोग को बल मिला। मीडिया महारथी रूपर्ट मरडोक स्टार चैनल लेकर आए जो कि बड़ी धूमधाम से अंग्रेजी में शुरू तो हुआ लेकिन आज हिंदी की सत्ता पूर्णतः उन चैनलों पर काबिज है। इसी तर्ज पर सोनी, जी टीवी आदि भी आए और उन्हें भी अन्ततः हिंदी की ओर मुड़ना ही पड़ा क्योंकि इन्हें अपनी दर्शक संख्या बढ़ानी थी, व्यापार एवं लाभ बढ़ाना था। आज टीवी चैनलों एवं मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे अधिक मुनाफे की भाषा है। कुल विज्ञापनों का लगभग 75 प्रतिशत हिंदी माध्यम में ही है। स्टार प्लस, जीटीवी, जी न्यूज, स्टार न्यूज, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक आदि टीवी चैनल अपने कार्यक्रम हिंदी में ही दिखा रहे है। हिंदी और व्यापार के बारे में चर्चा करते हुए एक सर्वे में कहा गया है कि 'कौन बनेगा करोड़पति' की लोकप्रियता ने कमाई तथा प्रसिद्धि के झंडे गाड़ दिए एवं अनेक कीर्तिमान भंग कर दिये तथा आने वाले समय के लिए हिंदी के सुखद भविष्य के सपने संजो दिए हैं। भारत की आर्थिक क्षमता एवं उपभोक्ता वर्ग की विशालता ने भी हिंदी की भूमिका को व्यापार एवं व्यवसाय तथा लाभप्रदता के लिए बहुत बड़ा स्थान दिया है। भारत कॉटन तथा कॉटन यार्न का उत्पादक देश है और विश्व में तीसरे नंबर पर है। इसी प्रकार जिनेरिक औषधियों तथा टीकों की व्यापक रूप से उपलब्धता, विश्व में इस्पात का आठवां सबसे बड़ा उत्पादक देश तथा सीमेंट के क्षेत्र मे दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने का गौरव भारत को प्राप्त है। पेट्रोलियम, कृषि तथा बैंकिंग क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। उक्त सभी तथ्य इस ओर इंगित करते हैं कि भारत विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। भूमंडलीकरण के इस चुनौती भरे युग में विज्ञापनों के माध्यम से अपने–अपने उत्पादों को बेचने की जबरदस्त होड़ लगी हैं। जहां एक ओर भारत की अनेक क्षेत्रों में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता बाजार भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस विशाल देश में अपने उत्पादों को बेचने की प्रबल संभावनाएं दिखती है और इन सभी संभावनाओं को प्रबल करती है हिंदी। लोक प्रचार माध्यम का अपने श्रोताओं/दर्शकों आदि पर सीधा एवं सकारात्मसक प्रभाव पड़ता है। संचार माध्यम निम्नलिखित रूपों में आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं– विज्ञापन ब्रोशर, पत्र पत्रिकाएं, रंगमंच, चित्रपट, आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रचार उत्सव, सम्मेलन परिसंवाद आदि। उक्त सभी से किसी भी स्तर के संगठन के व्यापार– व्यवसाय का सीधा संबंध है, जिसमें हिंदी की भूमिका निर्विवाद है।

बैंकों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका

बैंक के परिप्रेक्ष्य में हिंदी एवं भारतीय भाषाएं व्यवसाय विकास एवं लाभप्रदता में बहु आयामी रूप से सहायक है। बैंकिंग के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में हिंदी की भूमिका सर्वविदित हैं।

1. ग्राहकों की भाषा 2. विपणन की भाषा 3. प्रचार–प्रसार की भाषा 4. जनसंपर्क की भाषा 5. सरकारी दफ्तरों एवं राज्यी सरकार की राजभाषा 6. बाजार की भाषा 7. संपर्क भाषा 8. तकनीकी रूप से सक्षम भाषा

इसके अतिरिक्त हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की उपादेयता अग्रलिखित क्षेत्रों में भी है।

1. एनपीए वसूली में 2. वित्तीवय समावेशन 3. नए उत्पादों के प्रचार प्रसार में ।

हमारे देश की अर्थव्ययवस्था का मूलाधार कृषि है और कृषि तथा कृषक वर्ग को ग्राहक आधार बनाने में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका निर्विवाद रूप से सत्यथ है। वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय शिक्षण के रूप में देखा जाए तो हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका सर्वविदित है क्योंकि वित्तीय समावेशन और शिक्षण का लक्ष्य जनमानस की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, और इस हेतु सभी पैमाने पर हिंदी एवं भारतीय भाषाएं खरी उतरती है। होली, ईद, दीवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, बसंत पंचमी, भैया दूज, आदि तीज–त्यौहारों की भाषा है और त्यौहार बहुल इस देश में त्यौहारों से संबंधी अपने उत्पादों एवं नवाचारों तथा नवोन्मेषी प्रयोगों की बिक्री में भी हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं सहायक बन व्यवसाय– विकास करती है ।

उपसंहार –

हिंदी की अस्मिता विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से मिलकर बनी है। इसी संबंध में गुरूदेव रवीन्द्रर नाथ टैगोर ने कहा था कि 'समस्ते भारतीय नदियां उपनद हैं और हिंदी महानदी है।' कबीर से लेकर प्रेमचंद और बाबा नागार्जुन का साहित्य इसका दृष्टांत है। हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में इन्हीं बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं का विशेष महत्व है। राजभाषा 1968 के संकल्प के अनुसार भी हिंदी का संवर्धन क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन के साथ –साथ करने का प्रावधान है। मनोवैज्ञानिक एवं मानसशास्त्रीय आधार पर भी यह पाया गया है कि मातृभाषा का प्रयोग लोगों के जुड़ाव का सबसे सशक्त माध्यम है और ये सारे क्षेत्रीय भाषाएं संयुक्त रूप से हिंदी का समर्थन ही करती हैं। समाजशास्त्री के. एल. शर्मा ने एनसीआरटी की समाजशास्त्र की किताब मूल रूप से हिंदी में लिख कर साबित कर दिया कि स्कूल कॉलेज की समाजविज्ञान की किताबें हिंदी में लिखना संभव है। ध्यान, योग, आसन और आयुर्वेद के साथ–साथ इनसे संबंधित हिंदी शब्दों का भी विश्व की दूसरी भाषाओं में विलय हो रहा है। भारतीय संगीत (शास्त्री य एवं आधुनिक दोनो हीं), हस्तशकला, भोजन, वस्त्रों की विदेशी मांग के रास्ते। हिंदी से ही खुलते हैं। लगभग हर देशों में योग, ध्यान और आयुर्वेद के केंद्र खुल गए हैं और इन सबके लिए हिंदी की आवश्यकता हर स्तर पर महसूस की जा रही है। इसके अलावा देवनागरी रूप में हिंदी की वैज्ञानिकता को विश्वेभर में स्वीकार किया गया है। हिंदी की तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यूनीकोड के पश्चात आई क्रांति से स्थिति और भी मजबूत हुई है। हिंदी में वेबसाइटों का निर्माण, ब्लागों तथा इंटरनेट पर हिंदी के प्रवेश ने कई क्षेत्रों में हिंदी के पहुंच को बहुगुणित किया है। हिंदी की प्रयोजनमूलक प्रासंगिकता एवं आवश्यकताओं ने ही प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यवसाय विकास में हिंदी की भूमिका निर्धारित की है। हिंदी का प्रयोजनमूलक आधार की नींव समस्त भारतीय भाषाएं ही हैं।

समग्र रूप से अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी आज राष्ट्रीय एकता, समन्वय, व्यवसाय विकास, आर्थिक विकास एवं लाभप्रदता के लिए आवश्यक है। यह आज बाजार, समाज, राष्ट्र के साथ पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है साथ ही उपनद के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं ने देश के आर्थिक योगदान के साथ–साथ सामरिक, सामाजिक एवं व्यापारिक योगदान भी दिया है।

सुश्री सुमन विजयकुमार सोमदेवे
प्रबंधक, केनरा बैंक
पुणे अंचल

भारत देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली भाषा है। लोग यह मानते हैं कि हिंदी का प्रचार–प्रसार करना हमारे लिए गर्व की बात हैं। ग्राहक सेवा में क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ हिंदी का प्रयोग करने के अनेक लाभ है। जो लोग इस भाषा को समझते हैं वे शीघ्र ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ज्यादातर व्यापारी वर्ग और अर्धशहरी लोग ग्रामीणों की अपेक्षा हिंदी जल्दी समझते हैं। इससे उनके व्यापार में बढ़ोत्तरी होती है।

आजकल विश्व व्यापार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विदेशी व्यापारी भी हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं या अपने पास हिंदी दुभाषियों को रखते हैं जो एक मध्यस्थ की कड़ी होता है। ग्राहक सेवा में उद्बोधन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर किसी ग्राहक से उसकी अपनी भाषा में बात किया आए तो वह प्रसन्न हो जाता है। हमारा देश विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे क्रमांक पर है। यहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। केन्द्र में हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हैं। किसी भी उत्पाद को यदि आप अपनी देशी भाषा में मार्केट में उतारें तो उसकी बिक्री ज्यादा होती है क्योंकि उसमें मन को छू जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। बैंकों के मामले में भी यही हाल है। यदि आप स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं।

हिंदी वेबसाइट भी ग्राहक सेवा का अच्छा उदाहरण है। हिंदी जानने वाले आवश्यक जानकारी का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते की हिंदी वेबसाइट की उपेक्षा न हो। उसे निरंतर अद्यतन किया जाना चाहिए। उसे उतनी ही आकर्षक बनाई जाए जितनी की अंग्रेजी की वेबसाइट होती है। हिंदी से ग्राहक प्रभावित होता है। बल्कि उसे आभास होता है कि यह सरकारी वेबसाइट है तो धोखा–धड़ी नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट संस्थान अपनी वेबसाइट हिंदी में कम रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राइवेट संस्थानों की वेबसाइट धोखा–धड़ी करती है। यह महज एक प्रभाव की बात है। इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए।

पूंजी बाजार में भी निवेशकों के बीच स्थानीय बोलचाल की भाषा के साथ–साथ हिंदी का भी प्रयोग होने लगा है। सेबी ने इसके लिए पहल की है और इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। अपने ग्राहकों के हितों का रक्षण करना किसी भी संस्थान का उद्देश्य होना चाहिए। राजभाषा राज्य का सम्मान होता है। भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। भारत की पहचान हिंदी की वजह से है इसलिए इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यहां केवल हिंदू लोग रहते है अपितु यहां हिंदी लोग रहते हैं। हिंदी साहित्य अति समृद्ध है। आनेवाला समय केवल ग्राहकों को समर्पित होने वाला है। जिससे ग्राहकों से संबंध अच्छा होगा वहीं संस्थान या व्यापारी अपने धंधे में अच्छी तरक्की करेगा।

ग्राहक बैंकर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। कई बार प्रस्तुतीकरण के गलत ढंग से बात बिगड़ जाती है। अगर प्रस्तुतीकरण सही है तो बिगड़ी हुई बात भी संभल जाती है। ग्राहक मेहमान समान होता है कहीं–कहीं उसे भगवान का दर्जा भी प्राप्त है। मेहमान और भगवान को नाराज नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक संबंध हमेशा फायदेमंद होते हैं। ग्राहकों से मनमुटाव या बुरा व्यवहार मानो दुकानदारी चौपट समझें। दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालकर ही ग्राहकों को अपने में जोड़ा जा सकता है। यह बहुत जरूरी है कि ग्राहक से दीर्घकालीन और अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। भाषा से ही नजदीकियां बढ़ती है। ग्राहक सदा के लिए बैंक का हो जाता है और वह दूसरे ग्राहकों को भी अपने साथ आपसे जोड़ता है। हठधर्मितापूर्वक व्यवहार ठीक नहीं।

ग्राहक सेवा के अंतर्गत प्रतिबध्दता स्वरूप निष्पक्ष रूप से व्यवहार जरूरी है। कार्यप्रणाली को समझाने, गलत होने पर तुरंत सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करना, भेदभाव रहित नीति अपनाना, विज्ञापन, क्रेडिट सूचना, शिकायतें, परिवाद, आंतरिक प्रक्रिया, जमा खाते, घरेलू बचत, समाशोधन, मीयादी जमा, दावों का

निपटान, सुरक्षित जमा लॉकर, धन विप्रेषण, बकाया निपटान, इंटरनेट बैंकिंग, खोने, चोरी या विवादित लेन–देन की रिपोर्टिंग, क्रेडिट कार्ड, रिकार्ड प्राप्त करना, वित्तीय समावेशन, वरिष्ठ नागरिक एवं निशक्तजन व्यक्ति व्यवहार, भुगतान, नुकसान जवाबदेही, मृतक जमाकर्ता लेनदेन, ऋण, ऋण गांरटी, मोबाइल बैंकिंग आदि में राजभाषा का प्रयोग करने से ग्राहकों के साथ प्रगाढ़ संबंध बन सकते हैं। ग्राहकों से अच्छे संबंध बैंकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। ग्राहकों से अच्छे संबंध अपनी भाषा में ही हो सकता है। यह काउंटर पर, फोन पर, डाक द्वारा, इंटरनेट द्वारा हो सकता है। ग्राहक से हिंदी में संभाषण उसकी अपनी आत्मिकता को उजागर करता है। सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग का यह सफल मंत्र है। संबंधों में स्पष्टता होनी चाहिए यह भी बहुत जरूरी है।

हालांकि अधिकतर बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ग्राहक सेवा संबंधी कोड तैयार कर लिए है। आवश्यकता है इसे पूरे तन–मन से लागू किया जाए। अहिंदी क्षेत्रीय बैंकों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

शासकीय कार्यो में राजभाषा का बढ़ता प्रयोग

ज्योति अग्रवाल
राजभाषा अधिकारी
देना बैंक, बड़ौदा

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान हमारा अपना बनाया हुआ है तो शासकीय कार्यों के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग कहाँ तर्कसंगत हो सकता है। अतएव संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिन्दी भाषा का प्रसार करने और इसका इस प्रकार से विकास करने का दायित्व भारत सरकार का होगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने 1952, 1955, और 1960 में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए। इसके पश्चात राजभाषा अधिनियम, 1963 बना जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में धारा ३४३ से ३५२ तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

धारा ३४३(१) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) होगा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120} किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिन्दी और इसकी बोलियाँ उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की अधिकतर और नेपाल की कुछ जनता हिन्दी बोलती है। हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। भाषा विकास क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिन्दी प्रेमियों के लिए बड़ी सन्तोषजनक है कि आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी।

हिन्दी की विशेषताएँ एवं शक्तिः–

हिंदी भाषा के उज्ज्वल स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी गुणवत्ता, क्षमता, शिल्प–कौशल और सौंदर्य का सही–सही आकलन किया जाए। यदि ऐसा किया जा सके तो सहज ही सब की समझ में यह आ जाएगा कि – संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। वह सबसे अधिक सरल भाषा है। वह सबसे अधिक लचीली भाषा है। वह एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन है। वह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। हिन्दी लिखने के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।

हिन्दी को संस्कृत शब्दसंपदा एवं नवीन शब्द–रचना–सामर्थ्य विरासत में मिली है। वह देशी भाषाओं एवं अपनी बोलियों आदि से शब्द लेने में संकोच नहीं करती। अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है। हिन्दी बोलने एवं समझने वाली जनता पचास करोड़ से भी अधिक है। हिन्दी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है। हिन्दी आम जनता से जुड़ी भाषा है तथा आम जनता हिन्दी से जुड़ी हुई है। हिन्दी कभी राजाश्रय की मोहताज नहीं रही। भारत के स्वतंत्रता–संग्राम की वाहिका और वर्तमान में देशप्रेम का अमूर्त–वाहन। भारत की सम्पर्क भाषा। भारत की राजभाषा।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का औचित्यः–

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहां अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता

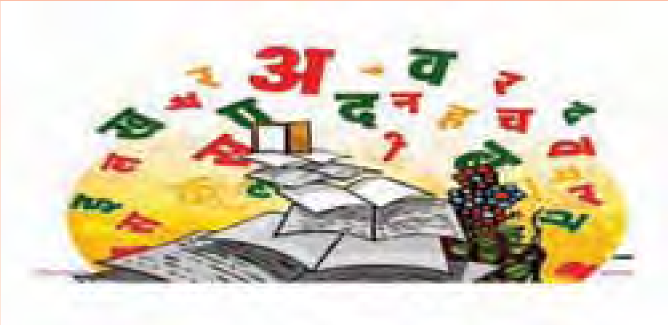

महात्मा गांधी द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक 'राष्ट्रीय भाषा' (राष्ट्रीय भाषा से अभिप्राय राजभाषा से ही है) के लिए बताये थे–

(1) अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

(2) उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।

(3) यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।

(4) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।

(5) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषाः–

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेशः–

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

शासकीय कार्यो में हिन्दी का व्यावहारिक एवं बढ़ता प्रयोगः–

माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्रालय राजभाषा विभाग एवं राजभाषा विभाग भारत सरकार के अथक प्रयासों से हिन्दी को पुनः अपना वर्चस्व प्राप्त होने लगा है। अब

चूकीं एक व्यवस्थित कार्यरूप रेखा निर्धारित की गई है एवं केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकार के सभी विभागों एवं वित्त विभागों, सरकारी उपक्रमों आदि में कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु क, ख ग क्षेत्र विभाजन कर उसके अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति क प्रतिशत रखा गया है। तथा समय समय पर इसके कार्यान्वयन की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु रिपोर्ट मांगी जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। उच्चाधिकारियों के लिए नराकास द्वारा आयोजित टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता से प्रोत्साहित होकर वे अधिकांश टिप्पणियाँ हिन्दी में ही लिखते हैं। जब उच्चाधिकारी हिन्दी में टिप्पणी लिखें तो अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी भी हिंदी में कामकाज हेतु प्रेरित होते हैं। समय समय पर तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भेजना, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करना, हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करना, नराकास द्वारा छमाही बैठक, छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना, राजभाषा समिति भारत सरकार के उपनिदेशक का इन बैठकों में समीक्षा एवं मार्गदर्शन, हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराना एवं पुरस्कार वितरण आदि के कारण कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बल मिला है। यहाँ तक की ऋण एवं अग्रिम से संबंधित अधिकांश दस्तावेज हिंदी में तैयार किये जाते हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के दावे पत्र हिंदी में प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्मिक एवं प्रबन्धन विभाग अधिकाधिक रूप से हिन्दी में पत्राचार को बढ़ावा देता है कानूनी नोटिस, मुख्तारनामा, वसीयत, बेचान, विलेख, अभिलेख हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हिन्दी माह हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रधान कार्यालय इसके प्रोत्साहन के लिए राजभाषा विभाग को अलग से बजट आवंटित करते हैं। समय –समय पर विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार प्राप्ति के कारण कर्मचारी भी उत्सुकता से ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं। पत्रों में हस्ताक्षर हिन्दी में किये जाने को प्राथमिकता मिलती है।

अतएव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासकीय कार्यों में राजभाषा के बढ़ते वर्चस्व को नकारा नहीं जा सकता। औपचारिक रूप हो या अनौपचारिक, अब इसका प्रयोग अत्यंत सहज एवं सुगम अनुभव होने लगा है।

सूचना प्रोघौगिकी के माध्यम से राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

गगन मदान, सहायक प्रबन्धक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
गिल्ल रोड शाखा, लुधियाना

निज भाषा ज्ञान है, सब उन्नति को मूल,
पै निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल ।

भाषा मानव जीवन में मनुष्य के भावों, संवेगों व विचारों से मनुष्यों को अवगत कराने का माध्यम है। बिना भाषा के कोई भी जाति तब तक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकती जब तक उसके पास अपनी काला, संस्कृति, इतिहास के विचारों का अन्य प्रान्तों व देशों तक संप्रेषण करने हेतु सक्षम भाषा नहीं होती। किसी भी देश को देश की उपलब्धि से विभूषित होने के लिए अपने देश के ध्वज, पशु, पक्षी, जानवर, वेशभूषा, खानपान, कला, संस्कृति, इतिहास आदि उपमानों के साथ सक्षम भाषा का होना अत्यावश्यक है वरन ये सभी विशेषताएँ किसी भूमि के टुकड़े के लिए कोई मायने नहीं रखती। वर्तमान में भारत हर दृष्टि से सक्षम हो चुका है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, खेलकूद, टैक्नोलॉजी, खगोलीय ज्ञान, कला, संस्कृति हर क्षेत्र में भिन्न–भिन्न देशों में अपनी विजय के परचम लहरा चुका है। हम जानते हैं, हमारा देश रंगों का देश कहा जाता है इसीलिए सभी देश इस ओर आकर्षित होते चले आते हैं। कला एवं प्रकृति के भिन्न–भिन्न रूपों से भी इसने प्रभावित किया हैं, भिन्न ऋतुएँ, खान–पान, उत्सवों के रंगीन नजारे, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति में दिखाई देने वाली विभिन्नता में छिपी आध्यात्मिक एकता भी इस देश की आश्चर्यचकित करने वाली अनोखी विशेषता है। विभिन्नता में इन सभी खूबसूरत विशेषताओं वाले हमारे देश के लिए यह बात भी प्रचलित हैः –

कोस–कोस पर पानी, बीस कोस पर वाणी ।
भारत की यह अनोखी, बात हमने है जानी।

विशाल भारत की इन विशेष खूबियों के साथ जब देश का संविधान रचने का समय आया तो सबसे पहले हमारे राजनेताओं के समक्ष भाषा की समस्या का विषय चिंता का विषय बनकर सामने आया क्योंकि हमारे देश में विभाजन के समय जनता शिक्षित नहीं थी, गाँव का देश होने से, सभी गाँवों व प्रान्तों में बोलियों का बोलबाला था, कोई एक भाषा नहीं थी। हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, अँग्रेजी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत, पाली, बंगाली आदि क्षेत्रीय भाषाएँ ही व्यवहृत होती थी। भारत के संविधान की दृष्टि से भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसका साहित्य व शब्द – भंडार हिन्दी भाषा के तुल्य हो। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान रचा गया तो हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्माण सर्वसम्मति से पारित कर हिन्दी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात देश में इसके प्रचार–प्रसार की समस्या मुँह बाये खड़ी हो गई, कि किस तरह से हिन्दी को सार्वजनिक भाषा बनाया जाये । सभी विद्यालयों, महाविघ्यालयों व कार्यालयों में हिन्दी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ने – पढ़ाने व व्यवहार में लाने का निर्णय लिया गया। गांधी जी, राजगोपालाचार्या, सुनीति कुमार चटर्जी आदि विद्वानों ने आपसी विचार–विमर्श के पश्चात हिन्दी भाषा को पूर्णतः जनभाषा व कार्यालयी भाषा बनाने हेतु 15 वर्ष का समय निश्चित कर दिया ।

खेद का विषय है कि आज हमारा संविधान 65 वर्ष का हो चुका है, किन्तु भाषा की समस्या जस की तस ही पड़ी है। भारत जैसे विश्व गुरु माने जाने वाले इस देश में ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है किन्तु अँग्रेजी भाषा की महनीयता व विदेशी टैक्नोलाजी(कम्प्यूटर की भाषा) का प्रसार अधिक बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलाजी (कम्प्यूटर की भाषा) रोजमर्रा के जीवन में भी हिन्दी की अपेक्षा अँग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है । न्यायालय में मैजिस्ट्रेट व वकीलों की न्यायायिक भाषा भी वैसे की वैसे ही हैं, उसमें भी कुछ विशेष अंतर नहीं आ पाया है । सभी कार्यालयों के कार्य अधिकतर अँग्रेजी भाषा में ही होते हैं। नेट–वर्क पर ऑनलाइन जितने कार्य होते हैं सभी अँग्रेजी में ही किये जाते हैं। इतना ही नहीं 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस भी अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है । हम उस हिन्दी भाषा के महत्व व उसका अधिक से अधिक प्रयोग लाने का संदेश भर देकर अपने आपको उतरदायित्व से मुक्त कर लेते हैं। अँग्रेजी भाषा से मुक्त होने का प्रयास करते–करते हम कम्प्यूटर टैक्नोलाजी की वजह से और भी अँग्रेजी की गिरफ्त में आ चुके हैं ।

बलिवेदी पर चढ़ने वाले शहीद हमें गुलामी से तो आजाद करवा गये। किन्तु आज भी उनकी भाषा से हम आजाद नहीं हो पाये हैं। भारतीय आज भी विदेशों में जाकर हिन्दी में बातचीत करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा ही उनकी शान व देश की पहचान है । हम सब देशवासी यदि मिलजुलकर कर हिन्दी बोलने व दूसरों को हिन्दी बोलने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल को पा लेंगे । वरन हमारे पूर्वज शहीदों की आत्माएँ यह जानकर व्याकुल ही रह जायेंगी और कहेंगी –

वर्षों बीत गये जब, रचा गया संविधान ।
आज भी क्यों पकड़ी है, ज्ञान की अँग्रेजी भाषा ने कमान ।

मेरा मानना है कि दूसरें देशों की भाषा, संस्कृति साहित्य की जानकारी हेतु उनकी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में कोई बुराई या अपराध नहीं । अपने ज्ञान की समृद्धि हेतु उनकी जानकारी प्राप्त कर अपने देशवासियों को अपनी भाषा के माध्यम से समझाना और ज्ञान को समृद्ध करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी हम अपनी भाषा के प्रति न्याय कर सकेंगे। परंतु आज के दौर में हमारी मातृ भाषा अर्थात राजभाषा हिन्दी का विस्तार प्रोद्यौगिकी क्षेत्र में काफी हद तक सफलतापूर्वक बढ़ा भी है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनीक मीडिया इसके दो प्रकार है – टेलिविजन, समाचार पत्र, पत्रिका, अन्य संचार माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा जनहित से मातृ भाषा में सीधा संपर्क साधा जा सकता है। पहले इसे सूचना के अनुरूप नहीं माना जाता था। किन्तु सूचना प्रोद्यौगिकी के बदलते परिवेश के साथ राजभाषा का प्रयोग भी बढ़ा है। उन्होंने इसे और अधिक आसान बनाने के लिए यूनिकोड, मंत्रा, एपीएस, स्क्रिप्ट मैजिक, गूगल हिन्दी इंडिक टूल आदि सॉफ्टवेर का इजात किया। जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा का उपयोग कर सभी से संपर्क साध सकते हैं। इन सब के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा । भाषा का अपना कोई मूल रूप नहीं है जब तक हम उसे उपयोग में न लाएं ।

आज के दौर में हिन्दी का प्रयोग प्रत्येक निजी कंपनियाँ और सरकारी कंपनियाँ अपने कार्यालयों व कार्यालयों के बाहर कर रही है। सभी ने प्रायः ध्यानपूर्वक देखा ही होगा कि किस तरह फेसबूक, ट्विटर, गूगल आदि में हिन्दी का उपयोग बढ़ा है। गूगल में बहुत सी जानकारी आजकल हिन्दी में उपलब्ध है किन्तु इसकी उपलब्धता अभी भी कम हैं। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि प्रत्येक वर्ग इस से जानकारी प्राप्त कर सके उदाहरण – विकिपीडिया का हिन्दी वर्जन। सूचना प्रोद्योगिकी का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक वह हम सभी के प्रयोग में ना आये। भारत की अधिकतर जनसंख्या अँग्रेजी भाषा से वाखिफ नहीं है। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएं ही उनकी दिनचर्या का माध्यम है। इस संदर्भ में सूचना प्रोद्योगिकी ने यूनिकोड जैसे सॉफ्टवेर का विकास कर भाषा के संबंध में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बदलते परिवेश के अनुसार आज सभी देशों में उनकी भाषा के प्रति जागरूकता भी बड़ी है ।

कुलदीप सिंह खुराना
वरिष्ठ प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

बैंकों में कंप्यूटरीकरण की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का कार्य वर्ष 1980–81 के बाद प्रारम्भ हो गया था। वस्तुतः वर्ष 1983 तक किसी भी भारतीय बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का मशीनीकरण नहीं किया था। कंप्यूटरीकरण संबंधी दो परवर्ती समितियों ने ही भारत में कंप्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त माहौल बनाया। डॉ सी.रंगराजन, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में रंगराजन समिति का गठन होने के बाद वर्ष 1983–84 में कंप्यूटरीकरण के इस कार्य में तेजी आई। इस समिति का गठन बैंक कंप्यूटरीकरण की संभावनाओं एवं इनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किया गया था। दूसरी रंगराजन समिति वर्ष 1989 में बनाई गई। इसका प्रयोजन वर्ष 1990 से 1994 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंकों के कम्प्यटरीकरण की योजना तैयार करना था। समिति ने तय किया कि कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा, आंतरिक रखरखाव व्यवस्था, निर्णय लेने ओर उत्पादकता एवं लाभ प्रदत्ता में सुधार लाना है। इस समिति की रिपोर्ट में बैंकों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया। इसने लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बड़े व्यवसायिक केन्द्रों की बड़ी शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों का कम्प्यट्रीकरण, नेटवर्क प्रणाली का भरपूर प्रयोग, ए.टी.एम. द्विभाषी कंप्यूटर तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया।

आज बाजार बैंकिंग की कार्य–पद्धति पहले से स्थापित परंपराओं से कुछ भिन्न है। इन कार्यों के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भरता दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। इंटरनेट, ई–मेल , ई–कामर्स आदि के माध्यम से बैंकों और व्यापार जगत का बहुत सा काम किया जा रहा है। अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ए.टी.एम., टेलिबैंकिंग, होम बैंकिंग, कभी भी कहीं भी बैंकिंग जैसी नवोन्वेष सुविधाएं प्रारम्भ की हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बावजूद हिंदी तकनीकी दबाव के कारण पिछड़ती जा रही है। जिस भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्व मानदण्ड स्थापित किए हों उसके लिए यह आवश्यक है कि वह आधुनिक युग के साथ तालमेल बना कर रखें। सूचना क्रांति का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव राजभाषा नियमों के अनुपालन पर पड़ा है चूंकि सभी प्रोग्राम मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार किये गये हैं। अब जब हिंदी के कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ा है, तो इसके सॉफ्टवेयर विकसित करने की जरूरत महसूस हुई। जब भी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में यंत्रीकरण की बात होती है तो निसंदेह कंप्यूटर को ही आधुनिक युग का बहुआयामी उपकरण माना जाता है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह उपकरण भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अधीन जारी राजभाषा नियमों के उपबंधों का पालन करने में कितना खरा उतरता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी में काम करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल हैं, का द्विभाषी होना अनिवार्य है जिसका अर्थ है कि जो भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदा जाए उसमें हिंदी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में एक साथ काम करने की सुविधा होनी चाहिए ।

किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को तभी द्विभाषी माना जाएगा जबकि –

- इसमें अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में भी आंकड़े भरने की व्यवस्था हो ।
- कोई भी कर्मचारी इसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि यंत्र में ऐसा प्रबंध हो जिससे स्क्रीन पर उस कर्मचारी की इच्छानुसार हिंदी– अंग्रेजी में लिखा जा सके ।
- कंप्यूटर आदि से तैयार होने वाली सामग्री कंप्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारी की इच्छानुसार हिंदी– अंग्रेजी में प्रिंट हो सके ।

अभी लोगों के मन में यह भ्रम है कि देवनागरी लिपि में नवीनतम इलैक्ट्रॉनिक /यांत्रिक सुविधाओं का अभाव है। यह कथन वर्तमान स्थिति का पूर्णतः सही आकलन नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है जिसका मूल कारण उपलब्ध सुविधाओं के ज्ञान का अभाव है। कंप्यूटर इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। आज के इस इलैक्ट्रॉनिक युग में कंप्यूटर एक बहुआयामी उपकरण के रूप में सामने आ रहा है। कंप्यूटर पर आज देश की किसी भी भाषा में काम करना संभव है। कार्यक्षमता में वृद्धि लाने, गुणवता सुधार लाने तथा समय की बचत को देखते हुए इसका प्रयोग वांछनीय ही नहीं अपितु अनिवार्य भी बन गया है। डॉ सी. रंगराजन, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में बनाई गई दूसरी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी द्विभाषी क्षमतायुक्त कंप्यूटरों की उपलब्धता तथा कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया गया। तकनीक कोई भी हो, भले ही वह कंप्यूटर हो या मोबाइल उपभोक्ता के लिए है, उपभोक्ता तकनीक के लिए नहीं। कोई भी तकनीक तभी सफल हो सकती है जब वह उपभोक्ता के अनुरूप अपने आप को ढाले। तकनीक तो एक माध्यम है। वह हमें निर्देशित नहीं करती बल्कि हमसे दिशा–निर्देश प्राप्त करती है और हमारे द्वारा बताई गई सीमाओं में रहते हुए वह कितनी कुशलता के साथ हमारा काम आसान, सुव्यवस्थित बनाने में हमारी मदद करती है ।

अब हिंदी में इंटरनेट आधारित या साफ्वेयर आधारित परियोजना लाना फायदे का सौदा है। चाहे याहू हो, चाहे गूगल हो या फिर एम.एस.एन. सब हिंदी में आ रहे हैं। माइक्रोसाफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में आ गए हैं, आई.बी.एम से लेकर माइक्रोसिस्टम और ओरेकल तक ने हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है। लिनक्स और मैकिन्टोश पर भी हिदी आ गई है। दिलचस्प संयोग है कि इधर यूनिकोड नामक एनकोडिंग प्रणाली, जिसने हिंदी को अंग्रेजी के समान ही सशक्त बना दिया है। यूनिकोड के माध्यम से पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पर अंग्रेजी की अनिवार्य निर्भरता से मुक्ति की संभावनाएं दिख रही है क्योंकि यह पद्धति एक कंप्यूटर को विश्व की सभी भाषाओं में काम करने में सक्षम बना सकती है। यूनिकोड एक 16 बिट की एनकोडिंग व्यवस्था है, यानी इसमें हर संकेत को संग्रह और अभिव्यक्त करने के लिए सोलह बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। इस एनकोडिंग से किसी भी अक्षर, अंक या संकेत को सोलह अंकों के अद्वितीय संयोजन के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। यूनिकोड पद्धति आने के बाद लोगों की धारणा में बदलाव आ गया है। यूनिकोड न तो केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और न ही फॉट है। यूनिकोड वास्तव में भाषा के लिए अपनाई जाने वाली लिपि को एनकोड करता है। बहुत सी लिपियों का प्रयोग बहुत सी भाषाओं के लिए किया जाता है जैसे लेटिन स्क्रिप्ट। यह एक मानक कोड है जिसमें हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की लगभग 300 भाषाओं

के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाषा हो इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग कोड प्रदान किया है। इस व्यवस्था में सभी भाषाएं बराबर का दर्जा रखती हैं। आज यूनिकोड आधारित कंप्यूटर विश्व की हर भाषा से परिचित है बशर्ते आपरेटिंग सिस्टम में इसकी व्यवस्था हो। सामान्य एप्लिकेशनों में हिंदी में काम करने के लिए यूनिकोड फॉट का होना ही पर्याप्त नहीं है लेकिन आपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सपोर्ट इनेबल करना अनिवार्य है। यूनिकोड आधारित वेबसाइटों को देखने के लिए संबंधित फॉट होने अनिवार्य नहीं है उन्हे तो विश्व में किसी भी स्थान पर बिना फॉट के देखा जा सकता है।

इंटरनेट पर भी अब यूनिकोड का मानक खूब लोकप्रिय हो रहा है और धीरे–धीरे लोग पुरानी एनकोडिंग व्यवस्था की सीमाओं से निकलकर यूनिकोड अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गूगल, विकीपीडिया, एमएसएन आदि इसके उदाहरण हैं जिनमें हिंदी में काम करना उसी तरह संभव है जैसे कि अंग्रेजी में। रही बात हिंदी में टाइप करने की, यद्यपि इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड को मानक के रूप में मान्यता दी गई है फिर भी हिंदी में काम करने के लिए सात प्रकार के की–बोर्ड ले–आऊट जैसे ट्रांसलिट्रेशन, रेमिंगटन, गोदरेज, हिंदी टाइपराइटर, इंस्क्रिप्ट आदि मुफ्त डाऊनलोड कर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस डाउनलोड को अपने सिस्टम में स्थापित करने के बाद कंट्रोल पैनल के जरिए की–बोर्ड ले–आऊट में से हिंदी की–बोर्ड ले–आऊट Hindi Indic IME 1 का विकल्प चुने और प्रयोग में लाएं। इंस्क्रिप्ट ले–आऊट एक टच प्रणाली है। इसका विकास सी–डेक ने किया है। यह विधि भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से कंप्यूटर पर सर्वाधिक गति से टाइप किया जा सकता है। यह भारतीय भाषाओं के ध्वन्यात्मक गुण के लॉजिक पर आधारित है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि टाइपिंग करने हेतु कम से कम कुंजियां दबानी पड़ें, इसी कारण इससे कंप्यूटर पर तीव्र गति से हिंदी तथा अन्य विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं में टाइप किया जा सकता है। फॉट आधारित हिंदी को यूनिकोड हिंदी में बदलना अनिवार्य हो गया है क्योंकि हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए जो फॉट बनाए गए हैं वे गैर–मानक स्वरूप के हैं तथा उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है इसलिए उन्हे किसी दूसरे कंप्यूटर पर पढ़ना तथा इनका प्रयोग कर तैयार किए गए डाटा का आदान प्रदान भी ठीक से नहीं हो सकता है। हिंदी के संदर्भ में सूचना तकनीक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब तक हम कंप्यूटिंग और आईटी को बुनियादी तौर पर उत्पाद आधारित मानते रहे हैं। हिंदी को अब सेवा आधारित व्यवस्था, यानी सर्विस ओरिएंटिड आई टी की ओर भी ध्यान देना होगा। सरकारी सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना और उन्हे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

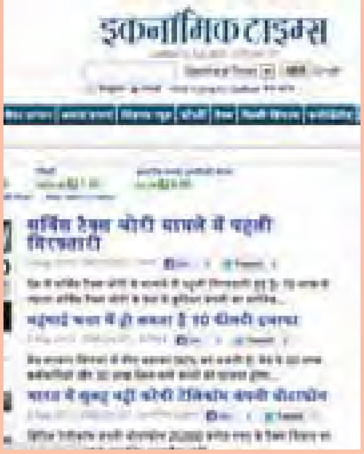

प्रदीप कुमार अग्रवाल
उपमहाप्रबंधक (राजभाषा)
आईडीबीआई बैंक
नई दिल्ली

अक्सर इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं कि हिंदी सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी आज अँग्रेजी के मुकाबले कहाँ खड़ी है? दोनों में उपलब्ध सुविधाओं में कितना अंतर है या कितनी दूरियाँ बनी हुई हैं अथवा हिंदी कब तक अपनी तकनीकी सक्षमता में अँग्रेजी की बराबरी कर लेगी ताकि यह राजभाषा के रूप में अपेक्षित गरिमा प्राप्त कर सके। यह दिखने में बहुत ही सामान्य सही, परंतु कुछ ऐसे बुनियादी यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान निकट भविष्य में हमें संभव नहीं लगता। क्या ये वाकई एक सत्य धारणा है अथवा मिथक है, इसे जानना और इसका विश्लेषण करना आज की तकनीक–अनुकूल परिस्थितियों में अपरिहार्य हो गया है क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी की थाली में छेद ही छेद नजर आते हैं जबकि वस्तुस्थिति इससे काफी अलग है। यथार्थ यह है कि कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम या अन्य उपकरणों में सामान्य उपयोग की दृष्टि से हिंदी कार्यों में कोई विशेष बाधा नहीं आती मगर तकनीकी पहलुओं के नजरिये से हिंदी पर अभी कुछ और काम किया जाना बाकी है। हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि को कम्प्यूटर पर उपयोग में लाने के लिए वर्ष 1965 से ही कोशिशें की जा रही थीं किंतु विभिन्न वेंडरों के विच्छिन्न प्रयासों के कारण हिंदी के इतनी तरह के फोंट्स बन गए कि उपयोगकर्ता के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सा फोंट उनके उपयोग के लिए सही रहेगा। इस पर भी तुर्रा ये कि जिस कंप्यूटर पर हिंदी का कोई अलग फोंट इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस पर आपके द्वारा भेजे जा रहे हिंदी संदेशों को पढ़ने के लिए अपने फोंट्स भी साथ में अटैच करके भेजने पड़ते थे अन्यथा वो मेटीरियल जंक हो जाता था व किसी काम का नहीं रहता था और न ही उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती थी। इस वजह से ये काम हिंदी सेवा से कहीं अधिक एक बाजार का खेल बनकर रह गया था। इसी कारण से वर्षों तक सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के लिए हमारी राजभाषा और जनभाषा हिंदी दर–दर भटकती रही और अब यूनिकोड में हिंदी के उपयोग की सुविधा आ जाने से इसने राहत की सांस ली है और अपनी गति पकड़ी है।

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का विकासः कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद 1971–72 में एक बहुत सरल कुंजीपटल और उसकी प्रणाली तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हो सकने वाला पहला "प्रोटो टाइप टर्मिनल" वर्ष 1978 में तैयार किया गया। इस टर्मिनल पर शोध प्रबंध "कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणालियों के भाषाई प्रभाव" का पठन इलेक्ट्रोनिक आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में किया गया। कम्प्यूटर पर नागरी लिपि में कार्य सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियाँ जुट गईं। सूचना क्रान्ति के दौर में बढ़ते कंप्यूटरीकरण को देखते हुए कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठान–सी डेक ने 20 जून, 2005 में एक निशुल्क हिंदी सॉफ्टवेयर जारी किया। इस सॉफ्टवेयर में 525 हिंदी फोंट्स (लेख–विधियाँ), ओपन ऑफिस, वेब ब्राऊजर, ई–मेल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑडियो राइटिंग (लेख वाणी) सिस्टम, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर इत्यादि तमाम ऐसी सुविधाएं

उपलब्ध थीं जिन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को अत्यंत सरल और बहुआयामी बना दिया। हिंदी को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में सी–डेक के इस प्रयास ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। 14 सितंबर 2006 को आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने कहा था कि विश्व के अनेक भागों में हिंदी सरलता से पढ़ी–बोली जा सके, इसके लिए इंटरनेट पर हिंदी का यूनिकोड स्वरूप जल्दी बनना चाहिए। वैश्वीकरण के इस युग में कंप्यूटर और इंटरनेट (डबल्यू.डबल्यू.डबल्यू यानि वर्ल्ड वाइड वैब) पर विविध प्रकार के प्लेटफार्म, फोंट और सिस्टम के बावजूद एक ऐसी मानक कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता थी जिसके अंतर्गत विश्व की सभी भाषाएँ सह–अस्तित्व भाव के साथ रह सकें। परिणामस्वरूप, कुछ ही वर्षों में 2010 के आसपास हिंदी यूनिकोड प्रणाली का आरंभ हुआ और कंप्यूटर पर राजभाषा हिंदी का बेहतर और एकरूप ढंग से उपयोग कर पाना संभव हो गया। सच तो यह है कि इसके माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कंप्यूटर, ई–मेल, ऑफिस और अन्य व्यवहारों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग और लोकप्रियता को देखते हुए सूचना प्रविधि क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी 'एम.एस.ऑफिस का हिंदी रूपान्तरण विकसित किया ताकि इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

आज माइक्रोसॉफ्ट, आई.बी.एम, लाइनेक्स, और ओरेकल जैसी सभी कंपनियाँ लिखित भाषा सामग्रियों के अंकन और प्रदर्शन के लिए यूनिकोड प्रणाली का उपयोग कर रही हैं। यह कोडिंग सिस्टम प्लेटफार्ममुक्त, फांटमुक्त और ब्राउजर मुक्त है। विडोज 2000 के बाद के सभी पर्सनल कम्प्यूटरों में यूनिकोड का प्रयोग हो सकता है। यूनिकोड आधारित फोंट का उपयोग करने से न केवल हिंदी को विश्व की उन्नत भाषाओं के समकक्ष रखा जा सकता है अपितु उसकी सहायता से निर्मित वैबसाइट में खोज या सर्फिंग जैसी सुविधाएं भी सहजता से उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार के अनेक विभाग, प्रमुख हिंदी समाचारपत्र और हिंदी पोर्टल यूनिकोड प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट और ई–मेल के इस युग ने हमारे सोच–विचार और विकास के सारे मानदंड बदल दिए हैं और यहाँ तक कि अब हिंदी भाषा का स्वरूप भी बदलने लगा है। इन सभी उपायों के फलस्वरूप आज हिंदी माध्यम से समाचार, साहित्य, व्यापार, ज्योतिष और ज्ञान–विज्ञान के समस्त विषयों का ज्ञान वेब पोर्टलों पर सुलभ है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रविधियों में हिंदीः आज के समय में अपनी भाषा में सूचना तकनीक प्रविधियों के उपयोग में जो देश पिछड़ा हुआ है, वही वास्तव में पिछड़ा माना जाएगा। इसीलिए हमने भी अपनी भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर और अन्य माध्यमों पर लाने के लिए बहुत तेजी से कार्य शुरू किया। आचार्य विनोबा भावे की सोच थी कि देवनागरी लिपि की ध्व्यनुसारी लेखन की विशेषता को देखते हुए उसे विश्वनागरी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और भारत इस दिशा में पहल कर सकता है। विश्व में हिंदी भाषा–भाषी लोगों की संख्या काफी अधिक है और इससे विश्व लिपि के रूप में देवनागरी के प्रयोग की संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं। आवश्यकता इसके प्रयोग और चलन को बढ़ाने और प्रश्रय देने की है। इसी आशय से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए जागरूकता प्रदान करना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है किंतु इसके दोहन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का विकास और तकनीकी विस्तार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे तकनीकी दुनिया में हिंदी की स्थिति उतनी दयनीय नहीं है जितनी हम समझते हैं। खासकर पिछला एक दशक हिंदी के तकनीकी विकास की दिशा में अहम सिद्ध हुआ है। हर नए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज, मैकिन्टोश, लिनक्स आदि) में यूनिकोड के कारण हिंदी–देवनागरी पहले से ही विद्यमान हैं। अधिकांश हैंडहेल्ड डिवाइसेज (टैबलेट, स्मार्टफोन आदि) में भी हिंदी लिखना नहीं तो कम से कम पढ़ना और हिंदी की वेबसाइटों को देखना बहुत आसान हो गया है। गूगल हिंदी इनपुट के रूप में अच्छा आईएमई वहाँ मौजूद है जो रोमन पद्धति से हिंदी में लिखना संभव बनाता है। दूसरी तरफ सीडैक ने हिंदी के मानक तरीके (इनस्क्रिप्ट) से हिंदी टंकण के लिए ऐप जारी किया है। हिंदी समर्थित वेब सर्विसेज (ईमेल, अनुवाद, टेक्स्ट टू स्पीच, ई–कॉमर्स, क्लाउड आधारित सर्विसेज) का उपयोग करना बहुत जटिल नहीं रहा। हालाँकि पेजमेकिंग, ग्राफिक्स, एनीमेशन आदि सॉफ्टवेयरों में हिंदी का शत–प्रतिशत समर्थन नहीं है पर इस श्रेणी के अधिकांश नए सॉफ्टवेयर अब हिंदी यूनिकोड समर्थित हैं।

नए विंडोज10 में हिंदी अनुप्रयोग की स्थितिः इसी कड़ी में हाल ही में सबसे नया आया है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज10 इस स्वचालित अपग्रेड वर्जन में डेस्कटॉप और सेटिंग में ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है पर इसमें हिंदी का इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड अंतर्निमित है। माइक्रोसॉफ्ट के नए विंडोज10 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेस्कटॉप के साथ–साथ टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के अनुकूल है जो सभी मोबाइल डिवाइसेज में हिंदी का समर्थन करता है। यह अच्छी बात है कि भाषा चुनने के लिए विकल्प में संबंधित भाषा के फॉन्ट में विकल्प उपलब्ध होता है। विंडोज10 का स्टार्ट मेन्यू हिंदी में पहले से तेज हो गया है। टाइप करने पर यह कंप्यूटर के साथ–साथ इंटरनेट पर भी खोजकर परिणाम आपके सामने रखता है। इसका फाइल एक्सप्लोरर हिंदी में विंडोज7 जैसा ही है। मेन्यू आदि का हिंदी में स्थानीयकरण स्तर अच्छा है परंतु अनुवादों की गुणवत्ता कहीं कहीं पर अपेक्षित स्तर की नहीं है। साथ ही इसमें एक नया एज ब्राउजर है जो ब्राउजिंग व्यवहार में तेजी से विकल्प दिखाता है और अब यह सभी आधुनिक ब्राउजरों– क्रोम से लेकर ओपेरा और फायरफॉक्स में मिलता है। विंडोज10 पीसी पर आपकी पसंदीदा चीजें जैसे कोर्टाना, फोटो, संगीत आदि पहले से फोन पर मौजूद हैं और इसमें फोटोज ऐप् की हिंदी, संगीत ऐप् की हिंदी, संगीत प्लेयर ऐप् की हिंदी में किया गया अन्वेषण बढ़िया स्तर का है। लाइव टाइल में जो समाचार हैं, उनका हेडिंग तो समाचार हिंदी में दे रहा है परंतु सामग्री हिंदी में नहीं है क्योंकि विंडोज10 हिंदी समाचार नहीं समझ पाता है। इसमें पुराने विंडोज प्रोग्राम व हार्डवेयर भी चलते हैं जिनमें पिछले संस्करणों में कंपेटिबिलिटी की समस्या आती थी। अपने एंड्रोएड फोन या टैबलेट को सेट करने पर पीसी को स्वचालित रूप से पसंदीदा साइटों के लिए सिंक्रोनाइज करना संभव है। ओसीआर भी इसमें फिर से चलने लगा है। उम्मीद है कि विंडोज10 भी जल्द ही विंडोज एक्सपी की तरह सब जगह लोकप्रिय हो जाएगा। लेकिन रनटाइम ब्रोकर की दुष्कर समस्या विंडोज10 में भी मौजूद है। यह हमेशा दौड़ता रहता है और कभी रुकता नहीं, इसलिए आपका सीपीयू और मेमोरी खाता रहता है, अतः हिंदी में कार्यों के लिए विंडोज10 में अपग्रेड होने से पहले थोड़ा सोचना जारी है।

स्मार्टफोन की दुनिया में बढ़ती हिंदीः इस बीच मोबाइल फोन, खासकर स्मार्टफोन की क्षमता बढ़ी है तो उनमें एक से अधिक भाषाओं की सुविधाएँ समाहित करना अपेक्षाकृत आसान हो गया है और इसमें अब कोई तकनीकी रुकावट नहीं रही है। अगर कोई होगी भी, तब भी एक–एक कर सब हिंदी की शरण में आ ही जाएंगे क्योंकि हिंदी के पास बड़ा संख्या बल और विस्तारित बाजार जो उपलब्ध है। एक बात अच्छी है कि विंडोज10 को आपके स्मार्टफोन से एकीकृत करने के उद्देश्य से खासतौर पर बनाया गया है। इस बीच, दूरसंचार जगत में एंड्रोएड ऑपरेटिंग सिस्टम काफी लोकप्रिय हो गया है। गूगल की यह मुक्त स्रोत (ओपन सोर्स) परियोजना निःशुल्क और मुक्त स्रोत होने के नाते इसे कोई भी मोबाइल युक्ति (डिवाइस) निर्माता अपने उत्पाद में निःशुल्क इस्तेमाल कर सकता है। यह लगभग एपल के आईओएस जितना ही शक्ति–संपन्न भी है, जो एपल की निजी संपदा (प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम) है। एपल का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी के उत्पादों (आईफोन, आईपैड आदि) में इस्तेमाल हो सकता है जबकि गूगल का यह

सिस्टम सभी के लिए उपलब्ध है। एक अच्छी बात यह है कि आईओएस और एंड्रोएड दोनों के नए संस्करणों में हिंदी–देवनागरी समर्थन मौजूद है। हालाँकि अभी तक दूरसंचार उपकरणों में उस किस्म का सार्वत्रिक यूनिकोड हिंदी समर्थन मौजूद नहीं है जैसा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्राबुक और नेटबुक्स (जिन्हें छोटे–बड़े कंप्यूटर की श्रेणी में गिना जाता है) में है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि जैसे–जैसे प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, उसका आना तय है। अब मोबाइल पर हिंदी में बोलकर लिखना भी संभव हो गया है, खासकर एंड्रोएड आधारित मोबाइल फोन में। जहाँ गूगल वॉयस इनपुट में हिंदी को सक्रिय करना आसान है, वहाँ इसका परिणाम भी अच्छा है। नई सुविधा है तो प्रणाली में कुछ त्रुटियाँ भी होंगी ही, जिनका समय के साथ–साथ निदान भी होता रहेगा। इंटरनेट कन्टेन्ट या विषय वस्तु ने हिंदी का जितना प्रसार किया है, उससे कहीं अधिक उसका प्रसार संचार के नित नए तकनीकी साधनों ने किया है।

सोशल नेटवर्किंग में हिंदी का बढ़ता दबदबा: पिछले तीन–चार साल में यदि तकनीकी दुनिया में हिंदी से जुड़ी कोई क्रांति दिखाई देती है तो वह है सोशल नेटवर्किंग की क्रांति। चूँकि संदेशों का आदान–प्रदान नेटवर्किंग की मूलभूत अनिवार्यता और पहचान है, तकनीकी दुनिया में हिंदी जैसी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक एक बहुत अच्छा उपकरण है। ब्लॉगिंग पर इन दिनों नए पाठकों को आकर्षित करने, अपने कन्टेन्ट की ताजगी बनाए रखने और मोटिवेशन बनाए रखने का दबाव है। ब्लॉगिंग की दुनिया में मजबूत जगह बना चुके चेहरों को अब यह माध्यम थोड़ा छोटा लगने लगा है और वे अपनी वेब–मौजूदगी को अपग्रेड करने में जुटे हैं। नतीजा है हिंदी में नई–नई, ताजगी से भरी वेबसाइटों का आगमन। इनमें मोहल्ला, भड़ास4मीडिया, विस्फोट, तरकश, नुक्कड़, मीडिया खबर, देशकाल, जनादेश, डेटलाइन इंडिया, परिकल्पना, हस्तक्षेप, प्रवक्ता, हिंदी होमपेज, सामयिकी, हिंद युग्म, मीडिया दरबार, चौराहा, मीडिया सरकार, फुरसतिया, सृजनगाथा, युगजमाना, जनता जनार्दन, अर्थ काम, साहित्य कुंज, साहित्य शिल्पी, तकनीक.ऑर्ग वगैरह शामिल हैं। देखते ही देखते ब्लॉगिंग समुदाय की बदौलत हिंदी में विविधताओं से भरी सामग्री की धारा बह निकली है जो बहुत सजीव, जीवंत और हिंदी की विशुद्ध खुशबू लिए हुए है। गूगल हिंदी को लेकर संजीदा दिखता है और भारत को फोकस कर विज्ञापनों के अभियान चला रहा है। हिंदी की वेबसाइटों और पोर्टलों को केंद्र बनाकर उसने "गूगल हिंदी वेब" नामक परियोजना शुरू की है। शुरूआती जोश अच्छा था लेकिन अब उत्साह मद्धिम है किंतु यह आशा की जा सकती है अब एक भारतीय सुंदर पिचाई के गूगल का सीईओ बन जाने से यह जोश फिर से बढ़ेगा। जहाँ तक बड़े हिंदी पोर्टलों (विशाल वेबसाइटें) का सवाल है, वे अब पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। ऐसे अधिकांश वेब पोर्टल या तो बहुराष्ट्रीय पोर्टलों के हिंदी संस्करणों के रूप में चल रहे हैं या फिर उन्हें किसी न किसी समाचार पत्र समूह की ऑनलाइन शाखा के रूप में चलाया जा रहा है।

हिंदी यूनिकोड प्रयोग की समस्याएँ: देखने में बड़ी न सही, पर कुछ छोटी–छोटी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्होंने राजभाषा हिंदी में यूनिकोड के उपयोग का आनंद फीका कर दिया है। यह विंडोज से समुचित तालमेल के अभाव में है जैसे इसमें ओरेकल में डाटा सेविंग डायरेक्ट नहीं होती, वो कोडिंग में रहती है। इससे हिंदी सबजेक्ट के साथ सेव किया हुआ टेक्स्ट कई बार तो खुलता ही नहीं और अँग्रेजी में दोबारा सेव करने के बाद ही खुल पाता है। फिनेकल में नाम ढूँढना हो तो अँग्रेजी में आसान है पर हिंदी में नहीं। इसमें स्क्रिप्ट मैजिक (लिंग्विफाइड बैंक) प्रोग्राम में लोड किए गए के अनुसार ही शब्द कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें ऑटो इंटेलिजेंस नहीं है और कन्फ्यूजन बना रहता है। नामों की वर्तनी व उच्चारण राज्यवार अलग हो जाते हैं और इस समस्या को तकनीकी रूप से सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए नेम बैंक को पूरी तरह से कारगर नहीं माना जा सकता। फिर भी, उम्मीद है कि मोबाइल के लिए आने वाले एक नए पैकेज से कन्वर्ट होने की इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। ऐसी ही कई और समस्याएँ हैं जो हिंदी यूनिकोड के उपयोग को असुविधाजनक बनाती हैं।

थोड़ा आगे देखें तो पूर्ण विराम की जगह यदि फुलस्टॉप चुनना हो तो हर बार सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि खीज पैदा करता है। कई ऐसे हिंदी शब्द भी हैं जो सीधे–सीधे नहीं बनते और उन्हें टुकड़ों में जोड़कर बनाना पड़ता है। कई बार विंडोज में काम करते समय एक से दूसरी कमांड में जाने पर हिंदी यूनिकोड अपने आप बंद हो जाता है और उसे फिर से चलाना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार उसका लेआउट पूरी तरह से बदल जाता है और टूल बार की सभी मदें डीएक्टिवेट हो जाती हैं। इससे फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाता है और फिर वो कलर्ड या बोल्ड या कुछ भी नहीं होता। उसमें हिंदी का डॉक्युमेंट नेम क्वश्चन मार्क्स में या फिर अंकों में बदल जाता है जो कि बहुत खराब दिखता है। यहाँ तक कि मानक शब्दावली आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार बहुत सारे शब्दों का निर्माण भी नहीं हो पाता। इनके समाधान के लिए जारी है कि एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जाए जिसमें भाषाविदों के साथ–साथ तकनीकविद भी शामिल हों। इससे हिंदी लेआउट संबंधी कार्यों को समय पर और सुविधापूर्वक निपटाया जा सकेगा और लगने वाले अनावश्यक श्रम, धन और समय को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

क्या कहती हैं असीम संभावनाएं: आज कुछ हिंदी वेब पोर्टलों में चिंताजनक ट्रेंड भी दिखाई दे रहे हैं जो भाषा से संबंधित हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा और यहाँ तक कि रोमन लिपि का भी सीमा से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कई प्रगतिशील राष्ट्र आज अपनी–अपनी भाषाओं में भी प्रोग्रामिंग करने लगे हैं और अपनी मातृभाषाओं को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं। यह प्रक्रिया स्वागत योग्य है किंतु अत्यंत धीमी भी है। हिंदी में कुछ अलग तरह की और एक समस्या है कि जब तक इंटरनेट सेवा मुफ्त न हो जाए, तब तक हिंदी पाठकों तक इसका पर्याप्त विस्तार हो सकेगा, इसमें संदेह है। अप्रवासी भारतीयों और भारत में ही निवास करने वालों की निजी वेबसाइटों से हिंदी प्रेम तो झलकता है लेकिन स्तरीयता की कमी रहती है। कुछ बेहतर प्रयास भी दिखते हैं जिनमें कुछ हिंदी प्रेमी लोग निजी वेबसाइटें बनाकर अपनी रचनाएँ उपलब्ध कराते हैं। समय के साथ अब धीरे–धीरे विकासशील देशों की भाषाएँ भी अपनी संस्कृति और अस्तित्व के प्रश्न को लेकर जागने लगी हैं। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय होगा कि अक्तूबर 2014 में जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग अपनी पहली भारत यात्रा पर internet.org कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे, तब अपने महत्वपूर्ण संबोधन में उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया था कि दुनिया भर में 65 प्रतिशत लोग फेसबुक का उपयोग गैर अँग्रेजी भाषाओं में करते हैं और इनमें से 10 भाषाएँ भारत की हैं। जुकेरबर्ग ने इस बात को माना था कि भारत में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती कई भाषाओं का होना है जिनके विकास की असीम संभावनाएँ हैं और यही इसकी शक्ति भी है। विश्वास करें तो 2020 आते–आते भारत दुनिया भर को तकनीकी ज्ञान और जन–बल देने वाला सर्वप्रमुख देश बन जाएगा। तब इन सभी तकनीकी माध्यमों में हमारी राजभाषा हिंदी अपनी संपर्क शक्ति के आकर्षण से निस्संदेह सर्वोपरि स्थान पर होगी। इसके लिए हिंदी को इंटरनेट और अन्य तकनीकी जनसंचार माध्यमों में पूर्णतया सक्षम होने में कुछ समय और लग सकता है, इसके लिए हमें अपनी तकनीकों व प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास करते रहना निहायत जारी होगा क्योंकि कामयाबी अब दूर नहीं दिखती।

सौरभ शेखर झा,
पत्रकार एवं अनुवादक

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहलाता है। हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का काफी महत्व बढ़ गया है। आज प्रत्येक कार्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब जब हम भारतीय है तो लाजमी है कि हमें सबसे अधिक चिंता कंप्यूटर में हिंदी को लेकर होगी। लेकिन कहते हैं न कि आप चाहें या नहीं चाहें लेकिन बाजार की जो जरूरत होती है उसके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं और हिंदी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। आज गूगल से लेकर वाट्सअप तक और अनुवाद से लेकर हिंदी लेखन तक हिंदी कंपटिबल हो गया है। जहां पहले के कंप्यूटर कुछ चुनिंदा हिंदी फोंट के सहारे चल रहे थे वहीं यूनीकॉड फोंट आने के साथ ही इस क्षेत्र में मानों क्रांति सी आ गई है। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी यूनीकॉड फोंट को अपना लिया है और सभी सरकारी कार्यालयों से इस फोंट के इस्तेमाल हेतु निर्देश दे रही है। ताकि राजभाषा मानी जाने वाली हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके। पहले जहां केवल हिंदी टाइपिंग जानने वाले ही हिंदी टाइप कर सकते थे वहीं गूगल आदि के कई टूलों ने अहिंदी भाषियों या हिंदी टाइप नहीं जानने वालों के लिए भी हिंदी टाइप करना आसान बना दिया है।

गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक श्मिट ने कुछ साल पहले एक टिप्पणी करके जबरदस्त हलचल मचा दी थी कि आने वाले पांच से दस साल के भीतर भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार बन जाएगा। कोई दूसरे या तीसरे नंबर का नहीं, बल्कि सबसे बड़ा, यानी पहले नंबर का बाजार। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ साल में इंटरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा, वे हैं– हिंदी, मंदारिन और अंग्रेजी और उनकी यह भविष्यवाण आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि केवल गूगल ही नहीं बल्कि बाकी कई साइटों ने भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। आज आप अंग्रेजी के कीबोर्ड पर टाइप कर हिंदी लिख सकते हैं। जो पहले मुमकिन नहीं था। हिंदी की बढ़ती मांग के कारण नित नए हिंदी फोंट बन रहे हैं जो प्रस्तुति में अच्छे दिखें।

श्मिट साहब के बयान से हमारे अपने उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो यह मानते हैं कि कंप्यूटिंग का बुनियादी चरित्र अंग्रेजी है। यह धारणा सिरे से गलत है। कोई भी तकनीक,कोई भी डिजिटल युक्ति (इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस) भले ही वह कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, उपभोक्ता के लिए है, उपभोक्ता तकनीक के लिए नहीं। कोई भी तकनीक तभी सफल हो सकती है जब वह उपभोक्ता के अनुरूप अपने आप को ढाले। तकनीक तो एक माध्यम है। वह हमें निर्देशित नहीं करती। वह हमें आश्रित नहीं कर सकती कि मुझे इस्तेमाल करना है तो अंग्रेजी में करना होगा। तकनीक हमसे दिशानिर्देश प्राप्त करती है और हमारे द्वारा बताई गई सीमाओं में रहते हुए वह कितनी कुशलता के साथ हमारा काम आसान, सुव्यवस्थित और तेज बनाने में मदद करती है, इसी पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है।

भारत के संदर्भ में यदि कहें तो सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ढलना ही होगा। यह एक अनिवार्यता है।यह अपरिहार्य है। उसकी वजह भी बहुत स्पष्ट है। और वह यह, कि हमारे पास संख्या बल है। हमारे पास पढ़े लिखे समझदार, किंतु अंग्रेजी की बजाय आज भी हिंदी को वरीयता देने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में है। यदि इन करोड़ों तक पहुंचना है, तो भले ही विश्व की कितनी ही बड़ी दिग्गज कंपनी हो, उसे भारतीयता, भारतीय भाषा और भारतीय परिवेश के अनुरूप ढलना ही होगा। इसे ही तकनीकी भाषा में लोकलाइजेशन कहते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यह बात शब्दशः लागू होती है। इसी कारण आज बड़ी से बड़ी कंपनियां भी हिंदी में अपना प्रचार और भारत में स्थित कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग कर रही है।

सॉफ्टवेयर क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अब नए बाजारों की तलाश में है, क्योंकि अंग्रेजी का बाजार ठहराव बिंदु के करीब पहुंच गया है। अंग्रेजी भाषी लोग सक्षम हैं और कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि का क्रय कर चुके हैं। अब उन्हें नए कंप्यूटरों की जरूरत नहीं। लेकिन हम हिंदुस्तानी अब कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। हम हिंदुस्तानी अब इंटरनेट और मोबाइल तकनीकों को अपना रहे हैं और बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। आज संचार के क्षेत्र में हमारे यहां कितने अधिक उपभोक्ता मौजूद हैं। हमारे यहां के वृद्धि के आंकड़े दुनिया के मार्केटिंग दिग्गजों को चौंका देते

हैं। वहां तकनीकी कंपनियों के उपभोक्ता कुछ हजारों में बढ़ते हैं और हमारे यहां सीधे करोड़ों में वृद्धि होती है।

जो भी तकनीक आम आदमी से संबंधित है, उसमें असीम वृद्धि के लिए हमारे यहां अनन्त संभावनाएं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है। हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार आया है। हमारे यहां तकनीक का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में जैसे विस्फोट सा हुआ है। इन सब पर उनकी निगाहें हैं.. उनकी, यानी अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों की। क्योंकि इन सब तथ्यों में इस बात की संभावनाएं छिपी हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा आईटी बाजार बनने वाले हैं।

क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया, हम सीधे करोड़ों में बढ़ते हैं। कंप्यूटर लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे,मोबाइल लेने हैं तो करोड़ों लिए जाएंगे। इन हालात में दुनिया का कोई बाजार–दिग्गज या मार्केटिंग मैनेजर हमारी उपेक्षा करने की गलती नहीं कर सकता। और वह हमारी भाषा की उपेक्षा करने की गलती भी नहीं कर सकता। यदि उसे भी करोड़ों में बढ़ना है, तो उसे हिंदी को अपनाना होगा और आज वे ऐसा करते नजर आ रहे हैं।

कुछ अन्य इंटरनेट आधारित परियोजनाएं जैसे कि वेबदुनिया, जागरण, नवभारत टाइम्स आदि कुख्यात डॉट कॉम बस्ट के प्रहार से बचते हुए आगे बढ़ने में सफल रही हैं। इन सबने खूब संघर्ष किया है, अनिश्चितताओं और कष्टों के बीच रहते हुए तकनीकी दुनिया में हिंदी के लिए मशक्कत की है। अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों को पता था कि भारतीय कंपनियों ने अपने परिश्रम से बाजार तैयार कर दिया है... अब हिंदी में इंटरनेट आधारित या सॉफ्टवेयर आधारित परियोजना लाना फायदे का सौदा है। तो उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया। चाहे वह याहू हो, चाहे गूगल हो या फिर एम.एस.एन। सब हिंदी में आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में आ गए हैं और जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 अधिक से अधिक हिंदी प्रयोग की सुविधा मुहैया कर रहा है उससे स्पष्ट है कि हिंदी को कंप्यूटर की भाषा नहीं मानने वाले लोगों की आंखे खुलेंगी और अधिक से अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लिनक्स और मैकिन्टोश पर भी हिंदी आ गई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, ओपेरा जैसे इंटरनेट ब्राउजर हिंदी को समर्थन देने लगे हैं तो ब्लॉगर से लेकर वर्ड प्रेस तक ब्लॉगिंग के क्षेत्र में भी हिंदी आ गई है। आम कंप्यूटर उपयोक्ता के कामकाज से लेकर डेटाबेस तक में हिंदी उपलब्ध हो गई है। यह अलग बात है कि अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन एक बड़ी शुरूआत हो चुकी है और वह अवश्यंभावी थी। हिंदी में कंप्यूटर और कंप्यूटर में हिंदी का सपना साकार हो रहा है।

फिर भी, चुनौतियों की कमी नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मानकीकरण, या स्टैंडर्डाइजेशन आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूनिकोड के माध्यम से हम मानकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग मार चुके हैं। उसने हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर दिया है। संयोगवश, यूनिकोड के मानकीकरण को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का जितना समर्थन मिला, उतना कीबोर्ड के मानकीकरण को नहीं मिला। भारत का आधिकारिक कीबोर्ड मानक इनस्क्रिप्ट है। यह एक बेहद मेधावी किस्म की, अत्यंत सरल और बहुत तीव्र ढंग से टाइप करने वाली कीबोर्ड प्रणाली है। फोंटों की असमानता की समस्या का समाधान तो पास दिख रहा है लेकिन असंख्य कीबोर्डों की अराजकता का निदान निकट नहीं दिख रहा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज भी एमएस वर्ड जैसे अपने अनुप्रयोगों में अनेक प्रकार से टाइपिंग की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी को जिस सुव्यवस्थित मार्ग पर आगे बढ़ाने का हम सबका लक्ष्य है, उसमें सिर्फ फोंट या टेक्स्ट एनकोडिंग का मानकीकरण पर्याप्त है? क्या कीबोर्ड का मानकीकरण एक अनिवार्यता नहीं है? ट्रांसलिटरेशन जैसी तकनीकों से हम लोगों को हिंदी के करीब तो ला रहे हैं लेकिन कीबोर्ड के मानकीकरण को उतना ही मुश्किल बनाते जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं। यूनिकोड को अपनाकर भी, सही अर्थों में कहा जाए तो हम संपूर्ण मानकीकरण की बजाए, अर्ध–मानकीकरण तक ही पहुंच पाए हैं।

हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी को और गति देने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर सही ढंग से हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के प्रशिक्षण की चुनौती की ओर भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। आज देश के छोटे–छोटे शहरों, कस्बों आदि में अंग्रेजी में कंप्यूटर सिखाने वाले शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन हिंदी में टंकण या कंप्यूटर का प्रयोग सिखाने की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं है। यदि देश में निम्नतम स्तर पर लोगों को हिंदी में कंप्यूटर में काम करना सिखाया जाए तो संभवतः हिंदी कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएं।

यदि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी को क्रांतिकारी शक्ति का रूप देना है, तो आम कंप्यूटर उपयोगकर्ता को बहुत सस्ती दरों पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाने की भी

जरूरत है। साथ ही साथ वेबसाइटों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर हिंदी को अपनाना होगा। सिर्फ कुछ हिंदी पोर्टलों और वेबसाइटों भर से काम नहीं चलेगा। हमें समाचार और साहित्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, ई–कॉमर्स, ई–शिक्षा, ई–प्रशासन आदि के क्षेत्रों में हिंदी वेबसाइटों को प्रोत्साहित करना होगा। इतना ही नहीं, आम व्यापारियों, संस्थाओं आदि की वेबसाइटें अंग्रेजी में ही हैं। ऐसी लाखों अंग्रेजी वेबसाइटों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लाने की चुनौती को भी हल करना होगा।

बहरहाल, जिस प्रकार से राजभाषा हिंदी कामकाज की भाषा बनती जा रही है ऐसे में इसकी संभावना बढ़ती जा रही है कि आने वाले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अलावा भारतीय सर्च इंजन हिंदी के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लेकर आने वाले हैं। जिस प्रकार से विंडोज 10 में हिंदी में टाइपिंग को और आसान बनाया गया है और जिस प्रकार से भारतीय सर्च इंजनों की संख्या बढ़ रही है। हमें आशा करना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जाएगा और कुछ समय में ही यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा बन जाएगी। लेकिन इसी के साथ हमें चौकन्ना भी रहना होगा कि कहीं हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के चक्कर में हिंदी की शुद्धता आदि से खिलवाड़ नहीं किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें इस बात से परहेज करना चाहिए कि ''सब चलता है''। क्योंकि हमें ''चलता हिंदी'' नहीं अपने मातृभाषा को उसके सही रूप में आगे बढ़ाना है।

संजीव कुमार सिंह,
उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

आज की पीढ़ी (कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपोड) इन चीजों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ज्ञान के क्षेत्र में इन्सानों की सबसे बड़ी उपलब्धि इन्टरनेट की खोज है, इस युग में जो इन्टरनेट उपयोग नहीं करता, तो वह व्यावहारिक रूप से निरक्षर माना जाता हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से भाषा का संप्रेषण अत्यंत तेज गति से होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में भारतीय भाषाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं पर चिंतन किया जाता है, तब भारतीय भाषाओं के कंप्यूटरीकरण पर कई प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भाषा प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य किया जाने लगा है।

भारतीय भाषाओं के लिए विभिन्न आई.टी.कंपनियों ने सॉफ्टवेयर तथा उपकरण तैयार किये हैं। यूनिकोड कंसोर्टियम ऑरगनाइजेशन ने भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड बनाते हुए भारतीय भाषाओं की फॉन्ट समस्या पर विराम लगाया है। यूनिकोड के माध्यम से इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं की सुंदरलिपि लहराने लगी है। भाषा प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरुप अंग्रेजी समुदायों की तुलना में भारतीय भाषा–भाषी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। हिंदी, मराठी, तेलगु, कन्नड़, गुजराती और मलयालम आदि भाषाओं में ई–मेल आदि भेजे जा रहें हैं। अब पाणिनी के व्याकरण से लेकर आधुनिक ब्लाकगारों तक पर्याप्त जानकारी हिंदी में प्राप्त हो रही है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में कई ब्लाग तैयार किये जा रहें हैं। अतः हिंदी और भारतीय साहित्य को विश्व के कोने–कोने तक पहुंचाने में यूनिकोड वरदान साबित हुआ है। यूनिकोड के माध्यम से भारतीय भाषाओं में कम्पुटर पर ऑफिस वर्जन में आसानी से काम किया जा रहा है। इस क्रम में भारतीय भाषाओं की गरिमा विश्व स्तर पर छाई है।

भाषा प्रौद्योगिकी की संकल्पना: यूरोप में अंतरराष्ट्रीय लिपि होने से कंप्यूटर पर भाषा प्रचार–प्रसार अत्यंत तेजी के साथ हुआ। भारतीय लोगों को कंप्यूटर पर अधिकार पाने के लिए अंग्रेजी भाषा पर अधिकार पाना अनिवार्य हुआ था। भारत में भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए "लिपि" की प्रमुख समस्या थी। भाषा प्रौद्योगिकी की संकल्पना का आविर्भाव केवल भारत में ही नहीं, विश्व के स्तर पर स्थापित हुआ। अलग–अलग देश भाषा प्रौद्योगिकी के लिए प्रयास कर रहें थे। भारतीय भाषा की किसी वेबसाइट को देखने के लिए हमें फॉन्ट को डाउनलोड करते हुए कंप्यूटर में इन्स्टॉल करना पड़ता था। यूनिकोड के प्रयोग से फॉन्ट की समस्या से छुटकारा मिला एवं भारतीय भाषाओं में वेबसाइट और ब्लाक बनाने के लिए सहायता प्राप्त हुई।

भारतीय भाषाओं की लिपि और भाषा प्रौद्योगिकी: भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकी विकास में भारत सरकार एवं विभिन्न प्रौद्योगिकी संगठन जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी कानपुर, उन्नत कम्पूटिंग के लिए विकास केंद्र (सी–डैक), पुणे और भारतीय भाषाओं के विद्वान प्रयास कर रहें थे। भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकीय विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी "भारतीय लिपियों" में एकरुपता स्थापित करने की। इस अनुक्रम में सन 1983 में इलेक्ट्रानिक्स विभाग, भारत सरकार ने इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड का प्रकाशन किया। इस की–बोर्ड में सभी भारतीय भाषाओं में समान कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड का व्यावसायिकरण सन 1986 में इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार ने किया और भारतीय मानक ब्युरो ने सन 1991 में इस्कि कोड के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही की–बोर्ड अर्थात इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड का मानकीकरण किया। इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड भारतीय लिपियों के वर्णाक्षरों की वैज्ञानिक एवं ध्वन्यात्मक प्रकृति के साथ प्रस्तुत करता है। यह की–बोर्ड प्रयोगकर्ता को व्याकरण सम्मत त्रुटियों से बचाता है और टंकन कार्य में आसानी प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर निर्माताओं को इस मानक की–बोर्ड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। आजकल मोबाइल फोन निर्माता कंपनियां भी अपने मोबाइल उत्पादों के साथ इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड को ही प्रयुक्त कर रही है।

भारतीय भाषाओं की वर्तनी एवं शब्द भंडार: भारतीय भाषाओं की वर्तनी एवं शब्दों के लिए पर्यायी, विपरीतार्थ और बहुभाषी शब्द आदि के लिए भाषा प्रौद्योगिकी में सबसे

बड़ी चुनौती थी। इस प्रयास में विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियां भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य कर रही थीं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय भाषाओं के लिए अपनी साइट पर सभी भारतीय भाषाओं के लिए शब्द–भंडार जैसे– हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी तथा अन्य भाषाओं में द्विभाषी स्मार्ट टैग बनाया है। स्मार्ट टैग को आसानी से कंप्यूटर में संस्थापित किया जा सकता है। स्मार्ट टैग यूनिकोड समर्थित होने के कारण ऑफिस वर्जन में आसानी से काम करता है।

भाषा प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाओं के फॉन्टः भाषाओं के सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों ने कार्पोरेट लाईसेंस के आधार पर भारतीय भाषाओं के लिए कई फॉन्ट

तैयार किये हैं। भारतीय सरकारकी प्रौद्योगिकी संस्थानों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जिसमें सी–डैक, पुणे एवं सी–डैक नोएडा के सहयोग से भारतीय भाषाओं के यूनिकोड समर्थित फॉन्ट, ओपन टाइप फॉन्ट और पब्लिसिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले फॉन्ट को निःशुल्क उपलब्ध किया है। संचार और सूचनाप्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सी–डैक, पुणे तथा नोएडा और आईआईटी मुंबई ने केवल

फॉन्ट ही नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के लिए टू टाइप फॉन्ट, की–बोर्ड ड्राइवर, मल्टीफॉन्ट की–बोर्ड इंजिन, युनिकोड की–बोर्ड ड्राइवर, स्टोअरेज कोड परिवर्तक, भारतीय ओपन ऑफिस, स्पेल चेकर, शब्दकोश, डेकोरेटिव फॉन्ट डिजाइनर उपकरण, डाटाबेस सोर्टिंग उपकरण, टंकन सहायक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूल्स, एक्सेल उपकरण एवं विडोज के लिए लिप्यंतरण उपकरण आदि केवल तैयार ही नहीं किया, बल्कि निःशुल्क भी उपलब्ध कर दिया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे 'भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास' की वेबसाइट www.ildc.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी उपकरण सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 2000, एक्स–पी, विस्टा एवं विंडोज 2007 के साथ सपोर्ट करते हैं।

आज पूरी दुनिया में इन्टरनेट का उपयोग हो रहा हैं, भले ही कुछ देशों में यह प्रयोग कम हैं और कुछ में ज्यादा। भारत की 8 % से भी कम आबादी इन्टरनेट का उपयोग करती हैं। यह अनुपात विकसित देशों में 90 % आबादी की तुलना मे काफी कम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत भले ही अमेरीका में हुई हो, फिर भी भारत की मदद के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती थी। गूगल के एक वरिष्ट अधिकारी की ये स्वीकारोक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं की आने वाले कुछ वर्षो में भारत दुनिया के बड़े कंप्यूटर बाजारों में से एक होगा और इन्टरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा वे हैं– हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेजी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि आज भारत में 8 करोड़ लोग इन्टरनेट का उपयोग करते हैं इस आधार पर हम अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4 थे नंबर पर हैं। जिस रफ्तार से यह संख्या बढ़ रही हैं, वह दिन दूर नहीं जब भारत में इन्टरनेट उपयोगकर्ता विश्व में सबसे अधिक होंगे। आमतौर पर यह धारणा हैं कि कंप्यूटरों का बुनियादी आधार अंग्रेजी हैं, यह धारणा सिरे से गलत हैं। कंप्यूटर कि भाषा अंको की भाषा है और अंको में भी केवल 0 और 1। कोई भी तकनीक और मशीन उपभोक्ता के लिये होती हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती हैं की उससे कैसे उपभोक्ता के अनुरूप ढला जाए। भारत के सन्दर्भ में कहें, तो आईटी के इस्तेमाल को हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अनुरूप ढलना ही होगा। यह अपरिहार्य हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल हैं। इसी के मद्देनजर सोफ्टवेयर की बड़ी कम्पनीयां अब नए बाजार के तलाश में सबसे पहले भारत का ही रुख करती हैं। ऐसा किसी उदारतावश नहीं, बल्कि व्यावसायिक बाध्यता के कारण संभव हुआ हैं। हमने तो अभी बस इन्टरनेट और मोबाइल तकनीकों का स्वाद चखा हैं और सम्पूर्ण विश्व के बाजार में हाहाकार मचा दिया।

हिंदी के भविष्य कि इस उजली तस्वीर के बीच हमें हिंदी को प्रोद्योगिकी के अनुरूप ढालना हैं। कंप्यूटर पर केवल यूनीकोड को अपनाकर हम अर्ध मानकीकरण तक ही पहुच पाएंगे, जरुरत हैं यूनीकोड के साथ ही इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड ले–आउट को अपनाने कि ताकि पूर्ण मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। हिंदी साहित्य या समाचार आधारित वेबसाइट के अलावा तकनीक, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों पर वेबसाइट तैयार करने की। उपयोगी अंग्रेजी साईट को हिंदी में तैयार करने की। इन सबके बीच अपनी भाषा की प्रकृति को बरकार रखते हुए इसमें लचीलापन लाना होगा। आइये, प्रोद्योगिकी के इस युग में हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के बीच हम इसके प्रति सवेदनशील बने और खुद को इसकी प्रगति में भागीदार बनाएँ। किसी भाषा का संप्रेषण केवल विद्वानों तक सीमित नहीं होता। भाषा पर समाज से सभी वर्गों का समान अधिकार होता है। भाषा एक सामाजिक सम्पत्ति है। भाषिक प्रचार का पहला

तत्व है– भाषिक संप्रेषण। अतः भाषा प्रौद्योगिकी को अधिक सक्षम बनाने के लिए हमें चाहिए कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करें और उस प्रौद्योगिकी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटरनेट ने क्रान्ति की है। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं मे ई–मेल आदि भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में यूनिकोड़ के माध्यम से समाचार भी प्रकाशित करना संभव हुआ है। भविष्य में इंटरनेट के माध्यम से भाषा प्रौद्योगिकी का प्रचार अत्यंत तेजी से होगा और भारतीय भाषाएं समस्त विश्व में अपना परचम लहराएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

एन.एच.बी. सुनिधि
सावधि जमा योजना

एन.एच.बी. सुवृद्धि (कर बचत)
सावधि जमा योजना

क्रिसिल रेटिंग एफएएए*
फिच रेटिंग टीएएए*

यह उच्चांशस्तर की सुरक्षा, समय पर ब्याज एवं
पूंजी के भुगतान का संकेत देता है।

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करे: कोर 5–ए, पंचम् तल,
इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग–जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा0 लि0, फोन–011 41012081
मुद्रण तिथि : 30 सितम्बर, 2015